छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **षोडश सत्र**

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023

(फाल्गुन 30, शक सम्वत् 1944)

[अंक 12]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023

(फाल्गुन 30 , शक् संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय :- आज ट्रेज़री बेंच खाली है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सबने पलायन कर दिया है । सबको मालूम है कि लौटकर आना नहीं है, इसलिए सबने पलायन कर दिया है ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- किसी ने पलायन नहीं किया है।

श्री नारायण चंदेल :- पूरा वीरान है मोहल्ला ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष जी, जिनके प्रश्न लगे हैं वे सब उपस्थित हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, आपके निर्देश पर हम ही लोगों ने जिम्मा लिया है रात 10-11 बजे तक बैठने के लिए ।

श्री शैलेश पांडे :- अध्यक्ष जी, कल तो पूरा विपक्ष ही भाग गया था ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल जी कौशिक ।

[दिनांक 14 मार्च, 2023 का स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 7 (*क्र. 725)]

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषणाओं पर कृत कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

7. (*क्र. 725) श्री धरम लाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- आत्मसात किए गए जनघोषणा-पत्र 2018 में क्या बंद स्कूलों को प्रारंभ करने की घोषणा भी की गई थी? प्रदेश में जनवरी, 2019 से दिनांक 31.1.2023 तक कितने नक्सल प्रभावित बंद स्कूलों को प्रारंभ किया गया है? इसमें कितने शिक्षक कार्यरत हैं तथा कितने बंद स्कूलों को चालू करने की योजना है? वर्षवार, जिलेवार बतावें?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी नही। प्रश्नाधीन अवधि में 275 बंद स्कूलों को प्रारंभ किया गया है तथा इनमें 185 शिक्षक कार्यरत हैं। वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न दुबारा आ रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जी, दुबारा आया है, मंत्री जी की गलती के कारण ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें तीनों की गलती है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपका संरक्षण चालिए, लेकिन मैं तो केवल मंत्री जी की गलती मानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हमने 3000 स्कूल खोल दिये हैं, 2000 स्कूल खोल दिये हैं । तो कितने स्कूल खोले गए ? जवाब में बताया कि 275 स्कूलें प्रारंभ की गई हैं और उनमें 185 शिक्षक कार्यरत् हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 275 स्कूलों में 185 शिक्षक पढ़ा रहे हैं । उसकी वर्षवार जानकारी मैंने मांगी है कि कब-कब खोले गये और उनमें कितने मिडिल स्कूल, कितने प्राथमिक स्कूल और हाईस्कूल हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- ये प्रश्न काफी लम्बा नहीं हो गया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं शॉर्ट कर देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज़, प्लीज़ ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इन 275 स्कूलों में 185 शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो कितने स्कूल में कितने शिक्षक हैं और कितने रिक्त हैं । इनकी व्यवस्था कैसे की गई है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जिन स्कूलों को आप लोगों ने बंद किया । उनको हम लोगों ने खोला है, 275 की शुरूआत की है । उनमें बीजापुर में प्राथमिक शाला 196 है, 03 पूर्व माध्यमिक शाला, बीजापुर में कुल 199 खोले गए हैं । कांकेर में 1 प्राथमिक शाला और 1 पूर्व माध्यमिक शाला, कुल 02 । सुकमा में 54 प्राथमिक शाला और 20 पूर्व माध्यमिक शाला, कुल 74 । इस प्रकार से 275 स्कूलें हम लोगों ने खोली हैं । उसमें आपने कहा है कि कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं । वर्तमान में 146 शिक्षक प्रायमरी में और 39 शिक्षक मिडिल स्कूलों में पढ़ा रहे हैं । जहां पर शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, वहां स्थानीय स्तर से व्यवस्था की गई है, जो वहां के निवासी हों, जो बारहवीं पास हों ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो निवासी हो, बारहवीं पास हो, आठवीं पास हो इनके जिम्मे किया है । इससे आपकी गंभीरता दिख रही है । इसका मतलब यह है कि मैंने आपसे 2019 से 2023 तक पूछा है, आप प्रश्न में देख लीजिए । एक कष्ट और कीजिए उसको वर्षवार बता दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो 275 की संख्या बताई है वह 2018 की भी और 2019 की भी है ।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसका हल जब तक आप उनके यहां चाय पीते हुए बैठोगे नहीं, तब तक नहीं निकल पाएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दिलवा देंगे और आपने जो कक्ष में दे देंगे कहा, उसकी एक की भी जानकारी आज तक हम लोगों को नहीं मिली । किसी ने नहीं बताया । मैं पृथक से दूंगा कहते हैं लेकिन पांच साल में आज तक पृथक से जानकारी नहीं मिली ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले से लगा हुआ था । एक सप्ताह बाद फिर से आया । अब उसमें प्रश्न में वर्षवार और जिलेवार जानकारी दिये जाने का उल्लेख है । यह कोई कठिन नहीं है, 2019 से लेकर 2023 तक आपने 275 स्कूलों को खोला । यानी कौन कौन से जिले में और कौन कौन से वर्ष में खाले गए, यही तो प्रश्न है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो जिलेवार बता दिया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो मंत्री जी के उपर आरोप लगा नहीं रहा हूं, आरोप वाला हो तो चलिए। केवल जानकारी देना है तो सामान्य जानकारी है। पिछले सप्ताह प्रश्न आया था और इस बार भी प्रश्न आया है तो मंत्री जी की इतनी तैयारी तो होनी चाहिए। अब यदि इतनी भी तैयारी नहीं है तो मंत्री जी के लिए क्या कहा जाए। यह तो बहुत आसान प्रश्न है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शाला में कितने शिक्षक हैं, मिडिल स्कूल में कितने शिक्षक हैं, मैंने जिलेवार बता दिया। यह तो मैंने बराबर बता दिया।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने तो इसमें वर्षवार पूछा है। वर्षवार जिलेवार बताएं। उसमें लिखा हुआ है। इसमें इतना ही तो प्रश्न है। अब वर्षवार और जिलेवार बताईए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया कि अभी तक वर्ष 2018 में हो या चाहे 2019 में हो, मैंने आपको जिलेवार बता दिया है। बीजापुर में 199...।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें वर्षवार बताईए ना। आपने 275 स्कूलों को प्रारंभ किया, उसमें वर्षवार 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 में बताईए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 और 2019 में ही स्कूल खोले गये हैं। बाकी वर्ष में नहीं खुला है। जैसे मैंने बता दिया, मैं आपको जिलेवार बता रहा हूं। बीजापुर में 199, कांकेर में...।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपको पूछ ही नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- यह संख्या है। वह वर्षवार पूछ रहे हैं, यदि आपके पास जानकारी है तो बता दीजिए नहीं तो बाद में दे दीजिएगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- जोड़ नहीं पा रहे हैं, बोल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- हां, उनके पास ज्यादा प्रश्न है, इसलिए वे थोड़ा सा घबरा रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्षवार जानकारी अलग से दे दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- आज तक कोई अलग से जानकारी नहीं दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक आखिरी प्रश्न है, उसके बाद अजय पूछ लेंगे। मेरा केवल इतना आशय था कि इन्होंने कहा कि हम स्कूल खोले हैं, बहुत स्वागत है। आप इनकी हालत देख लीजिए, 275 स्कूल में 185 शिक्षक हैं। मैं यदि शिक्षक का नाम पूछ दूं तो यह क्या बता पाएंगे। मतलब, यह हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की हालत है। यह शिक्षा के लिए बड़ी-बड़ी बात करते हैं। जब पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ की स्थिति आती है तब वह 28वां नंबर, 24वां नंबर में आता है, यह छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति को बना दिए हैं और आने वाले समय में विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा, इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 15 साल में भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए वह आखिरी प्रश्न है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी जानकारी दी है। अब वर्ष 2018 में कोई स्कूल नहीं खोला गया था।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने वर्ष 2019 से पूछा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हां ठीक है ना।

अध्यक्ष महोदय :- भई गे रहान दे। चलिए आप ना।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- 275 स्कूल खोले गये, मैंने पूरी जिलेवार जानकारी दे दी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत सहृदयता के साथ जानकारी दी कि 185 शिक्षक हैं और जिन शालाओं में शिक्षक नहीं हैं, उसकी स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की गयी है। यह वर्षवार पूछे थे तो वह बताए नहीं, बाद में देंगे बोले तो आप निर्देश देते हैं तो आज तक हमको कोई पृथक से नहीं बताया है, यह मैं बता रहा हूं। अब मैं इसमें इतना ही जानना चाहता हूं कि शिक्षक की जो स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की गयी है, वह कितने शिक्षक हैं, जिलावार बता दें। वह वर्षवार तो बता नहीं पा रहे हैं। उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और उनको भुगतान किस मद से होता है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर शिक्षक नहीं हैं, वहां पर स्थानीय स्तर पर शिक्षक की व्यवस्था की गयी है। सुकमा में 45 शिक्षक और बीजापुर में 210 शिक्षक की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गयी है।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, मैंने वह नहीं पूछा।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने यह पूछा है कि उनका तनख्वाह कहां से आता है। डी.एम.एफ. से आता है।

श्री अजय चंद्राकर :- शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितने भर्ती किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- इनकी तनख्वाह कहां से देते हैं और वह कितना बढ़ा है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जो खनिज न्यास निधि है, उससे तनख्वाह देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जो शिक्षक बनाएं गये हैं, वे लोग पढ़े हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़े हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट सुन लीजिए। विषय शिक्षा का है। किसी तरह का आरोप नहीं है, आरोप लगाते तो आप अव्यवस्थित होते। आदिवासी क्षेत्र का मामला है। आपके डी.पी.आर. में 300 से अधिक स्कूल खोले गये हैं। आपकी उपलब्धियों के बड़े-बड़े बोर्ड दिखते हैं। आप अपने बार्ड के नीचे यह छपवा दीजिए कि इतने शिक्षक नहीं हैं। जब आप स्कूल खोलने का श्रेय लेते हैं तो आप श्रेय लीजिए, लेकिन कृपा करके यह बता दीजिए कि आपने शिक्षकों की भर्ती कब की और आपने कितने शिक्षकों की भर्ती की और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और उनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या है? उनका वेतन कहां से निकलता है? क्या उनका वेतन खनिज न्यास निधि से निकलता है? आपने किस प्रक्रिया से उनकी भर्ती की? क्या हेडमास्टर ने भर्ती की या जिले ने भर्ती की या आपने बस्तर और सरगुजा के लिए जो बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड ने भर्ती की? शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है? आप उनकी अधिकतम और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बता दीजिए कि उनकी शैक्षणिक योग्यता पांचवी पास या एम.ए. पास है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संख्या बता दी है कि प्राथमिक शाला में जो शिक्षकों की भर्ती की गई है उसके लिए न्यूतम योग्यता हायर सेकेण्डरी पास की रखी गई है। उनका वेतन स्थानीय खनिज न्यास निधि से होगा।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या उसको कलेक्टर हाथ पकड़कर भर्ती करवाया है ? क्या उसकी कोई प्रक्रिया है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप पूरा उत्तर सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो इन लोगों ने पूरे प्रदेश के स्कूल बंद किये। यदि हमारी सरकार स्कूल चालू कर रही है और स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बना रही है तो ये लोग उसमें प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि अमरजीत जी जवाब दे रहे हैं तो हम इन्हीं से प्रश्न पूछ लेते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- जी। हमारी सरकार ने बंद स्कूलों को प्रारंभ किया है। आप लोगों ने स्कूल बंद कराये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर रहे हैं उससे इनको तकलीफ हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप प्रश्नकाल को प्रश्नकाल तक रहने दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय स्तर पर स्कूलों की व्यवस्था कर रही है तो इनको क्या तकलीफ हो रही है ? इन्होंने 3000 स्कूल किये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने प्रदेश के 3000 स्कूलों को बंद कर दिया था। इसके लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाई गई है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं तो इनको तकलीफ क्यों हो रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप विलंब से आये हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी बैठे रहें, हम संयुक्त जवाबदारी में अमरजीत जी से प्रश्न पूछ लेते हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपकी जानकारी में ला देता हूं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, हम संयुक्त जवाबदारी में आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- एक तरफ तो आपने स्कूल बंद किये। आप लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों के लागों से शिक्षा का अवसर छीना है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से निर्देश करें कि शिक्षा मंत्री जी के साथ मंत्री जी उत्तर...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्लीज।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों ने उनसे शिक्षा का अवसर छीना है और हमारे सरकार ने उसको शुरू किया है। मंत्री जी ने पूरी जानकारी दी है कि कितने स्कूल शुरू किये गये और वहां कितने शिक्षक कार्यरत् हैं और किस स्तर के शिक्षकों की भर्ती की गई है और कैसे कराई गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सक्षम मंत्री जी का संयुक्त रूप से वक्तव्य आ रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न को मत उलझाइये, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही मेरे प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि प्राथमिक शाला 27,150 शिक्षक कम हैं। पूर्व माध्यमिक शाला में 19,619 शिक्षक कम हैं। हाई स्कूल में 2,515 शिक्षक कम हैं और हायर सेकेण्डरी में 6,948 शिक्षक कम हैं। यह आपके प्रश्न के उत्तर में आया है। यह उत्तर आपने दिया है। यह मेरे आज के प्रश्न में आपका उत्तर है। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय शर्मा जी, ये जो स्कूल आपने बंद कर दिये थे, उन स्कूलों को हमने शुरू किया है। नक्सली क्षेत्र में जितने भी स्कूल बंद हुए थे। वह संवेदनशील क्षेत्र है और वहां पर कोई नहीं जाता है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। आपने 50,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही थी और आज की तारीख में 50,000 शिक्षक...। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन भैया, आपकी सरकार ने पूरे प्रदेश में स्कूल बंद कराया था। आदिवासी अंचल के लोगों से शिक्षा का अधिकार छीना गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। अनूप नाग जी।

श्री अमरजीत भगत :- हमारी सरकार ने स्कूल शुरू किये हैं और शिक्षा का अवसर प्रदान किया है। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यह है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कलेक्टर ने हाथ पकड़कर उन लोगों की भर्ती की ? उनको भर्ती करने की कोई तो प्रक्रिया होगी ? मंत्री जी उस प्रक्रिया को तो बता दे कि इस प्रक्रिया के तहत् उनकी भर्ती की गई है।

अध्यक्ष महोदय :- जी, होगी। चलिये।

अशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इसको माइनस करेंगे तो मंत्री जी यह बताएंगे कि एक शिक्षक दो स्कूल को पढ़ा रहा है या पौन हिस्से को पढ़ा रहा है। मंत्री जी तो यह बता ही नहीं रहे हैं क्योंकि एक स्कूल में एक शिक्षक भी नहीं है। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था है और मंत्री जी इसको बता नहीं पा रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं ? उनको इसको बताना चाहिए। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजमन वेंजाम :- आपने तो 15 साल में एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप लोग बैठ जाइये। अनूप नाग जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मंत्री जी बता रहे हैं लेकिन आप लोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूरी जानकारी दी है। (व्यवधान)

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग 15 साल में एक शिक्षक तक की भर्ती नहीं किये। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्कूल है और उसमें 2 शिक्षक हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- अच्छा, अभी आप उन 2 शिक्षकों के नाम दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उनके नाम को पटल पर रख दें या हमको दे दें। अभी दे दें।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी पटल पर रख देंगे। प्लीज।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों को तो पूछने का भी अधिकार नहीं है। आप लागों ने शिक्षा का अवसर छीना है और हमने दिया है। हमने स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की है। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने डी.एम.एफ.द की राशि से शिक्षकों की भर्ती की है। इससे डॉक्टरों की भर्ती की।...(व्यवधान) यह जो आपने डी.एम.एफ. मद का बंदरबांट किया है वह दिख रहा है। (व्यवधान)

श्री राजमन वेंजाम :- उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, आप जवाब दे दीजिए या उन 2 शिक्षकों के नाम पटल पर रख दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं जवाब देता हूं। यह उलझा हुआ प्रश्न है इसको आप और मत उलझाइये। प्रश्न उलझा हुआ था इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसको सुलझा रहा हूं। सदन की कार्यवाही का केवल 2-3 दिन बाकी हैं। कम से कम आज तो आप जरा मंत्रियों को प्रताड़ित करिये कि वह बीच-

बीच में खड़े न हों और कार्यवाही को अच्छे से चलने दीजिए। जब हम आपके खाद्य विभाग का प्रश्न पूछेंगे तो आप बोल लेना। आप शिक्षा विभाग के मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं करता हूं। मैं वही बात कह रहा हूं कि कार्यवाही को चलने दीजिए, आप लोग बात मत कीजिए। अनूप नाग जी, आप बोलिये।

विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ में बंगला भाषी शिक्षकों की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

1. (*क्र. 859) श्री अनूप नाग : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या पूर्व में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 133 परलकोट ग्रामों में बंगला भाषी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी ? यदि हॉ तो किन-किन ग्रामों में ? **(ख)** प्रश्नांक "क" में उल्लेखित ग्रामों में भविष्य में बंगला भाषी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु क्या कार्ययोजना है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

श्री अनूप नाग :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बंग्लाभाषी शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है । मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं । क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 133 परलकोट ग्रामों में बंगला भाषी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें अब हटा दिया गया है । वहां के हटाए हुए शिक्षकों के सामने बेरोजगारी की समस्या आ गई है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भविष्य में शिक्षा जब कर्मियों की भर्ती होगी तो क्या उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी ? अध्यक्ष जी, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परलकोट में 133 ग्राम हैं, वहां पर बंग्लाभाषी लोग रहते हैं । जो भी शिक्षकों की भर्ती होती है, उसमें से जो बांग्ला जानते हैं, उनको वहां पर रखा जाता है । भर्ती बांग्ला भाषा के नाम पर हो, सहायक शिक्षकों की भर्ती होती है, लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो बांग्ला जानते हैं, उनको उन स्कूलों में पदस्थ किया जाता है ।

श्री अनूप नाग :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में यह जानकारी दी गई है कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, जबकि मेरे पास नियुक्ति के आदेश भी हैं और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उन नियुक्त शिक्षकों को हटाए जाने के आदेश की कॉपी मेरे पास है। ऐसी स्थिति में अगर मंत्री जी यह कहें कि ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं तो मंत्री जी गलत जानकारी दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी तो कह रहे हैं कि बांग्लाभाषी शिक्षकों की भर्ती की गई है । यदि पूर्ववर्ती सरकार ने हटा दिया है तो आप सूची दे दीजिए, मंत्री जी उन लोगों के बारे में फिर से सोच लेंगे ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, उनको कब हटाया गया है ?

श्री अनूप नाग :- अध्यक्ष महोदय, 2014 में भर्ती हुई और 2015 में उनको हटाया गया है । सारे नियुक्त शिक्षकों की सूची मेरे पास है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इनका काम ही हटाना है ।

श्री अनूप नाग :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरी सूची है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप मुझे सूची दे दीजिए ।

श्री अनुप नाग :- मेरे पास नियुक्ति शिक्षकों के आदेश की सूची है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सूची को माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दें ।

श्री अनूप नाग :- जी ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसको दिखवा लूंगा और जब भर्ती होगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ।

श्री अनूप नाग :- अध्यक्ष महोदय, भविष्य में शिक्षकों की भर्ती में बांग्लाभाषी को प्राथमिकता दी जाएगी, यह आश्वासन मिल जाये । बस इतना ही चाहता हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बांग्लाभाषा जानते होंगे, वहां पढ़ाने के लिए बांग्लाभाषी को अलग से उसी की पढ़ाई के लिए रखते हैं । क्योंकि यह प्रायमरी स्कूल की बात है, इसको क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाते हैं, ताकि लोकल लोग जो बांग्ला भाषा जानते हैं, जो हमारी किताब छपी है, उसमें एक तरफ बांग्ला भाषा में है और दूसरी तरफ हिन्दी भाषा में है, ताकि वे लोग समझ सकें। मेरे पास जानकारी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो 133 गांव में पढ़ा रहे हैं, वे वही के लोकल हैं और उनको भाषा आती है और वे पढ़ा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- जिन शिक्षकों को निकाल दिया गया, माननीय सदस्य उसके बारे में बात कर रहे हैं । आप उनसे सूची ले लीजिए और परीक्षण कर लीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी । आप मुझे सूची दे दीजिए ।

श्री अनूप नाग :- धन्यवाद ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

नारायणपुर जिले में 275(1) मद से कराये गये कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 1474) श्री चंदन कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला नारायणपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक आदिम जाति कल्याण विभाग को 275(1) मद में कितनी राशि प्राप्त हुई ? **(ख)** प्रश्न 'क' से संदर्भित राशि से कितने कार्य, कितनी राशि से कराये गये हैं ? कहां-कहां, क्या-क्या सामग्री भेजी/स्थापित गयी है ? **(ग)** प्रश्नांश "ख" अनुसार कराये गये कार्यों के भुगतान के पूर्व कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि हां तो सत्यापनकर्ता अधिकारी कौन-कौन थे ? उनके द्वारा भौतिक सत्यापन कर कब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ? **(घ)** उक्त कार्य में क्या गुणवत्ताहीन सामग्री की खरीदी/स्थापना किये जाने अथवा क्रय प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस हेतु कौन दोषी है, दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :(क) विभाग अंतर्गत जिला नारायणपुर को वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत राशि रूपये 685.24 लाख प्रदाय की गई है। **(ख)** प्रश्नांश "क" से संदर्भित राशि रू. 685.24 लाख से 05 कार्य कराये जा रहे हैं। इसमें से विभिन्न स्थानों में भेजी/स्थापित की गई सामग्री का विवरण **संलग्न प्रपत्र**[1] अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांश "ख" अनुसार कराये जा रहे कार्यों की प्रगति अनुसार किये गये अनंतिम भुगतान के पूर्व भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। भौतिक सत्यापन नहीं होने से सत्यापनकर्ता अधिकारी एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रस्तुति का प्रश्न ही उपस्थित नही होता। **(घ)** जी हां, नारायणपुर जिले के छात्रावास/आश्रमों में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना संबंधी कार्य में गुणवत्ता हीन सामग्री की खरीदी/ स्थापना किए जाने एवं क्रय प्रक्रिया में अनियमितता किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत की जॉच हेतु समिति का गठन किया गया है। जॉच प्रतिवेदन प्राप्ति, उपरांत, जॉच के निष्कर्ष अनुसार दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से प्रश्न किया था, उसमें मंत्री जी ने पांच कार्यों की जानकारी दी है, जबकि परिशिष्ट में 123 कार्यों की सूची दी गई है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आश्रम और छात्रावास में लगाए गए सोलर लाईट के एक सेट की लागत कितनी थी, इसमें क्या-क्या सामग्री प्रदाय करनी था और किस प्रक्रिया के तहत सामग्री क्रय की गई ?

[1] परिशिष्ट "एक"

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न भी है, उनकी शिकायत भी थी । माननीय सदस्य ने पत्र में पूछा है कि वहां जो सोलर लाईट लग रहे हैं, उसमें जो कम्पनियां काम कर रही हैं । जो काम वहां हो रहा है, उसमें रनिंग पेमेंट के लिए पैसा दिया गया है क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है । इसीलिए उसकी क्या सत्यता हो सकती है ? आपने अपने पत्र में कहा है कि जांच के लिए कमेटी बना दें और वे अलग-अलग विभाग के होंगे । तो कमेटी बना दी गई है । कमेटी में शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य आई.टी.आई., अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग और क्रेडा के लोग रहेंगे । आपने स्वयं आग्रह किया था कि दूसरे विभाग के लोग कमेटी में रहें तो कमेटी बन गई है और उसकी पूरी जांच हो जाएगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा तो किसी को बक्शा नहीं जाएगा।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं मंत्री जी से पूछा रहा हूं कि क्या जो समिति बनाई है, वह वही क्रय करने वाले लोगों की समिति बनाई है या बाहर के लोगों की समिति बनाई है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कमेटी जांच करने के लिए है । जो कमेटी बनाई गई है । माननीय विधायक जी की शिकायत थी, उन्होंने 275 मद अंतर्गत कराए गए कार्यों की जांच के संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखा था ।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर है कि 6 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान बिना भौतिक सत्यापन के कर दिया गया है । विभागीय अधिकारियों द्वारा सामग्री क्रय में वित्त नियम एवं निर्देश और भंडार क्रय नियमों का पालन भी नहीं किया गया है । बिना कार्य पूर्ण हुए ठेकेदार को अंतिम भुगतान कैसे कर दिया गया है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा भुगतान नहीं हुआ है। यह तो काम चल रहा है। जो एडवांस में रनिंग भुगतान होता है, वह किया गया है। जब काम पूरा हो जायेगा तब तो पूरा भुगतान होगा। इस बीच आपकी शिकायत आ गई। कमेटी बन गई। कमेटी जांच कर रही है। जांच में जो भी निष्कर्ष आयेंगे, उसके आधार पर उसमें कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- 6 करोड़ में से कितने करोड़ रूपये का भुगतान हो चुका है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- 2 कम्पनियों को ठेका दिया गया है। एक अल्ट्रा सेल सर्विस प्रायवेट लिमिटेड रायपुर को 4.99 करोड़ रूपये का काम दिया गया है और उसमें 3.83 एडवांस भुगतान किया गया है। ए.जे. सप्लायर बस्तर की कम्पनी है, इसको 1.37 करोड़ 35 हजार का काम दिया गया है। इसको 80 हजार रूपये का एडवांस भुगतान किया गया है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने बिना भौतिक सत्यापन कराये कैसे भुगतान कर दिया ? भुगतान के पहले उसका भौतिक सत्यापन कराया है क्या ? मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि काम चलते रहता है। जो सोलर लाईट बना रहा है, उसने बहुत सा सामान भेज दिया था। उसको रनिंग भुगतान हुआ है, पूरा भुगतान नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- रनिंग भुगतान हुआ है, ठीक है।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्य में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। सोलर लाईट में जहां बैटरी 24 वॉट का 2 सेट लगना था, 12-12 वॉट के दो सेट लगाकर पूरा पैसा आहरण कर लिया गया है। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि भुगतान नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि विधानसभा की समिति से जांच कराया जाये और भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप जांच कराने का आशवासन दे दीजिये।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब प्रश्न लगने से पहले क्षेत्र में दौरा करने गया था तो काम प्रारंभ नहीं हुआ था। प्रश्न लगने के बाद उस क्षेत्र में जाकर आनन-फानन में काम किया जा रहा है और उल्टा-पुल्टा काम किया जा रहा है। इसमें दोषी अधिकारियों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाये उसके बाद जांच प्रक्रिया चालू की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उनको किसी प्रकार की शिकायत है तो आप अलग से जांच कमेटी बनाकर जांच कर लें कि आपके प्रश्न आने के बाद वहां काम शुरू हुआ है या पहले से शुरू हो गया है ? प्लीज।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच समिति के लिए निर्देश दिया है तो जांच समिति के लोग और अवधि की भी घोषणा होनी चाहिए। क्योंकि समय कम है।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और सवाल है। जब शिकायत प्राप्त हुआ है, जांच चल रहा है तो जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त होगा। जो काम कर रहे हैं, उसमें मैं चाहता हूं कि जांच कमेटी में वहां के सारे जनप्रतिनिधि को शामिल किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि जांच कमेटी बन गया है। लोग जल्दी जांच कर लें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कोई पदाधिकारी को शामिल कर लिया जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्देश दिया है, उसमें उस बिन्दु को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे ? मंत्री जी यह तो बता दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- करेंगे। मंत्री जी लगातार चौथे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

<u>एकलव्य विद्यालय हेतु राशि स्वीकृति</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

3. (*क्र. 1391) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राजनांदगांव एवं चौकी-मोहला - मानपुर जिले में संचालित एकलव्य विद्यालय में वर्ष 2020-21 से 2022 - 23 में 31.01.2023 तक कितनी राशि स्वीकृत की गई ? क्या स्वीकृत राशि से किए गए क्रय में वित्त निर्देश एवं भंडार ,क्रय नियम का पालन किया गया है ? कौन -कौन से अधिकारी के समक्ष सत्यापन, मूल्यांकन किया गया ? पदनाम सहित जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :वर्ष 2020-21 से 2022-23 में 31.01.2023 तक कुल राशि 917.97 लाख स्वीकृत की गई। स्वीकृत राशि अंतर्गत किए गये क्रय में वित्त निर्देश एवं भंडार, क्रय नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। सत्यापन एवं मूल्यांकनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मैंने मानपुर मोहला के बारे में पूछा है कि 2020-21 से 2022-23 तक..।

अध्यक्ष महोदय :- मानपुर-मोहला ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष जी, पूछने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं। आप मानपुर-मोहला के बारे में पूछ रहे हैं ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हां, राजनांदगांव का। 9 करोड 17 लाख रूपये का आवंटन दिया गया था तो कितने एकलव्य विद्यालय को दिया गया ? दूसरा यह भी बता दीजिये एक तो वहां भी समस्या आई और यहां भी समस्या आई। मंत्री जी, आप दिलेरी के साथ बिना क्रय भण्डार नियम का पालन नहीं करने का हौसला तो आप ही में है। मैंने पूछा है तो आप दिलेरी के साथ स्वीकार भी करते हैं, पूर्णत: क्रय नियम का पालन नहीं किया गया। तो कब से नहीं किया गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो भी काम करती है, दिलेरी से ही करती है। कोई संकोच नहीं, जो चलेगा खुले आम चलेगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, कब से पालन नहीं कया गया ? आप देखिये कि 2020-21 से ही पालन नहीं किया गया है। आप देखियेगा कि वर्ष 2020-2021 में पालन नहीं किया गया, वर्ष 2021-2022 में पालन नहीं किया गया, वर्ष 2022-2023 में खरीदी गई समिति है, उसमें भी पालन नहीं किया गया । अध्यक्ष जी, अब क्या किया जाये ? आप बताईये कि क्रय नियमों का पालन नहीं किया

गया, क्या यह दिलेरी की बात है या भ्रष्ट्राचार की बात है, इस पर कार्यवाही करने की बात है ? माननीय मंत्री जी, आपको क्या लगता है, आप ही निर्णय लें ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर सदस्य इसमें क्या चाहते हैं ?

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- अगर आपको लगता है कि क्रय नियमों का पालन किये बगैर 9 करोड़ 17 लाख रूपये का आपने उपयोग किया है । क्या-क्या सामग्री लिया गया है, यह अलग प्रश्न है ? कौन एजेंसी है, वह अलग प्रश्न है ? क्या आपको लगता है कि इतने पैसे का उपयोग करने के बाद नियम में आता है कि नहीं आता

है ? जो जांच समिति है उन पर कार्यवाही होनी चाहिये कि नहीं होनी चाहिये ? जांच समिति में कौन बैठे हुये हैं ? संरक्षण देने का काम करते हैं और अपराध को अपने सर पर लेकर बैठे हुये हैं ? इसकी जानकारी तक नहीं है, इतना बेचारा बनकर काम करेगें ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि वहां जो खरीदी हुई है, उसमें भण्डार क्रय अधिनियम का पालन नहीं हुआ है, जब नहीं हुआ है तो कार्यवाही भी होगी ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- इतना करने के बाद कार्यवाही भी होगी । बताईये किस टाईप कार्यवाही करेंगे और कब तक कार्यवाही करेंगे ? भण्डार क्रय नियम का आपके भी पक्ष के विधायक जी का...।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- बैठेंगे, तब तो बताऊंगा ?

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- उनका भी क्रय भण्डारण का नियम था, यहां भी क्रय भण्डारण नियम का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-2021 इसमें मूल्यांकन समिति का गठन नहीं हुआ था, इसलिये सत्यापन नहीं हुआ । उस समय वहां के प्राचार्य नरेन्द्र मार्या थे । उनका निधन हो गया, उसमें कार्यवाही नहीं हो पाई। वर्ष 2021-2022 इसमें 1-4-2021 से 23-12-2021 तक उसमें सत्यापन नहीं हुआ। वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी । उसमें जो कार्यवाही हुई, श्रीमती संगीता राबिन्स, उस समय वहां के प्राचार्य थे । हम लोगो ने उसके विरूद्ध विभागीय जांच किया हुआ है । दिनांक 14-02-2022 से 31-03-2022 तक यह सत्यापित हुआ। समिति गठित की गई थी, उसमें जो जांच पाई गई, उसमें भी यह था कि क्रय नियम का पालन नहीं हुआ । माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम इन वर्षों में नरेन्द्र मार्या, जिसका निधन हो गया, श्रीमती संगीता राबिन्स, प्राचार्य थे, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है । श्री छबिलाल चन्द्रवंशी, यह उस समय वर्ष 2023 में प्राचार्य थे, उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । वहां पर एस.ई. को प्रभार दिया गया, वहां पर ट्राईबल विभाग का एस.ई. भी था और प्राचार्य भी था । वह भी रिटायरमेंट हो गया । उसके बावजूद भी हम लोग

कार्यवाही कर रहे हैं । लेखराम मातराम यह भी प्रिंसिपल थे, उस पर भी कार्यवाही की जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्राचार्यों ने गलती किया है, सब के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है । अभी वहां पर डिप्टी कलेक्टर को प्राचार्य बनाया गया है ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप जो कार्यवाही कर रहे हैं, क्या भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत कर रहे हैं ? जो मर्डर किया हो, उसे आप जमानती धारा दे रहे हैं ? आप इस टाईप का कार्यवाही करवा रहे हैं ? अध्यक्ष जी, मेरा आपसे यह कहना है कि क्या भण्डारण क्रय नियमों के अंतर्गत कार्यवाही हो रही है ? मेरा प्रश्न एक है ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- अध्यक्ष महोदय, भण्डार क्रय अधिनियम जो है, उसका उल्लंघन हुआ है, इसी में तो कार्यवाही हो रही है और किसमें कार्यवाही हो रही है ?

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या भण्डार क्रय अधिनियम के तहत कार्यवाही हो रही है ? मैं इतना ही पूछ रहा हूँ ? आप कार्यवाही कर रहे हैं ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- क्या कार्यवाही नहीं हुई है, यह जानना चाहते हैं ? (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या भण्डार क्रय अधिनियम के तहत कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है, यह बता दें ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रय किये गये सामग्री में भण्डार क्रय अधिनियम वर्ष 2002 एवं यथासंशोधित नियम वर्ष 2022 के नियम 3, नियम 4 और नियम 8 एवं छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका क्रमांक-02, 1995 के सरल क्र. 01 एवं छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 01 के खण्ड 02 के अधीन नियम 08 एवं नियम 09 का पालन नहीं किया गया है। इसके आधार पर कार्रवाई हुई है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है। एक प्रश्न और है। जिन नियमों में अनियमितता पायी गयी तो वह कौन-कौन सी क्रय सामग्री थी और उसकी कौन-कौन एजेंसी है ?

अध्यक्ष महोदय :- इतना डिटेल नहीं जाना है। चलिये चन्द्राकर जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी एक साथ उत्तर देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रश्न कभी-कभी आते हैं, जिसमें शासन स्वीकार करता है कि गड़बड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, एक तो यह कि मंत्री जी के संज्ञान में यह बातें कब आयी ? जांच समिति गठित की गयी तो जांच समिति में कौन-कौन थे ? उन्होंने क्या कार्रवाई की और किन-किन बिंदुओं में जांच करके क्या-क्या अनुशंसाएं की गयी ? जांच समिति कब गठित की गयी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्यारतन भसीन जी के द्वारा यह प्रश्न तो पहले भी आ चुका है। यह प्रश्न दिसंबर, 2022 में आ चुका है। उसके बाद यह हमारे संज्ञान में आया। संज्ञान में आने के बाद हम यहां से अधिकारी भेज कर उसकी जांच कराये थे ताकि जो अधिकारी वहां रहे, वहां जांच किये तब सारी बातें आयी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जांच समिति में कौन-कौन अधिकारी थे ? किस-किस बिंदु पर जांच हुई और आपको रिपोर्ट कब मिली ? क्या उस रिपोर्ट में अनुशंसा की गयी थी ? यह बोलते हैं कि यहां से अधिकारी भेजे गये थे। जांच समिति का नाम आ जाये, उसकी अवधि आ जाये, विषय आ जाये, अनुशंसाएं आ जाये। यह मेरा सिम्पल सा प्रश्न है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस जांच समिति में वित्त नियंत्रक, अध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, सदस्य और कनिष्ठ लेखाधिकारी इसके मेम्बर होते हैं। इनके द्वारा जांच करायी गयी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धर्मजीत सिंह जी। कर रह हैं। आप हड़बड़ा क्यों रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है, यदि आप बोलेंगे कि उसका उत्तर आ गया है तो मैं बैठता हूं। मेरा यकीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि जांच कमेटी में कौन-कौन थे। मैंने बता दिया है कि वित्त नियंत्रक इसके अध्यक्ष थे, कार्यालय अधीक्षक, सदस्य और कनिष्ठ लेखाधिकारी इसके सदस्य रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी का जवाब दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कहा था कि अधिकारी, जांच के बिंदु, जांच की अवधि, आपको रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ? अनुशंसाएं क्या थी ? केवल नाम नहीं पूछा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जो एकलव्य विद्यालय है, यह आदिवासी बच्चों के हित को लेकर बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से दो-तीन चीजें पूछना चाहता हूं, आप इकट्ठे जवाब दे दीजियेगा। एक तो यह कि इसका कंट्रोल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- एक, एकलव्य विद्यालय का नियंत्रण छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है या दिल्ली की सरकार कर रही है ? दूसरा, आपने वहां पर शाला विकास समिति बनाकर जनता की भागीदारी करायी है या नहीं करायी है ? लोरमी में तो उसकी जमीन की लड़ाई से लेकर ईमारत बनने तक और मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन करने तक मैं बाहर से ही उस स्कूल को देखा हूं। हमें न तो उस स्कूल के प्रिंसिपल कभी बुलाते हैं, न हम जबर्दस्ती उस स्कूल में जाते हैं। क्या आप यह निर्देश करेंगे कि

मैं उस स्कूल का निरीक्षण कर सकूंगा, क्या आप अपने अधिकारियों के माध्यम से उस स्कूल को निर्देश देंगे? मैं उसका निरीक्षण करना चाहता हूं। उसको चाईना के वुहान के लैब सरीके मत रखिये। उसको लोहे की दीवार में मत रखिये। वह जनता के पैसे से गरीब बच्चों के लिये, आदिवासी बच्चों के लिये बना है, इसलिये वहां पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। आप मुझे बताईये कि यह स्कूल आपके कंट्रोल में है, या दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है ? वहां शाला विकास समिति बनी है या नहीं बनी है ? आप हर जनप्रतिनिधि को, जिनके भी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय है, क्या वहां से निमंत्रण देकर समय लेकर हमसे उसका निरक्षण करायेंगे ? शहर सरीके लगता है, बहुत बड़े शहर के समान बसा हुआ है, वह बहुत सुंदर बना है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। अब जबर्दस्ती थोड़ी न चले जायेंगे। तो आप थोड़ा बताईये ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर जनप्रतिनिधि अपने विधान सभा क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं, चाहे एकलव्य विद्यालय हो, आवास विद्यालय हो, कोई भी विद्यालय हो, आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको बोलना कोई सुनता नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, वैसे भी आपको अपने विधान सभा में कौन रोकेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप विधान सभा में अधिकारी को निर्देश दीजिये कि हमसे निरीक्षण करवायें।

श्री अमरजीत भगत :- आपको आपके विधान सभा में कौन रोकेगा ? आप कहीं भी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका यह जो प्रश्न आया था कि उसमें कौन-कौन हैं, जिसने जांच की ? जो जांच किये थे यह पदेन आयुक्त, सचिव छत्तीसगढ़, उसमें राज्य स्तरीय कमेटी बनी थी, उसमें जो जांच के मुद्दे उठाए गए थे कि प्रश्नाधीन अवधि में राज्य स्तरीय समिति और राजनांदगांव की जिला स्तरीय समिति वर्षवार और मदवार कितना आवंटित हुआ और उसमें क्या-क्या खरीदी की गई थी। आपने इसी में प्रश्न पूछा था कि क्या-क्या खरीदी की गई थी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जांच के बिन्दु पूछा था।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न को बहुत ज्यादा मत करिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खरीदी की गई थी उसमें बहुत सारे ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको आगे बढ़ा दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- आप इतना आगे मत करिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन अवधि में ...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न किया है अगर आप धैर्य से उत्तर सुनेंगे तो पूरा उत्तर आ रहा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन अवधि में जिला स्तरीय समिति द्वारा विद्यालय समिति को किस-किस मद में कितनी-कितनी तिथियों में राशि आवंटित की गई थी। प्रश्नाधीन अवधि में जिला स्तरीय समिति अधिनस्थ विद्यालयों में कौन-कौन सी सामग्री कब-कब, किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की गई। अधिनस्थ विद्यालयों में कब-कब किस चालान पर दिनांक को सामग्री का वितरण किया गया था। जिला स्तरीय समिति द्वारा क्रय की गई सामग्री हेतु वित्तीय संहिता, भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई..।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय यह है कि आप प्वाईंटेड उत्तर दीजिए। (व्यवधान) आप प्वाईंटेड उत्तर दिलाईए। आप प्रश्नकाल में समय जाया मत करिये।

श्री अमरजीत भगत :- आपने प्रश्न किया है। आप उत्तर को पूरा सुनिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रय समिति में कौन-कौन सदस्य थे, (व्यवधान)उस समिति में कौन-कौन थे? नियमानुसार कार्यवाही की गई है या नहीं की गई है। जिला स्तरीय विद्यालय समिति द्वारा सामग्री खरीदी में वित्तीय संहिता भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन किया गया है, वित्तीय अनियमितता में कौन-कौन अधिकारी थे...।

अध्यक्ष महोदय :- उनको बोलने दीजिए। आप उत्तर नहीं सुन रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उनके जांच के बिन्दु थे। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्वाईंटेड प्रश्न का प्वाईंटेड उत्तर आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्वाईंटेड प्रश्न करिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जांच के बिन्दु पूछा था, मैं जांच के बिन्दु बता रहा हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने जैसा प्रश्न किया है तो वैसा ही उत्तर भी आएगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से जांच के बिन्दु पढ़ दूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जांच के बिन्दु पूछा है, वह बता रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो आधा ही उत्तर हुआ है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जांच के बिन्दु पूछा था, मैं जांच के बिन्दु बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :-वह जांच के बिन्दु बता रहे थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जांच के बिन्दु पूछे थे कि उन्होंने इसके प्रश्न के उत्तर में जांच के बिन्दु बताएं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। वह बाद में आया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न का उत्तर मुझे मत बताईये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं ? एक प्रश्न पर चार पूरक प्रश्न आ चुके हैं। मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने चंदन कश्यप और डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी दोनों के प्रश्नों में यह स्वीकार किया है कि इसमें भण्डारण और क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया ? आप यह भी स्वीकार कर रहे हैं तब हमको संज्ञान में आया जब दिसंबर के महीने में माननीय विद्यारतन भसीन जी का प्रश्न लगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी वही कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिए। आप प्वाईंटेड प्रश्न पूछिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंटेड प्रश्न यह है कि 3 महीने पहले आपके संज्ञान में विषय आ गया। आपने जांच के बिन्दु तय करके, कोई जांच की समय-सीमा तय की क्या ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ निलंबन के साथ-साथ आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए थाने में एफ.आई.आर. करायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा। आप ऐसा बोलिए। माननीय मंत्री जी, आप थाने में एफ.आई.आर.करायेंगे क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जांच की कोई समय-सीमा होगी ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी समय-सीमा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,3 महीने आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। 3 महीने पहले हमारे संज्ञान में आया, यह पहले स्वीकार कर लिया। तो आपके जांच की कोई समय-सीमा होगी ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा प्रश्न के माध्यम से आया था।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्यवाही भी होगी और हम एफ.आई.आर. भी करवायेंगे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कब होगी, यह बताईये ?

अध्यक्ष महोदय :- अब यह थोड़ी है...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच की कोई समय-सीमा निर्धारित कर दें। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि इसमें जांच होगी तो उनको मानना चाहिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्यवाही तो हम करेंगे।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपने झलियामारी काण्ड की जांच करवाई थी ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता जी को प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह शांति से बैठे हैं और वह ऊचक रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष, माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं, वह कैसे उत्तर देंगे। यह अपने अनुसार उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह तीन बार उत्तर दे चुके हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे, आसंदी से आग्रह है कि एक तो मंत्रियों को सख्त निर्देश दीजिए कि वह सदन में तैयारी से आएं।

अध्यक्ष महोदय :- दूसरा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य प्वाईंटेड प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको प्वाईंटेड उत्तर देना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इसमें भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं। वह पूरा उत्तर पढेंगे तो आपको पूरा उत्तर सुनना पड़ेगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आप सदन में उस अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा करेंगे क्या ? और उनके खिलाफ एफ.आई.आर. करेंगे क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :-माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जितने प्रिंसपल थे, उन सबके ऊपर कार्यवाही की गई है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्यवाही की गई है तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दूसरी चीजों को छोडिए और कार्यवाही को बताईये ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और उनके ऊपर एफ.आई.आर. करेंगे क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि उसमें 2020-21 में नरेन्द्र मरिया प्राचार्य थे, चूंकि उनका निधन हो गया है इसलिए उसमें कार्यवाई नहीं हो सकती। दूसरी श्रीमती संगीता रॉबिन्सन, प्राचार्य के ऊपर विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाई की गई है और उनकी विभागीय जांच के आदेश हम लोगों ने कर दिये हैं, उसकी विभागीय जांच होगी। छबिलाल चंद्रवंशी, यह भी वहां पर प्राचार्य थे, इनकी भी विभागीय जांच संस्थित की गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न कुछ किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर दे रहे हैं। हमने इसमें प्रश्न किया है कि इसमें जांच की कोई समय-सीमा बताईये। .. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सबका उत्तर एक साथ दे रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- शर्मा जी, आप प्रश्न का उत्तर सुनते नहीं हैं।

श्री अमरजीत भगत :- सबने एक साथ प्रश्न पूछा है और सबके अलग-अलग प्रश्न हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, हम मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट हैं। घूमा-घूमा कर उत्तर दे रहे हैं और माननीय मंत्री जी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। यह हमारा आरोप है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन करते हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- .. (व्यवधान).. माननीय अध्यक्ष महोदय, सबकी विभागीय जांच हो रही है।

समय :
11.41 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, श्री नारायण चंदेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

आदिवासी जमीन का क्रय - विक्रय

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

4. (*क्र. 1411) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला कबीरधाम में वर्ष 2020-21 से 15 फ़रवरी 2023 तक कितने आदिवासी भूमि का क्रय - विक्रय किया गया है ? ग्रामवार/शहरवार, तहसीलवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्न "क" के अंतर्गत प्रश्नांकित वर्षों में आदिवासी भूमि के क्रय - विक्रय की अनुमति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? इनमें से कितने प्रकरणों में नियमानुसार अनुमति प्रदान की गई और कितने प्रकरण लंबित हैं ? ग्रामवार/शहरवार, तहसीलवार जानकारी प्रदान करें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला कबीरधाम में वर्ष 2020-21 से 15 फरवरी 2023 तक कुल 57 आदिवासी भूमि का क्रय-विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामवार शहरवार, तहसीलवार जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र""अ"** अनुसार है।**(ख)** जिला कबीरधाम अंतर्गत राजस्व वर्ष 2020-21 से 15/02/2023 तक की स्थिति में कुल 221 आवेदन प्राप्त। जिसमें से 38 प्रकरणों में अनुमति प्रदान की गई है। कुल 43 प्रकरण खारिज किया गया है एवं कुल 140 प्रकरण लंबित है ग्रामवार/शहरवार, तहसीलवार जानकारी **"पुस्तकालय में रखे प्रपत्र" "ब"** अनुसार है।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिवासी जमीन का क्रय-विक्रय को लेकर था। माननीय मंत्री का जवाब मिला है कि जिला कबीरधाम में 38 प्रकरणों में अनुमति प्रदान की गई है और 43 प्रकरण खारिज किया गया है एवं कुल 140 प्रकरण लंबित हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं यह जो खारिज प्रकरण है, एक पवनतरा का निवासी नारायण गोंड है जिन्होंने अपनी जमीन को बैतल साहू को बेचा है। उनका प्रकरण खारिज कर दिया गया है। उनका प्रकरण फरवरी का था। इसका मापदंड क्या है ? न तो हितग्राही को विभाग से सूचना दी जाती है। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह जितने भी खारिज प्रकरण और लंबित प्रकरण हैं, उसमें नियमानुसार कार्यवाही होगी या नहीं होगी ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी जानकारी माननीय सदस्या ने पूछी है, उसकी विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। पार्टिक्यूलर उन्होंने जो नाम बताया है, आपने कौन साहू का नाम बताया ?

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 43 प्रकरण खारिज हैं, इसमें आपके माध्यम से सूची मिली है। सभी हितग्राहियों का नाम मिला है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताई हूं कि

नारायण गोंड जिन्होंने अपनी जमीन बैतल साहू को बेची है, उनका प्रकरण खारिज कर दिया गया है। उसका प्रकरण क्यों खारिज किया और उनको सूचना दी गई या नहीं दी गई ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अधिसूचित क्षेत्र हैं उसमे आदिवासी जमीन का सामान्य वर्ग को बेचने का प्रावधान नहीं है। जैसे कबीरधाम जिला है वह अधिसूचित क्षेत्र में नहीं है। वहां जो प्रकरण आये हैं, उसमें वहां जांच करके कलेक्टर ने, क्योंकि कलेक्टर को इसमें अनुमति देने का प्रावधान किया गया है तो कलेक्टर ने जांच करके उसमें जो-जो परमीशन देने लायक प्रकरण था, उसमें परमीशन दी और जो प्रकरण खारिज किये गये हैं, हर केस में कुछ न कुछ कमियां रही होंगी। उसके बाद भी माननीय सदस्या खारिज प्रकरण के बारे में जानकारी दे रही हैं, उसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुमति प्राप्त 38 प्रकरण हैं, उसको भी मैंने पढ़ा है। उसमें सलेक्टेड व्यक्ति का नाम है जिनको अनुमति दी गई है, वह सक्षम है। मैं जानना चाहती हूं कि जो गरीब तबके हैं, मध्यम वर्ग हैं, उनका प्रकरण खारिज हुआ है, ऐसा क्यों ? मैं आपके माध्यम से जांच चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जांच कर दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सक्षम व्यक्ति को परमीशन दी गई और जो समक्ष नहीं है उसको परमीशन नहीं दी गई। जमीन अगर कोई भी व्यक्ति खरीदेगा तो जो सक्षम व्यक्ति होता है वही जमीन खरीदता है। अगर किसी के पास पैसा होगा ही नहीं तो कहां से जमीन खरीदेगा। जो-जो भी परमीशन दी गई है वह सही है। जिसको परमीशन नहीं मिली है, जो प्रकरण निरस्त हुए हैं। मैंने उसके बारे में बताया कि यह माननीय सदस्या बता दें कि किसका प्रकरण किस कारण से निरस्त हुआ है।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सक्षम आदिवासी की बात है, मैं प्रमाण भी चाहूंगी। इस जमीन के क्रय-विक्रय के मामले में काफी लेन-देन का भी मामला आता है, फिर भी हितग्राही भटकते हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर बघेल जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सदस्य ने लेन-देन की बात कही है, उसको तो माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन चाहती हूं कि इसकी जांच होगी या नहीं होगी ?

अध्यक्ष महोदय :- वह बता दिये न कि जांच होगी। आप जांच के लिए लिखकर दीजिए।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- धन्यवाद।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जांच की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि किसी का निरस्त किया गया है और गलत ढंग से निरस्त किया गया है, मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 140 प्रकरण लंबित हैं, उसकी भी मैं जल्दी निराकरण चाहती हूं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी की जमीने को कोई भी कलेक्टर एक ही बार में परमिशन नहीं देगा। उसमें जांच करते हैं और उसके जांच के जो भी बिंदु हैं, जो उसमें परीक्षण करते हैं, उसके मुताबिक परमिशन दी जाती है। यदि 100-200 परमीशन लगी है तो ऐसा नहीं है कि 200 के 200 को उठाकर परमिशन दे दिया जाएगा और उन जमीनों को बेच दिया जायेगा, बल्कि मैं यह कहूंगा कि कबीरधाम जिले में जो परमिशन दिये भी गये हैं, उसमें बाकायदा कलेक्टर ने उसमें यह भी एक नियम बनाया था जो आदिवासी जमीन बेच रहा है, वह उतनी ही बराबर जमीन और खरीदेगा। भले ही वह कम रेट की खरीदेगा। क्योंकि खेती-किसानी के लिए मान लीजिये की उसकी जमीन शहर में है तो ज्यादा रेट पर बेचेगा और ग्रामीण क्षेत्र में उसको कम रेट में खरीदेगा तो उसको उस प्रकार से उसमें जो परमिशन दिये हैं, उसमें वह भी एक मापदण्ड है।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। पर मैं जल्दी निराकरण चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर बघेल जी।

<u>जिला-बस्तर अंतर्गत राजस्व विभागान्तर्गत पंजीकृत एवं निराकृत प्रकरण</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

5. (*क्र. 1478) श्री बघेल लखेश्वर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बस्तर में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में 15.02.2023 तक राजस्व विभाग के अधीन सीमांकन, नामांकन, नवीनीकरण एवं बंटवारा के कितने प्रकरण पंजीबद्ध व निराकृत हुये ? कृपया बतावें ? **(ख)** क्या प्रश्न "क" में अंकित प्रकरणों के निराकरण के लिए विभाग के द्वारा कोई समय-सीमा तय है ? लंबित प्रकरणों के लिये निराकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :(क) जिला-बस्तर में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में 15/02/2023 तक के सीमांकन, नामांतरण नवीनकरण एवं बंटवारा के पंजीबद्ध व निराकृत प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रं	जिला	वर्ष	सीमांकन		नामांतरण		बंटवारा		नवीनकरण	
			दर्ज	निराकृत	दर्ज	निराकृत	दर्ज	निराकृत	दर्ज	निराकृत

1	बस्तर	2020-21	1244	880	1442	976	278	177	277	240
2		2021-22	1667	1428	2881	2565	536	451	248	183
3		2022-23(15/02/2023 तक की स्थिति में)	705	302	1201	982	161	121	93	23

(ख) जी हां । जिला-कलेक्टर द्वारा सप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जमीन के सीमांकन, नामांकन, नवीनीकरण एवं बंटवारा के संबंधित था। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत विवरण दिया है, लेकिन आपके विवरण में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में बस्तर जिले से संबंधित 02,404 प्रकरण लंबित है। मैंने सिर्फ बस्तर जिले के लिए पूछा था तो यह 02,404 प्रकरण कब तक निराकरण हो जाएगा?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में जो भी मामले लंबित हैं, वह समय-सीमा में है और पहले से ज्यादा बेहतर ढंग से उसका निराकरण किया जा रहा है। अभी भी लगातार हर टी.एल. की बैठक में, हर समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने नीचे के अधिकारियों को यह निर्देश दिया हुआ है कि जो भी नामांकन, बंटवारा, सीमांकन के मामले हैं, उनका निराकरण किया जाए और निरंतर किया जा रहा है।

श्री बघेल लखेश्वर :- लेकिन वर्ष 2021 में सीमांकन के लिए 364, नामांतरण के लिए 466, बंटवारा के लिए 101, नवीनीकरण के लिए 37 प्रकरण है और यह वर्ष 2021 से अभी लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो वर्ष 2021 वाला प्रकरण कब तक निराकृत हो जायेगी?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया न कि मामले समय-सीमा में हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- यह मामला वर्ष 2021 का है और अभी तक 2020-21 का प्रकरण है, उसका कब तक निराकरण हो जायेगा?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ठीक है। आप उसकी सूची दे दीजिये। हम जल्दी निराकरण करवा देंगे।

श्री बघेल लखेश्वर :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी।

पीएमश्री योजना एवं स्वामी आत्मानंद विद्यालय का भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

6. (*क्र. 1179) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कुल कितने ,स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गये हैं एवं कितने के भवन बन चुके हैं एंव कितने भवन-विहीन संचालित हैं? कितने स्वामी आत्मानंद विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निविदा बुलाई गई है? इसके निर्माण हेतु राशि का प्रावधान किस आधार पर किया जाता है? इसका प्राक्कभलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? (ख) स्वामी आत्मानंद विद्यालय हेतु कितने पद स्वीकृत, भरे व रिक्त हैं तथा कितने पदों पर नियमित प्रतिनियुक्ति व अस्थाई कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति की गई है? संवर्गवार जानकारी देवें? कहॉ-कहॉ नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति को लेकर किन-किन अधिकारियों की शिकायत की गई है व इस पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) कंडिका "क" अनुसार स्कूलों को प्रारंभ करने हेतु कितने हिन्दी माध्यम के स्कूलों को बंद किया गया है? उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे थे व इनमें कितने बच्चों को अन्य स्कूलों में भर्ती किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में कुल 279 स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गये हैं, पूर्व से संचालित विद्यालयों में ही स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गये हैं। वहां आवश्यकतानुसार जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है, कोई भी विद्यालय भवन विहीन नहीं हैं। 181 विद्यालयों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण हेतु निविदा बुलाई गई है। इसके निर्माण हेतु राशि का प्रावधान प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है। इसका प्राक्कलन निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। (ख) स्वामी आत्मानंद विद्यालय हेतु 13189 पद स्वीकृत, 10307 भरे एवं 2882 रिक्त हैं। 4283 प्रतिनियुक्ति तथा 6024 अस्थाई नियुक्ति की गई है। संवर्गवार जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] अनुसार है। किसी भी अधिकारी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) हिन्दी माध्यम के स्कूलों को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है बल्कि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाने और आवश्यक होने पर दो पाली में स्कूल चलाने के निर्देश दिये गये हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में पूछा है कि कितने स्कल खोले गये और कितने भवन-विहीन हैं तो मंत्री जी का जवाब आया है कि पूर्व से संचालित विद्यालयों में ही स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले गये हैं कोई भी विद्यालय भवन-विहीन नहीं हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने स्वामी आत्मानंद के बारे में बहुत ढिंढोरा पीटा और ढिंढोरा पीटने के बाद में भवन-विहीन विद्यालय नहीं हैं तो मंत्री जी का भवन-विहीन से क्या आशय है?

[2] परिशिष्ट "तीन"

जो अभी टेम्पोरेरी चल रहा है, उसी को हम स्कूल मान लिये हैं या उसके लिए नया भवन बना रहे हैं? पहले आप इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहले से स्कूल हैं। जैसे रायपुर के अमानाका में आर.डी. तिवारी स्कूल है, वह पहले से स्कूल है। वहां पर बच्चे कम थे। जहां कम बच्चे रहते हैं, वहां पर हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलेंगे। ऐसी जो खुद के भवन हैं, उसी में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोला गया है। उसमें अलग से भवन की व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री अजय चंद्राकर :- योजना में नहीं है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हाँ, अलग से भवन बनाने की योजना में नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हिंदी मीडियम के स्कूल को इन्होंने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में वहां के बच्चे को निकाल दिया गया और निकालने के बाद में अब यह बोल रहे हैं कि भवन अलग से नहीं बनायेंगे। मंत्री जी की जानकारी में नहीं है तो अधिकारी से बात कर लें। मेरी मानकारी में उसके लिए अलग से भवन बना रहे हैं। नया भवन बना रहे हैं, यह मेरी जानकारी में है, लेकिन मंत्री जी की जानकारी में नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने 181 विद्यालयों के आवश्यकता अनुसार जिर्णोद्धार एवं निर्माण हेतु निविदा बुलाई है। अभी उसकी जिर्णोद्धार के लिए यह निविदा कब बुलाई गई है, उसकी तारीख मुझे बतायेंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि हमने कोई कब्जा नहीं किया है । हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल संचालित किया हुआ है और हमने वहां से किसी को भगाया नहीं है । जहां-जहां बच्चे हैं वहां पर वह दो पाली में लग रही है । अंग्रेजी भी लग रही है और हिंदी भी लग रही है तो वहां से किसी को हटाने की बात नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि 181 में निविदा बुलायी गयी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- किसके द्वारा बुलायी गयी और कब बुलायी गयी ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग-अलग है । जैसे आर.डी. तिवारी का स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इसमें प्राक्कलन के आधार पर काम हो रहा है और बी.पी. पुजारी ये भी स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट सिटी है, आर.ई.एस. है, पी.डब्लयू.डी. है । इसके द्वारा उसमें काम हो रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई निविदा नहीं बुलायी गयी है । जीर्णोधार हो गये हैं, डी.एम.एफ. से राशि दे दी गयी है उसका स्वार्थपूर्ण बंटवारा हो गया है । मैंने इसीलिये कहा कि आप उसकी तारीख बता दें कि निविदा कब बुलायी गयी ? और निर्माण कब हुआ है ? मंत्री जी नहीं बता पायेंगे । पूरे प्रदेश में उसकी समुचित जांच करानी पड़ेगी ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग तारीखों में बुलायी गयी है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- हां बताईये न, 181 का बताईये ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25.02.2021 है, दिनांक 17.05.2021 है, दिनांक 16.03.2021 है । यह अलग-अलग तारीखों में दिनांक 11.05.2022 है । यह अलग-अलग तारीखों में बुलायी गयी है, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो बालक शाला है । उसको कब्जा किये । सब बच्चे कलेक्टर के पास में गये, उनको निकाल दिये थे तब उसको ले-देकर हम सब लोग बातचीत किये तो रखे गये और उसके बाद ये कह रहे हैं कि नये स्कूल नहीं बनाये जायेंगे । मुझे तो आश्चर्य लग रहा है । मैंने इसमें दूसरा जो पूछा है कि उसमें जो स्कूल खोले गये हैं, कितने पद स्वीकृत हैं और कैसे भरे गये ? उसमें भी वही उत्तर आया है कि 10,307 पद भरे गये तो 4,283 प्रतिनियुक्ति से और 6024 अस्थायी नियुक्ति और यह आपका 10,307 हो गया । मतलब आप कृपया यह बताईये कि क्या आपने उसका कोई सेटअप तैयार किया है और सेटअप के आधार पर उसका विज्ञापन जारी करके उसकी भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं और कब करेंगे ? यह प्रतिनियुक्ति वाले को आप कब तक करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका सेटअप तैयार किया गया है और मैंने कहा कि उसमें एक तो प्रतिनियुक्ति पर भेज रहे हैं । प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है और यदि उसके बाद बचते हैं तो संविदा में उसकी नियुक्ति होगी । उसमें यह प्रक्रिया अपनायी गयी है तो प्रतिनियुक्ति पर और संविदा उसमें यह दो व्यवस्था की गयी है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मतलब प्रतिनियुक्ति और संविदा हुई तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि उसका कोई सेटअप बना है कि नहीं बना है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सेटअप बना है न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सेटअप पर आप विज्ञापन जारी करके स्थायी भर्ती करेंगे या उसको संविदा में चलायेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सेटअप बना हुआ है और सेटअप के आधार पर जहां पर प्रतिनियुक्ति में अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसका विज्ञापन जारी करते हैं । यदि किसी विषय का नहीं मिल रहा है तो विज्ञापन जारी करते हैं और काउंसलिंग के द्वारा उसके आधार पर नियुक्ति होती है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल एक प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह जो अस्थायी नियुक्ति की है । क्या आपको इसकी कोई शिकायत मिली है और क्या शिकायत मिलने के आधार पर कार्यवाही हुई है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं । आप अधिकारियों से एक-बार और पूछ लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बाद में पूछ लेना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सात जगह से उसकी शिकायतें हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- छोड़िए न, आप कितने प्रश्न पूछेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बृहस्पत सिंह जी, श्री यू.डी. मिंज जी और बाकी लोगों की शिकायत के आधार पर जशपुर डी.ई.ओ. का निलंबन हुआ है । आप कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह बात सही है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी लेकर आपको अवगत करा दूंगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये असत्य कथन कर रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलग से जानकारी लेकर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जशपुर डी.ई.ओ. का निलंबन हुआ है । दुर्ग में 16 बर्खास्तगी हुई है और अनेक लोगों ने शिकायत की है जिसमें आपके जनप्रतिनिधि ने भी आपको शिकायत की है और शिकायत के आधार पर कार्यवाही हुई है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपकी जानकारी लेकर वह अपने आपको अद्यतन कर लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि प्राक्कलन तैयार किया गया है । मुझे यह जानना है और मेरे ख्याल से आप भी जानिये कि मापदंड क्या-क्या तय किये गये हैं ? प्रयोगशाला होगी, चार कमरे होंगे, दो हॉल होंगे, स्टाफ रूम होगा, महिला वॉशरूम होगा, जेंट्स वॉशरूम होगा, खेल का मैदान होगा, ग्राउंड होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ना, एक प्रश्न आ जाए । रंजना का प्रश्न आ जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसके क्या मापदंड हैं और इसका प्राक्कलन किस-किस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है ? इन्होंने एजेंसी नहीं बताई है । दूसरा, इसमें लिखा है कि अस्थायी नियुक्ति दी गई । शासन के पास अस्थायी सेवा भर्ती नियम है क्या ? कौन सी अस्थायी नियुक्ति है, किस प्रक्रिया के तहत् अस्थायी भर्ती की गई?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि जितनी आवश्यकता होती है, कमरों की आवश्यकता होगी, लैब की आवश्यकता होगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई तो मापदंड होगा ?

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने प्राक्कलन के बारे में पूछा है ना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इसमें करप्शन का बड़ा मामला है, ऐसा पूरे प्रदेश में है । कोई निविदा नहीं बुलाई गई, अपने मन से पैसा जारी करते गए हैं ।

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- यह सुनते ही नहीं हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इसमें जांच की मांग कर रहा हूं ।

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जितनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से प्राक्कलन बनता है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- इसकी जांच कराएंगे क्या ? यह जो भर्राशाही हुई है, डी.एम.एफ. के पैसे का स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ है । बिना प्राक्कलन के निर्माण कार्य हुआ है उसकी जांच कराएंगे क्या ?

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्कूलों में जितनी आवश्यकता होती है, कमरों की, लायब्रेरी की उसके आधार पर प्राक्कलन बनता है । उसके आधार पर स्वीकृति होती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई मापदंड बताएंगे लोगों को ? इसी में तो खेल है ।

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अरे भाई जितनी आवश्यकता होगी उतने का ही तो एस्टीमेट बनेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- जय हो ।

अध्यक्ष महोदय :- रंजना डीपेन्द्र साहू ।

धमतरी जिले में किसानों को धान खरीदी हेतु रकबा का पंजीयन एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखायें

[सहकारिता]

7. (*क्र. 1466) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिले में कुल कितने किसानों को कितने रकबा का धान खरीदी हेतु वर्ष 2022-23 में पंजीयन हेतु डाटा उपलब्ध कराया गया था, विधानसभावार जानकारी देवें? **(ख)** धमतरी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं नाम, स्थान सहित जानकारी देवें? क्या धमतरी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की नवीन शाखाएं खोलने की योजना है? यदि हां तो किन-किन स्थानों पर एवं किन किन स्थानों पर शाखाएं खोले जाने की मांग प्राप्त हुई हैं, नाम सहित जानकारी बतावें एवं उक्त प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विधानसभावार जानकारी निम्नानुसार है :-

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्र.	जिले का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	पंजीकृत किसानों की संख्या	पंजीकृत किसानों रकबा (हेक्टेयर में)
1	धमतरी	धमतरी	32094	30585
2		सिहावा	38340	46832
3		कुरूद	50800	50558
योग			121234	127975

(ख) धमतरी जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखाओं की जानकारी [3]**संलग्न प्रपत्र** अनुसार है । आमदी, अकलाडोंगरी (बारगरी), मोंगरागहन (डुबान), केरेगांव, कुकरेल एवं डोमागुजरा में नवीन शाखाएं खोले जाने की मांग प्राप्त हुई है। मांग पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे मिला है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि धमतरी में नवीन बैंक शाखाएं खोलने की कोई योजना है क्या ? क्या इसके लिए कोई मांग पत्र गया है ?

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो पूछा है अभी तो धमतरी में बैंक है और आमदी में इसका प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव हमको मिला है । लेकिन यह बैंक की शाखा सीधे हम लोग नहीं खोल सकते । इसके लिए आर.बी.आई. की भी आवश्यकता पड़ती है । हम लोग आर.बी.आई. को प्रस्ताव भेजते हैं और वहां से अनुमति मिलने के बाद ही हम आगे की कार्यवाही करते हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या आमदी के लिए आपने प्रस्ताव भेज दिया है ?

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जो मांग आई है उसकी जानकारी हम आई.बी.आई. को भेजते हैं, उसकी अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही होती है और यह प्रस्ताव भेजा गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को बहुत सारे पत्र लिखकर अवगत कराया कि हमारे यहां तीन-चार ऐसे स्थान हैं जो डुबान का क्षेत्र है वहां से लोगों को बैंक के लिए 50 किलोमीटर दूर धमतरी आना पड़ता है । बैंक में लेनदेन करते उनका पूरा दिन चला जाता है । पूरा एक दिन उनके लग जाता है और कभी कभी तो फिर से दूसरे दिन आना पड़ता है । वहां बैंक की शाखा खोलने के लिए आपने प्रयास क्यों नहीं किया ? माननीय मंत्री जी मैंने कम से कम 10 बार आपसे

[3] परिशिष्ट "चार"

पत्राचार किया है, ये सारे पत्र मैं लेकर आई हूं । मेरे एक भी पत्र का जवाब मुझे नहीं मिला है, बल्कि मैं तो यह कहूं कि नवीन बैंक शाखा हेतु जो आदर्श नीति है, वह भी मैं लेकर आई हूं क्योंकि इसमें 12 बिंदुओं के जो नियम हैं, वे क्षेत्र जिनका मैंने नाम दिया है वे क्षेत्र इसकी पूर्ति करते हैं । लेकिन इन्होंने यह कहकर टाल दिया कि हमने ऊपर भेजा है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न कीजिए । आपके नेता जी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है । नारायण चंदेल जी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- लगातार पत्राचार कर रही हूं लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया । अध्यक्ष जी, इसमें बता दें कि क्या आप आमदी की घोषणा कर देंगे क्या ?

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि आपका प्रस्ताव आया है । लेकिन बैंक की शाखा सीधे हम नहीं खोल सकते । उसके लिए आई.बी.आई की परमीशन की जरूरत उसमें है । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की नवीन शाखा खोलने की कार्यवाही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर ही की जाती है । आप जो नवीन शाखा खोलने के लिए कह रही हैं उसके लिए आर.बी.आई. को भेजा गया है लेकिन उसके मापदंड हैं । कोई भी बैंक 3 वर्ष से कार्यशील हो और बैंक का सी.आर.ए.आर. की पूंजी, जो जोखिम होता है उसका 9 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । बैंक के नेवल, एन.पी.ए. 5 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । बैंक द्वारा सी.आर. आर. कैश रिजर्व रेश्यों..।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो पूछो उसका उत्तर तो देना नहीं है नियम पढ़ते रहो।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- मंत्री महोदय, इसी तरह का एक रिक्वेस्ट मेरे क्षेत्र का भी है ।

डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम :- भई, इन्होंने कहा कि इतने पत्रचार हुए और पत्राचार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-2022

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-2022 पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2020-21

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं।

समय :
12:01 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा मं पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री चंदन कश्यप
2. श्री चक्रधर सिंह सिदार
3. श्रीमती छन्नी चंदू साहू

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, 18 और 19 मार्च को लगभग-लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश हुई है, अंधड़ चला है और बहुत से क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। ...।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए मेरे पास माननीय नेता जी का प्रस्ताव आया है। आप उनको बोलने के लिए अधिकृत कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- इससे रबी फसल को भी नुकसान हुआ है। खासकर सब्जी की फसल तो खत्म ही हो गयी है। इस विषय पर हमारा स्थगन है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रस्ताव है, आप पहले उनको बोलने के लिए अधिकृत कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- शून्यकाल हम लोगों का सबका है। सभी का है। इसमें मेरा भी है। इसमें सब्जी की फसल पूरी तरह से खत्म हो गयी। माननीय कृषि मंत्री जी के गृह जिले में किसानों के 100 करोड़ के टमाटर बर्बाद हो गए। गेंहू और चना दोनों की फसल भी बहुत बुरी तरह खराब हुई है।

समय :
12:02 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। कहीं फसल का सर्वे नहीं कराया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ ? कल तक तो कुछ आदेश नहीं हुआ है। हमने इस विषय पर स्थगन दिया है। आपसे निवेदन है कि इस स्थगन को ग्राहय करके इस पर चर्चा कराएं।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बड़ी तेज गति की सरकार है। हम लोगों ने कल खाद्यान्न के घोटाले में विषय उठाया तो बोल दिए की 24 तारीख तक जांच हो जाएगी। माननीय मंत्री जी ने आज उत्तर दिया कि जांच तीन महीने में होगी, चार महीने में होगी, बिन्दु क्या होगी, मालूम नहीं है ? इतनी तीव्र गति से चलने वाली सरकार से यह अपेक्षा है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के जवाब में आपको दिया है कि यह यह बिन्दु है। जांच के क्या-क्या बिन्दु थे, पूरी बिन्दुवार जानकारी दी है।

श्री अजय चंद्राकर :- तत्काल सर्वे कराकर किसानों को राहत दें। इस सरकार की पूरी राजनीति किसान, किसान, किसान पर टिकी हुई है और किसान हर तरह से शोषित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पूरी रबी की फसल बर्बाद हो गयी और कृषि मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको यदि संवेदना है तो स्वत: बयान देना चाहिए था। उन्होंने बयान भी नहीं दिया, अवगत भी नहीं कराई और सुबह अभी-भी पानी गिर रहा था। किसान सरकारी नीतियों के सामने बेबस हो गया है। इसलिए आपसे आग्रह है, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, इस विषय में सब काम रोककर स्थगन पर चर्चा कराई जाए।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमौसम बारिश के कारण पूरी रबी फसल खराब हो गयी। अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो जो सब्जी लगाते हैं उनको नुकसान हुआ है। उनको ब्याज नहीं मिलता तो वह बाजार से ऋण लेकर सब्जी लगाएं हैं और वह सब्जी की पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गयी है। वहां पर कोई भी राजस्व विभाग का अधिकारी जाकर फसल क्षति को चेक करने वाला नहीं है, उनको कोई मुआवजा देने वाला नहीं है। आपसे आग्रह है कि इस स्थगन को ग्राह्य करें और सारी बातें सामने आ जाए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो स्थगन प्रस्ताव है, वह किसानों से संबंधित है और सरकार किसानों की हितैषी है। निश्चित तौर पर हम इस बात पर स्थगन लाकर इसमें यह बताना चाहते हैं कि राजस्व अधिकारियों की भूमिकाएं कैसी हैं, किस तरीके से फसल चौपट होने के बाद वह किसानों से संपर्क करते हैं या नहीं। कृषि विस्तार अधिकारी जो इनके कृषि से जुड़े हुए हैं, वह लोग जाकर किसानों के दर्द के साथ बैठते हैं या नहीं बैठते हैं और कितनी राशियों का नुकसान हुआ है, कहां-कहां पर नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार की भूमिका कैसी है ? इन सारे तथ्यों पर हम स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि इसको स्वीकार करके चर्चा कराई जाए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 18 और 19 तारीख को जो लगातार बारिश हुई, बेमौसम बारिश हुई और जो ओलावृष्टि हुई, उससे किसानों की चिंता बढ़ी है। हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने चने की फसल लगाई क्योंकि सरकार ने उनसे बार-बार फसल चक्र के अनुसार फसल लगाने के लिए कहा तो इसलिए बहुत से किसानों ने चना लगाया और बहुत से किसानों ने गेहूं लगाया, लेकिन आज स्थिति यह है बेमौसम बारिश हुई और चने की फसल को कांटने का समय भी आ गया था और गेहूं के फसल को भी कांटने का समय आ गया था, लेकिन खेतों में पूरी फसल खराब हो गई। हमारे कुछ किसानों ने सब्जी की फसल ली। आज स्थिति यह है कि जो छोटे किसान हैं उन्होंने फसल के उत्पादन हेतु बैंकों तथा साहूकारों से ऋण लेकर फसल लगाई ताकि उन्हें भी कुछ मुनाफा हो सके। लेकिन जो असमय बारिश हुई उसके कारण हमारे किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस विषय में हमारा स्थगन है,कृपया आप हमारे इस स्थगन को स्वीकार करके इस पर चर्चा कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहले जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शनिवार, दिनांक 18-19 मार्च को बेमौसम पानी गिरने, आंधी होने और ओला गिरने से प्रदेश के किसानों ने जो रबी की फसल, जिसमें चना, गेहूं, टमाटर, करेला, मिर्ची, तरबूज, खरबूज और सब्जी की फसल लगाई थी, उन सबका नुकसान हो चुका है। चना की फसल कट चुकी थी और वह खेत में थी और अब वह बर्बाद हो चुकी है।

सरकार ज्यादा ओले पड़ने के कारण का जवाब दे और जल्दी उसका सर्वे कराकर उनको मुआवजा दे। हमने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करके उस पर चर्चा कराएं ताकि उस पर और अधिक चर्चा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय :- रजनीश कुमार सिंह।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 3-4 दिनों से जो बेमौसम अतिवृष्टि हुई, उसके कारण पूरे प्रदेश के किसान चाहे वह सब्जी की फसल लेने वाले हो या मौसमी फल जैसे- तरबूज, खरबूज, ड्रैगन फ्रूट की फसल लेने वाले किसान हो, ऐसी तमाम प्रकार की फसलें और सब्जी इससे बहुत प्रभावित हुई हैं। हमारे छोटे-छोटे किसान ऐसी स्थिति में हैं कि उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करें ? हमने इस विषय पर स्थगन दिया है और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह किसानों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए हमारे इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके इसपर चर्चा कराई जाए ताकि इसमें और विस्तार से बात हो और इन पीड़ित किसानों के लिए यहां से कोई रास्ता निकल सके। आपसे आग्रह है कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार करके इस पर चर्चा कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी मौसम खराब है। लगातार 3-4 दिनों से जो बारिश हो रही है उस बारिश के कारण किसानों की चना, गेहूं और सब्जी की फसल खराब हो गई। आपने पहले भी 100 करोड़ रूपये की टमाटर की फसल का देख लिया है। यह महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे किसान लोन लेकर सब्जी का उत्पादन करते हैं लेकिन यदि उसके बाद ओले पड़ जाएं और पानी गिरे तो उनको दिक्कत होती है। इसलिए उनको मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए क्योंकि अभी तक केवल आदेश दिये जाते हैं लेकिन आदेश के बाद भी उनकी भरपाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने इस पर स्थगन दिया है और आप हमारे स्थगन पर चर्चा कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर एक लाइन कहना चाहता हूं। यह कृषि विभाग का तखतपुर के ग्राम खम्हरिया का मामला है। 37 किसानों ने गुहार लगाई है कि साहब, हम जिंदा हैं और हमें भी किसान निधि चाहिए लेकिन अभिलेख में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। (शेम-शेम की आवाज) यदि उनको कलेक्टर या विधायक के पास जाकर यह सबूत देना पड़े कि मैं जिंदा हूं तो उनकी और क्या दासतां हो सकती है ? चौबे जी, कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। क्या आप इस मामले को दिखवाएंगे कि जब वह मृत घोषित कर दिये गये हैं तो वह कहां जाये ? उनको चौबे जी के पास लेकर आना पड़ेगा। इसलिए यह जो लापरवाही बरती जा रही है और वास्तव में किसानों को उनकी किसान निधि नहीं मिल रही है या रिकॉर्ड में जो हेरा-फेरी हो रही है, इस विषय पर मैंने

ध्यानाकर्षण लगाया है और मैं इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार करें। जिससे इस पर विस्तार से चर्चा हो जाएगी। आप इसको किसी न किसी रूप में ले लें।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसकी घटना का उल्लेख था।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंदेल जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी और पूरी सरकार यहां पर बैठी हुई है। छत्तीसगढ़ का अन्नदाता भूमिपुत्र किसान है। जिस तरीके से किसान ने रबी फसल की बुआई की थी लेकिन पिछले 18 तारीख से लेकर आज तक लगातार बेमौसम बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं और पाले पड़ रहे हैं। जशपुर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा तक और डोंगरगढ़ से लेकर सरगुजा तक हमारे जितने किसान हैं, आज अपनी फसल की तबाही को लेकर चिन्ता की लकीरें उनके माथे पर है । हमारे किसान टमाटर को सड़क पर फेंकने को मजबूर हो रहे हैं, गेहूं की फसल लद गई है । अब वह कैसे कर्ज चुकाएगा, कैसे ब्याज चुकाएगा, कैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करेगा । इसीलिए सरकार से, कृषि मंत्री जी से, राजस्व मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि उसका पूरा मूल्यांकन कराएं और किसानों को जो भी उचित मुआवजा सरकार दे सकती है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आएं तो किसानों को मुआवजा देने की घोषणा सदन में करें क्योंकि सदन चल रहा है और हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको स्थगन दिया है । हमारा आग्रह है कि सदन की कार्यवाही रोककर उस पर चर्चा कराएं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार तीन दिनों से मौसम खराब है और किसान बहुत पीड़ित और दुखी हैं । दोनों मंत्री कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री यहां पर उपस्थित हैं । हमारा भी अनुरोध है कि सर्वे कराया जाये और मुआवजा दी जाये । इस संबंध में 21-22 में मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील में भी 6(4) में स्वीकृति हुई थी, लेकिन आजतक किसानों को पैसा नहीं मिला है । इस पर भी मैंने ध्यानाकर्षण दिया है । आपसे अनुरोध है कि उसको ग्राह्य करके चर्चा कराई जाये, ताकि किसानों को न्याय मिल सके ।

<u>व्यवस्था</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रदेश में दिनांक 18 एवं 19 मार्च, 2023 को हुई बेमौसम बारिश, अंधड़ एवं ओलावृष्टि से प्रदेश के किसानों की फसलों, सब्जियों एवं फलों की खेती को भारी नुकसान होने को लेकर माननीय श्री नारायण चंदेल एवं अन्य सदस्यों के द्वारा मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है । यह प्रदेश के किसानों एवं जनहित से जुड़ा विषय है और मैं किसी न किसी रूप में सदन में इस विषय पर चर्चा कराऊंगा ।

चूंकि आज 6 माननीय मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा है इसलिए प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया कार्यवाही चलाने में सहयोग करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है । यदि इतने महत्वपूर्ण विषय में, जिसमें ये राजनीति करते हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी तो इस सदन में किस पर चर्चा होगी । इसलिए तत्काल चर्चा कराई जानी चाहिए । आप किसी न किसी रूप में बोल रहे हैं तो अब समय कहां है ? किसान सड़कों पर है ।

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, एक तो सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- वे बयान देंगे, अभी मैंने कहा है ।

श्री नारायण चंदेल :- अभी यहां पर कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री उपस्थित हैं । क्या सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि किसानों के मामले में सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आ रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- जवाब आ रहा है । मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, आसंदी से हमारा आग्रह है, यह महत्वपूर्ण विषय है । किसान छत्तीसगढ़ की आत्मा है, किसान की खेती के ऊपर छत्तीसगढ़ की सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है । हमारा आग्रह है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बताईए ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अध्यक्ष के कक्ष में हुई चर्चा का यहां उल्लेख करना उचित नहीं है । इसको नियम 139 के रूप में चर्चा कराएंगे, ऐसी चर्चा आपसे हुई थी, आपने तय किया था, उसके बावजूद भी अगर विपक्ष इसमें चर्चा कराना चाहता है तो हम भागेंगे नहीं, वह हो जाएगा । नियम 139 की चर्चा होगी या नहीं, वह दो दिन बाद देखा जाएगा । अगर आप अपने स्थगन में चर्चा चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आसंदी ने व्यवस्था दे दी कि किसी न किसी रूप में आप चर्चा कराएंगे तो माननीय अजय जी इतना उत्तेजित होने का कारण कहां से आ गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कतई उत्तेजित नहीं हूं, मेरे बारे में जो भ्रम है, उसको निकाल दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में अनुसूचित राशि के अनुदान मांगों के बारे में श्री टी. एस. सिंहदेव जी प्रस्ताव करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मान लो आपने व्यवस्था दी कि किसी न किसी स्वरूप में चर्चा हो जाएगी । माननीय कृषि मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी बैठे हैं । ठीक है, आप किसी

अशासकीय/प्रकाशन योग्य नहीं

दिन भी चर्चा करवा लें, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन सरकार को इतना संवेदनहीन तो नहीं होना चाहिए कि एक वक्तव्य न दे सकें कि सरकार की ओर से इतने महत्वपूर्ण विषय में वक्तव्य भी न आये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, माननीय राजस्व मंत्री जी तैयार हैं, आप अनुमति दीजिए । बाकी काम बाद में होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये सोमोटो होना चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह तरीका बिल्कुल गलत है । हर लाईन में आप बाध्य करेंगे क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आप कितने संवेदनहीन हैं, ये सोमोटो होना चाहिए । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- यह बिल्कुल गलत बात है ।

श्री नारायण चंदेल :- बाध्य नहीं कर रहे हैं, सरकार की तरफ से वक्तव्य आये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- राजस्व मंत्री जवाब दे रहे हैं । सुन लीजिए ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि पिछले दो-तीन दिवसों में राज्य के मौसम में आकस्मिक बदलाव हुए हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा, गर्जना और बारिश हुई है तथा कुछ जिलों में ओला गिरने की भी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। इस तरह से बेमौसम घटनाओं से किसानों की फसलों को भी क्षति होने की सूचनाएं मिली हैं। ऐसी स्थिति में छोटे किसान एवं लघु किसानों के जीवन-यापन पर विशेष रूप से बुरा असर पड़ता है।

यह कहना सही नहीं है कि शासन द्वारा किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, धमतरी, जशपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कबीरधाम, बीजापुर सहित पूरे प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों को निर्देश जारी किया गया है कि बेमौसम वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रदान करें। मौसम में हुई इस अचानक बदलाव से हुई क्षति के आंकलन के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रदेश में दिनांक 19.03.2023 को 13.7 मि.मी. तथा दिनांक 20.03.2023 को 6.2 मि.मी. बेमौसम वर्षा दर्ज की गई है। जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश में बिजली गिरने से 7 तथा ओलावृष्टि से 1 इस प्रकार कुल 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 36 पशुओं की भी मृत्यु हुई है, 15 मकान पूर्ण रूप से तथा 209 मकान आंशिक रूप से क्षति हुई है। साथ ही अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में 385.216 हैक्टेयर फसल क्षति होने का आंकलन किया गया है। बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से हुई क्षति का आंकलन जारी है।

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 के तहत, प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के विरूद्ध सहायता राशि के प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में 1 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना के द्वारा

समुचित आवश्यक बदलाव भी किए गए हैं। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के निर्देशों में प्राकृतिक आपदा की तत्काल सूचना देने का कर्तव्य क्षेत्र के राजस्व कर्मचारियों का है। व्यापक आपदा के मामले में प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा आवेदन देना भी अनिवार्य नहीं है। क्षति के प्रकरणों का राजस्व न्यायालय के रूप में पंजीयन का प्रावधान किया गया है। प्रावधान के अनुसार पीड़ितों को सहायता राशि 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। 30 दिवस से अधिक के विलंब पर संबंधित राजस्व अधिकारियों पर विलंब के प्रत्येक दिवस 100.00 रूपये की दर से अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

1 दिसम्बर, 2022 के निर्देशों के द्वारा, प्राकृतिक आपदा के विरूद्ध मिलने वाली सहायता राशि में कुछ वृद्धि भी की गई है। पूर्व में असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हैक्टेयर की सहायता राशि का प्रावधान था, इसे 8,500 रूपये किया गया है। पूर्व में सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हैक्टेयर की सहायता राशि का प्रावधान था, इसे 17,000 रूपये किया गया है। इसी तरह प्राकृतिक आपदा में हुई पशु हानि और मकान हानि में भी प्रदान की जाने वाली सहायता राशि में कुछ वृद्धि की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में क्षति के सर्वे कार्य प्रारंभ हो गए हैं, शीघ्र ही राजस्व पुस्तक परिपत्र के निर्देशों के तहत क्षति का आंकलन कर किसानों को समुचित अनुदान सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष तीन नहीं हो सकते। अब धरम भईया भी हाथ उठा रहे हैं, अजय चन्द्राकर भी हाथ उठा रहे हैं, विपक्ष को तय करना होगा कि माननीय नारायण चंदेल जी अकेले नेता प्रतिपक्ष हैं। अब बोलिये नारायण भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक ही है, माननीय। लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री प्रतिक्रिया सुनने में भाग क्यों रहे हैं ? हम उनके वक्तव्य के खिलाफ नहीं बोलेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण विपक्ष कम से कम किसानों को मान तो रहा है। पहले तो ये दौडा-दौड़ाकर मारते थे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रतिक्रिया दी, बयान दिया। एक तो उन्होंने बताया कि इस बेमौसम बारिश में, बिजली गिरने से, प्राकृतिक आपदा से अभी 8 लोगों की अकाल मौत हुई है। हमारा राजस्व मंत्री जी से एक आग्रह है कि तत्काल उनके घरो तक उनका मुआवजा राशि जो शासन के द्वारा पहुंचती है, वह 4-4 लाख रूपये पहुंच जाये। क्योंकि पीड़ित परिवार को महीने, दो महीने, तीन महीने चक्कर काटना पड़ता है, फिर बीच में दलाल, बिचौलिये पैसा खाते हैं। इसलिए तहसीलदार या कोई भी जाकर उनके परिवारजनों को वह सहायता राशि प्रदान करें। हमारा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी पहुंचे। उन्होंने 15 दिन का समय दिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि 8-10 दिनों में सर्वे करवाकर उनके घरों तक वह मुआवजा पहुंच जाये। उन

किसानों को जिनकी फसल बरबाद हुई है, उनको अधिकारियों का चक्कर मत काटना पड़े । यह शासन का निर्देश आ जाये और एक समयावधि निश्चित हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जब महराज खड़े होते हैं तो आप पाईन्ट ऑफ आर्डर उठा देते हो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप गंभीर होंगे, आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार पक्का करेंगे । मैं आपको सभी विभागों के लिये एक प्रतिवेदन दिखा रहा हूँ, जिसके दो पन्ने कैसे छपे हैं, देख लीजिए । यह देखिये संसदीय कार्यमंत्री जी, प्रतिवेदन छपा है । मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने कृषि मंत्री जी के पूरे प्रतिवेदन को कहा कि यह बेकार है, असत्य है, उसमें न उद्येश्यों का कथन है, न उस विभाग में कितने विभाग प्रचलित है, इसका भी उल्लेख है ।

(श्री अजय चन्द्राकर सदस्य द्वारा विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन में दो पृष्ठों के पूरी तरह Blank (रिक्त) प्रिंट होने की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हुये संबंधित Blank पृष्ठ दिखाये)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं दिखवा लूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये तो, आज कोरा छप गया । इसमें बजट को पूंजीगत राजस्व बताया गया है । कोई प्रतिवेदन में हेड वाईज बताये हैं, पूंजी राजस्व व्यय बताये हैं, किसी में अधिनियम कितना प्रचलित है, यह नहीं बताते हैं, किसी में उद्येश्य को नहीं बताते हैं, किसी में कोरा छापते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी अवमानना नहीं है, यह विधान सभा की अवमानना है । आप इस बारे में जरूर व्यवस्था दीजिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस कोरे पेपर पर कैसे चर्चा करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं करवाता हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्य विभाग यहां मौजूद है, वह सुनिश्चित करें या ट्रेनिंग अभी दे । वह बताये कि प्रतिवेदन कैसे छपता है ? प्रतिवेदन में क्या-क्या होना चाहिये ? क्या जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर कार्यवाही होगी ? अभी आना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- कुछ कहना चाहेंगे ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में गंभीर विषय है । आसंदी से निर्देश जाना चाहिये । सामान्यत: ऐसा विधान सभा में होता नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मजाक बना लिये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- व्यवस्था के प्रश्न में मंत्री जी क्या बोलेंगे ? व्यवस्था तो आपको देनी है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं दे रहा हूँ ना भई, आपकी व्यवस्था आ रही है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष जी, यह प्रशासकीय प्रतिवेदन, 15 साल हुकूमत में आप भी रहे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- त्रुटियां आपके पीरियड में ही है, जो गलतियां आपके पीरियड में उसे स्वीकार करो, जिसमें माननीय अजय चंद्राकर जी ने इंगित किया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कुछ कहां बोल रहा हूँ शिवरतन जी । मैं कह रहा हूँ ना कि जिस पेज का आपने उल्लेख किया, प्रिंटिंग में दो पेज ऐसा सट गया होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रिंटिंग भर का उल्लेख नहीं किया हूँ ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि यदि ऐसा हो गया था, कम से कम विभाग को इसको देखना ही चाहिये था, वितरित उसको नहीं करना था या उस पेज को सुधार लेना था । मैं इस बात को मान रहा हूँ, आपने कहा ना कि नियमों में उल्लेख है, कहीं पूंजीगत व्यय में उल्लेख है, बजट की अवधारणा आप से ज्यादा कौन समझ सकता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इससे सहमत नहीं हूँ, फिर से मेरे को सुन लीजिए। आप दोबारा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन लीजिएगा । विभाग के उद्येश्य, विभाग के प्रचलित नियम, विभाग के दायित्व अंतर्गत संगठन और बजट की स्थिति चाहे 31 दिसम्बर तक बतायें, जनवरी तक भरवायें या छपवाने के दिन तक छपवायें, यह अनिवार्य रूप से छपते रहा है और उसकी प्रक्रिया तय है कि इन चीजों की हम जानकारी देंगे । इसमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय बता दिया गया है, अब सदस्य किसमें चर्चा करेगा, यदि पिछले बजट में चर्चा करेंगे तो ? आज इस साल को छोड़ दें, उसें क्या-क्या होगा, कैसे होगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को फिर से सुन लीजिए । उसकी व्यवस्था आनी चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की अवमानना है । यह छोटी-मोटी बात नहीं है । लोग सदन को मजाक का विषय बना लिये हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, ये जो आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा है न कि सदन को मजाक का विषय बना लिये हैं । सदन के प्रति हम गंभीर हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गलती किये है तो अधिकारियों के ऊपर आप कार्यवाही कीजिए ? मैंने आपको 5 पाईन्ट बताया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मंत्री जी, अभी उसको उत्तर में बतायेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो ऐसे संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो महामहिम राज्यपाल के भाषण को बदल देते हैं । (शेम-शेम)

श्री रविन्द्र चौबे :- बताओ, कितना सबजेक्ट चेंज हो गया ? आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चले गये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह भी विधान सभा की अवमानना है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- महामहिम के अभिभाषण में कोई अवमानना नहीं किये हैं, हमने आरक्षण की बात कही थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आरक्षण का विषय छोड़ो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बोल रहा हूँ ना कि व्यवस्था दे रहा हूँ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय चन्द्राकर जी ने जो विषय उठाया है, जब आप त्रुटि स्वीकार कर रहे हैं, जिसने गलती की है, उसके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने वास्तव में काफी गंभीर है, जो त्रुटि हुई है... !

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना ? आप जब त्रुटि स्वीकार कर रहे हैं तो जिसने गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष महोदय, हमने बोल दिया कि देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी ने वास्तव में जो विषय उठाया है। वह वास्तव में काफी गंभीर है और जो त्रुटि हुई है, मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में जो प्रकाशन होगा, उसमें सावधानी बरतेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, सभी विभागों में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। यदि यह एक के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो विधान सभा की कार्यवाही में गंभीरता नहीं आयेगी और बहस का स्तर गिरेगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैं आग्रह करूंगा। बिल्कुल सही। बहुत प्वाइंटेड है। माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये - तीन हजार दो सौ सात करोड़, सत्तर लाख, नब्बे हजार रूपये,
मांग संख्या	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार पांच सौ चौहत्तर करोड़, अड़तालीस लाख, तीन हजार रूपये,
मांग संख्या	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन सौ पैंतीस करोड़, छिहत्तर लाख, तिरसठ हजार रूपये तथा

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये -चार करोड़, तेरह लाख, पन्द्रह हजार रूपये

तक की राशि दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्ताव की सूची प्रथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1.	श्री पुन्नूलाल मोहले	6
2.	श्री अजय चन्द्राकर	4
3.	श्री धरमलाल कौशिक	4
4.	श्री शिवरतन शर्मा	14
5.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	10
6.	श्री डमरूधर पुजारी	1
7.	श्रीमती इंदू बंजारे	1
8.	श्री रजनीश कुमार सिंह	3

मांग संख्या - 79

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री अजय चन्द्राकर	2
2.	श्री धरमलाल कौशिक	3
3.	श्री शिवरतन शर्मा	4

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री पुन्नूलाल मोहले	2
2.	श्री धरमलाल कौशिक	5
3.	श्री शिवरतन शर्मा	5
4.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1
5.	श्रीमती इंदू बंजारे	1

मांग संख्या - 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री अजय चन्द्राकर	1
2.	श्री धरमलाल कौशिक	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	2

उपाध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री जी की अनुदान मांग संख्या - 19, मांग संख्या- 79, मांग संख्या - 7, मांग संख्या - 50 प्रस्तुत हो रहा है। मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की पकड़ जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में होनी चाहिए, वह पकड़ नहीं है। शरीर कहीं और है और मन कहीं और है। मतलब यह स्वास्थ्य विभाग ऑटो पायलट में चल रहा है। मैं उसका कुछ उदाहरण बता रहा हूं। आप अपने स्वास्थ्य विभागों की तुलना भारत के हेल्थ सूचकांक से, हेल्थ इंडिकेटर से करते हैं। क्या आपने कभी इस तुलना में सोचा है कि भारत की जो डेनसिटी है, जो जनसंख्या का घनत्व है, वह छत्तीसगढ़ का कितना है और भारत का कितना है। आप इस बात से कल्पना कीजिये कि छत्तीसगढ़ का जो घनत्व है वह 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आप अंदाजा लगा लीजिये कि जिस 01 किलोमीटर में 01 गांव में 189 लोग रहते हैं, उसके मैनेजमेंट की इंटेनसिटी कितनी होगी। जिस 01 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं तो उसके मैनेजमेंट की इंटेनसिटी कितनी होगी। आप इन दोनों इंडेंसिटी से अंदाजा लगा लीजिए।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

इस इंडेंसिटी का मतलब ध्यानाकर्षण है। हम अपने इस विभाग को ध्यान देते हैं। यह विभाग स्वास्थ्य के सर्विस सेक्टर का है। आप जितना सुपरविजन करेंगे, आप स्वास्थ्य में लोगों का जितना सुपरविजन करेंगे, इससे छत्तीसगढ़ की जनता को उतना भी लाभ मिलेगा। यदि आपने सुपरविजन नहीं किया तो यहां की जनता को उसका लाभ नहीं मिलेगा। मेरे पास हेल्थ सिस्टम के कुछ आंकड़े हैं जो हमारे राज्य के हेल्थ सिस्टम को प्रदर्शित करते हैं। हमारे यहां पदों की संख्या के बारे में कहना चाहूंगा। इस प्रतिवेदन में देखा जाए तो हमारे यहां विभिन्न क्लास वन के चिकित्सक हैं, यहां चिकित्सा अधिकारी हैं, मैदानी कार्यकर्ता हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अब तक माननीय मंत्री जी के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया नहीं की गई है। प्रश्नाधीन अवधि में किसी चीज की जानकारी ली जाती है कि इन पदों के लिए यहां-यहां डॉक्टरों की कमी है। यहां जब इस बात को रखा जाता है तो माननीय मंत्री जी का शुरू से लेकर अब तक सिंगल एक ही जवाब आता है कि यह प्रक्रियाधीन है। इसमें विचार किया जा रहा है, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं होती। आप एक तरफ कहते हैं कि हम नौकरी देने के लिए कटिबद्ध हैं । छत्तीसगढ़ में इतने बेरोजगारों, लोगों को इतनी नौकरियां दी हैं, हमने इतनी नौकरियों का सृजन हो सकता है, लेकिन इन्होंने यहां तक नहीं किया। और तो और माननीय मंत्री जी की कल्पना शक्ति बताना चाहूंगा। आजकल लोगों को डायबिटिज, ब्लड प्रेशर हो रहा है। मैं आपको मानसिक बीमारी के आंकड़े दूंगा। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। अब क्या यह सोचते हैं कि हम इन डायबिटिज, ब्लड प्रेशर की बीमारियों के लिए डायटिशियन की नियुक्ति करनी चाहिए। एक भी पद स्वीकृत है ? इसकी आवश्यकता को देखते हुए, आपको पूरे जिले में डायटिशियन को सलाहकार के रूप में नियुक्ति करनी चाहिए, लेकिन आप उसकी भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। जो इतना महत्वपूर्ण पद है। आपमें निर्णय क्षमता की कमी है कि हमको किस चीज में स्वास्थ्य में फायदा मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा। यह भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपने डायटिशियन के पदों पर नियुक्ति नहीं की। मेरा दूसरा विषय यह है कि माननीय मंत्री जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या क्लास वन का पोस्ट संविदा से भर्ती की जा सकती है ? आप निर्णय करिये कि जो क्लास वन का पोस्ट है यह आपका प्रमोटिंग पोस्ट हो सकता है, यह संविदा पर आधारित नहीं हो सकता, लेकिन आप इन पदों में संविदा में लेते हैं फिर भी संविदा में क्लास वन के पदों पर डॉक्टरों की जो अनिवार्यता है, आवश्यकता है जितने आपके पास पद स्वीकृत हैं उनकी तुलना में आज भी डॉक्टरों की कमी है। इसका परिणाम यह है कि हम विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हम उन विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदोन्नति नहीं दे पा रहे हैं। यह स्थिति आपके पदों की नियुक्ति में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रसव के आंकड़ों के संबंध में कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी जरा यह बता दीजिए कि आप पहले अपने प्रतिवेदन में आंकड़ों की प्रस्तुति करते थे, परंतु आज यह आंकड़े छुपे हुए हैं। आप यह बता दीजिए कि यहां पूरे छत्तीसगढ़ में कितने प्रसव हुए ? तो आप इस

प्रतिवेदन में कहते हैं कि यहां 85 प्रतिशत प्रसव होता है अर्थात् कितने में कितना 85 प्रतिशत हो गया। यदि आप यह 85 प्रतिशत प्रसव बताते हैं तो जो आपने यहां जो प्रसव संस्थागत करवाएं हैं सरकार को उन प्रसवों में जननी सुरक्षा का लाभ देना है क्या हमने उन 85 प्रतिशत लोगों को लाभ दिया तो इस प्रतिवेदन में एक पार्ट आता है कि हमने 1 लाख 65 हजार लोगों को ही जननी सुरक्षा का लाभ दिया है। अर्थात् आप कह तो रहे हैं कि यहां 85 प्रतिशत प्रसव हो रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा संस्थागत प्रसव में जो प्रावधानित राशि है, आप वह नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उसके मामले गड़बड़ हैं। इसलिए संस्थागत प्रसव के जो आंकड़े हैं और सरकार की सुविधा दोनों पर प्रश्नचिन्ह हैं। मैं यह बात कह रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन में मोतियाबिंद के बारे में लिखा है। माननीय मंत्री जी, इसमें मोतियाबिंद का भी लिखा है। आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन के माध्यम से मोतियाबिंद मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए आपकी क्या कल्पना शक्ति है, आप इसके लिए किस तरीके से प्लान कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में आज भी वयोवृद्ध लोगों में मोतियाबिंद की संख्या बढ़ी हुई है और आप मोतियाबिंद के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं तो पता चलेगा कि आपने एक प्रक्रिया को किन्हीं कारणों से निर्णय करने में चूक गये हैं। कोई रेयर घटना घटती है, लेकिन आप उदाहरण मान करके उस प्रक्रिया को बंद कर देंगे तो उसका दुष्परिणाम भी आता है। मैं आपको दो दुष्परिणाम बताता हूं। पहले आपने गांव में कैंप लगाने के लिए सी.एस.सी.में संपूर्ण सुविधा देकर रखा हुआ था, वहां पर मोतियाबिंद का आपरेशन होता था जिसे आपने बंद कर दिया है। फेमली प्लानिंग की जो संस्थायें हैं जो कैंप लगा करके के करती थीं, आपने उस फैमली प्लानिंग की कैंप की प्रक्रिया को ही बंद कर दिया है। इसका परिणाम यह है कि हमारे यहां की जन्म दर पर हजार 22 प्रतिशत है और इंडिया की तुलना करते हैं तो 19.5 प्रतिशत है। इसका मतलब यही हुआ कि जन्म दर को कंट्रोल करने के लिए फेमली प्लानिंग करने के लिए हमारा प्रयास भी बहुत ज्यादा सार्थक नहीं है। क्योंकि आपने इसकी प्रक्रिया को भी बदला और प्रोत्साहन भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए दोनों बातें आ रहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मैं तो आपके विभाग में नहीं बोलूंगा, एकात लाईन बोलू दूंगा तो बोल दूंगा। लेकिन आप यह बताईये कि मानसिक रोगी जनता में बढ़ रहे हैं, कांग्रेस में बढ़ रहे हैं, सरगुजा में बढ़ रहे हैं या आप खुद पीडित हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- एक आकलन के हिसाब से लगभग 40 प्रतिशत आबादी मानसिक दबाव, मानसिक रोग भी कह लें, वह अलग से लगता है, प्रभावित है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अभी मुक्त हैं न?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं अभी करीब-करीब संतुलित ही हूं।

श्री सौरभ सिंह :- इतने के बाद भी।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग आपस में संवाद न करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, अब इससे अंदाज लगा लीजिए कि माननीय मंत्री जी का कथन है कि 40 प्रतिशत लोग मानसिक रोग के शिकार हैं। मानसिक बीमारी या मानसिक स्थिति समझ लीजिए। लेकिन इसका जीवन की किस बात पर प्रभाव पड़ेगा? मानसिक रोगियों की बढ़ती हुई संख्या का किस पर प्रभाव पड़ेगा? उस परिवार पर प्रभाव पड़ेगा, उसके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और हम अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण करने में असफल हो जायेंगे। इसलिए जिला सी.एस.सी. लेवल पर माननीय मंत्री जी की जो कल्पना है, वह देखने को मिल रही है कि सी.एस.सी. लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितना मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए, काउंसलिंग के लिए प्रयास किया। यह भी मायने रखता है। मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी को इन बढ़ती हुई चीजों को जानकारी है, लेकिन उनके द्वारा इसके निदान के लिए बिल्कुल कदम नहीं उठाये हैं और इसके कारण कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ते हुए ही क्रम में है। हम मानसिक रोगियों के जो विषय विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उन लोगों को हम नियुक्ति भी नहीं दे रहे हैं और विषय विशेषज्ञ भी नहीं बनाये तो छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसे रहेगी, इसकी कोई कल्पना नहीं है। यह तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यह ऑटो पायलेट में चल रहा है, जैसा चल रहा है, यह वैसा चल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एच.आई.व्ही. नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। आप एच.आई.व्ही. में देखेंगे तो इतनी facility आ गई है। जो इन रोगियों का प्रतिशत कम था, अभी वर्तमान में इन रोगियों का प्रतिशत बढ़ने लगा है, आपके स्वास्थ्य विभाग में लगभग 17461 लोग दवाई ले रहे हैं। अब आप इससे अंदाज लगाईये यह 17461 एच.आई.व्ही. लोगों से छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या होगी ? इतनी अच्छी दवाई आने के बावजूद भी आपका कंट्रोल रेट कितना है ? इस पर नियंत्रण करने का रेट ऑफ कंट्रोल कितना है, यह बताईयेगा? यह एक स्वास्थ्य की स्थिति है। माननीय मंत्री जी तो सरल, सहज और सीधे-साधे व्यक्ति हैं, लेकिन शरीर स्वास्थ्य विभाग में है, लेकिन मन नहीं है। अब वह क्यों नहीं है, उसको मैं नहीं कह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब, और कितना समय लेंगे? क्या है कि आज 5 माननीय मंत्रियों के विभाग में चर्चा करनी है। यदि हम अभी आधा घंटा देंगे तो फिर देर हो जायेगी। आप 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आप लोग जैसा सहन करेंगे, मैं वैसा चलाऊंगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं बेसिक बात कह कर अपनी बात रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- आज थोड़ा शार्ट में करेंगे। सहयोग करेंगे, तभी संपन्न होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा खूब सहयोग है। हम लोग सत्तारूढ़ दल से ज्यादा सहयोग कर रहे हैं।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- बोले के जरूरत ही नइ हे। सर्वसम्मति से पारित करवा दे न।

श्री अजय चंद्राकर :- उनके मंत्री बिल्कुल नहीं रहते। हम लोग यहीं रहते हैं, यही खाना खा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं रात्रि की भी भोजन की व्यवस्था करा दूं क्या?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ., अब तोर भाषण ल बंद कर।

श्री अजय चंद्राकर :- आप जैसा कह रहे हैं, वैसी हम लोग कर रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- तुहर कहना ल तो शुरू से मानत आवत हन। हमरो कहना ला तो मान लेहे करा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मान लेबो न। एक आवेदन बना कर लिख कर दें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी तैं हर एक ठन भी सहयोग नइ करें हस।

संसदीय सचिव (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- तैं हर अभी तक भांग वाला मांग नइ करे हस।

संसदीय सचिव (श्रीमती संगीता सिन्हा) :- हमन मानथन। हमन म्युट नइ करन।

उपाध्यक्ष महोदय :- आज कवासी लखमा जी नहीं हैं। वह शाम को भोजन करवा देंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इसीलिए तो थोड़ा अच्छा सा बोलने दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सुन न, आवेदन बना के दे दे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, कवासी जी कहां हैं?

उपाध्यक्ष महोदय :- वह आज रात्रि भोजन की व्यवस्था में हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कौन सी व्यवस्था में हैं?

उपाध्यक्ष महोदय :- वह रात्रि भोजन की व्यवस्था करेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह आपके काम के व्यवस्था के लिए गये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और अमरजीत भगत जी भी नहीं हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अमरजीत जी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मतलब आज दोनों नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, दोनों नहीं है तो आपका काम आसान हो गया। एक ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी, कवासी लखमा भाई बृजमोहन भाई के शाम की व्यवस्था के लिए गये हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंटेड बात करके समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं सुपेबेड़ा की एकदम प्वाइंटेड बात कह रहा हूं।

श्री बृजमाहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुपेबेड़ा में तो मंत्री जी फेल हो गये। तीन साल पहले मंत्री जी गये थे। सुपेबेड़ा में दूषित पेयजल से आज तक 100 से ज्यादा वनवासियों, आदिवासियों की मृत्यु हो गई है और आज तक वहां पर टेंडर नहीं हुआ है। इससे ज्यादा लज्जाजनक स्थिति क्या होगी कि सरकार में जिनका वजूद है, जिनको हम मानते हैं कि दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर की दौड़ में है और ऐसे मंत्री जी के जाने के बाद में वहां पर तीन साल में सुपेबेड़ा में पानी की व्यवस्था नहीं हुई है और आदिवासियों की मृत्यु हो गई है। इससे बड़ी लज्जाजनक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। मंत्री जी, इस मामले में तो आपको सरकार को कटघरे में लेना चाहिए। मेरे जाने के बाद में भी यही स्थिति बनी हुई है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन भाई, यह जो दिक्कत है न, वह आपके समय में शुरू हुआ था। उसको महाराज जी तो ठीक कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको मालूम नहीं है। हमारे समय में शुरू नहीं हुआ था।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके समय में ही शुरू हुआ था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इन्होंने कहा है कि पेयजल योजना बनाकर एक साल में पूरा कर देंगे। आज 4 साल हो गया और 4 साल के बाद भी वनवासियों की कीडनी के कारण, बीमारी के कारण, पानी के कारण मृत्यु हो रही है। उसके बाद भी सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। हमारे पी.एच.ई. मंत्री बोलते हैं कि पानी के कारण मृत्यु नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी अपने उत्तर में बता देंगे कि किसके कारण में मृत्यु हो रही है?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, उत्तर बतायेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोगों ने बीमारी शुरू करवाया था, उसके कारण मृत्यु हो रही है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सुपेबेड़ा वाले मामले में मंत्री जी का कथनी और करनी तो दिख गया। कितने विश्वासनीय लोगों को देकर आते हैं। उनका विश्वास खण्ड-खण्ड हो गया। जिस तरीके से सुपेबेड़ा के लोगों ने अपनी दर्द आपसे बयां किया। आपने किसी भी प्रक्रिया को न हॉस्पिटल का, न टेंडर का, किसी भी प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरा, जो मितानीन कार्यक्रम है। मितानीन कौन है कि जो आपके मैदानी कार्यकर्ता में आपके हेल्थ अमला को सपोर्ट करने वाला है। उन लोगों की जो मांगे हैं, उसको नहीं दिया और आपने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहीं उल्लेख नहीं है।

पता नहीं कि हिडन है। सरकार के द्वारा उसके पैसों का आंकलन बताया गया है कि इसमें 500 रूपये मिलेगा, इसमें 200 रूपये मिलेगा, इसमें 50 रूपये मिलेगा। यह सब ठीक है। लेकिन आपने कितने मितानीनों को कितनी राशि दिया? इसका कहीं उल्लेख हो तो बता दीजियेगा। किस जिले में कितनी राशि आवंटन दी गई। आप मितानीनों का कैसे उपयोग कर पा रहे हैं? जब तक आप बेहतर ढंग से मितानीनों का उपयोग करेंगे, यही मितानीन आपको ..।

श्री शैलेश पांडे :- भैया, आपकी सरकार ने मितानीनों को नियुक्त किया था। वह क्या काम करवाते हैं, यह आपको पता है। राम कथा में मटकी उठाने वाले काम करवाते हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांडे जी ठीक बोल रहे हैं । बहुत सही बोल रहे हैं । ये सही बोल रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिलीवरी केस में जो मृत्यु दर है वह आज के समय में बहुत कम हुआ है । आप कृपया इसको बताने की कृपा करेंगे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- 135 है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास मृत्युदर के आंकड़े हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बोला कि 40 परसेंट लोग मानसिक रूप से ग्रस्त हैं । मटकी उठाने से मानसिक शांति मिलती है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मितानिन लोग ही वे सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषक आहार दे रही हैं और उनका सब चीज कर रही हैं इसलिये आज जो मृत्यु दर है, जो कि डिलीवरी केस में होता है उसमें कमी आयी है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे भारतवर्ष में मितानिनों की कल्पना छत्तीसगढ़ से ही प्रारंभ हुई थी, हेल्थ को सपोर्ट करते थे ।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशीष सिंह) :- हम लोगों को मालूम है न कि कांग्रेस के समय में हुई है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मृत्युदर है । आपने उसमें कहा कि मितानिनों को सपोर्ट करना चाहिए । मेरा एक विषय है कि खुलकर सपोर्ट करना चाहिए ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- लेकिन उसे कलश उठाने वाला बना लिये हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें 22 परसेंट की कमी आयी है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपस में संवाद न करें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि हमें मितानिनों को सपोर्ट करना है तो मितानिनों की जो मांग है, चूंकि आप उस पर भी गंभीरता से कोई विचार नहीं कर रहे हैं और मितानिनों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वह सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं । मितानिनों को जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दवापेटी देने की बातचीत थी तो आपने कितने लोगों को दवापेटी दी ? और उस दवापेटी से किस तरीके से उसका उपयोग बेहतर ढंग से हो रहा है ? अभी उसका परिणाम है कि हमारा जो जन्मदर है, मृत्युदर है वह इंडिया की तुलना में अभी भी बढ़ा हुआ है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका भाषण में दम खत्म हो गया है । इनको बंद कराओ । आपके भाषण में कोई दम नहीं है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं है तो ठीक है । आपके में तो बहुत अच्छा दम था न । हम सब लोगों ने आपके दम को देख लिया है, आपमें जो अनावश्यक दम है उसको हमने देख लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको पेनीडोर का इंजेक्शन लगवाईये ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कौंसिल जहां अपनी दवाई वगैरह खरीद रहे हैं । आपने ऐसे-ऐसे उपकरण और ऐसी-ऐसी दवाईयों को परचेज किया है तो क्या आपने इन उपकरणों को सी.एस.सी. में दिया है ? जिले में दिया है तो जो उपकरण आपने सी.एस.सी. और जिले में दिये हैं तो क्या वहां पर उनके डॉक्टर हैं ? या केवल आपको उपकरण पहुंचाना है आपने वहां उपकरण पहुंचा दिया । रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं और एक्सरे मशीन पहुंचा दिया । रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं और सोनोग्राफी मशीन पहुंचा दिया । क्या ऐसा है ? तो कितनी जगह में ये मशीन का उपायोग नहीं हो रहा है ? आप बता दीजिये कि बहुत सारी सी.एस.सी. में जहां ऑपरेशन हो रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, सिजेरियन हो रहे हैं, किसी प्रकार के छोटे-मोटे ऑपरेशन हो रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के कितने सी.एस.सी. हैं जिसमें आपका ऑपरेशन कुछ भी नहीं हो रहा है और आपने अपग्रेड करके रखा हुआ है ? आपने वहां की व्यवस्था कैसे बनायी है ? आपका जो प्रशिक्षक है । जिस तरह से प्रशिक्षण देकर एनेस्थेटिस को आप प्रशिक्षण देंगे । जब एनेस्थेटिस प्रशिक्षण देंगे और इसकी प्रकिया होगी तभी वह ऑपरेशन करने के लिये सी.एस.सी. में आपकी मदद करेंगे नहीं तो ऑपरेशन करने के लिये कौन मदद करेगा ? सी.एस.सी. में ऑपरेशन नहीं करेंगे । दूसरा है कि जिन मेडिकल कॉलेजों में लापरवाही के कारण आपके ही जिले में लापरवाही के कारण, मेडिकल कॉलेज जैसी लापरवाही में एक्सपॉयरी डेट की बॉटलों का आप उपयोग करते हैं । वहां पर मरीज हलाकान हो रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉ. साहब आप सहयोग करेंगे । आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक विषय पर बोल रहा था । खाद्य औषधि की बात है । मेडिकल स्टोर में इतनी नकली दवाईयां बिक रही हैं । आपने 52-53 लोगों के यहां

छापा मारा लेकिन छापा में कैसे देते हैं, आप 5 दिन ससपेंड करते हैं । एक नशीली नकली दवाई बेचकर छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसमें इनका डिपार्टमेंट जाता है, वह पकड़ में आ जाता है, उसको पकड़ लेते हैं और सस्पेंड करते हैं, निरस्त क्यों नहीं करते ? निरस्तीकरण का क्यों नहीं है ? क्यों उसको दूध-भात देते हैं ? यह बहुत गंभीर है, एक तो आपने उसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया है, दूसरा इन लोगों को आप खुली छूट देते हैं कि हम लोगों का क्या होगा करके ? आप 2-3 दिन सस्पेंड कर रहे हैं । दूसरा है ।

श्री शैलेश पांडे :- दवाई घोटाला कब हुआ था ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी हो रहा है । पांडे जी, अभी आपने ही प्रश्न किया है कि बिलासपुर में कार्पोरेशन से कितनी दवाईयां आ रही है और कौन खरीद रहा है, कौन ठेकेदार है ?

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- आंखफोड़वा कांड हुआ था याद है कि नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय मंत्री जी अपना दिल भी इधर लगाएं और दिमाग भी इधर लगाएं इसी से विभाग पर आपका नियंत्रण आएगा और बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सेवाओं को अर्जित कर लेंगे । क्योंकि मंत्री जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता । इस मामले में मंत्री जी बहुत सही हैं। लेकिन मंत्री जी का दमदारी से एक्शन दिखना चाहिए, उस एक्शन की अपेक्षा है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप लोगों को सुविधा देते हैं लेकिन चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं देते, बहुत सारी बीमारियों के लिए उसके साथ मान्यता नहीं है । ऐसा करेंगे तो हमारे लोगों को कैसे लाभ मिलेगा ? एक तो हमने सरकार की ओर से चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को बहुत पैसा दिया हुआ है । आप किसी तरह से उसके साथ एलायंस नहीं करेंगे, उनके साथ जोड़ेंगे नहीं तो लोगों को कैसे फायदा होगा ? मंत्री जी, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं । छत्तीसगढ़ को और मजबूत बनाना है तो केन्द्र सरकार भी सुविधा दे रही है, राज्य सरकार भी सुविधा दे रही है, आप ज्यादा से ज्यादा हॉस्पीटल्स के साथ अनुबंध करें । निजी क्षेत्रों में भी आपके मरीजों को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा । आपने निजी क्षेत्र के अनुबंध को ब्लॉक करके रख दिया है । धन्यवाद् ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉक्टर विनय जायसवाल ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बहुत बढ़िया डॉक्टर । वो फर्जी डॉक्टर है ।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 19, 79, 7 एवं 50 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । डॉ. बांधी के बारे में बोल रहे हैं कि फर्जी डॉक्टर है, बृजमोहन अग्रवाल जी ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या बोला, एक बार फिर से बोल (हंसी) ।

डॉ. विनय जायसवाल :- बृजमोहन जी ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला (हंसी)।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हां (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- झोलाछाप है ऐसा बता रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- ये डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर हा वो डॉक्टर ला पढ़ाए हे । कइसे हे गुरू अउ कइसन होही ओकर चेला ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अपन गुरू ला फर्जी बोलत हे तो वो कतेक फर्जी होही सोच लो (हंसी)

डॉ. विनय जायसवाल :- मेरी स्मृति के अनुसार डॉ. बांधी ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. किया है और मेरी पूरी शिक्षा-दीक्षा रायपुर मेडिकल कॉलेज से हुई है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सौरभ भाई को धन्यवाद् देना चाहूंगा कि उन्होंने ही मुझे सुझाव दिया कि जब स्वास्थ्य की मांगों पर चर्चा होगी तो आप चिकित्सक हो, आप मंत्री जी से आग्रह करके उसकी शुरूआत करना । इसलिए मैं सौरभ भाई को भी धन्यवाद् दूंगा और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- 10 मिनट में अपनी बात रखेंगे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय दीजिएगा, 15 मिनट दे दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, जब हेल्थ की बात होती है तो हेल्थ की परिभाषा होती है । Health is defined as a state of complete physical, mental, social well being and not merely absence of any disease of infirmity.

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं आपको अभी तक सही में झोला छाप डॉक्टर समझता था ।

डॉ. विनय जायसवाल :- अभी अंग्रेजी बोला तो आपको समझ में आया होगा ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप मान गया भाई । (हंसी)

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं पम्मू भाई को इसका हिंदी में अर्थ बताना चाहूंगा।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- प्रमोद भइया, कपिल शर्मा का धंधा खराब करने वाले हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- भाभी जी कुछ रखे के हा बता ना । न वो डाहर न ये डाहर, पेंडुलम जइसे लटके हन ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- 40 प्रतिशत लोग मेंटल हेल्थ से प्रभावित हैं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं वही बता रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति तो उसकी अच्छी होती है और बीमारी या दुर्बलता की स्थिति यदि व्यक्ति की है शरीर में, तो भी हम उसको स्वास्थ्य की परिभाषा में नहीं लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सवा चार सालों में कांग्रेस की सरकार

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सवा चार सालों में कांग्रेस की सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार, माननीय यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव जी की सरकार ने स्वास्थ्य के उपर जो-जो भी नवाचार किए हैं, जो-जो भी कार्यक्रम लेकर आए हैं, निश्चित रूप से आज जितने भी पैराग्राफ हेल्थ के हैं, जितने भी स्वास्थ्य के सूचकांक हैं, उसमें पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य की वृद्धि हुई है। हमारे साथी बार-बार केवल आलोचना करने वाली बात करते हैं, किसी भी विभाग की चर्चा हो, यह लगातार आलोचना करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 सालों में हेल्थ की जो स्थिति थी, उसकी क्या दुर्गति हुई, किस तरह से दुर्गति हुई, पूरा छत्तीसगढ़ इस बात को देखा है ? जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सत्ता शासन था तो इन लोगों ने कहा था कि सभी तहसील, जिला अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे, सभी आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करेंगे। यह इनके घोषणा पत्र में था। इन्होंने कहा था कि 146 विकासखंडों में 1500 से अधिक दाल भात सेंटर खोले जाएंगे। यह बहुत अच्छी योजना थी। यह बोलने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 146 विकासखंडों में 1500 से अधिक दाल भात केन्द्र खोल जाएंगे और 5 रूपये में जो पौष्टिक आहार है, वह मरीजों को और मरीजों के परिजनों को जो वहां पर आकर ईलाज कराते हैं, उनको देने का काम करेंगे। लेकिन 15 सालों में कौन सा दाल भात सेंटर खुला ? छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण की स्थिति थी, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक चिकित्सक के रूप में बोलूं तो जो कुपोषण है, वह एक अभिशाप है। समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अभिशाप है। जब हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, हमारे पास तमाम स्वास्थ्यगत ढांचा है, वह लगातार बढ़ रहा है, अगर इसके बाद कुपोषण की स्थिति इतनी गंभीर होती है तो वह हमारे माथे के उपर कलंक है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना थी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की योजना मुख्यमंत्री सुपोषण योजना गांधी जयंती के दिन लागू की गयी, आज जो कुपोषण है, उसका ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे गिरा है। जब हम लोग शुरू-शुरू में विधायक बने थे, उस समय सुपोषण के लिए बहुत नवाचार हुआ था। हम लोगों ने उस समय अंडा देने की बात कही थी। यह जो तमाम बैठे हुए लोग हैं, उस चीज का विरोध किए थे। किसलिए विरोध किए थे, मुझे नहीं पता। एक डॉ. बांधी भी है, सभी इस बात को जानते हैं कि जो अंडे की उपलब्धता कराने की बात थी और मिल्क में देने की बात थी, उससे ज्यादा सस्ता और सुलभ प्रोटीन का जो सोर्स है, वह हो नहीं सकता।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने अंडे का विरोध किया, वह समझ में आता है। यहां तक कि धर्मजीत भैया भी मुखर होकर अंडे का विरोध किए। यह समझ से परे था।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अमरजीत जी, क्या है, आप तो अमर हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अंडे का विरोध नहीं किया। मैं अंडे के प्रोत्साहन के लिए कल से तर्क दे रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी अंडा खाते नहीं, अंडा वाला विभाग उन्हीं के पास है। मैंने अंडे का विरोध नहीं किया था, मैं तो अंडे का समर्थक हूं। मैं अंडा भी खाता हूं और अंडे की मम्मी को भी खाता हूं। आपको तो बताया था ना। (हंसी)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भैया कोई ऐसी दवाई इजाद किए हैं कि मुर्गा तक अंडा देता है। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे :- वे कल से लेकर आज तक अंडे के पीछे पड़े हुए हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इंटर डिपार्टमेंटल को-आर्डिनेशन है। हम महिला बाल विकास की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मुर्गों से भी बात कर चुके हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, आज अखबार में छपा है, लोग बहुत आनंद लूटे। कभी कभी क्या है, थोड़ा ऐसा हंसी मजाक होते रहना चाहिए। अब पंडित जी जब मुर्गे से बात करेंगे तो किस मुर्गे की मजाल है कि वह अंडा नहीं देगा। (हंसी)

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा जब नवाचार की बात करते हैं, हमारी सरकार जो नवाचार कर रही है, सभी विभागों में जो नवाचार कर रही है। उसके बारे में बात करते हैं तो यह लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना जो स्वास्थ्य विभाग की है, इसके साथ-साथ मैं शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की भी बात करूंगा। जो जेनेरिक मेडिसीन की दवाई दुकान है, उसकी भी बात करूंगा। जो स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकाय दोनों के समावेश से इस योजना का संचालन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले पूरे प्रदेश में हमारा यह स्वास्थ्य विभाग हमारी माताओं के गर्भाशय को निकालने के नाम से जाना जाता था। (शेम-शेम की आवाज) इसके पहले स्वास्थ्य विभाग की पहचान अखफोड़वा काण्ड के नाम से थी। इसके पहले स्पूरियश ड्रग और मिलावटी ड्रग के नाम से इसकी पहचान थी। हमारी माताओं और महिलाओं को चूहा मारने की दवा...।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ विनय जायसवाल जी, दो मिनट।

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय खाद्य मंत्री, श्री अमरजीत भगत की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. जायसवाल जी।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाना है पीने वाला कहां है ? खाना की व्यवस्था तो इनके द्वारा हो जाएगी लेकिन पीने वाले कहां गये ? (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- वह आ जाएंगे।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह हमारी निर्दोष माताओं को चूहे मारने की दवाई वाली सिप्रोफ्लोक्सेसिन खिलाकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते थे। अखफोड़वा काण्ड इनकी और इनके स्वास्थ्य विभाग की पहचान थी और गर्भाशय काण्ड इनके स्वास्थ्य विभाग की पहचान थी। सुन लीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी आत्मा भटक रही है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- देखिये, दवाई की मिलावट हुई लेकिन प्रोसिजर की मिलावट नहीं नहीं हुई। इसी कारण से उसने फैमिली प्लानिंग का प्रोसिजरली बंद कर दिया। यह छत्तीसगढ़ है। (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- डॉ. साहब, मैं बोल रहा हूं उसको सुनिये तो। आप मुझे बोलने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- विनय जी।

डॉ. विनय जायसवाल :- मुझे बोल लेने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- विनय जी, आप हमारी सरकार की तो पहचान बता रहे हैं लेकिन जरा आप मंत्री जी की भी पहचान बताइये। पलायनकर्ता मंत्री, जो अपना काम नहीं कर सके तो अपना एक विभाग छोड़ने वाले मंत्री, सरकार पर आरोप लगाने वाले मंत्री, मुख्यमंत्री जी के ऊपर षडयंत्र का आरोप लगाने वाले मंत्री। आप अपने जिस मंत्री जी के पक्ष में बोल रहे हैं उनकी पहचान तो बताइये।

डॉ. विनय जायसवाल :- यह सब आप बताइये। जो इस छत्तीसगढ़ की जनता के लिए चीज है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मंत्री जी ने उन सारी बातों को नकार दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिवरतन जी मुझे एक जगह भी बता दें। उस दिन आप पत्र दिखा रहे थे कि मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने षडयंत्र किया है। आप मुझे एक जगह भी दिखा दीजिए कि षडयंत्र शब्द का उपयोग हुआ है। क्या मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि आप मेरे लिए षडयंत्र कर रहे हैं ? आपको इतनी तो समझ रखनी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और अपनी पीड़ा व्यक्त की। उस पीड़ा में 4-5 बातें महत्वपूर्ण थीं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उसमें मुख्यमंत्री जी ने षडयंत्र किया है ऐसा एक भी शब्द नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप यह बताइये कि आपने पत्र में लिखा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके समिति बनाई गई। यह समिति किसके आदेश पर बनी थी ? यह समिति मुख्यमंत्री जी के आदेश पर बनी थी। आपने लिखा है कि मैंने बार-बार निवेदन किया उसके बाद भी 8 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गये। आपने यह आरोप पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था। आपने रोजगार सहायक और शासकीय कर्मचारियों की स्ट्राइक की बात की, ये सारे विषय तो मुख्यमंत्री जी से संबंधित थे तो आरोप भी मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगाये गये। (व्यवधान)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं उस बात पर आज भी कायम हूं। यदि आपको याद होगा तो पिछले सत्र में बृजमोहन जी ने मुख्य सचिव जी के लिए क्या बोला था ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप आपस में ज्यादा चर्चा न करें। शर्मा जी, मुझे 6 विभागों पर चर्चा करानी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको एक लकीर में बोलना चाहता हूं, न आप चिट्ठी लिखो और न कुछ करो।

नजर से नजर में मुलाकात हो गई।

रहे दोनों चुप लेकिन दो बात हो गई।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां आप बैठे हैं और वहां वह बैठे हैं। आप नजर से नजर मिलना लीजिए। आप दोनों चुप रहिये और बात भी हो जाएगी। आप चिट्ठी क्यों लिखते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि नजर से नजर की मुलाकात हो गई, पर बात नहीं बनी।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शर्मा जी। आपस में ज्यादा चर्चा न करें। अनावश्यक न बोलें।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग में इनके गले तक इनकी छवि खराब है। मैं जिन बातों को बोल रहा हूं उसमें शिवरतन शर्मा जी बार-बार उठकर उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार यदि पूरे छत्तीसगढ़ में।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके भाषण की सफलता इसी में है कि आपके भाषण के समय 2-4-8 लोग टोंके। यदि नहीं टोंकेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग तो आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप बोलिये। (हंसी)

डॉ. विनय जायसवाल :- ठीक है, फिर आप टोंकिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- क्या रंजना जी खड़ी हा जाएं ? (हंसी)

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं भाषण के दौरान रंजना जी को बोलूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक डी.के.एस. अस्पताल है, दरअसल वह दामाद कल्याण स्कीम था। अभी यह घोटाले और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग से इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और जो कलंक जुड़ा हुआ है, वह

छत्तीसगढ़ का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मैं अभी मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनीक योजना की बात कर रहा था। यह योजना है, वह पूरे छत्तीसगढ़ में जो अंतिम श्रेणी का व्यक्ति है, वह इस योजना से लाभान्वित हो रहा है । मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना चालू हुई, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना चालू हुई, उसमें लाखों ओ.पी.डी. आज दिनांक तक हो चुकी हैं । लोग बाजार के पैथालॉजी सेन्टर में जाते हैं तो जांच कराने में हजारों रूपए लगते थे, वह लोगों के ऊपर आर्थिक रूप से बड़ा बोझ होता था, आज हमारी सरकार की जो स्कीम है, उसके माध्यम से सारी जांच हो रही है । उसके लीवर, किडनी की जांच हो रही है। उसके लिपिड प्रोफाईल है, उसकी जांच हो रही है । ये सब जांच कराने के लिए लोगों को कितना दूर जाना पड़ता था, कितना पैसे खर्च करने पड़ते थे, इस बात को आपको बताने की जरूरत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से मैं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की बात जरूर करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आयुष्मान योजना में 5 लाख रूपये तक नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान है । इसके अलावा डॉ. खूबचंद बघेल योजना में 50 हजार रूपए तक ईलाज का प्रावधान स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है । स्वास्थ्य विभाग की योजना से लोग लगातार लाभान्वित हो रहे हैं । इसके अलावा मैं मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना की बात जरूर करना चाहूंगा । पूरे देश में 20 लाख रूपये तक का ईलाज आज हर परिवार करा रही है । मैं एक छोटी सी सच्ची घटना को बताना चाहूंगा । उस समय बैकुन्ठपुर से भैयालाल राजवाड़े मंत्री हुआ करते थे । उन्होंने मुख्यमंत्री जी से किसी का 3 लाख रूपए का ईलाज कराया था और उसका खूब ढिंढोरा पीटा था कि मुख्यमंत्री ने 3 लाख रूपए इलाज के लिए दे दिया, वे भगवान हो गए । उस बात को तमाम अखबारों में बोला गया था । आज इतने सारे विधायक यहां बैठे हुए हैं, ये लोग सप्ताह में किसी मरीज का 7 लाख रूपए का ईलाज करा रहे हैं, किसी मरीज का 12 लाख रूपए का ईलाज करा रहे हैं । अगर हम लोग आंकड़ा देने लगेंगे तो हमें सप्ताह में हर दिन ये आंकड़े देने पड़ेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- डॉ. साहब, यह वास्तविकता से बहुत दूर है, सही में ईलाज नहीं हो रहा है । आप इसके सिस्टम को सुधारें । प्राईवेट अस्पताल वाले लोग अत्याचार मचाकर रखे हुए हैं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- उपाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना में 20 लाख रूपए तक के ईलाज का प्रावधान है, उसमें सरकार ने 87 करोड़ रूपए खर्च कर दिया तो उसमें गाय-बैल का ईलाज हो गया क्या ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पता नहीं कहां ईलाज होता है, पर कई लोगों से पैसा लिया जाता है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल लिया करो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपस में चर्चा न करें । समय का ध्यान रखे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें न केवल बीपीएल परिवार, बल्कि कोई सबल परिवार है, एपीएल परिवार है, अगर उसको किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो ये

सारे ईलाज में कोई ईलाज 15 लाख रूपए में, कोई ईलाज 20 लाख रूपए में होता है, इसके पहले छत्तीसगढ़ में लोगों को अपना ईलाज कराने के लिए गहना, घर, जमीन बेचना पड़ जाता था । आज मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से जो हमारे एपीएल परिवार हैं, उनके लिए भी नियमों में शिथिल करके उनका ईलाज कराते हैं, उनको लाभ पहुंचाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमर अस्पताल की योजना है, उसका विस्तार चार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हुआ है और आने वाले समय में इसका विस्तार पूरे प्रदेश में होगा । जो हमर अस्पताल की जो परिकल्पना है, वह मॉडर्न अस्पताल की परिकल्पना है । अगर जो भी चीज दिल्ली में होती है तो उसका खूब यशगान होता है कि वह चीजें दिल्ली में हो रही है । छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद जैसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, हमर अस्पताल के रूप में जो तमाम क्लीनिक हैं, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के नगर निगम की बात करूं तो हमर अस्पताल के रूप में, हमर लैब के रूप में लगभग 10 ओपीडी क्लीनिक हैं, उसका विस्तार हुआ है । आज हमर अस्पताल में एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, लैब के साथ में वहां हर दिन लगभग 40 से 50 ओपीडी होती है । 4-5 मोहल्लों के बीच में हमर अस्पताल की जो योजना है, वह सफलता के नये आयाम को गढ़ रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य मितानीन की बात कर रहे थे । उनका वेतन 4600 रूपये से औसत 6800 रूपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है । मानव अंग प्रत्यारोपण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय इस पर कोई काम नहीं हुआ था। पता नहीं क्या था ? प्रशासनिक कमी थी या क्या था, इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन कार्यालय की स्थापना हो गई है। आज हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट के मामले हैं, वह होने लगे हैं। अब इसके लिए हैदराबाद, मुम्बई या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से डायलिसिस की बात करूंगा। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि लगभग 40 प्रतिशत लोग मानसिक बीमार हैं, यह पूरे देश के बारे में बता रहे थे। यदि पूरी दुनिया का डेटा देंगे तो आज मानसिक असंतुलन की स्थिति और ज्यादा खराब है। हम लोगों को यहां पर भी देखने को मिलता है। यहां उनको भी लगातार जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप शराबबंदी की बात करते हो। आप कैसे शराबबंदी कर दोगे ? शराबबंदी के लिए कमेटी बनी हुई है। इसके अलावा रायपुर और अम्बिकापुर में जो मेन्टल हास्पिटल है, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मजाक तो बहुत हो गया। डब्ल्यू.एच.ओ. का कहना है कि हर जिले में मानसिक अस्पताल होना चाहिए। लेकिन इन्होंने 15 सालों में क्या किया ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये डॉ. साहब समाप्त कीजिये। आज 6 मंत्रियों के विभागों पर चर्चा कराना है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं 2-3 मिनट में खत्म करता हूं। आज मेन्टल हास्पिटल खुलने से निश्चित रूप से जो बहुत सारी समस्याएं हैं, सुसाइड की समस्या है, केवल नशे की बात नहीं है, जो बहुत सारे मानसिक विकार हैं, उससे हमारे लोगों को लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मलेरिया की बात करूं, जब मेरी खुद की एम.बी.बी.एस. खत्म हुई थी और जब मैं रूरल सर्विस कर रहा था, तब केवल मलेरिया से मृत्यु होने के कारण हमारे यहां का बी.एम.ओ. निलंबित हुआ था। इन 4 सालों में परजीवी सूचकांक है, वह बताना चाहता हूं। वह सन् 2018 में 2.63 था, लेकिन आज सन् 2023 की स्थिति में .94 पर हैं। हमारा 1 से भी कम परजीवी सूचकांक है। अगर आप नवीन मेडिकल कालेजों की बात करेंगे, आपने चिरमिरी में बहुत बड़ी सौगात के रूप में सिविल अस्पताल के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है और उनके लिए पद स्वीकृत किया है। मैं इसके लिए बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य में बोलने के लिए बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आप बिलकुल समय नहीं दे रहे हैं। यह मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, आपको डॉ. बांधी से ज्यादा समय दिया हूं। चलिये धन्यवाद। श्री सौरभ सिंह जी।

श्री यू.डी. मिंज :- डॉ. विनय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार के समय में सन् 2018 में पी.जी. 119 सीटें थीं, अभी सन् 2023 की स्थिति में 421 पी.जी. की सीटें हैं। पी.जी. की 300 सीटें बढ़ाई गई हैं। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, जायसवाल साहब।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेन पावर में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। यदि ये आरक्षण विधेयक को ठीक-ठाक समय पर करवा दें तो बहुत सारी भर्तियां हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, और अलग से समय देंगे।

डॉ. विनय जायसवाल :- बस, ये आखिरी है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज हर ब्लाक में जो अस्पताल होता है, वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है। खड़गवां का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां का जो अस्पताल है, वह 30 बिस्तर का अस्पताल तो है, लेकिन उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मान्यता नहीं है। माननीय मंत्री जी, आज अगर उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खासकर स्वास्थ्य का जो विषय था, यह मेरा पंसदीदा विषय था।

उपाध्यक्ष महोदय :- जायसवाल जी, आपकी जो नाराजगी है, मैं आपको प्रथम वक्ता से ज्यादा दिया हूं। आप समय देख लीजिये। श्री सौरभ सिंह जी।

डॉ. विनय जायसवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो बड़े-बड़े डाक्टर बोले हैं। अब स्वास्थ्य विभाग में क्या बोले, हम कम्पाउण्डर, थोड़ा-बहुत बाद में बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- अभी शर्मा जी बोले, झोलाझाप डाक्टर।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है कि वास्तव में असली वाला डाक्टर कौन है ?

श्री केशव चन्द्रा :- सौरभ सिंह भईया झोलाझाप डाक्टर हैं क्या ?

श्री सौरभ सिंह :- हां, हमन झोलाझाप डाक्टर हन, अउ का ?

उपाध्यक्ष महोदय :- पाईण्टेड बात बोलिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- डा. धर्मजीत सिंह लिखते हैं, डॉ. डहरिया जी भी हैं, असली ईलाज वाला डाक्टर कौन है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपस में चर्चा ना करें।

डॉ. विनय जायसवाल :- जो खलबट्टा वाले डाक्टर हैं, वह 15 साल राज किए हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर दो और विभाग हैं। वैट और जी.एस.टी. मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार को एक बड़ा राजस्व का भाग वहां से आता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार का जी.एस.टी. का टारगेट 14,268 करोड़ रूपया रखा गया है, जो 19 परशेंट वृद्धि है । हमारा जो राजस्व बढ़ेगा, वह जी.एस.टी. से बढ़ेगा, बार-बार जी.एस.टी. को कोसा जाता था, माननीय मंत्री जी उस चीज को समझ रहे हैं । विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट टैक्स और इन्डायरेक्ट टैक्स का जो उत्पाद होता है, इन्डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है । परशेंटेज में डायरेक्ट टैक्सेस कम होता है, इसलिये यह जी.एस.टी. आया था । यह उनकी सरकार में ही कल्पना की थी, वह अलग बात थी कि वह राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी कि वह जी.एस.टी. को सेंट्रल गवर्नमेंट रोल आऊट कर पाये और उसका फायदा यह मिल रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 7900 करोड़ का टारगेट जो 35 परशेंट ऊपर है, वह वेट का है, सभी चीजों पर जी.एस.टी. लगती है, जी.एस.टी. के बाद जो लगता है, वह वैट टैक्स दारू के ऊपर लगता है और पेट्रोलियम प्रोडक्टस में पेट्रोल डीजल के ऊपर लगता है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो रेट हैं, केन्द्र सरकार ने 21 मई 2022 को पेट्रोलियम पदार्थ का रेट गिराया था । राज्य सरकार ने 1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत गिराया था, आज भी गैर भाजपा शासित राज्यों में 100 रूपया के ऊपर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है । आप जनहित में गिरा दीजिए ना, 35 परशेंट आप वैट को बढ़ा रहे हैं, टैक्स है वह 30 परशेंट बढ़ जायेगा, 25 परशेंट बढ़ जायेगा । दिल्ली का कितना है, छत्तीसगढ़ का कितना है, मैं ब्रेक अप बता दूंगा । आपका जो रेट है, आप इंडिया के टॉप 5 में हो,

सबसे ऊपर हैं । आप रेट को क्यों नहीं गिरवाते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के प्रतिवेदन में आया है...।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- सौरभ, एक और डॉक्टर साहब आगे ।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ जी.एस.टी. की 4060 करोड़ रूपया की बकाया राशि है, यह आपके प्रशासनिक प्रतिवेदन में है, यह बकाया राशि क्यों है, यदि बकाया राशि डिस्प्यूट में हैं तो डिस्प्यूट मेकानिज्म क्यों नहीं बनाये और जी.एस.टी. के जो कमिश्नर होते थे, वह ई.डी. में अंदर है । यह जी.एस.टी. में क्या खेल हो रहा था, जो व्यापारी लाईन में नहीं आ रहा है उस पर आप जी.एस.टी. का रेड मारेंगे ? जी.एस.टी. के रेड के बाद कार्यवाही करेंगे ? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह जो 4060 करोड़ रूपया बकाया है, यहां का राजस्व है, जो आपको अतिरिक्त मिलना था, जो आपके शासकीय प्रतिवेदन में है, वह क्यों नहीं मिल रहा है और इसके लिये क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय,जी.एस.टी. में एक और गड़बड़ी नीचे के स्तर पर होती है, जो सीमेंट दुकानें हैं, वह ठेकेदारों को जी.एस.टी. का बिल चना-मुर्रा जैसे बांटते हैं, उसमें 2 परशेंट और 3 परशेंट लेते हैं, वहां से जी.एस.टी. का खेल चलता है, वहां से नुकसान होता है । मेरा आपसे आग्रह है कि एक बार पूरी समीक्षा होनी चाहिये । साढ़े चार साल में इसकी समीक्षा नहीं हुई है, यह एक ऐसा सेक्टर है, जिससे हम अपने राजस्व को और बढ़ा सकते थे, जो नहीं बढ़ा है । कहानी वही है, माफिया राज और वही खेल की सेटिंग है, इसको बढ़ाया जा सकता था । जनपद में जो भुगतान होते हैं, चाहे मनरेगा का भुगतान हो, सामग्री का भुगतान हो, वहां कोई टैक्स नहीं लिया जाता है और उसका कहीं पर कोई आडिट नहीं है । ऐसी जगहों को क्यों चेक नहीं किया जाता है, आडिट से राजस्व को बढ़ाया जा सकता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा । 108 एम्बूलेंस सेवा, एक कंपनी जय अम्बे जिसका संचालन कर रही है । ई.ओ.डब्लू. में उसका केस है । ऐसी कंपनी जिसका ई.ओ.डब्लू, में केस पेंडिंग है, आप उसको संचायन करने दे रहे हैं ? उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ? मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि 108 के संचालन की बहुत बुरी स्थिति है । आधे जगह वह कॉल के नंबर नहीं उठते हैं, नंबर उठते हैं तो एम्बूलेंस नहीं आती है, एम्बूलेंस कहां पर खड़ी है, यह पता नहीं है । यह सारी 108 की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था चरमरा गई है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, इसी सत्र से यहीं से हमने पास करके भेजा है । सरकार ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिये करोड़ो रूपये दिया। अब कोर्ट का आदेश आया है, वह माननीय मंत्री जी जान रहे हैं। उस कॉलेज के प्रबंधन ने रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ संचालन करने के लिये पहले एक एग्रीमेंट किया था। जिसमें हाई कोट ने स्टे दिया है, रोक लगा दी गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार का पैसा चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में लगा है। आप अपने जवाब में कृपापूर्वक यह बताये कि क्या वहां कोर्स चालू हो गया ? वहां कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ? 1st, 2nd,

3rd ईयर, किस-किस ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं ? हाई कोट के आदेश के बाद उसके परिचालन का क्या होगा ? इस पर कृपापूर्वक बताये।

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी एक सी.जी.एम.एस.ई. एजेंसी है। दवाई सप्लाई तक ठीक है, हमारे बहुत से सदस्यों ने दवाई सप्लाई बोला, वह ठीक है। वही एजेंसी कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है और यहां पर सारे विधायक बैठे हैं। आयुष्मान भारत योजना से पैसा आया, अन्य किसी योजना, एन.एच.आर.एम. से पैसा आया, वह उस पैसे पर काम करते हैं। एक भी जगह पर गुणवत्ता से काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार कौन है किसी को नहीं पता है। वह कहां पर क्या भवन बना रहे हैं किसी को नहीं पता है। कहीं पर 06 बिस्तर का भवन बना रहे हैं, कहीं 22 बिस्तर का भवन बना रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सौरभ भैया, संभाग में एक ही सब इंजीनियर है, वह भी संविदा में।

श्री सौरभ सिंह :- यह देखिये, सुन लीजिये। एक ही सब इंजीनियर है और वह भी संविदा में है और उसके भरोसे करोड़ो का काम है। कोई मॉनिटरिंग है। इनको पता नहीं है कि उसकी क्या व्यवस्था चल रही है। सी.जी.एम.एस.ई. द्वारा घटिया निर्माण किया जा रहा है और सरकार के पैसे का सर्वस्व अपव्यय किया जा रहा है । आपको नहीं करना है तो आप छोड़ दीजिये, यह काम सी.जी.एम.एस.ई. क्यों करें ? आप पी.डब्ल्यू.डी. को, आर.ई.एस. को एजेंसी बना दीजिये। बहुत सारे निर्माण विभाग है, उनको एजेंसी बना दीजिये। सी.जी.एम.एस.ई. क्या काम करेगी ? उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। मैंनेा इसी बार प्रश्न लगाया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरे जिले में आधे से ज्यादा काम अधूरे है और सभी सम्माननीय विधायकों के क्षेत्र में काम अधूरे होंगे। जब वह 5 साल में एक बिल्डिंग नहीं बना पाये तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं। मैं अंत में अपनी एक बात कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो बात कही थी और माननीय मंत्री जी की बात पर विश्वास था कि छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेल्थ केयर आयेगा। लेकिन यहां साढ़े 4 साल में न तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर आया, न आयुष्मान भारत के कार्ड ठीक से बने और जो भी बातें हमारे पक्ष के सदस्य बोल रहे हैं, यह बात सत्य है कि छत्तीसगढ़ का अंतिम और गरीब व्यक्ति अपना इलाज करने के लिये दर-दर भटक रहा है। जो प्राईवेट अस्पताल है, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, वह जो मर्जी में आये वह चार्ज करते हैं। यदि प्राईवेट अस्पताल में कोई आदमी अंदर चला गया, सभी माननीय सदस्यों के पास फोन आता है कि हम यहां पर है, हमारी यह समस्या है, यह प्राईवेट अस्पताल वाला इतना पैसा ले लिया। क्या माननीय मंत्री जी ने प्राईवेट अस्पताल वालों के लिये कोई व्यवस्था बनाई है ? क्या वह लूट लेंगे, क्या वे पूरे छत्तीसगढ़ को लूट लेंगे ? कोरोना काल में प्राईवेट अस्पतालों में जिस तरह से लूट चली, वह प्राईवेट अस्पताल की लूट आज भी जारी है। कोई डायग्नोसिस नहीं है, किसी भी तरह का कुछ सिस्टम नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जाते-जाते आग्रह करूंगा कि अपोलो बिलासपुर से लेकर जितने प्राईवेट अस्पताल है, आप उन पर कुछ न कुछक तो अच्छा कर जाये। आपसे

इस प्रदेश को बहुत आशाएं और अपेक्षाएं थी। यह कुछ नहीं हुआ तो आप कम से कम प्राईवेट अस्पताल के ऊपर नकेल कस दें। आपने बोलने के लिये समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री उमेश पटेल :- सौरभ सिंह जी, जाते-जाते नहीं। हम फिर से आने के लिये जा रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाबा साहब की योग्यता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। हम लोगों को बाबा साहब के अपने विभागों को चलाने के प्रयास में भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों कई मामलों में आपका निर्णय कारगर नहीं हो पा रहा है। मैंने इसी विधान सभा में एक दिन कहा भी था कि सबसे अलोकप्रिय विभाग, स्वास्थ्य विभाग होता है। उसको कोई लेना पसंद नहीं करता, आपने चुनौती स्वीकार की। मैंने यहां मुख्यमंत्री जी से इसी सदन में बोला था कि सब ताली वाला विभाग मुख्यमंत्री जी के पीछे है और गाली खाने वाला सब विभाग बाबा साहब से शुरू होकर बाबा साहब के पीछे तक है, मतलब जनता के विरोध वाला विभाग। सरकार एम.बी.बी.एस. के डॉक्टर को पढ़ाने के लिये करोड़ों रूपया खर्चा करती है। वह एम.बी.बी.एस. के लड़के परीक्षा पास होने के बाद जब डॉक्टर बनते हैं तो उनको कम्पलसरी दो साल तक गांव में रहना चाहिए। लेकिन गांव में कोई भी जाता नहीं है तो गांवों में स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मजबूत होगी? जब तक वह गांवों में जाएंगे नहीं। छत्तीसगढ़ के बच्चे यहीं पढ़ते हैं और पता नहीं, एम.बी.बी.एस. होने के बाद क्या हो जाता है कि वह गांव जाना पसंद नहीं करते हैं। उसके लिए जितने कड़े से कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, आप वह जरूर बनाईएगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए। माननीय चन्द्राकर जी, एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप दो मिनट मेरी बात सुनिए। मैं अभी तो बहुत ऊंची बात कहने वाला हूँ। मुझे दो मिनट बोलने का मौका दे दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम पौन 9 बजे तक बैठ जाएंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम रात के 12.00 बजे तक बैठ जाएंगे। हमारे पास क्या काम है? हम रायपुर इसलिए तो आते हैं...।

उपाध्यक्ष महोदय :- लेकिन इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं है तो आप दे दीजिए। मैं भी उपाध्यक्ष रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने इसलिए तो आपको बोलने का समय दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो कई विभागों में पौन घण्टे तक बोलने देता था, जो कुछ बात करे तो उसको बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उपाध्यक्ष हैं तो आपसे उम्मीद है। आप तो बढ़िया चला रहे हैं हमने तो तारीफ भी की है। आपका इतना तो बनता है। मैं बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के समय था, श्री अजीत जोगी ने उसका उद्घाटन किया था और एक जिला अस्पताल की बिल्डिंग में उस सिम्स का अस्पताल शुरू हुआ। वहां से लेकर इन 22 सालों के सफर में सिम्स कई मशीनों से लैस हुआ। आपने वहां बहुत सी सुविधाएं बढ़ाई। आप खुद रूचि लेकर कई कमरों में एयर कंडिशन भिजवाए जहां पर बर्न यूनिट में नहीं था, लेकिन आज वह सिम्स अस्पताल बदहाली की स्थिति में है। मैं रोज पढ़ता है मैं अखबार की कटिंग नहीं लाया हूँ सिम्स में ऐसा कोई दिन भी बाकी न हो कि यह टेस्ट नहीं हो रहा है, यह मशीन खराब है, वह बंद है लिथोट्रेप्सी मशीन बंद है, एम.आर.आई. बंद है, पैथोलैब बंद है, यह सब सारी अव्यवस्थाएं हैं। वहां यह अव्यवस्थाएं क्यों है? वहां कोई न कोई कमियां होंगी या कोई न कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी कमी को तो जादू की छड़ी से तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप एक दिन पूरे सिम्स का निरीक्षण करिए। आपके जाने से सिम्स के गेट में जो गंदगी फैली है, वह साफ होगी और सिम्स के अस्पातल में जो मशीनें बंद हैं वह क्यों शुरू नहीं हुई, यह संज्ञान में आएगा। जब आपके संज्ञान में आएगा तो वहां पर व्यवस्था सुधरेगी। मैंने सिम्स की बिल्डिंग को अलग से बनाने की मांग की थी। वह बनारस के कचौड़ी गली जैसे बिल्डिंग है, उसमें बहुत दिक्कत होती है कि वहां कौन मरीज कहां भर्ती है, कौन, किससे, कहां मिलने जाएं, हम क्या करें, मैं उसका किस्सा कहानी बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। आप जवाब में यह जरूर बताईएगा कि आप सिम्स की बिल्डिंग को नया बनवा रहे हैं क्या? अगर आप नया बनवा रहे हैं तो वह सिम्स का भवन कब तक शिफ्ट होगा? जो सिम्स का भवन खाली होगा उसमें यहां पर आप कृपापूर्वक घोषणा करिए कि बिलासपुर संभाग में जिसमें अंबिकापुर पुराना भी आता था, अंबिकापुर संभाग, बिलासपुर संभाग, रायगढ़, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, पामगढ़, अकलतरा, कोरबा, इन सब एरिया में आंख का कोई भी एक बड़ा अस्पताल नहीं है। रायपुर में तो आंख के अस्पताल हैं वहां पर आंख का अस्पताल नहीं है। अगर शंकरा नेत्रालय के स्टैण्डर्ड के तर्ज पर, उसे आंख का अस्पताल बनाने के लिए प्रयास करेंगे या विचार करेंगे तो उसकी घोषणा जरूर करिएगा। कोई मानसिक अस्पताल का मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन मैं नहीं उड़ाता। जिसके घर में कोई एक बच्चा भी मानसिक रूप से परेशान हो जाए, वह पूरा घर मानसिक रूप से त्रस्त होता है इसलिए आप उसकी जितनी सुविधा बढ़ा सकते हैं, आप करिए। यह बहुत पुन्य का काम होगा क्योंकि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक या व्यक्ति पूरे परिवार और समाज के लिए समस्या पैदा कर देता है, उसको दूर करना जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दो बातें और कहना चाहता हूँ कि यहां प्रदेश में नशीली दवाईंयों का विक्रय बहुत तेजी से बढ़ा है। आपका जो अमला है उसे आप इतना निर्देशित करें कि जो

छोटे-छोटे बच्चे रूमाल में डालकर सोल्योशन सूंघते पड़े रहते हैं। मैंने खुद देखा है कोई भी उसके बाद नशे में इतना धुत्त होता है कि वह चक्कू रखकर किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है तो आप इसको रोकिए। आप आने वाली नई पीढ़ी को बर्बादी से बचाईये। आप फायर ऑडिट जरूर करवाईएगा। क्योंकि रायपुर में एक अस्पताल में आग लग चुकी है। अगर किसी अस्पताल में जो कि बिना मान्यता प्राप्त या बिना सर्वे के खोल देते हैं अगर कहीं दुर्घटना से आग लग गई तो कई लोग जलकर मर जाएंगे। इसलिए आप फायर ऑडिट करवाईये। किसी अस्पताल से व्यक्तिगत न शिकायत है और न मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन यह होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। आपने यहां पर एम्स बिलासपुर की बात रखी। आपने अपने बयान में यह कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी, अगर बिलासपुर में एम्स कभी आता हो तो बिलासपुर में ही उसके प्रारंभ करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए, आपने सैद्धांतिक रूप से उसकी मांग की है मैं चाहता हूँ कि आप अपने बजट भाषण में एम्स को बिलासपुर में ही खोला जायेगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें। एम्स खोलने के लिए आप दिल्ली की सरकार से जो भी लिखा-पढ़ी कर सकते हैं वह करें और हो सके तो एक शासकीय संकल्प विधानसभा में पेश करिये ताकि हम सब उसको पास करें कि बिलासपुर में एम्स खुले। बिलासपुर मतलब बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा ये सब होता है। आप इसको खोलने के लिए स्पष्ट रूप से मदद करियेगा और ग्रामीण अंचल में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करियेगा। मैं समझता हूं कि आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपकी नियत बहुत साफ है, आप बहुत अच्छे उद्देश्य से काम करना चाहते हैं। कुछ मजबूरियां होती हैं, "कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही काई बेवफा नहीं होगा।" तो कुछ न कुछ मजबूरियां आप दोनों के बीच में हैं इसीलिए थोड़ी दूरियां बढ़ गई हैं। आप बहुत मुस्कुराते भी रहते हैं। "तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो।" माननीय मंत्री जी मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी ताकत से जब तक यह दायित्व आपके कंधे पर है, स्वास्थ्य की सुविधाओं को ध्यान देकर मजबूत करेंगे। हम सबको भी भरोसा है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में आपकी संवेदनशीलता के कारण हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छा ही होगा। कम से कम हमारे बिलासपुर के सिम्स को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कराईये। बिलासपुर की जो इमारत इतने करोड़ो रुपये की बनी हुई है, उसमें एक बेहतरीन आई हॉस्पिटल खोलने के लिए आप विचार करके कम से कम विधान सभा में इसकी घोषणा करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। माननीय एक विषय तो ऐसा है कि जो बोरई का मानसिक चिकित्सालय है, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी, जे.पी. नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, NIMHANS के साथ बातचीत हुई थी और NIMHANS

ने काम भी चालू किया था। आप जो संख्या बता रहे हैं, बजट में दो कॉलेज भी मांगे हैं, वह center of excellence बने। माननीय धर्मजीत जी कह रहे थे कि मजाक उड़ाते हैं। मैं विपक्ष में विधायक था, इधर बैठता था, जोगी जी मुख्यमंत्री होते थे तो भी मेरा मानसिक स्वास्थ्य में प्रश्न लगता था। क्योंकि जितने अवसादग्रस्त हैं गृहमंत्री जी को उसको कोई चिंता नहीं है। छत्तीसगढ में आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या इस तरह के प्रकरण बढ़ रहे हैं और जो डिप्रेशन में हैं वह सर्दी, खांसी की गोली खा रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि हम डिप्रेशन मे हैं। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी जनसंख्या को नियमित counselling की जरूरत है। center of excellence बनाने की जो कल्पना की थी मैं सोचता हूं कि आप उसको छत्तीसगढ़ के हितों में साकार करेंगे। दूसरी बात छत्तीसगढ़ में खास तौर से ओ.बी.सी. के कुर्मी, साहू समाज है, उसमें सिकलसेल एक बड़ी चीज है। हमने सिकलसेल संस्थान की स्थापना की थी, उसमें माननीय मंत्री जी के बंगले को भी देना था। वह यदि छत्तीसगढ़ के प्रति संवेदनशील हैं तो जगतगुरू महोदय को अपना बंगला छोड़ देना चाहिए। जेल के सामने जो जमीन है, वह स्वास्थ्य विभाग की है। अब आपने इतना बड़ा विज्ञापन दिया है नया रायपुर में ये-ये बन रहा है तो जो अफसर कॉलोनी है उसको खाली करवा दीजिए। वह स्वास्थ्य विभाग को मिल जाये, किसी समय में उस कॉलोनी को दी गई गई थी। तीसरी बात है आप करप्शन के आरोप लगाते रहें, उसमें जांच से कोई फर्क नहीं पडता। जो डी.के.एस. और मेकाहारा है उसको super speciality बनाने की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि हम चाहे हैदराबाद हो, रोहतास हो, चंढीगढ़ हो, बंबई हो, हम उसकी तरह की राज्य की पी.जी.आई. institute बनायें। उसके लिए आवश्यक ligislation जो जरूरी हैं, वह हम करें। केन्द्र का है, राज्य का है, हम कैसे बनायेंगे। उसके बाद जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, केन्द्र के समर्थन से, राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करूंगा, आपके भी योगदान से भी बोल देता हूं मेडिकल कॉलेज खोलना है, साढ़े 4 साल हो गये, एकात की बिल्डिंग की मान्यता मिली तो एकात बिल्डिंग नहीं बनी, प्रकिया में है। आप मेरे साथ थे, हेलीकॉप्टर में गये थे। मेडिकल कॉलेज कैसे खुलता है उसको आप देखे हैं । जिस अवधि को मैंने तय किया था, उस अवधि में वह काम हो गया था। सौभाग्य से वह आप की ही constituency थी। आप तो मेरे से ज्यादा दबंग आदमी, निशानेबाज आदमी हैं। ऐसा सटीक निशाना लगाईये कि सभी कॉलेज छत्तीसगढ़ के लिए खुल जायेगा। अब किसी भी जिला के आपके जो जिला अस्पताल है या आपके सी.एस.सी., पी.एच.ई. है, सभी लगभग रेफरल हॉस्पिटल बन गई है। आदिम समय से मेकाहारा हॉस्पिटल 700 बेड में है। 1300 के लगभग बेड हो गई। बजट भाषण में आप बोलिये। माननीय मुख्यमंत्री जी और आपने मिलकर पहले बजट भाषण में कहा कि इतने सफाई कर्मी की भर्ती होगी, इतने नर्स की भर्ती होगी, इतने वार्ड बाय की भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग में ऐसा नहीं होता। स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल के बेड के हिसाब से सेटअप स्वीकृत होते हैं। उसको क्या कहते हैं? नाम के हिसाब से उसका सेटअप बनता है तो जो वैज्ञानिक आधार है, उस आधार पर आप सेटअप बनाईये न। मनमर्जी क्यों है? आप यह नया सिस्टम

क्यों ले आये? उसमें एक भी भर्ती नहीं हुई। दूसरी बात कि इसको आप करिये कि मेकाहारा हॉस्पिटल को यह भी जांच करवानी जरूरी है कि किस तरीके के मरीज को रेफर करते हैं। रेफरल हॉस्पिटल मत बनें। दूसरी बात, दुर्भाग्य से जब आखिरी बजट था कि रायपुर में 300 बेड के अस्पताल और आस-पास की 2-3 जगह, भिलाई में भसीन जी, कुरूद में भी वह अस्पताल था । सरांउडिंग के इलाके में हमने 100-100 बेड के अस्पताल स्वीकृत किया था। वह बजट से delete हो गये, क्योंकि वह मेकाहारा में दबाव है। दुर्भाग्य से वह delete हो गये, लेकिन मेकाहारा जो गरीबों का असली अस्पताल है, उसमें दबाव कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। राजा साहब, अब सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि अभी तीन दिन पहले पेपर में छपा था कि सारे reagents खत्म हो गये हैं। वहां पैथालॉजी जांच बंद है। पेपर में छपा था। मैं वहां देखने नहीं गया हूं। गरीबों की अस्पताल में यह गंभीर स्थिति बनती है। मैं आखिरी लाईन में कह देता हूं कि डी.एम.ई. सेक्टर में हम डॉक्टर बनाते हैं। डी.एम.ई. सेक्टर में लगभग 1200-1300 पद रिक्त हैं। मैं डी.एच. सेक्टर की बात नहीं करता। चलिये उसमें डॉक्टर की कमी होगी, पर डी.एम.ई. सेक्टर शैक्षणिक क्षेत्र है। हम कैसे डॉक्टर बना रहे हैं? हम कैसे डॉक्टर बनायेंगे? आप डी.एम.एफ. के फण्ड में बिना भर्ती नियम के, बिना किसी योजना के कैसे बनायेंगे? आज के प्रश्न में था कि अस्थाई शिक्षक को कैसे भरे तो इसका कोई जवाब नहीं था। हाथ पकड़ कर लाकर भर्ती कर लिये थे। वह शिक्षक पूरे भर्जी हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। हमने एक मॉडल बनाया था। डॉ. साहब बैठे हैं। बीजापुर के अस्पताल, सुकमा के अस्पताल या दंतेवाड़ा के अस्पताल को लोग देखने आत थे। वहां ओ.पी.डी., आई.पी.डी. इतनी हो गई थी कि जो भी कलेक्टर काम कर रहे हो, उनको फ्री हेंड दिया गया कि आप उनको चलाये। कम से कम डी.एम.ई. सेक्टर में यदि भर्ती नहीं हुई है, यदि प्रमोशन में कैडर गेप हो रहा है तो प्रमोशन के लिए या फेकल्टी को आमंत्रित करने के लिए कोई वेतनमान देना हो तो आपको विचार किया जाना चाहिए। एक बात और कि यहां एस.सी.एस. हैं। वह मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग में थे। छत्तीसगढ़ में अंगदान की पॉलिसी बन रही थी । अंगदान की पॉलिसी पूरी बनी या नहीं बनी, यह मैं नहीं जानता, लेकिन यदि अंगदान की पॉलिसी बन गई हो तो उसको लागू किया जाए और हमारे सरलतम नियम हो। कई बार ऐसा हुआ है कि उसकी प्रक्रिया पूरी करते तक मरीज मर गया है। एक बात और है। सुझाव ही है। जो आपका आयुष्मान कार्ड है, वह mandatory होना चाहिए। आपकी खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना फर्जी है। आपने 50 हजार इसका और तीनों को मिलाकर, आयुष्मान को मिलाकर नाम दे दिया खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। आपने वह कोई नई चीज नहीं किया। लेकिन खूबचंद बघेल कार्ड कह लो। मैंने कहा न कि मैं राजनीति बात नहीं कहूंगा। आज आयुष्मान कार्ड प्रत्येक हॉस्पिटल में चलता है। कोई आदमी आयुष्मान कार्ड के उपयोग से कोई घुमाये तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाये। क्या आप गरीबों के लिए यह नियम बनायेंगे? क्या निजी अस्पताल में इतनी ताकत है कि वह गरीबों को आयुष्मान कार्ड में ईलाज नहीं करूंगा बोल दें। आज यह हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अभी छः विभाग हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में यह कहना चाहता हूं कि यदि आपमें संवेदनशीलता है । मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं । मैं किसी बजट में कुरूद की बात नहीं करता, मैं अभी भी कुरूद की बात नहीं करने जा रहा हूं । सुपेबेड़ा में संवेदनशीलता दिखाते हुए आपने अपना फोन नंबर दे दिया है, अब लोग कह रहे हैं कि वह फोन लगता ही नहीं है । यह एक बिंब है । आप सुपेबेड़ा के बारे में सोचिए । वहीं डॉयलिसिस होगा, उसकी देखरेख वहीं होगी । सी.एम.आई.आर. को फिर से बोलिये । आपकी गलती नहीं है । दूसरी बार हमने उसको शोध के लिये कहा था तब तक इधर आ गये लेकिन उसमें पर्याप्त शोध नहीं होगा कि वह जाति विशेष में है, भूगोल में है, पानी के कारण है, अनुवांशिकी है । जब तक उसका पूरा शोध नहीं होगा तब तक विकल्प नहीं होगा । सरकारों के ऊपर आरोप लगते रहेंगे । आपको जितना पैसा मानव जीवन के लिये, शोध के लिये लगाना पड़े, आप लगवाईये । आपके पास पैसा नहीं है तो डॉयरेक्टर एन.आर.एच.एम. हैं। आप बोलिये और भारत सरकार से उस पैसे को मांग लीजिये लेकिन लोककल्याणकारी राज्य में वेलफेयर स्टेट का सबसे मुख्य दायित्व है लोगों के जीवन की सुरक्षा और लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिये आप पर्याप्त कदम उठायें । इस भाव के साथ इन बातों में जरूर कार्यवाही करेंगे । ये जनहित के विषय थे, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की, कोई अपनी बात नहीं कही । न कोई मांग रखी तो मैं सोचता हूं कि आपकी मजबूती दिखेगी, इच्छाशक्ति दिखेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि 5-5 मिनट में अपनी बात रखें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब आप तो बोल चुके हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधे सेकेण्ड में अपनी बात रख लूंगा । आपने एन.एम.डी.सी. से सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिये पहल की है, चर्चा भी हुई है लेकिन सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिये आप जो पहल करेंगे तो उसको अच्छी मजबूती के साथ करेंगे तभी वह आगे बढ़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पांडे जी । आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जी.एस.टी. के बारे में एक बात बता देता हूं । मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है, 40 सबइंस्पेक्टर नियमविपरीत प्रमोट किये और वही आदमी ने

किया जो 22 लाख की बिल्डिंग में है। आप जांच करवायेंगे या तो मैं आपको पेपर दे देता हूं, विधानसभा में लगे चाहे मत लगे । लेकिन पृथम दृष्टया नियम विपरीत हुआ है, मैंने जो पेपर को पढ़ा है और उन लोगों ने कहा कि हमसे पैसे लिये गये हैं । आप ले रहे हैं, यह मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूं । जिसके ऊपर आरोप लगा वह 22 लाख की बिल्डिंग में है तो आप जैसे आदमी के नाक के नीचे नहीं होना चाहिए । हिंदुस्तान का सबसे अमीर 800 करोड़ वाला एक आदमी हमारे सदन में है । वह 10-20 लाख में हाथ साफ नहीं करेगा ।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशीष सिंह) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पांडे जी की पत्नी आयी हुई हैं तो मैं चाहती हूं कि इनका भाषण सुनने के लिये उनको बुलाकर ले आउं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैंने तो उनको बोल दिया है । आप आरंभ करिये। चलिये, आप थोड़ा जल्दी बोलिये, आप 5 मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिवरतन भैया ने इस बात को कहा था कि बाबा साहब की पहचान क्या है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी जिन्हें हम बाबा साहब कहते हैं वे वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोनाकाल में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर पूरे प्रदेश की जनता की सेवा की । यह उनकी पहली पहचान है । दूसरी पहचान कि आपने आपके अत्याचार, आपके अपमान को हंसते हुए, सहन करते हुए और मुस्कुराते रहते हैं । यह उनकी पहचान है ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाभी जी शैलेश भैया का भाषण सुनने पहुंच गयी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात कि महाराजा होते हुए भी वे सहज, सरल, विनम्र हैं । यह उनकी पहचान है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- पांडे जी, मैंने बिना कागज के एक्सटेम्पोर बोला है । आप देख-देखकर बोलोगे तो इधर घर में नकलची माने जाओगे । (हंसी) यह नोट कर लो । योग्यता है तो वह इनबिल्ट होनी चाहिए । (हंसी)

श्री शैलेश पांडे :- इसमें काउंट नहीं किया जायेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके साथ सदन में एक भी मंत्री नहीं है, सोच लीजिए । यदि आपको वॉशरूम जाने की इच्छा हो, पानी पीने की भी इच्छा हो तो आपके साथ कोई नहीं है, सरकार ने आपकी इतनी दुर्दशा बना दी है । लेकिन हम आपके साथ हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग आपको बहुत चाहते हैं । देखिए, इतनी बड़ी संख्या में हम लोग बैठे हैं ।

(श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री द्वारा सदन में प्रवेश करने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- वो आ गए, आ गए, टहलते टहलते । लेकिन उनको नहीं मालूम कि हमने क्या बात उठाई ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जी बताएं । (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इस देश में अगर किसी राजा ने जनता से टैक्स वसूला है, मुगलों के शासन में सबसे ज्यादा खून चूसा है तो उसका नाम औरंगजेब था । औरंगजेब एक ऐसे राजा थे जिन्होंने इस देश की जनता से सर्वाधिक टैक्स लिया । उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश में मुगलों जैसा ही शासन हो रहा है । आज मुगलों के बादशाह हमारे सुल्तान हैं, जिल्ले इलाही हैं । आपको बताना चाहता हूं कि दूध और दही में भी टैक्स ले रहे हैं । आप बताइए दूध फट जाएगा तो क्या जी.एस.टी. वापस करोगे ? नहीं कर पाओगे । आज लोगों से कितना टैक्स लिया जाएगा ? रसोई गैस तो पहले से ही मंहगी है, हमारे जमाने में साढ़े चार सौ थी, आज ग्यारह सौ रूपए की है । आपने किचन में वैसे ही आग लगा दी है । ये माताएं, हमारी बहनें पीछे बैठी हुई हैं । इनके किचन में आग लग चुकी है, किसने लगाई आपकी मंहगाई ने लगाई ? आपने इतना टैक्स क्यों वसूला ? आपने हर खाने की चीज चाहे दूध हो, दही हो, पनीर हो चाहे फल हो । आदरणीय मंत्री जी, क्या आप जी.एस.टी. तय करते हैं ? नहीं करते हैं । हम तय नहीं करते ।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर कागज हाथ में ले लिये ।

श्री शैलेश पाण्डे :- बैलेंस बनाने के लिये लिया है (हंसी) । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल 16500 करोड़ रूपए जी.एस.टी. केन्द्र सरकार के पास गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का कितना राजस्व दिल्ली गया है । आपने पूरे किचन में आग लगा दी है । यहां डॉ. बांधी बैठे हुए हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं । बांधी जी ने एनाटॉमी विषय पढ़ा होगा । यह जी.एस.टी.एनाटॉमी है। आपको बताना चाहता हूं । आदरणीय मंत्री जी, जी.एस.टी. का एनाटॉमी है, यह ग्लास पांच परसेंट जी.एस.टी., हेडफोन 10 परसेंट, स्किन केयर 28 परसेंट । एक मिनट ध्यान दीजिएगा । जी.एस.टी. एनाटॉमी की बात हो रही है सुनिये ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पांडे जी, क्रीम पर 28 परसेंट इसलिए लगाया गया है क्योंकि लोग नेचुरल रहें, क्रीम लगाने की आवश्यकता न पड़े । इसलिए इस पर ज्यादा टैक्स है ।

श्री सौरभ सिंह :- पांडे जी, माननीय मंत्री जी जी.एस.टी. काउंसिल में जाते हैं और जी.एस.टी. काउंसिल का जो निर्णय होता है वह सर्वसम्मति से होता है । उसमें केंद्र सरकार का कुछ नहीं होता । जितने वित्त मंत्री होते हैं या जी.एस.टी. मंत्री होते हैं वे बैठकर निर्णय लेते हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- पांडे जी आपकी सरकार तो गोबर से फेयर एण्ड लवली जैसी क्रीम बना रही है, फेस के लिए । देख लो कौन लगाएगा ?

श्री शैलेश पाण्डे :- लेकिन उसमें जी.एस.टी. नहीं लगा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, स्किन केयर में 28 परसेंट । आपने फिर महिलाओं में आग लगा दी । एक बात ध्यान रखिएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए समाप्त करें ।

श्री शैलेश पाण्डे :- समाप्त क्या, अभी तो शुरू ही नहीं किया (हंसी) ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मुझे 6 मंत्रियों के विभागों पर चर्चा कराना है और अभी 2 बज रहा है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, आप इनसे कहिए कि पांडे जी को ज्यादा छेड़ें मत । ये लोग पांडे जी को बार-बार छेड़ते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया आप लोग आपस में चर्चा न करें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा बोल रहे हैं । माननीय सदस्य हम लोगों के बारे में बोल रहे हैं इसलिए बोलने दिया जाए । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हम लोगों की बात है इसलिए बोलने दिया जाए, उपाध्यक्ष महोदय ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- भाभी जी भी आई हुई हैं यह देखने के लिए कि महिलाओं की बात ठीक से रख रहे हैं या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- संगीता जी, आप पांडे जी को ज्यादा मत छेड़ो । चलिए आप बैठिये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- संगीता जी, आप पाण्डे जी को ज्यादा मत छेड़िए। (हंसी) चलिए आप बैठिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इंपारटेंट बात है। आदरणीय शिवरतन भैया अभी चले गये हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यह जो डाई होती है ना, जो कल करके आए हैं (हंसी) नेता प्रतिपक्ष जी, हेयर डाई 28 प्रतिशत जी.एस.टी. हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी, उधर देखकर मत बोलिए। चलिए समाप्त करें। मैं आगे बढ़ाऊंगा। पाण्डे जी, मेरी तरफ देखकर बात करिएगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- यह अच्छी बात है कि धर्मजीत सिंह डाई नहीं करते। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जी.एस.टी. एनाटामी बता रहा था। कहां-कहां कितना जी.एस.टी. लग रहा है ? पहले तो हम अपने को ही देखें। बाद में बाकी देखेंगे। आपने डाई में 28 प्रतिशत जी.एस.टी. लगाई, आपने फिर इनके उपर अत्याचार किया।

श्री दलेश्वर साहू :- बढ़िया बोल रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप कर क्या रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- पाण्डे जी, एक मिनट, आपको समय देंगे। उपाध्यक्ष जी, इस सदन में हमारे एक रामचंद्र सिंहदेव साहब थे, बहुत वरिष्ठ नेता थे। वे भी नरगिस के दीवाने थे और टी.एस.सिंहदेव साहब हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- घर ले जाकर फोटो दिखाते थे कि नरगिस का फोटो देखिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- फोटो दिखाते थे कि मैं नरगिस का फोटो इस पोज में खींचा हूं। पाण्डे जी, नरगिस वगैरह से थोड़ा आगे बढ़िए, आपकी नरगिस बैठी हुई है। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे :- जी.एस.टी. एनाटामी समझना जरूरी है। घड़ी में 18 प्रतिशत, बेल्ट में 12 प्रतिशत, इनरवियर 12 प्रतिशत, फूटवियर 18 प्रतिशत, टूथपेस्ट 5 प्रतिशत, परफ्यूम 28 प्रतिशत, सेविंग क्रीम 5 प्रतिशत, टी शर्ट ट्राउजर 5 प्रतिशत। उपाध्यक्ष महोदय, यह जी.एस.टी. का एनाटामी है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। आपने छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा। आपने बच्चों की इंक, मैं बिना देखे बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- पाण्डे जी, आप मेरी ओर देखकर बात करिए। पाण्डे जी को कोई ना टोके, भाई। भाभी बैठी हैं। फिर लफड़ा हो जाएगा। आप लोग ज्यादा ना छेड़े। मैं बता रहा हूं।

श्री शैलेश पाण्डे :- उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं आपको समय दे रहा हूं।

श्री शैलेश पाण्डे :- इंक हो गयी, हमारे कागज हो गए, हमारे पेन हो गए, हमारी पेंसिल हो गयी, आप 18-18 प्रतिशत जी.एस.टी. ले रहे हैं। आप बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करने देंगे। आप इस देश में बच्चों की पढ़ाई ना हो सके, इस देश में व्यक्ति काम ना कर सके, इस देश में व्यक्ति महंगाई से मर जाए। आप क्या शासन चला रहे हैं ? अभी हमारे उपर औरंगजेब से भी खतरनाक शासन चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, लज्जा की बात तो मैं अब आपको बताता हूं जिसको सुनकर हम सबकी नजरें झुक जाएंगी। मैं आपके सामने पेश करता हूं। आपको पता है कि जी.एस.टी. से बाहर क्या रखा गया है, जिसमें काई जी.एस.टी. नहीं है ? मैं आपको बताता हूं। वह ऐसा क्षेत्र रखा गया है...।

श्री अजय चंद्राकर :- पाण्डे जी।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपस में बात मत करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय जी, बस एक लॉस्ट शब्द है, एक बार बोलने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं पाण्डे जी की मदद कर रहा हूं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- पाण्डे जी को बोलने दिया जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी, बोलिए दीजिए ना। बोलने दीजिए, तंग मत करिए ना। चंद्राकर जी, आप महाविद्वान हैं लेकिन सबको छेड़ने की आदत हो गयी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय पाण्डे जी, दो बातें हैं, एक तो आप सामने देखकर मत बोलिए, उधर देखकर बोलिए, एक। दूसरा, एक जिज्ञासा है कि आप इसी स्वर में, इसी स्टाईल में घर में भी बात करते हैं। (हंसी)

श्री शैलेश पाण्डे :- उधर पूछिए ना। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, आदरणीय धर्मजीत भैया, इधर देखिए। इन्होंने जी.एस.टी. से बाहर किसको रखा है ? इन्होंने जी.एस.टी. से बाहर मृतक के परिवहन सहित दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, शमसान से संबंधित सेवाओं के लिए जी.एस.टी. से बाहर है। हे भगवान, हे भगवान।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप चाहते हैं उसमें भी जी.एस.टी. लगा दें।

श्री शैलेश पाण्डे :- मतलब जब तक जिंदा रहोगे तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे और जब मर जाओगे तभी आपको छोड़ेंगे। वाह औरंगजेब। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- इसके पहले कौन-कौन सा टैक्स फ्री था। जी.एस.टी. का मतलब ऐसा थोड़ी है कि अभी नया टैक्स लग गया। पाण्डे जी, एक बार बता दीजिए कि कौन-कौन सा टैक्स फ्री था।

श्री बृहस्पत सिंह :- सुन लीजिए भाई, पहले सुन लीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय में ए.टी.एम. से पैसा निकालते थे, उसमें भी टैक्स लगता था।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपस में संवाद ना करें। पाण्डे जी, आप समय का ध्यान रखिए। आपको एक मिनट के बाद समाप्त करना है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. का फुल फार्म बता दीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जी.एस.टी. में यही कहना था कि जब से जी.एस.टी. आई है, कमरतोड़ महंगाई है। जब से मोदी सरकार आई है, कमरतोड़ महंगाई है। हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता परेशान है। माननीय मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग में बहुत ही बेहतर काम किया है। उन्होंने स्वास्थ्य की सेवाओं को डीसेंट्रलाईज किया, चाहे उन्होंने हमर क्लीनिक बनाया हो, चाहे हमर लैब बनाई हो, चाहे हमर अस्पताल बनाया हो। मेरे क्षेत्र में आपने 14 क्लीनिक दिए हैं। 14 क्लीनिक 25-25 लाख रूपये के बिलासपुर में दिए हैं, मैंने उस दिन बात बताई थी कि मैं एक क्लीनिक का भूमिपूजन करके आया हूं। 500 लोग कॉलोनी के थे जो आए थे। ऐसे मेरे को 14 क्लीनिक बिलासपुर में मिले हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि हम स्वास्थ्य की सेवाओं का विस्तारीकरण कर रहे हैं। डी-सेन्ट्रलाइजेशन कर रहे हैं। आज ऐसा कौन सा काम है? आप हाट बाजार क्लिनिक ले लीजिए, दाई-दीदी क्लिनिक ले लीजिए, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना ले लीजिए, जेनेरिक दवाई ले लीजिए।

हमने स्वास्थ्य का कोई भी पहलू नहीं छोड़ा है। आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। प्रमोद कुमार शर्मा जी, आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पाण्डे जी बोल रहे थे कि कफन में टैक्स लगा रहे हैं लेकिन लज्जा तो तब आती है जब छत्तीसगढ़ की सरकार में पोस्टमार्डम में स्वीपर के द्वारा फाड़ने के लिए पैसा लिया है। यह लज्जा की बात है। आज स्थिति यह है कि हॉस्पिटल में पोस्टमार्डम करने के लिए स्वीपर की वैकेंसी नहीं है। डॉक्टर आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं लेकिन स्वीपर लोग खड़े रहते हैं। टांका लगाते हैं तो पैसे लेते हैं। लज्जा आती है। छत्तीसगढ़ की सरकार की यह स्थिति है। ओमन हा बिना शराब पीये हिलबे नहीं करे। डॉक्टर आके बइठे रही, सब आके बइठे रीही। ओला जाके टुन्न करो, तब ओ फाड़ही। छत्तीसगढ़ सरकार की यह स्वास्थ्य की सेवा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप जिस उम्मीद से सरकार का विरोध कर रहे हैं आपको उधर भी खाली हाथ ही लगेगा। इसलिए ज्यादा मत बोलिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- कोई दिक्कत नहीं है। बाबा बन जाएंगे। आजकल बाबा मन के भारी इज्जत हे। बाबा प्रमोदानंद बन जाएंगे अऊ तुही मन सब आहुं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, नेता जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बृहस्पत जी, यह विरोध नहीं है। यह आइना दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आजकल डॉक्टर बहुत ज्यादा डिमाण्ड कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- क्या हैं मंत्री जी, वहां डॉक्टर स्वीपर के लिए क्वाटर लेकर आता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह दिमाग में तय करके रखे हैं कि यदि कुछ नहीं होगा तो यह बाबा प्रमोदानंद सरस्वती बन जाएंगे। आप क्या करोगे? यह बृहस्पत जी के पास जाएंगे। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी बात शुरू करूं?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बहुमत देने की कोशिश करना। आपको ऑप्शन बता दिये हैं कि बाबागिरी में भी तगड़ा है। आप धोखा मत देना, जैसे उधर करते हो।

श्री शैलेश पाण्डे :- एक आंख बंद करके।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हां, जैसा भी हो।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बाबा लोगों की इज्जत नेता लोगों से ज्यादा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात को इस तरह जोड़ियेगा कि अभी तक का विलोपित कर दीजिएगा। आज छत्तीसगढ़ में प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति यह है कि आप कोई भी हॉस्पिटल में चले जाइये, सिर्फ नाममात्र के लिए आयुष्मान कार्ड है। ऐसा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है जो बिना पैसे के इलाज

करता होगा। गांव वालों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि किस चीज का इलाज होता है और किस चीज का इलाज नहीं होता है। हॉस्पिटल वाले कार्ड भी लेते हैं और पैसे भी लेते हैं। यह स्थिति है और सरकार बड़ी-बड़ी बात कर रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार में 20 लाख रूपये तक का इलाज हुआ है। अभी डॉ. साहब बोल रहे थे लेकिन वह अभी यहां पर नहीं हैं। आप एकाध झन बता दीजिए। हमारे बलौदाबाजार जिले में तो आज तक हम नहीं सुने हैं कि किसी का 20 लाख रूपये तक का इलाज हुआ होगा। यदि 40,000 रूपये का छोटा सा हाइड्रोसील का भी ऑपरेशन होता है तो उसमें भी 20,000 रूपये ले लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की यह स्थिति है। सिर्फ बड़ी-बड़ी बात है, बड़ा-बड़ा दिखावा है। खूबचंद स्मार्ट योजना, पता नहीं फलाना-ढीमका कई प्रकार की योजनाएं हैं। लेकिन आज तक हम लोग नहीं सुने हैं कि गरीब आदमी बिना पैसे के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा लिया होगा। आज स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति यह है, मैं आपको तिल्दा क्षेत्र की बात बताऊंगा। हमारे तिल्दा-नेवरा के स्वास्थ्य केन्द्र में ऐसा है यदि कोई चींटी या कीड़ा भी कांट देता है तो उनको रायपुर रिफर कर देते हैं। सिर्फ एक दवाई-गोली देते हैं। पता नहीं वह क्या करते हैं? स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ दिखावे की बात है। बाबा, आप नाराज न हाइयेगा। यह आपके विभाग की स्थिति है लेकिन आपका विभाग पूरी तरह से त्रस्त-मस्त है और पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, क्या है कि प्रमोद कुमार शर्मा जी आपकी नाराजगी की चिंता कर रहे हैं। आपके चलते एक की नाराजगी को झेल रहे हैं। यदि उन्हें आपकी भी नाराजगी झेलनी पड़ी तो पता नहीं क्या होगा?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- होहे। बाबा साहब, जब स्वास्थ्य क्लिनिक की योजना की गाड़ी चलती है तो उसमें आपकी फोटो नहीं रहती है तो हमको दु:ख होता है। आपके विधायकों को दु:ख नहीं होता होगा लेकिन हमको दु:ख होता है। पता नहीं कि हाट बाजार क्लिनिक योजना स्वास्थ्य विभाग की योजना है या किसी और विभाग की योजना है क्योंकि उसमें से आपकी फोटो ही गायब है। यदि उसमें आपकी भी फोटो लगा देते तो हम लोगों को अच्छा लगता। मैं तिल्दा-नेवरा की बात कर रहा था, वहां स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर छोटे-छोटे गांवों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये हैं लेकिन वहां पर एक भी हॉस्पिटल में एक भी जिम्मेदार आदमी नहीं है जो वहां इलाज कर सके। वहां स्थिति इतनी गंभीर है कि वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे आप कितनी भी और कहीं भी शिकायत कर लो, लेकिन उसको कोई कोई सुनने वाला नहीं है। यह सीधी-सीधी सी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं जी.एस.टी. में नहीं आया हूं। मुझे थोड़ा-बहुत और बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप जी.एस.टी. में बोल लीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- लेकिन आज शराब पर नहीं बोलना है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं शराब पर नहीं बोल रहा हूं। मेरे बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है जहां कम से कम 20 से 22 हजार श्रमिक काम करते हैं ।

समय :
2:00 बजे

माननीय श्रम मंत्री जी भी सदन में हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी सदन में हैं । आप एक ईआईसी का हास्पिटल बलौबाजादार में खुलवा देंगे तो अच्छा हो जाएगा । वह प्रस्तावित है, लेकिन हमारे कार्यकाल में खुल जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा । उसको तत्काल खुलवा देतेव, उद्योग विभाग के भी सहमति लेकर खुल जतिस ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रमोद, तै अईसे काबर कहात हस कि तोर कार्यकाल खतम होने वाला हे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं सरकार के कार्यकाल ला कहात हवव ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमर कार्यकाल तो अगले बार भी रहिही । अब तैं कहात हस कि मोर कार्यकाल में खुल जतिस तोर कार्यकाल मतलब 6 महीना तोरे कार्यकाल बाचे हे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हमर कार्यकाल में बन जतिस ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तै चिन्ता मत कर, बना देबो । तोर कार्यकाल में बनाबो ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हमर यही कार्यकाल में भूमि पूजन करवा देतेव, आपसे निवेदन हे कि ईआईसी हॉस्पिटल के नाम से डब्बा जैसे सिर्फ एक हास्पिटल बस खुला रहता है, वे 10/12 के एक कमरे में बैठे रहते हैं । बलौदाबाजार से ईआईसी का कम से कम 40 लाख रूपए महीने सरकार को जाता है, अब वह पैसा केन्द्र सरकार को जाता है या राज्य सरकार को जाता है, इसकी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन श्रमिकों के ईआईसी का पैसा कटकर बाहर जा रहा है और सुविधा के नाम से एकदम जीरो है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जीएसटी की बात है तो मैंने पिछली बार भी मंत्री जी से कहा है कि बलौदाबाजार में इतने सारे सीमेंट प्लांट हैं । अगर आप क्लिंकर में जीएसटी लगाएं, इसकी अच्छे से जांच करें तो कम से कम 1000 करोड़ रूपए जीएसटी का पैसा छत्तीसगढ़ शासन को बचेगा । 48 हजार टन क्लिंकर फाईन्ड रूट के नाम से छत्तीसगढ़ से बाहर जा रहा है । सिर्फ जीएसटी बचाने के चक्कर में सीमेंट प्लांट वाले यहां सीमेंट नहीं बनाते, यहां जीएसटी का पैसा इनसे नहीं लिया जाता, फाईंड रूट के नाम से जीएसटी नहीं लगता । 48 हजार टन प्रति दिन क्लिंकर निकलता है, यह बहुत बड़ी बात है । यह पूरा क्लिंकर छत्तीसगढ़ से बाहर जा रहा है। अगर इसमें जीएसटी लगाएं तो सीमेंट प्लांट वालों के ऊपर लगाम भी कसेगा और छत्तीसगढ़ के राजस्व में फायदा भी होगा । कृपया आप इसमें विचार

करिए । कम से कम इससे छत्तीसगढ़ का भला कीजिए । मेरा एक-दो छोटी-छोटी मांग है । आपसे निवेदन है कि तिल्दा नेवरा और बलौदाबाजार की कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जिसकी जानकारी मैं आपको पत्र के माध्यम से दे दूंगा । मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब इसको पूरा करेंगे । ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है, जो सबको स्वस्थ रखता है । माननीय बाबा साहब जी के इस विभाग में उनके द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपने क्षेत्र की कुछ समस्या रखूंगा । माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र के जैजैपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वह 30 बिस्तर का अस्पताल है । उसमें भवन नहीं है । 30 बिस्तर की जगह केवल 14 बिस्तर लगता है । 4 डॉक्टर हैं और 4 डॉक्टर एक कक्ष में बैठते हैं । उनके बैठने के लिए 2 कक्ष भी नहीं हैं । इसके लिए मैंने पहल करते हुए 7.1.2017 को डीएमएफ से हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 70,39,000 रूपए स्वीकृत भी करा लिया है । मैंने 2017 से राशि स्वीकृत करा ली है, आज 2023 चल रहा है । आपके विभाग के सचिव को पत्र लिख दिया, मुख्य सचिव को पत्र लिखा, कलेक्टर को पत्र लिखा, लेकिन यह अस्पताल क्यों नहीं बन रहा है, जबकि राशि आपके सीजीएमएससी को ट्रांसफर हो गई है । मेरा आपसे निवेदन है कि डॉक्टर रहने से, 30 बिस्तर के अस्पताल रहने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक वह बिल्डिंग नहीं बनेगी । यह 70 लाख की बिल्डिंग हैं, आपको अपने विभाग से कुछ नहीं देना है, केवल निर्देश जारी करें दें, तत्काल उसका टेण्डर करके उस बिल्डिंग को बनाये और इसमें कलेक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं । इसकी स्वीकृति 2017 से है, पैसा भी स्वीकृत हो चुका है । इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । अगर पुराने जांजगीर-चांपा जिले में देखें तो जैजैपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सबसे ज्यादा ओपीडी है, सबसे ज्यादा आईपीडी है, लेकिन हम वहां डॉक्टर को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, वहां हम मरीजों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं । अगर यह बिल्डिंग बन जाएगी तो बेहतर हो जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें जीवन दीप समिति का अध्यक्ष बनाया है । जीवन दीप समिति की बैठक नहीं होती । बैठक इसलिए नहीं होती, बीएमओ बैठक नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है । इसमें एस.डी.एम. सचिव है, उनका ईगो है कि विधायक के सामने वह सचिव नहीं बनेंगे । किसी दिन समय दे देते हैं, हम जाकर बैठे रहते हैं, वे नहीं आते नहीं हैं तो कृपया इस ओर भी ध्यान दें । या तो वह प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी हैं, सचिव हैं, वे अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, नहीं तो हम विधायकों को हटाकर उन्हीं को आप अध्यक्ष बना दें, वह संचालन करें । उनका ईगो बरकरार रहे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एसडीएम तो प्रोटोकाल में विधायक के सामने कुछ नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बताओ न कि एस.डी.एम. तो प्रोटोकाल में विधायक के सामने कुछ नहीं है।

श्री केशव चन्द्रा :- नहीं, वह तो प्रोटोकाल समझते हैं। इन्हीं लोग प्रोटोकाल बनाकर, देकर रखे हैं। नहीं तो मजाल है कि वह सूचना निकाले और उसके बाद बैठक पर नहीं आये। दुर्भाग्य तो तब है जब एक बार एक पटवारी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिए। तब मुझे गुस्से में कहना पड़ा कि मैं अपना प्रतिनिधि एक कुत्ते को बनाकर यहां भेजूंगा। यह स्थिति है। मीटिंग लेने के लिए पटवारी, एस.डी.एम. का प्रतिनिधि बनकर गया था। ये तो दुर्भाग्य है।

श्री बृहस्पत सिंह :- तो आप सही में कुत्ते को प्रतिनिधि नियुक्त किये या नहीं किये ?

श्री केशव चन्द्रा :- बृहस्पत सिंह जी, उतना बोला तो एस.डी.एम. दौड़ता-दौड़ता आया, ऐसा थोड़ी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- कुत्ता वफादार भी होता है। आदमी से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के 3 जगह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांगा था, वह बजट में तो नहीं आया है। अगर भविष्य कहीं योजना होगी तो ग्राम- देवरघट्टा, छपोरा और कचंदा, इन तीन जगहों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल देंगे। मैंने बड़े रबेली, जर्वे और झारौंदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र की भी मांग किया है। कुछ उप स्वास्थ् केन्द्र है, जहां भवन की कमी है, दतौद, करवाडीह, बसंतपुर, तुसार, मलनी, काशीगढ़, करनौद और देवरहा, यहां बिल्डिंग नहीं होने के कारण वहां लोग भटक रहे हैं। जहां-जहां बिल्डिंग है वहां अच्छा काम हो रहा है। मैं निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करूंगा। जहां-जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग हैं, आप मासिक प्रतिवेदन देख लेंगे, वहां निश्चित रूप से महीने में 2,4,5,10 डिलिवरी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें। श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा जी।

श्री केशव चन्द्रा :- उपाध्यक्ष महोदय, वहां लोगों को कुछ न कुछ तो राहत मिल रहा है। इन जगहों पर सिर्फ बिल्डिंग की कमी के कारण लाभ नहीं हो रहा है। हम बहुत सारी बिल्डिंग तो डी.एम.एफ. मद से भी बनवाये हैं। अगर आपके विभाग से भी ऐसा कोई प्रावधान होगा, तो जो उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनविहीन है, कृपया वहां भवन बनायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पुन: एक बार निवेदन है कि जैजेपुर में जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जहां के लिए 77.39 लाख स्वीकृति है, उसके लिए आज ही निर्देश देने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैजेपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्नीनडीह, ये दोनों 30 बिस्तर के अस्पताल हैं। अगर आप उसका विस्तार कर सकते हैं, ये तो तहसील मे हैं, इनको 50 बिस्तर का अस्पताल बना दीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बालने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के विभागों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समय को याद करते हुए बोलना चाहूंगी, जिस समय पूरे विश्व में और छत्तीसगढ़ और कोरोना महामारी फैला हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ शासन की जो सरकारी अस्पतालें थीं, जहां लोग पिछले 15 साल से जाना भूल गये थे। ऐसी स्थिति थी कि उस समय लोग सरकारी अस्पताल जाना, यानि लोग बड़ी सोच में पड़ जाते थे। उस समय हमारी सरकार बनी थी, हमारी सरकार ने कोरोना महामारी में शासन-प्रशासन के द्वारा व्यवस्था तैयार की गई। बेहतर व्यवस्था के साथ लाखों मरीजों को बचाने का काम, हमारी सरकार, हमारे स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री जी के लगातार पूरे प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सरकारी अस्पतालों में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई। उस समय ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। लेकिन अन्य प्रदेश में हा-हाकार मचा हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ ऐसा राज्य है, जहां हमारी सरकारी अस्पतालों में बेहतर ईलाज हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया। लोगों की इस व्यवस्था के साथ-साथ घर पहुंच दवाई की व्यवस्था की गई। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने उस समय की थी। आज उसका परिणाम है कि जो लोग सरकार अस्पतालों में जाने से कतराते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उस सरकारी अस्पतालों में ईलाज करवा रहे हैं। मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं, साथ ही साथ आज डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अन्त्योदय प्राथमिक राशन कार्डधारी परिवार जिसे राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रति परिवार को 5 लाख तक का नि:शुल्क ईलाज प्रदान किया जा रहा है, ईलाज हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है । पहले ईलाज के लिये दर-दर भटकते थे, आयुष्मान कार्ड नहीं बनता था, आज जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा राशन कार्ड लेकर जाते हैं और राशन कार्ड से अपना ईलाज करवाकर आते हैं । यह व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की गई है । आज ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भय होकर ईलाज करा रहे हैं और शासन की योजनाओं का लाभ उठाया जा रहा है । आज हमारी सरकार के द्वारा हमर क्लिनिक योजना चलाई जा रही है, हमारे दोनों नगर पंचायत में हमर क्लिनिक योजना के तहत डॉक्टर सहित व्यवस्था के लिये अभी भवन बनने जा रहा है । माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि आज हमर लैब के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हर प्रकार का खून जांच किया जा रहा है । उनको जांच के लिये रायपुर नहीं आना पड़ता है, वहीं धरसींवा में ....।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये मैडम समाप्त करें ।

श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू की हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपका 4 मिनट हो चुका है ।

श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा :- वहां रक्त जांच वगैरह की बहुत अच्छी सुविधा है । सभी प्रकार के जांच वहां हो रहे हैं । वैसे ही शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत 52 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 18 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जा रही है । मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत भी बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के बारे में बताना चाहूंगी कि आज मेरे क्षेत्र में कम से कम 30 से 40 ऐसे परिवार हैं, जिनको 20-20, 25-25 लाख रूपये खर्च आ रहा था, आज वे योजना के माध्यम से किडनी, कैंसर के जो पीड़ित परिवार हैं, उनको स्वास्थ्य का लाभ मिला है, धन के अभाव में उनका जमीन जायदाद बिक जाता था ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें । माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी । अपने क्षेत्र की मांग एक मिनट में रखें ।

श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग रखना चाहती हूँ कि हमारे धरसींवा-खरोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर और नर्स की कमी है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बृजमोहन अग्रवाल जी 1 मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्रीमती अनीता योगेन्द्र शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, सिलियारी स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस की आवश्यकता है, वह जगह काफी बड़ा है, वहां मरीजों को लाने-ले जाने में काफी दिक्कत हो रही है । वैसे ही धरसींवा स्वास्थ्य केन्द्र में हड्डी रोग विशेषज्ञ की आवश्कता है, इंडस्ट्रीज एरिया होने के कारण, एन.एच. रोड होने के कारण बहुत एक्सीडेंट होते हैं । आपसे निवेदन है कि हड्डी रोग विशेषज्ञ देने की कृपा करेंगे । नगर पंचायत कुरा में डॉक्टर है ही नहीं, वहां डॉक्टर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल साहब ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल रायपुर है । यहां पूरे छत्तीसगढ़ से गरीब लोग आते हैं, आपने उसको 1200 बेड का बना दिया है, लेकिन उसके अनुरूप वहां पर व्यवस्था नहीं है, खून की जांच की व्यवस्था नहीं है, जो सोनोग्राफी है या एमआरआई होना है, उसके लिये प्रायवेट हॉस्पीटल में एएमआई के बेस पर मशीनें लगाई जाती है, आप वैसे मशीनें क्यों नहीं लगा रहे हैं । 25 परशेंट रेट पर यदि गरीबों की एम.आर.आई. हो जाये, सिटी स्कैन हो जाये, वहां पर सिटी एंजियोग्राफी हो जाये, लोगों को सुविधा मिल सकती है । आज मेकाहारा की स्थिति यह है, मैंने पहले भी आपसे प्रश्न पूछा था, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी सरकारी अस्पताल में बाई पास सर्जरी नहीं होती है । मैंने मेरे ध्यानाकर्षण में भी आपसे पूछा था।

आजकल हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं। यदि पूरे छत्तीसगढ़ में किसी सरकारी हॉस्पिटल में बाय पास सर्जरी नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये मोहले जी। एक मिनट में अपनी बात रखिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी पूछा है, वहां स्टेंट लग रहा है, बायपास सर्जरी नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने जवाब दिया था कि मेरे क्षेत्र में पी.पी.पी. मॉडल पर 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। अभी अजय चन्द्राकर जी ने कहा। यदि आपको पी.पी.पी. मॉडल में कोई नहीं मिल रहा है तो मैं आपको व्यक्ति दिलवा देता हूं जो उस हॉस्पिटल को चलाने के लिये तैयार है। यदि बिल्डिंग का पैसा चाहिए तो मैं अपनी विधायक निधि से 50 लाख रूपये दे देता हूं। जब हम यह करने के लिये तैयार है तो उसके बाद में करने को क्या बचा है। आपके जितने शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी हालत बहुत खराब है, वहां बिल्डिंग नहीं है। हम लोग शहरी स्वास्थ्य केंद्र के लिये बिल्डिंग देने के लिये तैयार है। आप वहां पर स्टॉफ की नियुक्ति कर दें। शहरों की हालत गांव से भी बदतर है क्योंकि स्लम एरिया इतना बड़ा है, यदि रायपुर की आबादी 20 लाख है तो 5 लाख लोग झुग्गी, झोपड़ी और बस्तियों में रहते हैं। आप शहरी स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ कर दीजिये। यदि आप मेकाहारा हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं दुरूस्त नहीं करेंगे तो हमारा आम आदमी हमेशा लुटता रहेगा, यदि आप उसको ठीक कर दें तो बेहतर हो जायेगा। मुझे लगता है कि वहां पर एक साल से पैथोलॉजी लैब में मशीनें काम नहीं कर रही है, एक को दे दिया गया। इसके बारे में भी आप ध्यान दें। हम लोग आपके ऊपर कभी आरोप नहीं लगाते हैं परंतु आपको जो दवाई खरीदने का सिस्टम है, वह सिस्टम इतना बर्बाद है कि आप कहीं न कहीं ऐसे अधिकार दीजिये जिससे किसी भी स्तर पर दवाइयों की कमी न हो और गरीब आदमी को आसानी से दवाई मिल सके। हमारे पास लोग 100 लोग आते हैं जो कहते हैं कि आप हमको बाजार से दवाई दिलवा दीजिये क्योंकि हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही है। गरीबों के लिये सबसे कठिन काम दवाइयां खरीदना है। यह व्यवस्था आप करवा देंगे तो निश्चित रूप से गरीबों को सुविधा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद्।

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, चलिये एक मिनट में अपनी बात रखिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आयुष्मान कार्ड और खूबचंद बघेल कार्ड के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र के दशरंगपुर के गांव के निवासी का किडनी फेल हो गया। वह किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे, उनके परिवार के सदस्य ने किडनी दी। वे यही प्राईवेट अस्पताल में भर्ती हुए और उनको प्राईवेट अस्पताल में 15 लाख रूपये खर्च करना पड़ा। वह अपना खेत बेचे क्योंकि वहां स्मार्ट कार्ड का उपयोग नहीं हुआ। यहां तक वह अभी-भी दवा के लिये 25 हजार, 50 हजार का महीने में इलाज करवाते हैं और उन्होंने ट्रांसप्लांट के पहले खून जांच और सब तरह की जांच में अपनी पूरी

राशि लगा दी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसी कोई भी बीमारी होती है तो उसके पूरे इलाज के लिये अस्पतालों में पूरा पैसा दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने जो बताया मंत्री जी ने सुन लिया। चलिये कौशिक साहब।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मंत्री जी, जैसा कि आप हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं, वह सभी अस्पताल में होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, एक मिनट में अपनी बात रखिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी को देखते हुए, कुत्ते के काटने का, जहर खाने की अस्पताल में अन्य बीमारियों की तथा जहर की दवाई नहीं है। वहां छोटी-छोटी चीजों के लिये दवाई रखी जाए। इसके कारण लोग इधर-उधर भटकते हैं। आप ऐसी चीजों के लिये तत्काल व्यवस्था की जाये। आपके जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन है। मैं मुंगेली के जिला अस्पताल के बारे में बात कर रहा हूं। वहां के डॉक्टर सोनोग्राफी के लिये बाहर प्राईवेट अस्पताल में भेजते है, इसके लिये सख्त आदेश दे, जिससे कार्य हो। मैं माननीय मंत्री जी के बारे में बोलना चाहूंगा। 04 वर्ष के पहले माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एवं माननीय डहरिया जी मुंगेली आये थे और वहां सिटी स्केन मशीन की घोषणा किये थे लेकिन मंत्री जी 04 साल तक सोये हुए हैं। तो कम से कम अब जाग जाईये। मैंने आपसे मांग की है कि मालापुर में स्वास्थ्य केंद्र खोला जाये, चकरभाठा में किया जाये। जितने आपके सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्स नहीं है या कम्पाउण्डर नहीं है, वहां इन सब की व्यवस्था की जाये। ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद्।

उपाध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, अपनी बात एक मिनट में रखिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम बिलासपुर से निकलते हैं तो रायपुर तक कोई बड़े अस्पताल नहीं है। वहां बीच में एक्सीडेंट जोन है, जहां पर लगातार एक्सीडेंट की संभावना बने रहती है और कई काल कवलित हुए हैं। मैंने राजा साहब को पहले भी बात की थी कि सरगांव सी.एस.सी हमारा है। उसको ट्रामा सेंटर में अपग्रेड किया जाये क्योंकि एक्सीडेंट जोन होने के कारण अस्पताल पहुंचते तक कई लोग दम तोड़ देते हैं और 100 किलोमीटर के बीच में ऐसी कोई सुविधाएं नही है। मुझे लगता है यदि उसमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे और विचार करेंगे तो केवल मेरे विधान सभा के लिये नहीं है बल्कि आम लोगों के लिये है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये नेता प्रतिपक्ष जी। आप कृपया सहयोग करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय मंत्री जी आपको एक केन्द्रीय सड़क परिवहन विभाग को लिखकर भेजना चाहिए कि जैसे हर 40 किलोमीटर में टोल नाका बना है वैसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जगह दे दें कि सड़कों पर एक्सीडेंट होता है तो उसकी जान बचायी जा सके,

क्योंकि छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट से लोगों की सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने दुर्ग हॉस्पिटल के विकास के लिए बहुत से कार्य किए हैं कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी थी, वहां पर आपके माध्यम से हमारे तीन ऑक्सीजन प्लांट रखे गए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले क्रिटिकल केयर यूनिट की स्वीकृति हुई थी, मैं चाहूंगा कि आप उसे जल्दी पूरा करा देते, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। बाकी सारे विषय आ गये हैं।आपने इस बजट में जांजगीर चांपा जिले के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रावधान रखा है। मेरा आग्रह है कि उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करके, मेडिकल कौंसिल भारत सरकार को भेंज दें। ताकि उसकी प्रक्रिया पूरी होकर, मेडिकल कॉलेज के लिए जो भी समय लगेगा, वह तो लगेगा ही। लेकिन राज्य सरकार से प्रक्रिया में देरी मत हो। दूसरी बात जब तक वहां पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ नहीं होता, वहां का जो जिला चिकित्सालय है वह बड़ा है। उसका परिसर काफी बड़ा है वहां पर काफी जमीनें हैं तो जब तक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ नहीं होता, तब तक 300 बेड का अस्पताल चलते रहे। ताकि आम लोगों को सुविधा मिलती रहे। हमारा जो क्षेत्र है वह ओ.बी.सी. और एस.सी. बाहुल्य क्षेत्र है और आस पास वहां कहीं पर मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। इसको आप गौर कर लेंगे। आपका जो मुक्तांजलि है, 108 है वह बहुत जर्जर हो गए हैं। वह पुराने हो गए हैं। आप उसको दिखवा लीजिए। मरीजों, लोगों, शवों को लाने ले जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आम लोग यह कहते हैं कि बहुत खटारा वाहन है। यह कहीं पर भी खड़े हो जाती है। उसका हम कैसे नवीनीकरण कर सकते हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं। मैं कोई भाषण नहीं दे हूँ। हमारे विधान सभा का रामचन्द्रपुर ब्लॉक है जहां पहले से मुख्यालय भी है वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 10 बेड संचालित है उसको उन्नयन करके 30 बेड हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करने की मांग करता हूँ। माननीय मंत्री जी आपसे ऐसा आग्रह है कि उस क्षेत्र का पोस्ट मार्टम वही हो जाए ताकि जो गंभीर चीजें हैं वह हो जजाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा डूमरखोला, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां पर आपने तहसील भी बना दिया और सब कुछ कर दिया है वहां भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 10 बेड हॉस्पिटल है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बेड कर दिया जाए, ताकि वहां पोस्ट मार्टम वही हो जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जामवंतपुर, रामचन्द्रपुर, सनावल, डिंडो, बगरा, महाराजगंज, पस्ता, डूमरखोला और रनहर, यहां हमने विधायक निधि से 9 एम्बुलेंस दिया है और छत्तीसगढ़ शासन से 3 एम्बुलेंस मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरूआत भी कर दी है उसके ड्रायवरों की तनख्वाह और डीजल के लिए हमारे जिला अस्पताल वालों ने मांग की है उसको दिखवा लिया जाए, उसकी स्वीकृति दिलायी जाए ताकि आम जनता को सुविधा हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पंडरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यहां मुख्यमंत्री भी है हमारे जिले के प्रभारी, स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके दौरे में हमने दशरंगपुर ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग की थी तो यहां हमारे सभी मंत्री उपस्थित हैं मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारी इस मांग को पूरा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19, 79, 7 एवं 50 के संदर्भ में राशि दी जाए, मैं विभागों की ओर से अपनी बात रख रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम 20 सूत्रीय कार्यक्रम के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नई नीतियों के कार्यक्रम के आर्थिक सुधारों के अनवरत प्रक्रिया की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, वैश्विकरण को ध्यान में रखते हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम वर्ष 2006 से लागू किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत देश में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्ग का संरक्षण तथा सशक्तिकरण उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण ई-शासन आदि जैसे विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को शामिल करने पर बल दिया गया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के नीति एवं मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार योजनाओं का संचालन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। उक्त योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी संचालन हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा संबंधित विभागों के बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाता है। हमारी सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के माध्यम से संबंधित विभागों से त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाता है। संबंधित विभागों की कार्यक्रमों, योजनाओं की भौतिक उपलब्धताओं की त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन दिसंबर 2022 भारत सरकार को भेजा गया है। प्रतिवेदन के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हितग्राहियों हेतु 5 करोड़ 96 लाख 80 हजार मानव दिवस रोजगार सृजन किये गये हैं। इसके अंतर्गत हितग्राहियों को रुपये 1354 करोड़ 4 लाख 24

हजार दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 432.63 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान 39550 स्व-सहायता समूहों को लाभान्वित किया गया है। 14354 स्व-सहायता समूहों को परिक्रमि निधि दी गई है। कुल 9668 स्व-सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश कोश उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 21581 आवास निर्माण कराया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संस्थागत प्रसवों की संख्या 3 लाख 52 हजार 461 है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजना में 3564 अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। 44191 पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आई.सी.डी.एस. योजना का वैश्वीकरण योजनांतर्गत 220 आई.सी.डी.एस. ब्लाक प्रचलन में है। 51794 आंगनबाड़ियां संचयी क्रियाशील हैं। वन विभाग के अंतर्गत कुल 34703 हेक्टेयर क्षेत्र में 250 लाख पौधों का रोपण कार्य कराया गया है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 8869 पंप सेटों को बिजली प्रदाय की गई है। अत: मांग संख्या 50 बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन के अंतर्गत 4 करोड़ 13 लाख 15 हजार मात्र पारित करने का अनुरोध है। विभिन्न 20 ऐसे विभाग हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने तो पंचायत विभाग छोड़ दिया है, ये पंचायत विभाग से अलग है क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 20 विभागों की समीक्षा होती है, 20 कार्यों की समीक्षा होती है। क्योंकि पंचायत विभाग भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की परिधि में आता है, इसलिए उसकी जानकारी मैंने दी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज आप यह भी बता दें कि आपने पंचायत विभाग क्यो छोड़ा है, किसलिए छोड़ा है? सदन में जानकारी आ जायेगी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- भाई तो हैं, उन्होंने आपको बताया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने नहीं बताया। आप बता दें तो सबकी जानकारी में आ जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- उनकी बात से आप सहमत नहीं थे न। आप अपना विषय रख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- एक बात से सहमत नहीं हूं। मैं वह बात का भी समय पर खुलासा जरूर कर दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इससे बड़ा अवसर और कोई दूसरा नहीं होगा।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के संबंध में मैंने..।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब एक लाईन मेरी भी सुन लीजिए। वह यह है कि जितनी बात बोली, एक लाईन छूट गई थी, मैंने आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की थी, उसका

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

भुगतान हमारे समय में नहीं हुआ था, भुगतान आपके समय में हुआ। लेकिन हमारा जो cancer institute है, वह देश के छठवें, सातवें नंबर का institute हो जायेगा। प्रकिया में थोड़ी बहुत त्रुटि हुई होगी। आप कार्यवाही कर लीजिए। लेकिन पेट स्केन और गामा कैमरा को मेकाहारा में करवा दीजिए, गरीबों को मदद मिलेगी। केबिनेट जाना हो या और कहीं जाना हो तो लेकिन गरीबों की बड़ी सेवा होगी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ मं भी जानकारी दे देता हूं। पी.टी. स्कैन मशीन की पिछले कार्यकाल में स्वीकृति दी गई थी और क्रय किया गया था। उसमें फाईनेन्शियल एप्रूव्हल नहीं लिया गया था। मशीन आ गई और यह भी सही है कि उसका भुगतान हो गया। कैसे भुगतान हुआ, वह एक अलग बात है। उसकी जांच भी हो गई है, जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मैंने इस बाबत् पहल की है, कैबिनेट में भी चर्चा रखी है कि इसमें वन टाईम छूट देते हुए उस मशीन को चालू करने की अनुमति मिले। वित्त विभाग से इसमें क्या है, हम सब समझ सकते हैं। अगर ऐसे ही होता रहा कि हमने खरीद लिया और फिर हम कहें कि यह जनहित के लिए बहुत जरूरी है तो वित्तीय प्रबंधन तो खत्म हो जायेगा। आज मेरे को कोई मशीन चाहिए, मैंने कहा कि भाई जनहित में बहुत जरूरी है और मैंने उसको ला करके लगा दिया और वित्त विभाग से अनुमति ही नहीं ली तो व्यवस्था भंग हो जायेगी। केवल इस कारण से मुझे लगता है कि अभी तक मैंने काफी प्रयास किया । अभी तक उसमें अनुमति one time relaxation नहीं हुआ। वित्तीय अनियमितता 100 प्रतिशत हुई। जो अनुबंध हुआ था, उसकी जो शर्तें हैं, उसमें एकतरफा प्रावधान है। वह प्रावधान उसी में है कि शायद हम उसको बदल सकते हैं। धारा 31 या कुछ क्लॉउस में उसका प्रावधान है। हम उसको बदल सकते हैं।

समय :
2.30 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेट स्केन मशीन चालू करने के संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर भी और औपचारिक तौर पर भी मैंने केबिनेट में बात उठाया है। जब अनुमति मिलेगी। चूंकि इसमें कोई दो बात नहीं है। जैसा आपने कहा कि इसमें बड़ी वित्तीय अनियमिता हुई कि उसको बिना वित्तीय अनुमति के खरीद लिया गया, उसको खरीदने के अनुमति दे दी गई। जैसा आप कह रहे हैं कि उसका भुगतान बाद में हुई। उसकी जांच भी हुई है। तथ्य सामने है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 07। मैं यह वाणिज्य कर पंजीयन के संदर्भ में जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं। पंजीयन विभाग का दायित्व राज्य में सर्वतोमुखी विकास स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना, अचल संपत्तियों अंतरण विलोखों के पंजीयन करते हुए आम जनता द्वारा अर्जित संपत्ति पर उनके मालिकाना हक का सृजन करते हुए विधिक दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराना, संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेजों को शाश्वत काल के लिए सुरक्षित रखना। संरचना महानिरीक्षक

पंजीयन कार्यालय के अधीन 23 जिला पंजी कार्यालय तथा 99 उप पंजीयक कार्यालय हैं, इनमें 79 उप पंयजीयक कार्यालय तथा 20 पदेन कार्योलय हैं। पदेन उप पंजीयन कार्यालय में तहसीलदार अथवा नयाब तहसीलदार उप पंजीयक के प्रभार में रहते हैं। राज्य गठन उपरांत वर्ष 2001-2002 में विभाग की राजस्व प्राप्तियां मात्र 121 करोड़ थी, जो वर्ष 2018-19 तक 1,113.106 करोड़ रही। वर्तमान में यह बीते वर्ष 2021-22 की बात बता रहा हूं । यह 1,956.19 करोड़ तक पहुंची, जो 23.08 प्रतिशत की वृद्धि थी। विगत 4 वर्षों में विभाग 1500 करोड़ रूपये से अधिक राजस्व अर्जन करने में सफल रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पुनरीक्षित राजस्व लक्ष्य 2100 करोड़ है, जिसके विरूद्ध फरवरी, 2023 तक 1995 करोड़ रूपये राजस्व अर्जन हुआ है, जो कि राजस्व लक्ष्य का 92 प्रतिशत है तथा गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। मैंने विगत 5 वर्षों की जानकारी प्रस्तुत कर दी थी। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक 2,98,925 दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं, जो कि गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। विगत वर्ष में पंजीयकबद्ध दस्तावेजों की जानकारी पृथक-पृथक हैं। वर्ष 2016-17 में 1.95 लाख और वर्ष 2021-22 में 2.99 लाख लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में कम हुआ। छोटे भू-खण्डों का पंजीयन शासन द्वारा छोटे एवं अन्य भू-खण्डों के सरलीकरण के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 29.12.2018 को जारी निर्देश के अनुक्रम में छोटे भू-खण्डों के पंजीयन के मामले में भू-स्वामी द्वारा अंतरण हेतु उस खसरा नंबर के नक्शे में बटांकन की अनिवार्यता को शिथिल किया जाकर ई-पंजीयन साफ्टवेयर में छोटे भू-खण्डों के पंजीयन का प्रावधान किया गया है। दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2022 तक 4,29,605 छोटे भू-खण्डों से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका है। छोटे भू-खण्डों के पंजीयन पर रोक समाप्त होने से आम जनता को संपत्ति खरीदी बिक्री में सुविधा हुई है। आवासीय भवनों में पंजीयन में 2 प्रतिशत की रियायत, शासन द्वारा रूपये 75 लाख कीतम तक के मकान भवन के विक्रय संबंधी विलेखों पर प्रभार होने वाले 4 प्रतिशत पंजीयन शुल्क की दर में अगस्त, 2019 से 2 प्रतिशत की कमी की गई है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए आवासीय मकान क्रय करना आर्‌थिक रूप से सुलभ हुआ है। आम नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए पंजीयन शुल्क की उपरोक्त रियायत में वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिए वृद्धि की गई है। महिलाओं के स्टाम्प शुल्क के रियायत के संबंध में सब चीज के उद्देश्य से महिलाओं के पक्ष में संपत्ति अंतरण होने के अंतरण विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है। गत वर्ष 78,753 विलेखों में 57.06 करोड़ की छूट दिये जाने से महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इस वित्तीय वर्ष में 01 अप्रेल से 28 फरवरी, 2023 तक 74,285 विलेखों में रूपये 60 करोड़ 18 लाख रूपये की छूट का लाभ दिया जा चुका है । बाजार मूल्य गाईडलाईन की दरों में 30-40 प्रतिशत की कमी, संपत्ति के क्रय-विक्रय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क बाजार मूल्य पर संगठित होता है । शासन द्वारा जनहित में निर्णय लिया जाकर बाजार मूल्य निर्धारण संबंधी गाईड लाईन की दरों में एक-समान 30 प्रतिशत की कमी

दिनांक 25.07.2019 से की जाकर 31.03.2023 तक के लिये उक्त दरों को यथावत रखा गया है । शासन के उक्त निर्णय से अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय पर प्राभार्य होने वाले शुल्क में रियायत के फलस्वरूप आम जनता लाभांवित हो रही है । गाईडलाईन दरों में कमी के फलस्वरूप दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ राजस्व में भी बढ़ौत्तरी हुई है । नवीन पंजीयन कार्यालयों के संदर्भ में नये जिला पंजीयक कार्यालयों का गठन शासकीय नियंत्रण की दृष्टि से नवीन राजस्व जिले सूरजपुर एवं बलरामपुर में जिला पंजीयक कार्यालय स्थापित करने की अधिसूचना शासन द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को जारी किया गया है । वर्तमान में जिला पंजीयक कार्यालयों की कुल संख्या 23 हो गयी है । शासन द्वारा जनसुविधा की दृष्टि से बलौदाबाजार जिले के सुहेला तहसील में सप्ताह में एक दिन कैम्प लगाकर संचालित किये जाने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 29.11.2022 से दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य किया जा रहा है । शासन द्वारा जनसुविधा की दृष्टि से बलरामपुर, रामानुजगंज जिले के राजपुर तहसील में नवीन पंजीयन कार्यालय खोले जाने की अधिसूचना दिनांक 27 फरवरी, 2023 को जारी किया गया है । राजपुर पंजीयन कार्यालय 01 अप्रेल 2023 से खोला जाना प्रस्तावित है । विभाग द्वारा जनसुविधा की दृष्टि से किराये के भवन में संचालित कार्यालयीन तथा पुराने जर्जर हो चुके भवनों के स्थान पर नये कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाता है । कुल 99 पंजीयन कार्यालयों में 31 कार्यालय स्वयं के विभाग के भवन में संचालित हैं । 64 पंजीयन कार्यालय तहसील भवन में तथा 04 कार्यालय किराये के भवन में संचालित हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत् वर्ष 2019 से 2022 तक प्राप्त स्वीकृति के तहत् गरियाबंद, बलौदाबाजार एवं कोरिया के संयुक्त कार्यालय भवन जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक सहित उप पंजीयक कार्यालय कुरूद, हरदीबाजार, मरवाही, कोटा, दल्लीराजहरा, चांपा, मालखरौदा, नवागढ़, डभरा, चौकी, पेण्ड्रारोड, कटघोरा, तिल्दा, राजिम के विभागीय भवन निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर है इस प्रकार से तहसील परिसर में संचालित 84 कार्यालयों में से 17 भवनों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत 3 जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक के संयुक्त कार्यालय क्रमशः दुर्ग, जशपुर, सरगुजा सहित उप पंजीयक कार्यालय अकलतरा के विभागीय भवन निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये 9 उप पंजीयक कार्यालयों क्रमशः सरायपाली, पिथौरा, बसना, भाटापारा, आरंग, पंडरिया, बोड़ला, राजपुर, भिलाई-3 के भवन निर्माण हेतु राशि 01 करोड़ का व्यय संभावित है । कंप्यूटरीकरण के पूर्व दस्तावेजों की डिजिटलाईजेशन प्रदेश में सभी पंजीयन कार्यालयों में वर्ष 2017 के उपरांत कंप्यूटरीकृत पंजीयन की प्रणाली का कार्य संचालित है । इससे पूर्ववर्ती वर्षों के पंजीबद्ध दस्तावेजों का डिजिटल डाटा उपलब्ध न होने से अभिलेखों में सर्च एवं नकल प्रदाय करने में असुविधा होती है । कंप्यूटरीकरण के पूर्व के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बैकलॉग दस्तावेजों के स्कैनिंग एवं डिजिटलाईजेशन का कार्य चिप्स के माध्यम से कराया जा रहा है । पंजीबद्ध

रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकृत होने से पक्षकारों को दस्तावेजों में सर्च एवं कार्यालय द्वारा नकल प्रदाय करने में सुविधा होगी । पंजीयन कार्यालयों में रिकॉर्ड रूम में पुराने हो चुके दस्तावेजों की स्केनिंग कर सुरक्षित किये जाने से आम जनता के महत्वपूर्ण अभिलेखों को संरक्षित किया जा सकेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संबंधित विभाग की मांग ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी आपका और बाकी है ?

श्री टी.एस सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत बाकी है ।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा जल्दी-जल्दी कर लीजिये, काफी लंबा समय हो गया है ।

श्री टी.एस सिंहदेव :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग की इस तरह से जानकारियां हैं । आबकारी विभाग में विगत् वर्ष 6500 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था और मार्च 2023 तक 6337.47 करोड़, 97.5 करोड़ रूपये का लक्ष्य हासिल हुआ है । यह बढ़ौत्तरी की बातें हैं और मदिरा क्रय-विक्रय के संदर्भ में परिवहन इत्यादि काउंसलिंग के माध्यम से राशि आती है । 50,000 शिथिल दुकानों को बंद किया गया था । आबकारी विभाग द्वारा नवीन उड़ान दस्ते चालू किये गये हैं। अन्य व्यवस्थाएं जो इस संदर्भ में की गयी हैं । इसके साथ ही पूर्ण शराब बंदी लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने 3 समितियां बनाई थीं । फरवरी तक विभाग का स्थापना व्यय कुल 77.97 करोड़ है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राजा साहब, आपने जो जन-घोषणा पत्र बनाया था । उसमें शराब बंदी की बात की थी । अभी आप बता रहे हैं कि शराब से राजस्व में वृद्धि हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है ? शराब बंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ? आपको गर्व हो रहा है या नहीं ? आपने जो जन-घोषणा पत्र बनाया था उसमें आपने कहा शराब बंदी होगी । पिछले सवा चार सालों में इस पर कुछ नहीं हुआ है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- नीतिगत् और व्यक्तिगत् दो बातें हैं । व्यक्तिगत् है स्वैच्छिक और नीतिगत् है पूर्ण बंदी । मैं स्वयं शराब का सेवन नहीं करता लेकिन चुनाव के पहले जब घोषणा पत्र बन रहा था तो मेरे अनेक निकटतम् साथियों ने कहा कि यह शामिल करोगे तो वोट नहीं देंगे । पूर्ण शराब बंदी लगाओगे तो वोट नहीं देंगे। यह मुझसे अनेक लोगों ने कहा और कई महिलाओं ने यह कहा कि लागू होना चाहिए । उस समय यह दृष्टिकोण था, यह पिक्चर थी जो सामने आई । एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय के परिपालन में अभी तक जो समिति बनी है वह गुजरात और बिहार का अध्ययन, भ्रमण कर चुकी है अब मिजोरम जाएगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में जितनी समितियां बनी हैं ना, एक कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि स्कायवॉक बनाया जाए ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उसमें सवाल आया था और मैंने विभाग से पता भी किया तो पता चला कि बिक्री के वॉल्यूम में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है । राजस्व प्राप्ति पर जो प्रश्न लग रहा है और उसमें

कई प्रकार की टिप्पणियां भी आईं कि इस वजह से राजस्व बढ़ गया है । राजस्व बढ़ने का मूल कारण जो समझ में आ रहा है वह यह है कि देशी शराब का सेवन तुलनात्मक रूप से काफी कम हो गया है, विदेशी शराब का सेवन बढ़ा है । कारण जो भी हो, आर्थिक स्थिति में सुधार हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब, बिक्री का जो लक्ष्य तय करते हैं इस साल 6700 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है । उसका आधार क्या रहता है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उसमें समय-समय पर रेट परिवर्तन होता है । उसमें तीन प्रकार के सेस लगे हैं जिनसे करीब 900 करोड़ रूपया आ रहा है । उस राशि को अधोसंरचना विकास के लिए लगाया जा रहा है । साढ़े 6 हजार करोड़ में से 900 करोड़ रूपए सेस का है । इसमें कोरोना सेस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, हेल्थ एण्ड एज्युकेशन का भी है, एक सेस और लगाया गया है । यह कारण है कि इसमें हमको राशि बढ़ती हुई दिख रही है । वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन, यानी सेवन की मात्रा के बारे में मैंने जानकारी ली, उसमें अगर आबादी हर साल 2 प्रतिशत बढ़ती है तो पांच साल में 10 परसेंट बढ़ गई । 5 परसेंट से ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ा । मुझे तो कम ही बताया गया । इसका कारण रेट को मानना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से तो विपक्ष सहमत है आपकी मांगों से इसलिए जल्दी खत्म कर दिया जाए ।

श्री टी.एस.सिंदेव :- जल्दी से वाणिज्यिक कर पढ़ देता हूं । जी.एस.टी. की कुछ बातें आई थीं । इसमें मुख्य रूप से मैं जानकारी दे देता हूं ताकि एक परिदृश्य हमारे सामने आ जाए । जी.एस.टी. की बात आई, जी.एस.टी. के रेट की बात आई, जी.एस.टी. के रेट कम करने की बात आई । सीमेंट पर जी.एस.टी; लगाने की बात आई । राज्य सरकार को जी.एस.टी. लगाने का कोई अधिकार नहीं है । सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जरूर आया है । वह पूरी व्यवस्था को हिला देगा, अगर राज्य सरकार उसको लागू करेगी । किंतु जैसा कि प्रमोद भाई ने कहा कि सीमेंट प्रोडक्ट्स पर जी.एस.टी. लगा देते हैं तो हमारे पास वर्तमान में अधिकार नहीं है, जी.एस.टी. काउंसिल में है । दूसरा, छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ और यह पहले ही दिन से विदित था जब हम यहां चर्चा कर रहे थे, अमर अग्रवाल जी यहां बैठते थे, हम लोग उधर बैठते थे । देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का नुकसान न हो । हम सहमति के लिए आ रहे हैं, कांग्रेस ने भी लाया, अटल बिहारी जी के समय में भी जी.एस.टी. की बात आई । कांग्रेस के शासन में आई और अंततः मोदी जी जो कि पहले इसके बारे में दूसरा विचार रखते थे उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यह लागू हुआ ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री जी, जो क्लिंकर बाहर जा रहा है उसके बारे में मेरा सुझाव था कि इतनी ज्यादा मात्रा में क्लिंकर बाहर मत जाए ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं वही बता रहा हूं कि जो कंजम्पशन होता है, उस पर टैक्स लगता है। उस प्वाईंट ऑफ कंजम्पशन में टैक्स लगता है। मैंने कुर्ता दिल्ली में खरीदा तो टैक्स दिल्ली सरकार को

चला जाएगा, मैंने कुर्ता छत्तीसगढ़ में खरीदा तो टैक्स छत्तीसगढ़ सरकार को मिलेगा। यह स्टेट वाला हिस्सा है। अगर क्लींकर बाहर जा रहा है तो हमको नुकसान हो रहा है। क्यों चिंता थी और यह स्थिति क्यों बनी है, मैं आंकड़े प्रस्तुत कर दे रहा हूं। एक तरह से इसको सही मान लीजिए। वर्ष 2022-23 में हमारा प्रोटेक्टेड रेवेन्यू क्या था ? जब जी.एस.टी. काउंसिल का गठन हुआ और दरों की स्वीकृति हुई तो यह पहला यह माना गया कि पांच साल में देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि हर राज्य को पिछले साल की आमदनी की तुलना में 14 प्रतिशत रेवेन्यू बढ़ा हुआ ही मिलेगा। इसलिए यह नियम लाया गया, यह कानून लाया गया कि पांच साल तक हर राज्य को जो राजस्व प्राप्त होगा। अगर वह 14 प्रतिशत से कम है तो 14 प्रतिशत तक जी.एस.टी. काउंसिल में सेस पुल से प्रतिपूर्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ की आमदनी पिछले साल की तुलना में उदाहरण के लिए नौ प्रतिशत बनी तो हमको 5 प्रतिशत सेस से मिलेगा, 2 प्रतिशत बढ़ी तो हमको 12 प्रतिशत सेस से मिलेगा, 10 प्रतिशत बढ़ी तो हमको 4 प्रतिशत सेस पुल से मिलेगा। यह व्यवस्था 30 जून, 2022 से समाप्त हो गयी, अब हमको प्रोटेक्टेड रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। अब नुकसान या फायदा क्या है ? वर्ष 2022-23 की स्थिति में बेस ईयर 2016 है, हमको कहीं से चालू करना है तो हम 14 प्रतिशत कहां से बढ़ा हुआ मानेंगे, 2016 छत्तीसगढ़ के राजस्व से बढ़ा हुआ मानेंगे। वर्ष 2022-23 में 18410.27 करोड़ होना चाहिए था और हमको 11051.61 करोड़ मिला। छत्तीसगढ़ को प्रोटेक्टेड रेवेन्यू में नुकसान 7358.66 करोड़ हुआ। वर्ष 2023-24 में जब यह समाप्त हो गया, हमारा 14 प्रतिशत पिछले साल की तुलना में 20987.70 प्रोटेक्टेड इनकम होना चाहिए था। संभावित राजस्व 13661.93 है, छत्तीसगढ़ को इस व्यवस्था में कितने की हानि हुई। जी.एस.टी. के बारे में बहुत विचार आते हैं, जी.एस.टी. में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि हम कंज्यूमिंग स्टेट कम प्रोड्यूसिंग स्टेट ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ को शुद्ध जी.एस.टी. के 14 प्रतिशत प्रोटेक्टेड रेवेन्यू अब नहीं मिल पाने की स्थिति में 7725.77 करोड़ हानि होगी। हम टैक्स लगाते, हम वैट लगाते तो जी.एस.टी. नहीं होता तो क्या स्थिति होती, वह अलग बात है। यह तो केवल 14 प्रतिशत हर साल आमदनी बढ़ेगी। इन टैक्सों से राजस्व बढ़ेगा तो हम कितना नुकसान हो रहा है, यह मैंने बताया। सभी सदस्यों के ध्यान में शायद यह बात आ जाएगी। दूसरी बात आती है कि हमको जो राशि मिली और बकाया कितना है। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि 1628.65 करोड़ बकाया है, इसमें कुछ राशि आई और इसमें अंतर कहां पर आ रहा है। कोरोनाकाल में जो 14 प्रतिशत प्रोटेक्टेड रेवेन्यू देश के कानून में लिखा हुआ है, जी.एस.टी. के प्रावधान में लिखा हुआ है, उसको केन्द्र सरकार ने जी.एस.टी. काउंसिल ने कांटकर 10 प्रतिशत कर दिया। हम 14 प्रतिशत के हिसाब से मांग कर रहे हैं, उन्होंने 10 प्रतिशत के हिसाब से दिया है और उसके अंतर्गत 10 प्रतिशत के हिसाब से जो सेस पुल से हमको राशि मिलनी चाहिए थी, वह केन्द्र सरकार ने हमको नहीं दी है। कई बार यह बात आती है कि केन्द्र सरकार ने दी। केन्द्र सरकार लोन लेने का माध्यम बना और लोन लिया गया। एक जगह से लोन लिया जाए, हर राज्य लोन ना लें,

केन्द्र सरकार को हम सबने आग्रह किया कि आप एक जगह से लोन लीजिए और यह सारा पैसा सेस पुल से आपको वापस मिलेगा। केन्द्र सरकार का इसमें एक नया पैसा का योगदान नहीं है। राज्यों को यह बैलेंस बकाया कर देने में उनका योगदान केवल माध्यम बनने का है। यह भी बात क्लीयर होनी चाहिए। मैंने यह बातें रख दीं। डिटेल में कहेंगे तो इसके बारे में पेट्रोल इत्यादि के बारे में बात आती है। बात आई भी थी। मैं छोटा सा आंकड़ा रख दे रहा हूं, सौरभ भाई 25 प्रतिशत बोल रहे थे। 25 प्रतिशत को 23 नवंबर, 2021 को 25 प्रतिशत प्लस एक रूपया जो शासन द्वारा डीजल पर लिया जाता था, यह 2 प्रतिशत घटाते हुए, 23 प्रतिशत प्लस एक रूपया किया गया। इसी तरह से डीजल उस हिसाब से 95 रूपये 84 पैसा और पेट्रोल पर 25 प्रतिशत प्लस 2 प्रतिशत रूपये से घटाकर 24 प्रतिशत प्लस 2 रूपये एक प्रतिशत कम किया गया। अन्य राज्यों से जो तुलना की जाती है कि हमारे अड़ौस-पड़ौस में बाकी जगह सस्ता है लेकिन हमारे यहां महंगा है तो उसकी भी जानकारी दे देता हूं। बालाघाट में डीजल प्रति लीटर हमसे 52 पैसा अधिक है, शहडोल में 68 पैसा अधिक है, उड़ीसा के नुआपाड़ा में 2 रूपये 21 पैसा अधिक है, बरगढ़ में 46 प्रतिशत अधिक है, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुड़म में 3 रूपये, 59 पैसा अधिक है। यानी हमारे यहां हम इस रेट में भी इतने सस्ते में दे रहे हैं। इसी तरह से पेट्रोल का रेट भी गोंदिया में 5.23, भण्डारा में 4.66, बालाघाट में 8.43 शहडोल में 8.59, मंडला में 7.11, उड़ीसा के नुआपाड़ा में 3.72, बरगढ़ में 1.90, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुड़म में 8.52 रूपये प्रति लीटर से हमारे यहां कम है। इसलिए ज्यादा टैक्स लेने की बात नहीं है। समय ज्यादा हो जाएगा वरना मैं उस बॉन्ड की भी बात कह देता।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उसको रहने दीजिए। अभी 5 विभाग और हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं बॉन्ड की बात बाद में कह दूंगा। केन्द्र सरकार ने सेस के माध्यम से 3 लाख 35 हजार करोड़ रूपये वसूल किये हैं जबकि देनदारी करीब 90,000 करोड़ रूपये की थी। मनमोहन सिंह सरकार ने मार्केट से लोन लेकर जो बॉन्ड चालू किया था और उसको 10,000 रूपये लेकर पटा दिया गया था। केन्द्र सरकार शेष राशि से 3 गुने से ज्यादा राशि वसूल कर चुकी है लेकिन उस बॉन्ड के पैसे को नहीं पटाया है। उसके चलते दाम बढ़ाने का कहीं कोई औचित्य नहीं बनता है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी कह रहे हैं कि सबकी सहमति है इसलिए अब आगे बढ़ते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पारित कर दिया जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, आप दो मिनट स्वास्थ्य विभाग पर बोल दीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बोल देता हूं। वैसे भी स्वास्थ्य विभाग में मेरी रूचि है।

श्री अजय चंद्राकर :- राजा साहब, हम पारित तो कर देंगे। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के सदस्यों ने जो विषय उठाये हैं, यदि आप उसमें कोई घोषणा कर सकते हैं तो बताइये ? नहीं तो वृंदावन बिहारी लाल की जय है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, उसको देख लिया जाएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। महाराज जी, आपके समय में खरीदेन। मशीन दे के भी काम करेन, तुमन ला अऊ का चाहिए ? (व्यवधान)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों ने जितनी बातें उठाई हैं। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी, यहां तो धरातल में काम हो रहा है। क्या आपने 15 सालों तक बिहारी लाल की जय किया है ? अभी स्वास्थ्य का यह हाल हुआ है। 15 साल तक यही काम हुआ है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बस यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, आप उनसे पूछिये कि क्या हमने आपकी एक भी आलोचना की है ? आप यह बताइये कि क्या हमने आलोचना की ?

श्री अरूण वोरा :- नहीं, आप आलोचना नहीं कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप ओलचना कैसे कर सकते हैं ? असल में तोर काम ला तो महाराज करथे। वइसे में ते कइसे करबे ?

श्री अजय चंद्राकर :- इसीलिए आप भाषण को सुना करिये। माननीय मुख्यमंत्री जी को देखकर खड़े होकर कुछ भी बोलने की की होड़ रहती है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं इस संदर्भ में अपनी बात रखना चाह रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, अजय चंद्राकर जी के काम ला महाराज जी हा पहिली ले करत हे तहान ओहा वइसे काम करही।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब केबिनेट का गठन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी विभागों के संबंध में चर्चा कर रहे थे तो इन्होंने मुझसे भी सलाह मांगी कि आप कौन से विभाग में रूचि रखते हैं ? जिस विचारों में मुझे लगा कि मेरी रूचि है और शायद विभागों के संबंध में अपनी बातें रखने का पहले मौका आपने मुझे ही दिया था। मैंने स्वास्थ्य विभाग भी रखा। मेरे जितने निकटतम रिश्तेदार, शुभचिंतक, मित्र इत्यादि थे, सबने कहा कि आप इससे बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकते थे। आपने यह विभाग क्यों लिया ? शायद कुछ और साथियों ने भी इस बात को कहा। इस विभाग में मेरी निजी रूचि थी और आज भी है और कल भी रहेगी, जब तक मैं योगदान दे सकता हूं। इस विभाग में मेरी जीवनपर्यन्त रूचि बनी रहेगी। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट को लेकर मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ा। परसों एक प्रश्न लगा है। मेरे ख्याल से परसों मेरे प्रश्नकाल का समय है उसमें एक सदस्य ने पूछा है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम के बारे मे विभाग ने क्या किया है ? उस प्रश्न में उत्तर आया है कि उस स्कीम के बारे में कुछ नहीं किया गया है। यह समझने की बात है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम नहीं है इसलिए विभाग ने यह उत्तर दिया है कि उसके बारे में हमने कुछ नहीं किया है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक परिकल्पना है। भारत सरकार का डाक विभाग कौन चलाएगा ?

सरकार चलाएगी या टी.एस. बाबा भी चला सकते हैं ? स्वास्थ्य की व्यवस्था कौन देखेगा ? पब्लिक के पैसे को पब्लिक की संस्थाओं के माध्यम से यथासंभव और कई देशों में 98, 99 प्रतिशत तक शासकीय संस्थाओं के माध्यम से उपचार उपलब्ध होता है। वह यूनिवर्सल हेल्थ केयर है।

श्री अजय चंद्राकर :- जो ब्रिटेन की सिस्टम है। वह स्कीम सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में आई। हेल्थ केयर की जितनी भी स्कीम हैं, उसमें सबसे बढ़िया ग्रेट ब्रिटेन की स्कीम मानी जाती है। आप एक बार वहां जाइये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, उसमें अलग-अलग परिकल्पना है । वहां एनएचसी है, ब्रिटेन में अलग व्यवस्था है । अमेरिका में ओबामा केयर है, कनाडा में कुछ है, थाईलैण्ड में कुछ और है, जहां हम लोग गए थे । मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को अनुमति दी थी कि वहां भी स्टडी करके आईए । अभी भी समय है, अगर अनुमति मिलेगी तो और जगह जाना चाहेंगे । वहां भी देखकर जानकारी छत्तीसगढ़ शासन के पास उपलब्ध करा देंगे । कनाडा में कुछ है, आस्ट्रेलिया में कुछ है । कहीं इंश्योरेंस के माध्यम से है और कहीं सेवा उपलब्ध कराने के माध्यम से है । हमारे यहां जो भी व्यवस्था है, यह हाईब्रीड है । इंश्यारेंस भी है, शासन की तरफ से भी है और दोनों भी है हाईब्रीड मॉडल । इंश्यारेंस प्लस हाईब्रीड । हमारे जो परिकल्पना है, उस दिशा में आगे जाने की है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सल हेल्थ की परिकल्पना है । मंत्री जी, आप एक कल्पना और कर लीजिए-जेडेटिक्स केयर की । आपके बहुत सारे डॉक्टर हैं, जो वृद्ध हो जाते हैं । अंत में डॉक्टर कह देता है कि घर लेजाकर सेवा करो। उस समय उसको कोई हैल्थ फैसिलिटी नहीं रहती और हैल्थ फैसिलिटी प्रोवाईडर भी नहीं रहता ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लंबा है, लेकिन वह सब इतने पन्नों के अंदर है और यह सीमित पन्ने हैं । मैं बोलूंगा तो लंबा समय भी लग जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- राजा साहब, सुनिए न । आप यूनिवर्सल को बाद में देख लेना । हम लोगों ने लोकल ब्रांड मांग की है, उसके बारे में बात कर लीजिए । हमारी छोटी-छोटी समस्या को हल करिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- महाराज जी ने बता दिया कि वह पन्नों के अंदर है तो अब रहने दो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसके बारे में बोलने दीजिए न ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि अब बजट पेश हो गया है तो उसमें आगे के लिए पहल की जा सकती है । बजट में जितनी बात आई है, उतना आया है । बाकी के लिए जितने साथियों ने अपनी बातें रखी हैं, सबकी बातें मैं आगे बढ़ाऊंगा, विभाग की ओर से बढ़ाऊंगा और उसमें पहल करेंगे । मैं पीपीपी का भी बोल देता हूं, मैं उसका हिमायती नहीं हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब मैं विनियोग पर चर्चा करूंगा, तब आप लोगों की मांगों के बारे में मैं विचार करूंगा।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- विनियोग वाले में मैं भी लाईन में हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहेंगे कि जितने सदस्यों ने मांग की है, उसको आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दें तो विनियोग में जवाब देते समय उसको शामिल कर लेंगे ।

श्री अमितेश शुक्ल :- बृजमोहन भैया, मंत्री जी तो आश्वासन दे रहे हैं, वह आपका काम करेंगे । मुख्यमंत्री की तरफ से थोड़ी आश्वासन देंगे । मंत्री जी के रूप में वे आश्वासन दे रहे हैं, और कैसे आश्वासन देंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, सभी साथियों से मेरा यही आग्रह है कि अगर मुझे लिखकर दे दें, कहीं नोट करने में चूक न हो गई हो तो आपकी मंशा के अनुरूप कर दूंगा । देखिए, आप लोग भी जानते हैं । यह कहना कि मुख्यमंत्री जी सारी चीज विनियोग में जोड़ पाएंगे, यह कठिन होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आयुष्मान के बारे में कहा था । उसमें कोई घोषणा की जरूरत नहीं है, उसमें हंटर की जरूरत है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैंने भी सीटी स्कैन मशीन की मांग की थी ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आपके यहां लगेगा । चार साल नहीं लगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और दोषी हूं । आपके यहां सीटी स्कैन मशीन लगेगी, ऐसा कहना नहीं चाहिए, वह घोषणा हो रही है, लेकिन वह फंड ऐसा है कि लग जाएगा, मेरी जवाबदारी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- घोषणा करने से मना किया गया है क्या ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह पहले ही घोषणा कर चुके हैं ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, वह बजट में नहीं आया है, दूसरा फंड है। आप भी जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री रूपांतरण कोष है, उसमें करेंगे । अध्यक्ष महोदय, कुछ बिन्दु जो उठे थे । मैं यह कहूं कि हमने सारा चीज कर दिया है तो बेमानी होगी, लेकिन हमने प्रयास किया और सुधार किया, यह सच्चाई है । मैं उसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूं । मेरे विभाग के जो साथी हैं, जो अधिकारी रहे, जिन्होंने हर स्तर पर काम किया । मितानीन जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2200 रूपये फिक्स एमाऊंट देने का निर्णय किया । अतिरिक्त जो उनको 100 परसेंट प्लस 75 परसेंट राज्य सरकार से मिलता था, उससे अतिरिक्त 2200 रूपए फिक्स एमाऊन्ट देने का निर्णय किया । इन सारी व्यवस्थाओं में अगर कहीं सुधार हुआ है तो उनका काम है । मैं इनके साथ चला । मुझे बहुत खुशी है । मैंने कहा कि लोगों ने कहा था कि इस विभाग को लेकर क्या पागनपन कर रहे हो, क्या बेवकूफी कर रहे हो । आज मुझे संतोष है कि मैंने यह विभाग लिया । कभी मौका मिलेगा तो पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यह विभाग ना छोड़ूं और इसमें काम की निरंतरता को बनाने में योगदान देता रहूं । जब यहां कांग्रेस की सरकार बनीं, उस समय 179 विशेषज्ञ चिकित्सों थे, अब पिछले चार वर्षों

में 534 हो गए । अभी भी कमी है, लेकिन हमने चार साल में इतने सालों में और पीछे चले जाएंगे तो आजादी से लेकर यह सरकार के सत्ता में आने तक कितने थे ? उसमें कांग्रेस की भी सरकारें थी, संयुक्त भी सरकारें थीं, भाजपा की भी सरकारें थीं तो राजनीति से हटकर प्रयास करके हटना मुश्किल है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप घोषणा मत करिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आप घोषणा मत करिये, जो करना है बाद में कर लीजियेगा। आप एक बात की तो घोषणा कर दीजिये कि यहां सत्र के बाद बिलासपुर सिम्स जाकर उसका निरीक्षण करेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- करूंगा। आपके साथ चलेंगे। मैं सिम्स की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। उसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। तंगी है, बहुत छोटी सी जगह में आकर सिमट गया है। उसमें कहीं कोई दो बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा अधिकारी 1302 से बढ़कर वर्तमान में 2413 हो गए हैं। ये डी.एच.एस. के आकड़ें हैं। दंत चिकित्सक 67 से बढ़कर 2022 हो गए हैं। तो 4 साल में कुछ नहीं हुआ, यह कहना ठीक नहीं है, गलत है। कमियां है, हम स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि हमने 90 प्रतिशत एचीव किया हो, 95 प्रतिशत एचीव किया हो, 80 प्रतिशत सुविधा दे रहे हैं, 85 प्रतिशत सुविधा दे रहे हैं। कमियां है। कहीं शव के मामले में कमियां है, कहीं डाक्टर गुस्से में आ गये, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग ऐसा कहां बोले हैं कि नहीं हुआ। हम तो बोले हैं कि हुआ है। बहुत हुआ, और करना है, कहकर आपको सलाह दिए हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान के भी कुछ रूचिकर आकड़े थे। मैं देखता हूं, वह शायद दिख जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा आकड़ा और ध्यान में आ गया। आई.सी.यू. की संख्या के बारे में है। मैं इसको फिर से दिखवाऊंगा। लेकिन सन् 2017 में डी.एच.एस. में 17 आई.सी.यू. थे और वर्तमान में 300 है। तो यह नहीं हुआ की श्रेणी में यह बात नहीं आती । आई.सी.यू. 300 की जगह 400 होते तो और अच्छा होता, यह कहा जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डायलेसिस की भी बात आई थी। इसमें करीब 42 हजार लोगों के डायलिसिस की व्यवस्था हुई है। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहां किडनी इत्यादि के लिए है। सुपेबेड़ा की भी बात आई। टेण्डर नहीं बुलाया गया, यह कहना गलत है। 3 बार टेण्डर बुलाया गया, उसमें टेण्डर नहीं आये। पी.एच.सी., सब हेल्थ सेन्टर चल रहा है। पेट्रोनियल डायलेसिस वगैरह की व्यवस्था की गई है। डी.के.एस. अस्पताल में 495 डायलेसिस हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मृत्यु दर इत्यादि में कमी

आई है। हम अभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसमें कमी आई है, ठीक है देश में सर्वाधिक कमी लाने वाला राज्यों में हम दिख रहे हैं। लेकिन यह जो आकड़ा है, वह काफी ऊपर है, हमें उसको और नीचे लाना है। तो खुले आंख और खुले मन से लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। चाहे एम.एम.यू. हो, इन्फ्रा मोटालिटी रेट हो, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान की बात आती है। माननीय बृजमोहन जी ने भी जिस बात को कहा, यह फिर मेरी व्यक्तिगत राय है। सरकार जो निर्णय लेती है, वह सर्वोपरि रहता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर पी.पी.पी. माडल के पक्ष में नहीं हूं। उसका कारण है कि मैंने स्वयं देखा और कुछ साथियों ने कहा कि प्रायवेट अस्पतालों में बहुत शोषण होता है, बहुत पैसे लेते हैं, इत्यादि। हम उसकी लायसेंस क्यों ना करें। सारा अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है, जहां आयुष्मान कार्ड चलता है। किसी सदस्य ने कहा था कि 20 लाख रूपये से ऊपर ले लिया था। माननीय पुन्नू लाल जी ने भी कहा कि किडनी का लग गया। अगर मुख्यमंत्री विशेष सहायता कोष के माध्यम से पहल कर लेते और प्रायवेट अस्पतालों में भी जाते तो मुख्यमंत्री जी 20 लाख रूपये तक की स्वीकृति देते हैं और मुझे लगता है कि वह जरूर देते। जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा है। एक हजार से ज्यादा लोगों को अकेले मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से लाभ मिल चुका है। करीब 80 करोड़ रूपये का लाभ मिल चुका है। हमारे पास और बजट है। बजट की कहीं कमी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान में जो केन्द्रांश और राज्यांश है, यह 40:60 से प्रारंभ हुआ था। हमको जो केन्द्र सरकार से राशि मिलती थी, नाम आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जी के नाम से होता था, उनका भी अंश होता था। हमको आज भी राशि मिलती है, तीन-साढे तीन सौ करोड़ मिलते हैं। लेकिन शेष राशि राज्य सरकार लगा रही है। यह जो 40:60 का रेशियो था, अब 30:70 हो गया है, 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 70 प्रतिशत राज्य सरकार का होता है। अगर मेरा आंकलन गलत नहीं है तो इस वित्तीय वर्ष में शायद यह 20:80 हो जायेगा। केन्द्र सरकार से तीन-साढ़े तीन सौ करोड़ रूपये की राशि मिलती है, राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रूपये तक खर्च करने का सहारा दिया है, सपोर्ट दिया है। तो 20 प्रतिशत केन्द्र सरकार से और 80 प्रतिशत राशि आयुष्मान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से हो रहा है। छत्तीसगढ़ आयुष्मान कार्ड बनाने में सबसे आगे राज्यों में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कायाकल्प में एक और छोटी सी बात है। पहले वर्ष 2017-18 में 94 इकाईयां कायाकल्प के माध्यम से परिवर्तित की गई थीं। वर्ष 2022-2023 में यह 849 है, कमी अपने जगह है और रह सकती है । सरकार ने जितना किया है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले करने का मौका लगा होगा । मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस विभाग में न केवल मंत्री के रूप में मनोनीत किया, काम करने का मौका दिया, राशियों की बात आती है, जय-वीरू की बात आती है, काम रोकने की बात आती है, कैसे होता यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह परिस्थिति निर्मित नहीं होती ।

बेकिंग यदि नहीं रहती तो स्वास्थ्य विभाग में यह काम हो ही नहीं सकता था । भाई चले गये हैं, उन्होंने सब हेल्थ सेंटर्स के बारे में बोला था, यह भी जानकारी सब के साथ साझा कर रहा हूँ, आने वाले साल में इसका प्रावधान कर दिया गया है । शायद राज्य के समस्त हेल्थ सेंटर्स को नई बिल्डिंग मिल जायेगी । जहां तक मैं कहने की स्थिति में हूँ, राज्य के सारे सब हेल्थ सेंटर्स को नई बिल्डिंग मिल जायेगी । ऐसे तो नाम पाटन का आ जा रहा है, लेकिन संयोग मानें या उपलब्धि मानें, देश का पहला सी.एच.सी. पाटन था, जिसने वह व्यवस्थायें लागू की है, जो देश में कहीं लागू नहीं हुई है । मुस्कान योजना के माध्यम से डिलीवरी के मामले में टॉप अवार्ड इंडिया का पाटन को ही मिला । (मेज की थपथपाहट) मुख्यमंत्री जी का विधान सभा है, उनका क्षेत्र है, लेकिन ऐसे काम हुये हैं । अध्यक्ष महोदय, सिकलसेल की बात बता देता हूँ, मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत संवेदनशील हैं और बार-बार इसमें बोलते हैं कि देखिये । छत्तीसगढ़ ने टोटल स्क्रीनिंग 51 लाख 22 हजार 798 लोगों की पूरी की है । इसमें से सिकलसेल ट्रेड ए.एस्. वाले 2,29,219 है, सिकलसेल डिसीज एस.एच. जिसको कहते हैं, 11 हजार 857 चिन्हांकित किये गये हैं । पाईंट ऑफ केयर टेस्टिंग, आपको अस्पताल आना नहीं पड़ेगा, पाईंट आफ केयर टेस्टिंग के लिये हितग्राही के घर जाकर टेस्टिंग की व्यवस्था हो गई है । यह जल्दी लागू हो जायेगा। पाईंट ऑफ केयर टेस्टिंग होगी और वहीं का वहीं 5 से 7 मिनट के अंदर बता दिया जायेगा कि आप सिकलसेल से ग्रसित हैं या नहीं है । एस.एस. हैं या एस.ए. हैं या ग्रसित नहीं है । यह व्यवस्था हो रही है । आखिरी में समय हो गया है, डी.एच.एस. तो बच गया है, डी.एम.ई. बच गया है, मेडिकल्स कॉलेज की जानकारी है, नये मेडिकल कॉलेज आने हैं । अध्यक्ष महोदय, कुछ मांग आपके यहां के भी हैं, नये जिले के भी हैं, मैं इस बाबत् मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा । मैंने उसको आगे इसलिये नहीं बढ़ाया है, एन.एच.एम. के माध्यम से हमने जो प्रस्ताव दिया है, समस्त नये जिलों से वहां से राशि आना संभावित है । हम राज्य से लगायें या वहां से लगायें, इसलिये मुख्यमंत्री जी से अभी हमने इन्क्लूड नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में समस्त नये जिलों में भी मुझे लगता है, यह आश्वासन नहीं है, वह राशि एच.एम. के माध्यम से आ जायेगी और अस्पताल स्थापित हो जायेंगे । आखिर में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में एक और छोटा कदम आगे है । हम लोग चाह रहे थे कि एक और छोटा कदम आगे बढ़ायेंगे । हम लोग चाह रहे थे कि बजट के बाद 1 अप्रैल से लागू हो जाये, लेकिन प्रक्रियायें हैं, थोड़ा समय लगती है, मुझे लगता है कि 1 जून से पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप और आपकी पूर्ण सहमति से कैशलेस व्यवस्था चालू हो जायेगी, जो राशि पेशेंट से सरकारी अस्पतालों में ली जाती है, एक नया पैसा नहीं लिया जायेगा । राजीव गांधी न्याय योजना की श्रृंखला में आपके तरफ से यह एक और कदम माना जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आने वाले समय में टाईम लिमिट करेंगे ? एक महीने, दो महीने ऐसा ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- 1 जून ।

अध्यक्ष महोदय :-1 जून तो उन्होंने बताया है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं 1 जून बोल रहा हूँ । थोड़ा-थोड़ा कान पकड़कर बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रशासकीय ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तक जितने लोगों ने भाषण किया है, टाईम लिमिट किसी भी घोषणा में नहीं बताया है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं अपने ऊपर जोखिम ले रहा हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- महत्वपूर्ण इसलिये ज्यादा है, क्योंकि वह आपके लिये चुनावी है । आपका स्वास्थ्य विभाग जनता के लिये महत्वपूर्ण है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- एक अप्रैल होना चाहिये था, लेकिन टाईम लगेगा । कोई भी चीज करने में उतना टाईम लगेगा तो घोषणा मत कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप 1 जून को आप घोषणा कर रहे हैं ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- नहीं, 01 जून।

अध्यक्ष महोदय :- 01 जून की घोषणा तो कर रहे हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- अजय भाई, उसमें गुस्सा मत होईये। आप तो धन्यवाद दीजिये, मंत्री जी 01 जून की घोषणा कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री अमितेश शुक्ल जी अभी बीच में आये हैं। इधर लंच की व्यवस्था है और चाय की भी व्यवस्था है। वह उस एनाउंसमेंट की सुने नहीं है। मैं आसंदी से आग्रह करता हूं कि लंच भी है, शाम का नाश्ता भी है, चाय भी है, पुनर्विचार करते हुए उनको अवगत करा दीजिये।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बता दीजिये कि वहां पीने की व्यवस्था भी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अमितेश जी को अवगत करा दीजिये कि वह समय पर खा सके।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें ओ.पी.डी., आई.पी.डी., डायग्नोस्टिक्स, आपकी जो भी टेस्टिंग मशीनों से होगी, दवाइयां, आपको इसके लिये जेब से एक नया पैसा नगद नहीं देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बधाई।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से यह योगदान, यह सहमति मिली है तो आप सब को धन्यवाद। आज जिन साथियों ने भाग लिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आखिरी में आज-कल जय-वीरू की जोड़ी चल रही है या नहीं चल रही है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- देखिये, खट्टा-मीठा चलेगा। (हंसी) वह तो चलता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- या उसमें रिफ्ट आ गयी है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बाकी मैंने बोला ना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने एक विभाग छोड़ दिया।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह समय और परिस्थिति के ऊपर है।

श्री नारायण चंदेल :- बृजमोहन जी, जय-वीरू तो ठीक है लेकिन गब्बर कौन है। (हंसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- गब्बर तो कहीं और देखना पड़ेगा। यहां गब्बर नहीं है। (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैया, हमर इहा तो जय-वीरू दोनों है। तुहर तरफ कौन हे ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, आज जिन साथियों ने भाग लिया, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. विनय जायसवाल, माननीय सौरभ सिंह जी, माननीय धरमलाल कौशिक जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय शैलेश पाण्डे जी, माननीय प्रमोद कुमार शर्मा जी, माननीय केशव चंद्रा जी, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा जी, माननीय श्री नारायण चंदेल जी और भी साथियों के सुझाव आये थे। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, धरमलाल कौशिक जी, श्री अरूण वोरा जी एवं अन्य सदस्यों ने सुझाव दिये थे। श्री बृहस्पत सिंह जी ने भी बोला।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- गब्बर सिंह और सांभा कौन है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- राजा साहब, राजा साहब।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मैं भी तो बोला हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आपका भी नाम लिया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपका नाम ले लिया है। आप कहां रहते हो।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह, रहने दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट, राजा साहब, जैसा बस्तर में मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, सिम्स की नयी बिल्डिंग वैसी बनवाओ। वहां वह मेडिकल कॉलेज तो बनारस का कचौड़ी गली है ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, उसमें कोनी के लिये पहल चल रही है। लेकिन बजट में प्रावधान नहीं है इसलिये मैंने नहीं बोला।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, उसको करवाईये। श्री मरकाम जी, गब्बर सिंह के लिये लोगों की नजर आपकी तरफ है। गब्बर के रूप में आपकी तरफ नजर है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- चार नये मेडिकल कॉलेज के लिये 200 करोड़ का प्रावधान है। यह चारों मेडिकल कॉलेज का काम चालू हो जायेगा। तीन पुराने मेडिकल कॉलेज थे, वह प्रारंभ हो चुके हैं, उसमें टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। जमीन के आवंटन में जो थोड़ी-बहुत कमी बेशी रहती है, कहीं वन विभाग

को कुछ राशि चुकाना, कहीं कुछ करना, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट रूचि ले रहे हैं। बहुत जल्दी ही ..।

श्री धर्मजीत सिंह :- कोनी का भी करा दो।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- कोनी का अलग से है।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, हो जायेगा।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से भी सारागांव के लिये एक सुझाव आया था। मैं सब पहुंचा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी मांग है कि अमितेश सिंह जी को हर तरह से डिटॉक्स करवा दीजिये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आग्रह है कि सर्वसम्मति से इसको पारित करने पर विचार करें।

श्री अमितेश शुक्ल :- हां, बिल्कुल। पीने की भी व्यवस्था है इसलिये आप जाकर थोड़ा पीकर आईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय राजा साहब, अमितेश जी को डिटॉक्स करवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, प्लीज।

मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है कि - 19, 79, 7 एवं 50 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये - तीन हजार दो सौ सात करोड़, सत्तर लाख, नब्बे हजार रूपये,
मांग संख्या	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार पांच सौ चौहत्तर करोड़, अड़तालीस लाख, तीन हजार रूपये,
मांग संख्या	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन सौ पैंतीस करोड़, छिहत्तर लाख, तिरसठ हजार रूपये तथा
मांग संख्या	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - चार करोड़, तेरह लाख, पन्द्रह हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- आपको बधाई।

माननीय रूद्र कुमार जी।

(2) मांग संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये

मांग संख्या 56 ग्रामोद्योग के लिये

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये - एक हजार चार सौ तैंतीस करोड़, छियासठ लाख, बत्तीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या 56 ग्रामोद्योग के लिये – एक सौ चवालीस करोड़, उनहत्तर तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। आप उस समय नहीं थे, चर्चा शुरू हुई तो भी मैंने प्रतिवेदन पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। इस लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने तो हद कर दी, उसके प्रतिवेदन के दो पेज खाली हैं कोरे हैं। आप इस प्रतिवेदन को देख लीजिए। इसमें जानकारी बजट के हेडवाईस नहीं है। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। हम क्या इसमें उसकी बजट में चर्चा करेंगे, आप बताईये? मैंने तरह-तरह की विसंगतियों की ओर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था तो मुझे लगता है कि शायद विधान सभा की अवमानना, संसदीय कार्यमंत्री जी का स्वभाव बन गया है। आप बताईये कि इस प्रतिवेदन में दो पेज कोरा है उसको क्या पढ़ा जाए। इसमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय बोल दिया गया है तो उसको कैसे जानेंगे ? दूसरे में बजट दूसरी तरह का है। इसमें दूसरी तरह का प्रिंट है। उन्होंने कहा कि हम दिखवाते हैं। वह क्या दिखवा रहे हैं, यह अभी तक पता नहीं है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- हम अगली बार प्रतिवेदन छपवा कर देंगे, आप चिन्ता मत करिए।

अध्यक्ष महोदय :- अभी आप चर्चा में उसको कर लीजिएगा। मैं उसको करता हूँ। पहले यह हो जाने दीजिए।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मजाक हो गया है। आप कुछ व्यवस्था दीजिए। सभी विभागों के प्रतिवेदन अलग-अलग है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। पहले यह हो जाने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पिछले साल के प्रतिवेदन में चर्चा कर लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तवों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे।

मांग संख्या-20

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

1.	श्री नारायण चंदेल	3
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	5
3.	श्री अजय चन्द्राकर	2
4.	श्री धरमलाल कौशिक	3
5.	श्री शिवरतन शर्मा	7
6.	श्री डमरूधर पुजारी	1
7.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1
8.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	3
9.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

मांग संख्या -56

ग्रामोद्योग

1.	श्री नारायण चंदेल	3
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
3.	श्री अजय चन्द्राकर	1
4.	श्री धरमलाल कौशिक	5
5.	श्री शिवरतन शर्मा	7
6.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	2
7.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्तुत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय मुख्यमंत्री जी, यह देखिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर प्रतिवेदन कोरा रह गया तो इसमें कौन सी आपत्ति आ गई।

श्री अजय चन्द्राकर:- आप जो चाहें, कर लें।

श्री अरूण वोरा :- भईया, यह प्रिंटिंग मिस्टेक है।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी के द्वारा जो यह विभाग की गंभीर त्रुटि है उस विषय पर ध्यानाकर्षण किया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ए पत्ता हा चिपग गे हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सफाई दी कि प्रिंटिंग के समय में यह पृष्ठ है, वह चिपक गया है और आगे बढ़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रतिवेदन में भाग 4 के बाद में भाग 5 और भाग 5 के बाद में भाग 6 होना चाहिए, यह पृष्ठ चिपक गया है। जब इसमें यह भाग 5 और भाग 6 लिखा हुआ है तो आखिर इसे ब्लैंक रखने का क्या कारण है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैंने बताया कि वह पृष्ठ चिपक गया है।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चर्चा कर रहे हैं। हम पास कर देंगे। यदि प्रतिवेदन में ही चर्चा करनी है तो हम पिछले साल के प्रतिवेदन में चर्चा कर लेते हैं। किसी में कोई गंभीरता तो नहीं है। न तो संसदीय कार्य मंत्री, न विभागीय मंत्री में कोई गंभीरता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें शुरू करिए।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका काम पानी चुहकने का है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें सुबह भी चर्चा हो चुकी है। इसमें व्यवस्था भी आई थी। उसके बावजूद भी मैं विभाग को निर्देशित करता हूँ कि ऐसी त्रुटियों से बचे।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हर विभाग में है। मैंने उस समय 10 उदाहरण दिये थे। यह विधान सभा की अवमानना है। मैंने सिर्फ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बात नहीं कही थी। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह जबरदस्ती की सनसनी फैलाते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग तो वही है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ऐसा कोई विभाग में नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय चन्द्राकर साहब, जो 15 सालों आपके साथ था। वही विभाग आज भी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रतिवेदन में कोई एक पत्ता चिपक गया तो आपकी दिक्कत हो गई।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने आदत बिगाड़ी है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ऐसा प्रतिवेदन में और कौन से विभाग में हुआ है आप बताईये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी अपनी बात कह रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खड़े हो जाते हैं। समझ में आथे सनसनी हा।

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 सालों में इन लोगों ने ही आदत बिगाड़ी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाएं।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सुनिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओ अभी नइ सुनत हे। अभी बइठ जा। अभी शिवरतन शर्मा जी के सुने जाथे, तोर नइ सुनए जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के तीन अइयार हैं, देवकांता संशति में जो अइयार होते थे, इनके पास तीन अइयार हैं और तीनों अइयार को ठीक से शिक्षा नहीं दी है। वह बताते कुछ हैं और बढ़ते किसी तरफ हैं। और उनके इशारे भर को समझते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, कौशिक जी बोलने के लिए खड़े हैं, उनको चन्द्राकर जी बार-बार बाधित कर रहे हैं। कौशिक जी इतने विद्वान हैं, वह बोलने के लिए खड़े हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी आपकी नहीं सुनी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, कौशिक जी, आप शुरू हो जाईये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हमारा 15 साल पहले का प्रतिवेदन निकलवा लो और उस पर चर्चा करा लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिवेदन देखें, प्रतिवेदन में स्वीकृत पद हैं और कितने भरे हैं। अगर विधान सभा को गुमराह करें। राज्य सरकार के द्वारा वस्तुस्थिति विधान सभा के पटल पर आनी चाहिए। यह पूरा प्रतिवेदन ऐसा है कि इस पर हम क्या चर्चा करेंगे? स्वीकृत पद लिखे हैं। भरे कितने हैं, खाली कितने हैं यह नहीं लिखा है। 2001 से अभी तक कितना काम हुआ है, आपने 04 साल में कितना काम किया। प्रतिवेदन के माध्यम से विधान सभा को गलत जानकारी देना, पूरे प्रदेश को गुमराह करना, यह औचित्यपूर्ण नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, आप उठाकर देख लें। आपको जो जानकारी प्रिन्ट नहीं करना है, वह मत दें। परंतु इस प्रकार की जानकारी प्रतिवेदन में नहीं लिखी है।

अध्यक्ष महोदय :- चौबे जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- और बोले के बचे हा का?

अशोधित/प्रकाशन योग्य नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसे हे गलती ला मान लो तो ये सदन के हाईट बढ़ही। अब ये लिखे है राजपत्रित प्रथम श्रेणी स्वीकृत पद, भरे कितने हैं, खाली कितने हैं। राजपत्रित द्वितीय श्रेणी पद, स्वीकृत पदों की संख्या लिख दी है, भरे कितने हैं, खाली कितने हैं, यह नहीं लिखा है। हम चर्चा किसमें करेंगे? इसमें मांग संख्या के अनुसार उल्लेखित होता है, वह उल्लेखित नहीं है। मैं लगभग सब विभागों के प्रतिवेदन देख रहा हूं, कार्यवाई की जा रही है, ऐसी योजना है और उस योजना में आपने फायदा कितने लोगों को पहुंचाया है, कितने लोगों को फायदा मिला या नहीं मिला? अगर प्रतिवेदन ऐसा ही बनायेंगे तो मंत्री जी ये सदन की अवमानना है, पूरे प्रदेश की अवमानना है। माननीय अधिकारियों के द्वारा अगर चीजों को छुपाया जाता है, मुझे लगता है कि मंत्रियों से भी छुपाया जाता है और इसलिए काम नहीं होता है। प्रतिवेदन वास्तविक स्थिति का दर्पण होता है और वास्तविक स्थिति का दर्पण इस सदन में आना चाहिए। हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इसी के आधार पर चर्चा करते हैं। अगर यही सही नहीं होगा तो हम चर्चा क्या करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिससे आप प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, माननीय अति विद्वान संसदीय कार्य मंत्री जी कांग्रेस पक्ष के सबसे विद्वान हैं, फ्लोर मैनेजर हैं। खुद उनके विभाग के चारों, पांचों प्रतिवेदन गलत थे। मैं उस दिन चर्चा शुरू करते हुए इस बात को कहा था। उन्होंने स्वीकार किया था कि गलत है। मैंने बहुत सारे विभागों में यह बात कही थी। मेरा मुख्य आशय पी.एच.ई. भर नहीं था। मेरा मुख्य आशय यह था कि जान-बूझकर यह सरकार विधान सभा की अवमानना कर रही है। इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। या आप कोई कार्यवाही करें। उनके खुद के जिनके विभाग हैं, उनके प्रतिवेदन गलत थे। उद्देश्यों का कथन नहीं था।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई लिपिकिय त्रुटि हो गई है तो इतना बड़ा पहाड़ नहीं गिर गया है, आपको चर्चा करनी चाहिए। कौशिक जी, बहुत विद्वान साथी हैं, उनको चर्चा करने दी जाये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आप पिछले साल तक का प्रतिवेदन देख लें, 2021-22 का जो प्रतिवेदन जारी हुआ, उसमें रिक्त पद की जानकारी थी, योजनाओं की जानकारी थी। इस बार के प्रतिवेदन में चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका विभाग हो रिक्त पद की जानकारी कहीं नहीं है। स्वीकृत पद की जानकारी है कि इतने पद स्वीकृत हैं पर कार्यरत कितने हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग में मेरे प्रश्न के उत्तर में आज आया है कि 50,000 पद खाली हैं पर प्रतिवेदन में उसका उल्लेख नहीं था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय भाई साहब के विभाग के बारे में मैंने उसी दिन आपत्ति ली कि उनके विभाग के उद्देश्य क्या हैं, यह प्रतिवेदन में प्रिन्टेड नहीं है। कितने अधिनियम प्रचलित हैं जिसके आधार पर वह विभाग चलता है, वह प्रिन्टेड नहीं है। अब चर्चा किस बात पर होगी। मजाक से ज्यादा

कुछ नहीं है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसमें आप गंभीरता से लीजिए। या सरकार की ओर वह कह दें जो कहना है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, दो-तीन प्रमुख बात है। माननीय अजय जी ने कहा कि विधान सभा की अवमानना हो रही है। अजय जी, इसमें अवमानना जैसी कोई बात नहीं है। दूसरा एक पेज जो कोरा है उसको लेकर कहा है, उसमें लिखा हुआ है, विभाग की जानकारी में आया है, कभी चिपक गया होगा तो निरंक लिखा हुआ है। आप उसी चीज को बार-बार उठा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके प्रतिवेदन में क्या हुआ था?

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर इस विभाग में चर्चा हो रहा है, फिर आप दूसरे विभाग में कहां ले गये?

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, तोर हाथ-पांच जोड़त हव।

श्री बृहस्तप सिंह :- फिर आप दूसरे विभाग में क्यों ले जा रहे हैं? जिस विभाग की चर्चा हो रही है, आप उसमें बात करिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह भाग 5 और भाग 6 में (व्यवधान) देने की जरूरत नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पति जी, संसदीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। प्लीज। आप बैठ जाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी मैं तो आपको इस बात का अग्रह करूंगा कि आपको विभागों को निर्देश आना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी ..।

श्री अजय चंद्राकर :- आप एकाध के ऊपर घोषणा करिये। नहीं तो मजाक होगी। चलिये, इसमें तो प्रीटिंग मिस्टेक हो गया। आप तो विद्वान हैं। आपके पांचों प्रतिवेदन में क्या था?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अजय जी जानना चाहते हैं कि कृषि विभाग में क्या हुआ। आपको पी.एच.ई. की चर्चा रोक कर वापिस कृषि की चर्चा में जाना है।

श्री अजय चंद्राकर :- विषय है प्रतिवेदन में त्रुटियां।

श्री रविन्द्र चौबे :- आज कहां चले गये? तीन दिन पहले कृषि विभाग की चर्चा हो गई है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं कहीं नहीं गया हूं। मैं विषय पर ही हूं। वह आज टर्न कर रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- तीन दिन पहले कृषि विभाग की चर्चा हो गई है और आप अभी कृषि विभाग की प्रतिवेदन में चर्चा कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने बताया था न कि उसमें भी त्रुटि है तो भी त्रुटि नहीं सुधरी और त्रुटियां निरंतर है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणी अध्यक्ष महोदय, और उसके बावजूद भी इसको हम लोग त्रुटि मानते हैं। भविष्य में विभाग को इस संबंध में आदेश दे दिया जायेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह त्रुटि तब है ..।

श्री अजय चंद्राकर :- आप इस प्रतिवेदन से संतुष्ट हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से निर्देश आना चाहिए कि जब विधान सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत होते हैं तो पांच कॉपी में मंत्री जी दस्तखत करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसलिए उसकी पूरी जिम्मेदारी है। इसलिए आपकी तरफ से उसका निर्देश आना चाहिए कि भविष्य में विधानसभा में जो जानकारी प्रस्तुत की जाए, वह पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए। आधी-अधूरी जानकारी प्रस्तुत न की जाए, जिससे पूरे प्रदेश को और सदस्यों को चर्चा करने के लिए आसानी हो सकें। यह आपकी तरफ से निर्देश होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब लोगों ने जो बातें कही है, उसको मैंने सुना है। मैंने माननीय मंत्री जी की भी बात सुना है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि त्रुटि हुई है। मैं आने वाले समय में प्रशासनिक प्रतिवेदनों में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इसका सख्त हिदायत देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एक महत्वपूर्ण विभाग है और महत्वपूर्ण विभाग होने के नाते उसकी जवाबदारी भी बड़ी है। बड़ी जवाबदारी में जल का संरक्षण, संवर्द्धन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना इस विभाग के महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चिंता व्यक्त की गई और अमृतकाल महोत्सव में इस देश के प्रधानमंत्री लालकिला के प्राचीर से इस बात की घोषणा की कि वर्ष 2024 तक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था तक की जायेगी और उसके बाद में 01.04.2019 से भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन प्रारंभ किया है। इसका हेतुक यही था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पुराने सारी योजना को मिलाकर उसमें राज्यांश और केन्द्रांश, दोनों को मिलाकर ग्रामीण इलाकों में 50 लाख 7 हजार परिवार तक सितंबर, 2023 तक छत्तीसगढ़ के लिए और वर्ष 2024 तक हिंदुस्तान के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करानी है। इसके साथ में इस योजना की शुभारंभ हुई है। योजना शुभारंभ हुआ और यह योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ। लागू होने के बाद में इनकी जो टेंडर लगी। अब टेंडर लगने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि 10 हजार से अधिक की ई.ई.ओ.आई. को केबिनेट के द्वारा निरस्त किया गया। मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि जो प्रदेश है, वह इकाई था और इकाई के बाद में वह टेंडर को निरस्त करना पड़ा और निरस्त करने के बाद में यह प्रदेश की इकाई को घटाकर इन्होंने जिले को इकाई बना दिया और कलेक्टर को उसको मालिक बना दिया। कलेक्टर को मालिक क्यों बनाया गया, क्योंकि जिले स्तर पर कांग्रेसियों का पोषण हो सके और इसके लिए इनके द्वारा उसको इकाई बनाया गया। केन्द्र सरकार के द्वारा राशि दी गई। अब राशि दी जाने के बाद में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। तो वर्ष

2020-21 में 1451 करोड़ बजट का प्रावधान हुआ और उसमें जो खर्चा हुआ है 1067 करोड़ यानी 72 प्रतिशत से ऊपर हम नहीं बढ़ सके । पैसा रहने के बाद भी खर्च करने में 75 प्रतिशत के नीचे रहे, इसी प्रकार से वर्ष 2020-21 में आजतक 74.40 प्रतिशत मतलब हम इस छत्तीसगढ़ में 75 प्रतिशत को क्रॉस हम नहीं कर पाये । पैसा रहने के बाद में हम लोगों के घर तक नल-जल योजना पहुंचाने में असफल रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसका आंकड़ा बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हमारी क्या स्थिति है ? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राथमिकता दी गयी और प्राथमिकता देने के बाद इसमें ग्रहण लग गया । वेबसाईट में दिनांक 20 मार्च, 2023 की स्थिति में जिन राज्यों ने छत्तीसगढ़ के साथ में कार्य प्रारंभ किया तो दिनांक 15 अगस्त, 2019 की स्थिति में नल कनेक्शन हेतु शेष घर एक हमारा गोवा है । गोवा में 63,919 दिनांक 20 मार्च, 2023 की स्थिति में उनकी प्रगति है 23,919 मतलब 100 प्रतिशत उन्होंने घर में पहुंचाने का काम किया है । हरियाणा 12 लाख 74,951, 20 मार्च की स्थिति में 12 लाख 74,951 यानी 100 प्रतिशत की पूर्ति, गुजरात 26 लाख 2151 और 20 मार्च की स्थिति में 26 लाख 2151 सौ प्रतिशत, तेलंगाना 38 लाख 29,918, बिहार जैसे बड़े प्रदेश 1 करोड 63 लाख 13,000 नल कनेक्शन उनके द्वारा जो दिया गया और 1 करोड़ 55 लाख 79,090 यानी 96 प्रतिशत की उनकी पूर्ति हुई ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी आंकड़ें कहां से लेकर आये हैं ? ओकर कुछू सत्यता हावए ?

श्री धरमलाल कौशिक :- पूरी सत्यता है । अभी आप बाहर में जाओ और जल मिशन की वेबसाईट को खोल लो और उसको प्रिंट कराकर लेकर आओ ।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी ने पहले शुरू कहां से किया, गोवा से किया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहीं से भी आंकड़े ले आकर बोलना शुरू कर देते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उसको समझ भी नहीं पायेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनका सबसे पहले गोवा का आंकड़ा आया इसका मतलब इनका गोवा सबसे ज्यादा दौरा होता है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कक्ष में भेज देते हैं और ये वेबसाईट से जलमिशन का निकलवाकर ले आयें ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा, दूसरा तोर दल वाला एक्को झन नइ हे । पूरा सूपड़ा साफ है, कोई सुनना वाला तो होए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप सुनने के लिये बैठे हैं, वह कम है क्या ? क्या आपके रहते किसी की जरूरत है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं सुनत हंओं लेकिन तोर डहर के एको झन तोर ला नइ सुनत हे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बैठे हुए हो, चौबे जी बैठे हुए हैं, सारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप सुनने के लिये बैठे हुए हैं न ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बांधी जी बैठे भी हुए थे तो उधर मुंह करके बैठे हुए थे । अभी सुने तो इधर आ रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है । दिनांक 15 अगस्त 2019 की स्थिति में जब प्रारंभ हुआ तो 46 लाख 88,634 घरों में नल पहुंचाने थे । 20 मार्च यानी अभी तक कितना हुआ है ? 17 लाख 33,268 हुआ है । हमारे जो बाकी प्रदेश हैं वह 100 प्रतिशत है और छत्तीसगढ़ 37 प्रतिशत है मतलब इस योजना को वाट लगाने का काम हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के अमले और उनके विभाग के द्वारा किया जा रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नल पानी के लिये है न । सब जगह जो नल लगा रहे हैं उसमें टोंटी लगाकर पानी के लिये है लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां नल की टोंटी खोलेंगे तो पानी नहीं निकलेगा उसमें से पैसा निकलेगा, पैसा । यह पैसा छत्तीसगढ़ में निकलना शुरू हो गया है और इसके कारण हम कहां पर हैं, मैंने आपके सामने डाटा प्रस्तुत किया है ।

समय :
3.33 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हम यदि बात करेंगे कि नल कनेक्शन कितने घरों में टोटल दिया गया तो मेरे सामने में जो उदाहरण हैं । मैंने 8 राज्यों का बताया।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धरम भैया, चलिये न टोंटी खोलते हैं । कहां पर पैसा निकल रहा है देखते हैं । (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही हो रहा है कि नल के टोंटी से छत्तीसगढ़ में पानी नहीं निकल रहा है । नल के टोंटी से पैसा निकल रहा है और इसमें आपकी प्रगति दिख रही है कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ कहां पर है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय भगत जी, जो टोंटी में नल से पानी निकालने वाला है न उसमें दो लोग सस्पेंड हो गये हैं । मंत्री जी ने सस्पेंड कर दिया है । वह उसका पूरा एक्सपर्ट था ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- डिमोशन भी किया है और रिकवरी भी निकाला है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह भी आगे बतायेंगे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- देख लो, आप पता पूछ रहे थे न कि कहां से पैसा निकलता है करके ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अरे तोर तरफ से टकराहिल हो गे रिहिस हे न, 15 साल ले उही काम करत रिहिस हे । इंहां थोड़े चलही । 15 साल तो इहे काम करत रहे हओ । इहां थोड़े चलही । 15 साल तो उही काम करत रहेव, ओ समय समय सब गड़बड़ कर रहेव तो टकराहिल हो गे रहिस हे । ओला हमन हा ठीक कर दे हन ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम कुल घरों की बात करें कि योजना प्रारंभ होने के बाद कुल घरों में प्रदेश की क्या स्थिति है ? 50 लाख, 8 हजार में से 20 लाख 53 हजार, 9 यानी 41 परसेंट में है । अन्य प्रदेशों की तुलना में जहां 100 प्रतिशत लोगों ने एच.यू. किया है । हमारे यहां की स्थिति 8 राज्यों और संघ शासित प्रदेश है वह भी 100 प्रतिशत पर पहुंच गए । लेकिन छत्तीसगढ़ लगातार पीछे जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेशों से जो आंकड़े भेजे गए कि 100 प्रतिशत नल कनेक्शन वाले गांवों की संख्या, जिनकी जानकारी केन्द्र सरकार को भेजी गई । इसमें गोवा ने 378 गांवों की सूची भेजी, जहां 100 प्रतिशत घरों में नल पहुंचाए गए हैं, उनका प्रतिशत 100 है । हरियाणा ने 6713 गांव की सूची भेजी है, उसमें 6709 गांव ऐसे हैं जहां पर 99.94 प्रतिशत पूर्ण है । छत्तीसगढ़ ने 460 गांवों की सूची भेजी । 100 प्रतिशत गांवों में जहां नल कनेक्शन दिये गये हैं उनकी संख्या 94 है । इस प्रकार से 20 प्रतिशत की स्थिति है । उपाध्यक्ष महोदय, जो राशि केन्द्र सरकार के द्वारा दी गई है और उसमें से जो आहरण करना है । 2019-20 में जब योजना की शुरूआत हुई तो 9981 करोड़ रूपए उनके द्वारा रखा गया । छत्तीसगढ़ ने कुल मिलाकर 66 करोड़ रूपए का आहरण किया । यानी 31 राज्यों की सूची में 25 वें नम्बर पर है । उपाध्यक्ष महोदय, 2020-21, 10916 करोड रूपए में 334 करोड़ का आहरण हुआ । जो कि 31 राज्यों की सूची में 14वें नम्बर पर है । 2021-22, 40 हजार 10 करोड़ में 477 करोड़ का आहरण हुआ, जो 31 राज्यों में 24 वें नम्बर पर है । उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से जिन प्रदेशों ने राज्यांश मिलाकर काम किया । उनकी आहरण की शक्ति बढ़ी, उन्होंने काम को आगे बढ़ा लिया । लेकिन हमारा प्रदेश लगातार पीछे है । जब यहां पर केन्द्रीय जल शक्ति मिशन के मंत्री जी आए थे और उन्होंने समीक्षा की तो पूरे हिंदुस्तान में हमारा प्रदेश 28 वें नम्बर पर है । पैसा देने के बाद भी विभाग काम नहीं कर पा रहा है । काम नहीं कर पाने का कारण मैं आगे बताऊंगा । उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों में जो नलजल कनेक्शन देना प्रारंभ किया । हमारे प्रदेश में 45 हजार से अधिक स्कूलों में 43 हजार, लगभग हमारा प्रदेश 20 में से 19वें स्थान पर है । आंगनबाड़ी में जहां पानी पहुंचाना था उसमें छत्तीसगढ़ पूरे भारत में 20वें स्थान पर है । मतलब पैसा रहने के बाद न तो आप आंगनबाड़ी में नल पहुंचा पाए । पैसा रहने के बाद भी आप स्कूलों में नल पहुंचाने की स्थिति में नहीं है । पैसा रहने के बाद भी अभी जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई । उपाध्यक्ष महोदय, इनको काम करने के लिए पैसा दिया गया लेकिन काम करने के बजाय राशि का स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ है । इसमें मैंने पहले बताया कि पहले मुख्यमंत्री जी के, केबिनेट के हस्तक्षेप के द्वारा टेंडर को निरस्त किया गया ।

अब विधान सभा में 15 मार्च 2023 को प्रश्न में विभाग ने उत्तर दिया कि 2020 से आइवा इंजीनियरिंग, एफ.एस. इंजीनियरिंग व ग्लोबल इलेक्ट जैसे 20 से अधिक फर्मों का इंटीग्रेटेड सेडल पाईप व कम्पोजिट पाईप आदि इम्प्लेंट कंपनियों का टेंडर निरस्त नहीं किए गए हैं जबकि 15 फरवरी को एक समाचार पत्र ने प्रकाशित किया और प्रकाशित करने के बाद....।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय, 20 मिनट हो गया है और कितना समय लेंगे? थोड़ा सा देख लीजिए, समय का ध्यान रखिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने तो अभी बोलना शुरू किया है, इसके बाद उसमें एक और कंडिका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद फिर उनके एक अधिकारी का बयान आया है और उस अधिकारी ने कहा है कि नियम विरूद्ध होने के कारण और कुछ कारणों से निरस्त किया गया है और निरस्त करने की बात को स्वीकार किया गया है या तो विधान सभा में छिपाने की कार्रवाई हो रही है, यदि अधिकारी बाहर बोल रहे हैं तो वह विधान सभा में जवाब में आना चाहिए। अब इसमें देखिए कि कैसे इनका करप्शन हुआ है। एक जुलाई से एस.ओ.आर. में वृद्धि हुई है तो 15 दिन बाद उसको रद्द कर दिए। 200 में 80 टेंडर रद्द किए। वह बांधी जी के प्रश्न के जवाब में है। उसमें लगभग 200 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है। जब एस.ओ.आर. में वृद्धि हुई, उसके पहले का टेंडर है तो पहले के टेंडर होने के बाद उसको निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी। उसको जानबूझकर निरस्त किया गया और उसका रेट बढ़ा करके जिस प्रकार से टेंडरिंग की प्रक्रिया में आई तो लगभग 200 करोड़ रूपये का घोटाला इस सरकार के द्वारा हुई है।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, यह घोटाला का आरोप निराधार है। आपके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि घोटाला हुआ है। अगर टेंडर निरस्त हुआ तो फिर से टेंडर हुआ।

श्री धरमलाल कौशिक :- रेट में अंतर आया, एस.ओ.आर. में अंतर आया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मंत्री जी ने क्या कहा है, आपने सुना है ? हमने सस्पेंड किया, रिकवरी किया और फिर पूछते हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- अगर टेंडर कैंसल हुआ तो फिर से टेंडर हुआ। उसमें घोटाले की बात कहां से आ गयी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- बांधी जी, मैंने तो कार्रवाई की, आपने तो 15 साल में वह भी नहीं किया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यश।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपस में संवाद ना करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के द्वारा गड़बड़ी की जांच के लिए पूरे प्रदेश में पांच टीम बनाई गयी और टीम बना करके जांच की गयी। सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा,

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

जांजगीर चांपा, कांकेर, बलौदाबाजार में गड़बड़ी हुई है। आप इसमें देखेंगे की सरगुजा से लेकर बस्तर तक गड़बड़ी हुई है। इनके द्वारा जो काम किया गया, उसमें गड़बड़ियां पाई गयी है, मंत्री जी के द्वारा टीम बनाई गयी, अधिकारियों की टीम बनी, टीम बनने के बाद जांच में अनियमितता पाई गयी और अनियमितता पाने के बाद उसमें कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किए हैं और उनको आफिस अटैच किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन में महागड़बड़ घोटाला हुआ है। शमशान घाटा में जो नल लगाया गया था, उसमें बुलडोजर चलाना पड़ा। आपने शमशान घाट में क्यों लगाया। बुलडोजर चलाकर आपके नल जल योजना को किनारे करना पड़ रहा है। पैसे का जो अपव्यय हुआ है, क्षति हुई है उसके लिए दोषी कौन हैं? उस दोषी के खिलाफ में आपने क्या कार्रवाई की है ? उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसके साथ ही तीन जिलों में जांजगीर चांपा, मुंगेली और कांकेर जिले में घटिया और गुणवत्ताविहीन पाईपलाईन बिछाया गया। इसके कारण आपने नोटिस थमाया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- घटिया और गुणवत्ताविहीन दोनों में क्या अंतर है।

श्री धरमलाल कौशिक :- गुणवत्ताविहीन में यही है कि कुल मिलाकर वह शब्द एक है। वह गुणवत्तायुक्त नहीं है। घटिया है। उसकी जो क्वालिटी है, वह क्वालिटी में नहीं है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष जी, घटिया का मतलब वह जो पाईप लगा है, वह ठीक नहीं है। घटिया का मतलब यह है कि पूरा खोद दिए हो, जहां पाए वहां खोद दिए हो, सी.सी.रोड को तोड़कर खोद दिए हो। वह क्या है।

श्री बृहस्पत सिंह :- डॉ. आमदी नई जानबे, कौशिक जी बढ़िया जानथे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी ई निलंबित। आपके एम.एस.धकाते नियम विरूद्ध काम करने। के कारण उनको निलंबित करना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप समाप्त करें। आपको आधा घण्टा से ज्यादा हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम उस विषय में जाएंगे तो पी.एच.ई. ऑफिसर ने गड़बड़ी करने वाले 15 टेण्डरों को निरस्त किया। कुल मिलाकर यदि आप इस योजना को देखेंगे तो इसका जो मूल उद्देश्य है और मूल्य उद्देश्य के बाद भी इस विभाग के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसके कारण से सितम्बर, 2023 में उस कार्य की पूर्णता होनी थी, उस पूर्णता में आज हम इस प्रदेश की स्थिति में उसको 1/4 कह सकते हैं। इस प्रदेश में उसकी स्थिति 1/4 है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा राशि दी जा रही है और राशि देने के बाद जिस प्रकार से टेण्डर में, क्वालिटी में और बाकी चीजों में जो घोटाला किया जा रहा है। हमारे बिलासपुर के जो ई. हैं और बिलासपुर और जांजगीर में जिस प्रकार से घोटाला हुआ और घोटाले के बाद हम यहां पर उसका प्रश्न लगाये और प्रश्न लगाने के बाद उस अधिकारी को इसी सदन में अभी निलंबित किया गया है। कुल मिलाकर जल जीवन केवल पानी पिलाने के लिए नहीं है बल्कि यह पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक अड्डा

बन गया है। यह जल जीवन मिशन लोगों के चरने के उपयोग में आ रहा है। इसलिए निश्चित रूप से मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप सहयोग करें। आशीष छाबड़ा जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामोद्योग विभाग में केवल 5 मिनट बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आप 2 मिनट और बोल लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रामोद्योग विभाग है ग्रामोद्योग मतलब, हमारे जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हैं इनको प्रोत्साहन देना और प्रोत्साहन देकर इनको आगे बढ़ाना, जिससे नीचे स्तर पर काम करने वाले हमारे साथियों की मजबूत स्थिति बने और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर जो काम हुआ है तो एक प्रकार उनके हाथ से छीनने का काम किया गया है। जो पैसे दिये गये, वह पैसे भी खर्च नहीं हुए। उनको जो पारिश्रमिक मिलनी चाहिए, उनको उससे भी वंचित किया गया। हमारे जो बुनकर साथी हैं जिनको धागा दिया जाता है लेकिन उनको जो धागा देना था, वह धागा भी उनको नहीं मिला। जिसके कारण से आज वह उस धागे से वंचित हैं। मैं आपको कोसा संग्रहण की स्थिति 2 मिनट में बताना चाहूंगा।

लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- पूर्व नेता जी, कोविड की लॉकडाउन की स्थिति में भी ग्रामोद्योग विभाग एक ऐसा विभाग रहा।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको तो जवाब देना है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आप एक मिनट सुन लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- जवाब तो आपको ही देना है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप इकट्ठा जवाब दे देना।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो मंत्री जी देंगे। वर्ष 2019-2020 में कोसा संग्रहण की जो स्थिति है वह 26 लाख है। वर्ष 2020-2021 में 16 लाख है। इनकी यह स्थिति है और इसी प्रकार से वर्ष 2021-2022 में वह कम होकर 12.50 लाख हो गया। मतलब, आपका वर्ष 2021 से 31 प्रतिशत कोसा संग्रहण कम हुआ। वर्ष 2022-2023 में उसकी स्थिति यह है कि वह कम होकर 8.25 लाख हो गया है। मतलब आपका कोसा संग्रहण 34 प्रतिशत कम हुआ। जो कोसा निकालने वाले हैं और जो कोसा संग्रहण करने वाले हैं उसमें 31 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 2019-2020 से लेकर 2022-2023 तक 19 प्रतिशत की कमी हुई है। बजट की राशि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । बाजार अध्ययन में हाथकरघा प्रदर्शनी में 38 लाख के आवंटन में 24 लाख खर्च हुआ है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, आप सच बताईएगा । आप दिल्ली में कोसा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा का कोसा सबसे ज्यादा दिखता है। उसको तो धन्यवाद दीजिए कि छत्तीसगढ़ का कोसा कितना प्रसिद्ध है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के कोसे का नाम देश और दुनिया में है, लेकिन उसका उत्पादन कम क्यों हो रहा है, आप उसकी प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं ? इसी बात का दुख है । मैं आपको रिवालविंग फंड के बारे में बताना चाहूंगा । कुल राशि में से 40 प्रतिशत व्यय हुआ । आपने रिवालविंग फंड क्यों नहीं दिया, उसमें देने में आपको क्या आपत्ति है ? रिवालविंग फंड का पैसा उनको जाना चाहिए न । उसके बाद में समग्र हाथकरघा विकास योजना में देखेंगे तो 250 लाख रूपए के आवंटन के विरूद्ध में 12 प्रतिशत केवल 30 लाख रूपए व्यय हुए है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये टेण्डर वगैरह तो ठीक है, चलता रहेगा । लेकिन नीचे तबके के लोग काम कर रहे हैं, उनके प्रति आपका ध्यान क्यों नहीं है, जो बजटेड राशि है, उसको खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं ? वह राशि खर्च क्यों नहीं हो रही है । इसका मतलब है कि आप उनके प्रति कितने उदासीन है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है । आप भले की गरीबों की, नीचे तबके की बात कर लें, लेकिन जब उनके पीछे खर्च करने की बात आती है तो आप यह कंजूसी क्यों कर रहे हैं ? मतलब उनका रोजगार है, उसे आप जान-बूझकर खत्म करना चाहते हैं । बुनकरों को धागा दिया जाता है । 2018-19 और 2022-23 की स्थिति में देखेंगे तो मैं आपको कुछ आंकड़ा दे रहा हूं । बुनकरों के लिए 2018-19 में 67 करोड़ रूपए था, वह 2019-20 में 52 करोड़ हो गया और 20-21 में 29 करोड़ हो गया । विभाग की यह स्थिति है । पारिश्रमिक में स्वाभाविक रूप से अंतर आएगा । उनको 2018-19 में 54 करोड़, 2019-20 में 47 करोड़ और 2020-21 में 28 करोड़ रूपए मिले । मंत्री जी, आप एक बार उसको पढ़ना। मुझे लगता है कि आप भूल गए ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप पीएचई में मशगूल रहे । आपने ग्रामोंद्योग छोड़ दिया। इसको पढ़ने के बाद में तो ऐसा ही लग रहा है कि आपने उसको साढ़े चार साल में पलटकर देखा भी नहीं । मैं आपको हस्तशिल्प के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं। मैं यह उनके लिए बात कर रहा हूं कि जिनको लाभ मिलना चाहिए, जिनका जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, काम मिलना चाहिए, उनका पारिश्रमिक बढ़ना चाहिए, ऐसे तबकों के लिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं । वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपने 1350 लाख के विरूद्ध 499 लाख खर्च किया । यह हम कह सकते हैं, उसमें 2-3 लाख रूपये और खर्च हो जाएगा, लेकिन आपने खर्च क्यों नहीं किया ? इनकी भौतिक उपलब्धि देखी जाये तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4916 लाख के विरूद्ध में 1548 लाख रूपए खर्च हुए मतलब 31 प्रतिशत राशि खर्च करने की इनकी उपलब्धि है ।

उपाध्यक्ष महोदय, संचालनालय के 142 पदों के विरूद्ध में 40 पद भरे हुए हैं, 102 पद खाली हैं । आप ये पद क्यों नहीं भर रहे हैं ? ये आज का नहीं है, आरक्षण की बात मत करना । यह आरक्षण के पहले का है । आप इस जवाबदारी से बच नहीं सकते । जब आपके विभाग में अधिकारी ही नहीं हैं, आपके विभाग में काम करने वाले ही नहीं हैं तो आखिर विभाग में कैसे काम होगा ।

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 153 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार अनुदान की मांगों के लिए नीयत अंतिम दिन 4.00 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना है ।

चूंकि अभी अनुदान की मांगों पर चर्चा शेष है । अत: अनुदान की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने एवं मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने हेतु समय में वृद्धि की जाये ।

मैं समझता हूं, इससे सदन सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री धरम लाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी में खादी का जो महत्व है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, कौशिक जी रिक्त पदों के बारे में उल्लेख कर रहे थे । वे बहुत विद्वान साथी हैं । इनको अच्छी तरह से मालूम है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग आरक्षण की गड़बड़ी के कारण भर्ती नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- यह आरक्षण से बहुत पहले का विषय है । इनके पास एक शस्त्र हो गया है कि आरक्षण है । आदिवासियों को जो आरक्षण मिल रहा था, उनको खाने वाले यही लोग हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उसके पहले कोरोना आया । जो सरकार आई है, उसने दो साल कोरोना को झेला । छत्तीसगढ़ ने दो साल कोरोना को झेला और जब हम कोराना से उबरे तो, इन्हीं की सरकार द्वारा सही तथ्य नहीं दिए जाने के कारण आरक्षण का लफड़ा हुआ था। उसको भी सर्वसम्मति से पारित करके भेजा। माननीय राज्यपाल महोदय के यहां भा.ज.पा. के मित्रों ने ही जाकर रोक लगवाया, जिससे हमारी नियुक्तियां रूक गईं।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, विषय पर बात करने दीजिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारे आदिवासी समाज को 32 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था। उसके खिलाफ रोक लगाने के लिए ये लोग हाईकोर्ट गये। वहां जाने के बाद हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई। उसको कांग्रेस के द्वारा सम्मानित करने का काम किया गया, मंत्री का दर्जा दिया गया। उसके बाद पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था गई थी, इनके ही लोग कोर्ट गये, उसके बाद जो स्थितियां बनीं, उसके बाद उसे सम्मानित करने का काम हमारे मित्रों के द्वारा किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यदि कोई आरक्षण से वंचित हुए हैं, तो आरक्षण से वंचित होने के मूल कारण में ये कांग्रेस की सरकार है और मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं, जिनके कारण अभी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है।

श्री उमेश पटेल :- कौशिक जी, यह वही सरकार है, जिसने विशेष सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से विधेयक को पास किया। अब उसमें क्या अड़चन आ गई है, आप भी जानते हैं। किसके कारण अड़चन आ गई है, आप भी जानते हैं। किनके द्वारा अड़चन आ गई है, यह भी आप जानते हैं। तो फिर क्यों उस पर बात कर रहे हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौशिक साहब, आपको बता दूं कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में खूब ढिंढोरा पीटा। हर एक कांग्रेस के नेताओं के घर को घेरने का काम किया कि हम लोगों ने आरक्षण में गड़बड़ी किया। जब आपने विशेष सत्र बुलाने की मांग किया तब भूपेश बघेल जी ने विशेष सत्र बुलाया और विधेयक सर्वसम्मति से पारित करके हमने माननीय राज्यपाल जी को भेजा। माननीय राज्यपाल जी ने भी आश्वासन दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नेतागिरी चमकाने के लिए इन लोगों ने माननीय राज्यपाल जी को दस्तखत करने से रोका। इसलिए दोषी भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उपाध्यक्ष महोदय, वैसे बृहस्पत सिंह जी को बोलने दीजिये। आरक्षण प्रदेश का बहुत गंभीर मामला है। आज इससे बड़ा मामला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आज ये कम से कम 6 बार बोल चुके हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अब तो जाने का समय आ गया है, सरकार की जात्रि का समय आ गया है। अब बोलने से कोई फायदा नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप चिंता मत करो साहब, हम लोगों ने 5वां बजट पेश किया है, आने वाले समय में 6वां बजट पेश करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- ये जो आप बोले कि और होने वाला नहीं है। इसी से समझ में आ रहा है कि कौन करवा रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आयोग बनाए हैं। आयोग के द्वारा कराया गया। क्वांटिफाइबल डेटा एकत्रित किया गया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा है तो आप इस सदन में क्वांटिफाइबल डेटा प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे हैं ? जब माननीय राज्यपाल जी के द्वारा मांग किया जा रहा है तो आप क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ? प्रदेश को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आरक्षण के विषय में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- 40 मिनट हो गये हैं। कृपया सहयोग करें।

श्री उमेश पटेल :- आपको कैसे पता कि आगे नहीं होगा ? यह बताईये।

बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके आका जो नागपुर में बैठे हुए हैं, (xx)[4] पूरे देश में घूम-घूमकर आरक्षण समाप्त करने का अपील कर रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। सारे टी.व्ही. चैनलों में आ रहा है। उन्हीं की बात से (व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम को विलोपित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- दिखवा लूंगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको विलोपित करवा दें।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्यों विलोपित किया जाये। उन्होंने बोला या नहीं बोला ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग शांत रहिये। कौशिक जी, एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री सौरभ सिंह :- कहीं नहीं बोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ साहब, बृहस्पत सिंह जी, आप सहयोग करियेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खादी का क्या महत्व है, खादी का महत्व है, महात्मा गांधी जी ने खुद का कातकर खादी बनाकर पहने। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा खादी को प्रोत्साहन देने के लिए कहते है कि आप कोई न कोई एक खादी का वस्त्र पहनें। हम 2 अक्टूबर को खादी खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन इस सरकार क्या है ? छत्तीसगढ़ में खादी को कितना सम्मान मिला है, वर्ष 2018-19 में 3858, वर्ष 2019-20 में 4332 तथा 2020-21 में 2790 और वर्ष 2021-2022 में 3264, वर्ष 2022-2023 में 936 यानी कि वर्ष 2018-2019 से हम तुलना करेंगे कि खादी में हम कहां पर हैं तो 76 प्रतिशत घटकर कर रह गया है, जो खादी का उत्पादन हो रहा था, जो लोगों को रोजगार मिल रहा था, जो सृजित कर रहे थे, इन सब को रोकने का काम हो रहा है । खादी जो बनाने

---

[4] (xx) अध्यक्षीय पीठ के निर्देशानुसार विलोपित किया गया।

वाले हैं, उनके मनोबल को गिराने का काम, आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का काम, इस सरकार के द्‌वारा, विभाग के द्‌वारा किया गया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, जब से मोदी जी विदेशी सूट पहनने लगे हैं, तब से खादी की मांग कम हो गयी है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको जो प्रशिक्षण दिया जाता था, वर्ष 2018-2019 में लगभग 31 लाख का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2019-2020 में 29 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करे । माननीय कौशिक जी, आप सहयोग करियेगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- प्रशिक्षण के कार्य को बंद कर दिया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिस विभाग में है, न तो जल मिशन में सफल हुये हैं, न तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में सफल हुये हैं और न ही ग्रामोद्‌योग में सफल हुये हैं । जो पैसे हैं, उसे खर्च नहीं कर पाये हैं, जो वैकेंसी है उसे फिल अप नहीं कर पाये हैं..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब मैं अगले वक्ता ..।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह सब भ्रष्ट्राचार की भेंट चढ़ चुकी है । जल मिशन कांग्रेस के चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गयी है । मैं इसका विरोध करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री आशीष छाबड़ा जी, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें

श्री आशीष छाबड़ा (बेमेतरा) :- मैं माननीय मंत्री जी की मांग संख्या 20 और मांग संख्या 56 के समर्थन में बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग काफी संवेदनशील विभाग है । जल है तो कल है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल के बिना कोई भी कल की परिकल्पना नहीं कर सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, छोटी सी बात से अपनी बात शुरूआत करना चाहूंगा । पानी है कितना अनमोल, जान लो तुम इनका मोल, पानी बिना धरती है सूनी, बिन पानी के जीवन का नहीं है मोल । ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ । जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यह महत्वपूर्ण विभाग है । हमारी सरकार की संवेदनशीलता जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति है और जिस तरीके से भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, वह इस बजट के माध्यम से दिखता है । मैं दो दिन पहले ही एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने एक बात अपने उत्तर में कही है । मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में काम करने का अवसर मुझे दिया है । माननीय मंत्री जी जगतगुरू है, उनका काफी सम्मान भी करते हैं और एक जगतगुरू होने के नाते लोगों को पानी पिलाना उनका काम भी है। यह बात माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में दो दिन पहले कहा था । निश्चित

रूप से माननीय मंत्री जी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । आपके इस बजट में संवेदनशीलता हम सब को देखने को मिलती है । जलसंवर्धन, जलसंरक्षण, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकतायें होती है । हमारी सरकार का नरवा, गरूवा, घुरवा और बारी माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हम लगातार नरवा के माध्यम से जल संवर्धन करने का काम कर रहे हैं । जब से वर्ष 2018 से छत्तीसगढ़ की कमान माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में संभाली है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जल किस तरीके से संवर्धित हो सके, किस तरह से एक-एक बूंद पानी का सदुपयोग हो सके, इसके साथ ही हम हम जनता को किस तरह से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं, सरकार की कोशिश है कि लोगों को जल के लिये बाहर भटकना न पड़े, दूर जाना न पड़े, घरों में नलों के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार माननीय मंत्री जी के माध्यम से इस प्रदेश में कराया जा रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा मापदण्ड के अनुसार 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन मानक की दर से हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है । एक बहुत ही जनकल्याणकारी योजना मिनी माता अमृत जल धारा योजना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2018 के बाद हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के और माननीय मंत्री गुरू रूद्र कुमार जी के नेतृत्व में अपना कामकाज संभाला। हमारे ग्रामीण अंचल के जितने भी बी.पी.एल. परिवार के लोग निवासरत है, हमारी सरकार ने प्रत्येक परिवार के घर में नल कनेक्शन के माध्यम से नि:शुल्क जल पहुंचाने की यह जनकल्याणकारी योजना प्रारंभ की थी। इसका सुखद परिणाम भी देखने को मिला। आज जो जल जीवन मिशन कार्यक्रम की बात होती है, वह निश्चित रूप से इसी योजना से प्रेरणा प्राप्त करके केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम की शुरूआत की। सरकार की ओर से जल जीवन मिशन कार्यक्रम योजना के माध्यम से काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है, गुणवत्ता को ध्यान में रखकर गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि कुछ दिन पहले मेरे पूर्ववक्ता बोल रहे थे कि आपने इतने अधिकारियों को दण्डित किया है, आपने इतने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। हम दोषी को बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। यदि जनता के हित में किसी ने भी समझौता किया होगा या योजना को अमली जामा पहनाने में, योजना को धरातल में उतारने पर कोई भी अधिकारी कहीं भी कोताही बरतेगा, तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, निश्चित रूप से हमारी सरकार के माध्यम से और माननीय मंत्री जी के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी, उनको दण्डित भी किया जायेगा। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं विपक्ष के साथियों को इससे क्या तकलीफ है, बल्कि उनको तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, आप उनको दण्डित करने का काम कर रहे हैं। हम सब का निश्चित रूप से यह कर्तव्य है, हम सब पहले एक राजनेता है और एक राजनेता का धर्म होता है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। यदि जनहित के खिलाफ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी गलत कार्य कर रहा है, गलत कदम उठा रहा है तो

उसको दण्डित किया जाये बल्कि उसका मनोबल बढ़ाया न जाये, यह हमारा कर्तव्य होता है। उसी कर्तव्य के साथ, उसी जनहित को ध्यान में रखकर हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार योजनाएं बना रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने न सिर्फ मनुष्यों का ख्याल रखा बल्कि हम लोगों ने गौठान के माध्यम से मवेशियों को भी पेयजल मिल सके, इसकी भी चिंता इस विभाग ने, माननीय मंत्री जी ने की है। यदि मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने पेय बोर के माध्यम से करीब 1363 गौठानों में भी मवेशियों को जल उपलब्ध कराने का, पानी पिलाने का कार्य किया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आशीष भाई, बहुत चिंता कर रहे हो। आप गाय के बारे में भी चिंता करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो योजना 15 अगस्त 2019 से चालू है और 2024 में आदमियों को पानी पिलाने का जल जीवन मिशन कम्प्लीट हो जाना चाहिए था, उसकी भी चिंता कर रहे हो या नहीं ? अभी तक आपके ही क्षेत्र में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब आप पशुओं के बारे में चिंता कर रहे हो तो आदमियों के बारे में भी चिंता करो कि 2024 तक कितने कम्प्लीट होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपस में चर्चा न करें।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय डॉ. साहब। इस मामले में हमारी सरकार गंभीर है। माननीय मंत्री जी भी गंभीर है। कुछ तकनीकी कारण आ जाते हैं। बीच में कोविड एक बड़ा कारण रहा। दो साल कोरोना के नाम से सभी फैक्ट्रियां भी बंद थी, जब फैक्टियां बंद थी तो पाइप का प्रोडक्शन कहां से होगा और पाइप का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोगों को पेयजल कैसे दे पायेंगे। हम लोगों को मैन पावर नहीं मिल पाया। दो साल से एक बड़ा कारण कोरोना भी था।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान जी, यह दो साल फैक्टियां बंद नहीं रही। जितनी फैक्ट्रियां थी, वह पहले लॉकडाउन में एक हफ्ते बंद रही बाकी सारे उत्पादन वाली इकाइयां शुरू हो गयी थी। आप यह गलत जानकारी दे रहे हो।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय शिवरतन जी, लेकिन यदि आप उसके दो साल बाद की व्यवस्था को देखेंगे तो लगभग पूरी व्यवस्था चरमराई हुई थी आप निकालकर देख लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग में चलती कितनी है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी की अपने विभाग में दबंगई से चलती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- यदि माननीय मंत्री जी की अपने विभाग में चलती तो यह स्थिति निर्मित ही नहीं होती। माननीय मंत्री जी टेण्डर करते हैं, मुख्यमंत्री जी टेण्डर को निरस्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र को कलेक्टर को देते हैं। कुल मिलाकर मंत्री जी को पॉवर लेस

कर दिया गया है। मंत्री जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके विभाग में आपकी कितनी चलती है, आप जब जवाब देंगे तो इस विषय को रखेंगे।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि कोई भी योजना बने तो वह धरातल में उतर रही है या नहीं, उसकी सतत् मॉनिटरिंग, सतत् निगरानी होनी चाहिए। इसीलिये कलेक्टरों को पॉवर दिया गया है कि सतत् तरीके से उसकी मॉनिटरिंग हो, टेण्डर सही समय पर हो, सही व्यक्ति को उसका काम मिल सके और कलेक्टर मॉनिटरिंग लगातार करें ताकि जहां यदि कोई शिकायत आई तो उस शिकायत में जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। हमारी सरकार बनने के बाद में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। आप लोगों ने 15 साल में भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का काम किया है । हमारे समय में जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ माननीय मंत्री जी ने खुलेआम कार्रवाई की एवं दिलेरी से कार्रवाई की है।

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- आशीष भाई, ठीक किये हो। आप जो टेण्डर जारी करने की बात कह रहे हो।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आशीष भाई, आपने ठीक किया है। आप जो टेण्डर जारी करने की बात कह रहे हो। हमारे जिले में जब से अधिकारी निलंबित हुआ है तब से अब तक कोई भी टेण्डर जारी नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हम टेण्डर जारी करते हैं, हम बिल्कुल न्याय करते हैं मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि बिलासपुर जिले में टेण्डर भी जारी नहीं हो रहे हैं जिसके कारण जल जीवन मिशन का काम प्रभावित है और वहां के अधिकारी मौन हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे भईया, सुपेबेड़ा बड़ा राजनीति विषय था। सुपेबेड़ा माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब, कांग्रेस के सब बड़े-बड़े नेता गए और इन सवा 4 सालों में काम करना तो दूर की बात है उसका टेण्डर भी नहीं लग सका है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां दो दिन पहले सुपेबेड़ा के बारे में चर्चा हुई है। आज मुझे और हम लोगों को विश्वास है कि जब माननीय मंत्री जी अपना जवाब देंगे तो सुपेबेड़ा की भी बात होगी। हमारी सरकार इस पर गंभीर है। हमारी सरकार यह चाहती है कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। मानक के आधार पर पेयजल मिले और मैंने पहले भी यह कहा है कि हर घर में नल से जल देने का काम हमारी सरकार कर रही है और एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को ध्यान में रखकर, केन्द्र सरकार ने भी इस योजना की प्रशंसा भी की है और उन्होंने जल जीवन मिशन की शुरूआत की है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय छाबड़ा जी, अब आप समाप्त करें।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तो शुरूआत की है। बीच-बीच में थोड़ा सा हो जाता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लोगों को सबको मोहन मरकाम जी की गति से शिक्षा लेनी चाहिए। वह 3 सालों से ओपनर बैट्समैन रहे हैं और ऐसी दुलत्ती पड़ी है कि वह मौन बैठे हैं। अब वह केवल प्रश्न लगा रहे हैं।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- वह दो दिनों से असल में मौसम के कारण से अस्वस्थता जाहिर कर रहे हैं। मौसम ठीक नहीं है। बारिश हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वह हम लोगों को प्रेरित करते हैं हम उनसे ट्रेनिंग लेकर आते हैं। बाहर वह ट्रेनिंग देते हैं कि आप सदन के अंदर जाकर यह कहना। वह हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष हैं। हम सब सदस्यों को उनका संरक्षण भी है। वह नये सदस्यों को ट्रेनिंग भी देते हैं। साथ ही साथ नगरीय क्षेत्रों में भी पेयजल की व्यवस्था हो सके। हमारी यह जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि सरकार इस मामले में गंभीर भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ जो नगरीय क्षेत्रों में हमारी आबादी निवासरत हैं उनको पेयजल मिल सके, क्योंकि पहले यह देखा जाता था चूंकि मैं नगर पालिका का अध्यक्ष रहा हूँ। जब पेयजल संकट आता था जैसे अभी मौसम में मार्च, अप्रैल के बाद अभी पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से पेयजल के संकट आने शुरू हो चुके हैं। यहां बहुत तेजी से वॉटर लेवल डाऊन होते जा रहा है। यह बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। अभी भी मैं अपने बेमेतरा ..।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय छाबड़ा जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कुछ प्रशंसा करने के लायक है ?

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- नहीं। इसमें भी तो प्रशंसा ...।

श्री अजय चन्द्राकर:- प्रशंसा करने के लायक सिर्फ लोक निर्माण विभाग में है। एक लाईन और एक प्वाईंट नहीं मिल सकता। हम अपना समय दे देते हैं आप दो घण्टे भाषण बोलिए। साढ़े 4 सालों में सुपेबेड़ा में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरीय क्षेत्रों की बात कर रहा था नगरीय क्षेत्रों में पेयजल संकट की बड़ी समस्या होती थी, उस समय यह इंतजार किया जाता था कि हम लोगों को नगर पालिका से पेयजल के पैसे मिलेंगे। कई बार नगर पालिका में पर्याप्त बजट होने के नाम से चूंकि उनके भी विकास कार्य के बहुत सारी योजनाएं संचालित होती हैं, उस समय पेयजल छूट जाता था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक छत्तीसगढ़ विधान सभा कोरम के अभाव में स्थगित नहीं हुई, पर सत्तारूढ़ दल की जो स्थिति दिखा रही है उससे मुझे लगता है कि कोरम के अभाव में स्थगित मत हो जाए। न उनके चीफ वीफ हैं, न वीफ है और न ही कोई है। इसकी

चिंता करने वाला कोई नहीं है। यह बिल्कुल जिन्दगी का मजा ले रहे हैं। क्यों, माननीय गुरूदेव आप जिन्दगी का मजा ले रहो हो या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- यहां कोरम पूरा है।

श्री अजय चन्द्राकर:- आप देखिए। उनके चीफ वीफ कहां है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- सभी लोग हैं। तीन मंत्री है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- यहां सदन में दो-दो सम्माननीय मंत्री बैठे हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- मैं विभागीय मंत्री के नेता बैठा हूँ। माननीय अकबर भाई भी बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर:- विपक्ष की उपस्थिति ज्यादा है अगर आप संख्या बल के आधार पर देखें तो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय गुरू जी, आपको जानबूझकर अकेला छोड़ दिया गया है। उनको अकेले जानबूझकर छोड़ दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर:- गुरू जी जिंदगी का मजा ले रहे हैं।

श्री गुरू रूद्र कुमार) :- आप जरा चश्मा पहनिए और मेरे सामने देखिए। आपको सामने वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज तक वह सदन में एक ही मुद्दे में खड़े हुए है। बाकी समय में मौन बैठे रहते हैं।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि पेयजल ऐसा मामला है। यह सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि अगर जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से उरनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगा। हमारी सरकार के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में भी लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। इसके लिए बजट में माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 3 करोड़ 14 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, छाबड़ा जी, समाप्त करें। मात्र 01 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री आशीष कुमार छाबडा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही नेता जी बोल रहे थे कि आपने कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में, कितनी शालाओं में पेयजल की व्यवस्था की है ? अगर आप 15 साल में व्यवस्था कर देते तो हम लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन आप नहीं कर पाये। हमारी सरकार कर रही है और इच्छाशक्ति के साथ कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहता हूं। विभाग के द्वारा 45,796 शासकीय शालाओं में पेयजल की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। उसके साथ ही साथ पेयजल संरक्षण के लिए भी हमारी सरकार काफी

गंभीर है। इस विभाग के माध्यम से शालाओं में वॉटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पानी की बचत हो सके। हम उस पानी को किस तरीके से सुरक्षित कर सकें, ग्राउण्ड लेवल बढ़े, इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। अगर आंगनबाड़ी केन्द्रों की बात करें तो विभाग के द्वारा 45,732 आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों में भी पेयजल की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की गई है। प्रस्तुत बजट में भी पूर्व प्रगति योजनाओं के लिए लगभग 3 करोड़ 33 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। माननीय मंत्री जी एक छोटी बात करना चाहूंगा। बेमेतरा की एक जल आवर्धन योजना को लेकर दो-तीन पहले ही मेरा एक ध्यानाकर्षण आया था। चूंकि उस योजना की शुरूआत उस समय मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, तत्कालिक विधायक आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी थे, भाजपा शासनकाल में 2012 में उन्होनें स्वीकृत कराया था। वह योजना 05 साल पूरी नहीं हो पाई। माननीय मंत्री जी हमारे बेमेतरा के पानी में टी.डी.एस. की मात्रा 1200 है, बेमेतरा का पानी बहुत खारा है, उससे बहुत गंभीर बीमारियां होने की आशंका है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय रजनीश कुमार सिंह जी अपनी बात प्रारंभ करें।

श्री आशीष कुमार छाबडा :- आपने निर्देश दिया, एक मिनट मेरे क्षेत्र की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय छाबड़ा जी, समाप्त करें। माननीय रजनीश कुमार सिंह जी आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री आशीष कुमार छाबडा :- यह खुशी की बात है कि आपके निर्देश के बाद अधिकारी वहां मौके पर गये, चीफ इंजीनियर गये।

उपाध्यक्ष महोदय :- छाबडा जी, आप सहयोग करेंगे।

श्री आशीष कुमार छाबडा :- जी, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। वहां अधिकारी लोग गये। लेकिन माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अधिकारियों को कड़ाई से निर्देश दें कि एकात महीने में बेमेतरावासियों को कम से कम हमारी सरकार शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दे। क्योंकि माननीय मंत्री जी आपसे ही हम लोगों को उम्मीद है, ताकि इसमें हमारी सरकार की गंभीरता दिख सके। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल जीवन योजना के तहत आप और माननीय मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर हैं लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी उसको जमीन स्तर तक काम नहीं होने दे रहे हैं तो ऐसी योजनाओं की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें। योजना अच्छी है, काम भी अच्छा है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप यह मान रहे हैं न कि भ्रष्ट अधिकारी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ दल के विधायक ने भ्रष्ट अधिकारी कहा।

श्री आशीष कुमार छाबडा :- आपके समय में भी थे। वही अधिकारी आप लोगों के समय में भी थे न। (व्यवधान)

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आपके यहां भ्रष्ट अधिकारी हैं।

श्री आशीष कुमार छाबडा :- आप लोगों के समय में भी थे, अधिकारी तो सब वहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सत्तारूढ़ दल के विधायक ने कहा है, हमने नहीं कहा है, उनको उस बात को जाहिर करना चाहिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- वह ठीक ही बोल रहे हैं, दिल में कुछ है, जबान में कुछ है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है। सत्ताधारी दल के विधायक भ्रष्ट अधिकारी शब्द का उपयोग कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी को तत्काल कार्यवाई करने की घोषणा करनी चाहिए। आप उस अधिकारी को निकालकर बाहर फेंको न।

श्री आशीष कुमार छाबडा :- सुनिये न, माननीय नेता जी, मैंने कुछ भ्रष्ट अधिकारी कहा है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्माननीय विधायक जी ने जो चिंता जाहिर की है, निश्चित तौर पर जब मैं जवाब दूंगा तो उस चीज का भी जवाब दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय छाबड़ा जी।

श्री आशीष कुमार छाबडा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा बजट, बहुत संतुलित बजट जनहित को ध्यान में रखते हुए आपने प्रस्तुत किया है। मैं आपके बजट का समर्थन करते हुए उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब यह जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ तो यह एक पूरे देश के लिए महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके शुरू से लेकर आखिर तक कुछ प्रक्रियायें तय की गई थीं। मैं उसी पर बात करना चाहूंगा। बहुत सारे विषय आये हैं कि काम कितना हुआ, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल गुणवत्ताविहीन कार्य हो रहा है। इनके प्रतिवेदन में जो चीजें हैं और जो शुरू से पालन करना चाहिए था, मैं उन्हीं चीजों को उल्लेखित करना चाह रहा हूं। सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों के तहत इसमें कहा गया था कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत की जाने वाली सहायक गतिविधियां हेतु निर्धारित प्रावधानित 5 प्रतिशत निम्नानुसार प्रस्तावित गतिविधियों में खर्च की जायेगी। प्रशिक्षण, कार्यशाला, व्यक्तिगत संपर्क, समाचार पत्रों में ज्ञापन, एस.एम.एस. के प्रचार कला जत्था, मेला में प्रदर्शनी, दिवाल लेखन आदि प्रकार के जो जागरूकता अभियान हैं, इसको किया जाना चाहिए था, लेकिन विभाग इसको बिल्कुल किसी प्रकार का इस तरह की गतिविधि किये बिना इन कार्यों की की। दूसरा, इसमें ग्राम सभा का अनुमोदन लिया जाना था। किसी पंचायत का ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं है। काम होने के बाद जाकर पंचायतों से दस्तखत करवा रहे हैं। तीसरा, मैंनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम एवं सहायक गतिविधियां इसके तहत उप खण्ड स्तर तक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकृतकरण करना, प्रिंटर, यू.पी.एस. आदि का

क्रय, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी.आई.एस. डाटा प्रोडक्ट, एलाईट गतिविधियों, लोक शिकायत निदान पद्धति आदि जो चीजें हैं, इसको किया जाना था, लेकिन यह किसी प्रकार के इस तरह के नियमों का विभाग द्वारा पालन किये बिना कार्य प्रारंभ किया गया और जिसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और इतनी गुणवत्ताहीन पाईप लग रहा है, खोदाई हो रहा है, टंकी बन रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है। मैं इसमें तीन-चार बिंदु जोड़ना चाहूंगा कि गांव में किस आधार पर कनेक्शन दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, थोड़ा बतायेंगे कि राशन कार्ड को उसका मापदण्ड माना गया है या घर को उसका मापदण्ड माना गया है? दूसरा, घर के अंदर कनेक्शन के लिए किसी को दो मीटर, तीन मीटर दे रहे हैं। यदि किसी के घर का लंबाई अंदर ज्यादा है तो बाहर में ही छोड़ रहे हैं, कनेक्शन अंदर नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से उनको लाभ भी नहीं मिल रहा है और गली में पानी बह रहा है। उपभोक्ता को किसी प्रकार से उसका उपयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसमें कोई न कोई स्पष्ट निर्देश जारी करें और घर के अंदर ही उनको कनेक्शन मिलें, ऐसी एक व्यवस्था इसमें सुनिश्चित करने का प्रयास करें। सोलर योजना से अंतिम व्यक्ति तक का जो छोटे मोहल्ले हैं, टोले हैं, उनको सोलर योजना से पानी का कनेक्शन दिया जाना था, वहां पर भी योजना में पानी का पाईप में दिक्कत हो रही है। वहां पाईपलाईन का कम नहीं किया जा रहा है। इसके कारण उस छोटे मोहल्ले में, जहां पर काम लोग रहते हैं, जहां पर कम बस्तियां हैं, वहां पाईपलाईन का काम नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इसको दिखवाये और एक अंतिम विषय बोलकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि इसमें जो ठेका चल रहा है, उसमें बहुत से अधिकारी के रिश्तेदार, परिवार के लोग और ऐसे लोग जो इन चीजों को कभी नहीं किए हैं। इन क्षेत्रों में कभी काम करने का उनका अनुभव नहीं है। ऐसे लोगों को भी इस तरह के काम दिये गये हैं, बंदरबांट की गई है, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ इस योजना में हर दृष्टि से पीछे हो रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और उचित लोगों तक, उपभोक्ताओं तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल जी। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हर माननीय मंत्री गुरू रूद्र कुमार जी के अनुदान मांग के समर्थन करे बर खड़ा होय हव। वैसे तो हमर छत्तीसगढ़ के परंपरा रहे हे कि सबसे पहली अगर कोई मेहमान आथे त हम ओला पानी पिलाकर ओकर स्वागत करथन। अब यह सम्मान देहे के काम हमर प्रदेश के मुखिया आदरणीय भैया जी हमर समाज के गुरू आदरणीय गुरू रूद्र जी ला देहे हे। एकर लिये मैं हर प्रदेश के मुखिया ला बहुत-बहुत हृदय से आभार व्यक्त करत हव, हृदय से धन्यवाद देत हव। हमर सरकार के जो योजना चलथे। जइसे कि ग्रामीण पेयजल योजना ग्रामीण,

ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना, सामूहिक ग्रामीण जल प्रदाय योजना, मिनीमाता अमृत धारा नल योजना, नगरीय जल प्रदाय योजना, जल जीवन मिशन के काम सोलर आधारित जल प्रदाय योजना, गौठान पेयजल योजना के काम हमर सरकार द्वारा चलथे। हमर सरकार मिनीमाता अमृतधारा नल-जल योजना में बी.पी.एल. के हितग्राही मन ला नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन प्रदान करत हे। अभी तक हमर सरकार हर ये योजना में 73,584 घरेलू नल-जल योजना प्रदान कर चुके हे, जेकर ध्येय वाक्य हर घर नल से जल के योजना चलत हे अउ आज हेंड पंप योजना के माध्यम से 2,61,275 हेंड पंप प्रत्येक गांव में, हर गांव में हर गांव में करे के हमर सरकार काम करे हे

समय :
4.25 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

राज्य में मिनीमाता अमृत जलधारा योजना में 20 लाख 28,193 से अधिक नल-जल कनेक्शन दिये जा चुके हे । जेकर माध्यम से 16 लाख 52,955 से अधिक घरेलू कनेक्शन हमर सरकार प्रदान करे हे ।

आदरणीय सभापति महोदय, आदिवासी विभाग बाहुल्य पहाड़ी क्षेत्र में 12,397 सौलर पम्प के कनेक्शन भी हमर सरकार दे हे जेमे बजट में 3 करोड़ 50 लाख के प्रावधान रखे गे हे ऐकर लिये मैं हा हमर मंत्री जी ला बहुत-बहुत धन्यवाद देत हंऔं। गौठान में पेयजल व्यवस्था बर ये साल के बजट में 10 करोड़ के प्रावधान रखे हे ऐकर लिये भी मैं हमर मंत्री जी ला धन्यवाद देत हंऔं । शाला में पेयजल व्यवस्था बर शासकीय शाला में 45,796 शासकीय शालाओं में पेयजल व्यवस्था के कार्य बर हमर व्यवस्था करे हे ऐकर लिये भी मैं हमर माननीय मंत्री जी ला धन्यवाद देत हंऔं। 43,933 शासकीय शालाओं में इटरनिंगवॉल से पेयजल व्यवस्था करे बर 3 करोड़ 15 लाख के प्रावधान करे हे ऐकर लिये मैं हमर मंत्री जी ला धन्यवाद देत हंऔं। आंगनबाड़ी उपस्वास्थ्य केंद्र में भी 41,669 आंगनबाड़ी, 5243 प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केंद्र में इटरनिंगवॉल के पेयजल व्यवस्था बर 3 करोड़ 33 लाख रूपये के व्यवस्था करे हे ऐकर लिये मैं हा हमर मंत्री जी ला धन्यवाद देत हंऔं ।

माननीय सभापति महोदय, नगरीय निकाय क्षेत्र के बजट बर 3 करोड़ 14 लाख के प्रावधान किये हे ऐकर लिये मैं हा हमर मंत्री जी ला धन्यवाद देत हंऔं । राजनांदगांव जिला में आर्सेनिक से प्रभावित चौकी क्षेत्र के 20 गांव बर 33.85 करोड़ के पेयजल में व्यवस्था करे हे ऐकर लिये भी मैं हा मंत्री जी ला बहुत-बहुत धन्यवाद देत हंऔं । जलजीवन मिशन के अंतर्गत कुल 4383 जल प्रदाय योजना की स्वीकृति करे हे ऐकर बर कुल 8 लाख 26,946 घरेलू नल कनेक्शन दिये गे हे ऐकर लिये मैं हा मंत्री जी ला बहुत-बहुत आभार व्यक्त करत हंऔं, धन्यवाद देवत हंऔं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- भुवनेश्वर जी, ओला न ठीक हे करे हे, संख्या ठीक है। लेकिन कब तक पूर्ण कर लिही उहू ला पूछ ले ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपन क्षेत्र के कुछ मांग कर लेथओं । मोर जो गांव हे, बीराझरझय गांव हे । ओमे अभी तक जलजीवन के काम के टेंडर नइ होए हे । मैं गुरूजी से निवेदन करत हंओं कि ओला जल्दी से जल्दी करवाही अउ मोर आसपास के गांव के जेन पानी टंकी पड़े हे, वो अधूरा बने हे । बहुत सारा ठेकादार मन ओ पानी टंकी ला छोड़ के पलायन कर चुके हे, ओला भी आप जल्दी से जल्दी बनाहू ताकि गर्मी के दिन आत हे, हमर क्षेत्र के जनता ला पानी मिल सकय । माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोले के मौका दे हओ ओकर लिये हृदय से धन्यवाद ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मेरे दो छोटे-छोटे विषय हैं । मैं पी.एच.ई. विभाग की आलोचना भी करना चाहूं तो आलोचना के लायक कोई विषय नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है । कुछ उपलब्धि हो, कुछ कार्य हो तो मैं आलोचना करूं । उस विभाग की दो-तीन विशेषताएं हैं जिसको मैं बता देता हूं कि एक तो विभाग में पैसा है, दूसरा मनमर्जी है और तीसरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोजगार देने की मनरेगा टाईप वह एक स्कीम है और कुछ नहीं है । कोई योजनाएं समय से नहीं चल रही हैं, कांग्रेस के मंत्री जादू जानते हैं । वे बोले कि 24 तारीख तक जांच करा देंगे वैसे ही ये छः महीने में जादू से 32 प्रतिशत को 100 प्रतिशत कर देंगे । ये जादू जानते हैं । अब दूसरा, इस विषय में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि यह मनमर्जी चले और उसका उदाहरण बता देता हूं । मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है । महासमुंद के ई.ई. सस्पेण्ड हुए अपने रिश्तेदारों को काम देने में या तो बहाल रखे होंगे, हो सकता है कि किसी के कहने से दिये हों । उसके ई-मेल को, बिलासपुर के ई.ई. सस्पेंड हुए, एक मिस्टर चंद्रा और उसके पहले वाले जो ई.ई. थे, वे ई-मेल भेजे । इनको सदन में उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि क्या मांग किये थे, क्या बोले थे, कैसे किये थे उसको ? माननीय, मेरा ध्यानाकर्षण लगा है । यदि आप स्वीकृत करेंगे तो चूंकि आज शून्यकाल नहीं हुआ वरना मैं मांग करता तो यह एक रेट्टेपिज्म का या एक मॉडल है कि कांग्रेस सरकार कैसे काम करती है उसका एक उदाहरण है । उसके लिये आप पी.एच.ई. का अध्ययन कर सकते हैं । अब दूसरी बात ग्रामोद्योग में एक छोटी सी बात है कि जितनी पंजीकृत बुनकर समितियां हैं उसमें अक्रियाशील कितनी हैं ? और अक्रियाशील केवल इनकी लापरवाही के कारण है । क्योंकि उनको समय पर धागा नहीं मिलता । धागा देने में भी समिति से कमीशन चाहिए । स्व-सहायता समूहों को सामग्री देने में भी कमीशन चाहिए । अब तीसरी और आखिरी बात, ये लोग रीपा बना रहे हैं । मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत राजनीति करते हैं । छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया, वाह, वाह, वाह सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है

लेकिन कुटीर उद्योग में छत्तीसगढ़ के जो परम्परागत् कारीगर, बुनकर, लोहार, बेलमेटल, ढोकरा शिल्प जितने प्रकार के कहें । (श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य के सदन में प्रवेश करने पर) आप आ गए क्या, कुछ बोलेंगे, मैं बैठ जाऊं । मैंने बृहस्पत सिंह जी से आग्रह किया वे आते ही बोलते हैं । सभापति महोदय, उनके लिए एक नीति नहीं है । उनको कच्चा माल कहां से मिलेगा । उनको फायनेंस कहां से मिलेगा और किस चीज में कितना फायनेंस मिलेगा । यह छत्तीसगढ़ी सरकार कहते कहते गला सूख गया और प्यास के कारण गला काटने की स्थिति आ जाएगी । पानी एक ही तरफ खिंचा रहा है । लेकिन कुटीर उद्योग की नीति नहीं बनेगी । अंत में परम् पूज्य गुरूदेव का अभिनंदन करते हुए कि पानी का वे पर्याप्त दोहन खुद करें, जनता को प्यासा रहने दें, इस भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- सभापति महोदय, दो बातें कहना चाहूंगा । एक तो पदों की भर्ती करने की बात है । लगभग 800 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती होनी थी । टेक्नीशियन ही आपकी छवि बनाएगा और जिसकी भर्ती आप नहीं कर रहे हो । उसकी भर्ती के आंकड़े भी आपके प्रतिवेदन में आ जाएं । वही छवि बनाएंगे । दूसरी बात, आपके पास यांत्रिकी विभाग में खोदने की दो-दो मशीनें हैं जबकि एक-एक जिले में डेढ़ डेढ़ सौ का लक्ष्य रहता है । आप कैसे खोदेंगे ? यह इनकी छवि बनाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिलों को खनन के लिए जो लक्ष्य दिया जाता है वह कभी पूरा नहीं होगा । क्योंकि मशीनें उपलब्ध नहीं कराई जातीं ।

सभापति महोदय :- चलिए नेता जी ।

श्री सौरभ सिंह :- एक मिनट ।

सभापति महोदय :- नहीं, आप लोगों ने नाम नहीं दिया था ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी अपने जवाब में एक चीज बता देंगे कि पीएचई के कितने उच्चाधिकारी थे और उनके परिवार के लोग, उनके कितने बच्चे ठेके में काम कर रहे हैं ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के पानी के बारे में विषय उठाई थी, कृपया उस बात को गंभीरता से लेते हुए । जो काम बंद हैं उनको चालू करवा दीजिए और जिनका टेंडर नहीं हुआ है उनका टेंडर करा दीजिए । उस खेत्र के लिए पानी की व्यवस्था करवा दीजिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय सभापति महोदय, अनेक बार हम लोगों ने प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से जल जीवन मिशन का विषय उठाया । 2-2 बार इनके टेंडर निरस्त हुए । ये भारत सरकार की क्रांतिकारी योजना है और सितम्बर 2023 तक इसे पूरा करना है । पूरे देश में जितनी मंथर गति से यहां काम चल रहा है, जितनी अनियमितताएं छत्तीसगढ़ में है, जितना भ्रष्टाचार है, जितने नियमों और कानूनों की अवहेलना यहां हो रही है । शायद हिंदुस्तान के किसी राज्य

में नहीं हो रही है । आज पीने के पानी की आवश्यकता है। लोगों को शुद्ध पीने का पानी कैसे मिले, उनके घर पहुंचाकर मिले, फिल्टर वाला पानी मिले इसके लिए आदरणीय मोदी जी ने इस कार्यक्रम को लॉंच किया है । लेकिन दुर्भाग्य है कि ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- आदरणीय नेता जी, आप यह बताइए लगातार मोदी जी मोदी जी, मोदी जी की बात कर रहे हैं । उसमें 60 परसेंट मोदी जी देते हैं तो 40 प्रतिशत हम भी देते हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा जिला में भारी भ्रष्टाचार है, छत्तीसगढ़ में आज तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। यह विभाग छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, यह निराधार आरोप है। इनको वापस लेने के लिए बोलिए, इस तरह से निराधार आरोप ना लगाएं।

श्री नारायण चंदेल :- महासमुंद के प्रभारी कार्यालय (व्यवधान) अपने छोटे भाई को यहां पर 4 करोड़ और 7 करोड़ का काम दिया गया है। कांकेर जिले में सात करोड़ का काम दिया गया है। आज हमारे चांपा क्षेत्र में बुनकरों का जो काम होता है, उनको धागा नहीं मिल रहा है, उनके लिए जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो गयी है। मंत्री जी कहीं पर कोई संज्ञान नहीं लेते। इनको विभाग से मतलब नहीं है। विभाग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ? जो बुनकर सोसायटी है, उसकी आमसभा नहीं हो रही है। बिना आमसभा के वहां के अधिकारियों द्वारा पैसा निकाला जा रहा है। बुनकरों के साथ अन्याय हो रहा है। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार का आकण्ठ अड्डा बन गया है। माननीय सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि वे अपने वक्तव्य आने के पहले जो दोषी अधिकारी हैं, उनको निलंबित करने की घोषणा करें, जांच का आदेश दें। माननीय सभापति महोदय, ऐसे अनेक बार हम लोगों ने जल जीवन विषय को उठाया लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया। इसलिए माननीय मंत्री जी के वक्तव्य का विपक्ष बहिष्कार करता है।

समय :
4:36 बजे

बहिष्कार

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) के नेतृत्व में (भारतीय जनता पार्टी) के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया।)

वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री शैलेश पाण्डे :- जवाब तो आने दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने इतना जोर-जोर से कहा, अब जवाब आते समय भाग गए। इसका मतलब आपके सारे आरोप निराधार और मनगढ़ंत था। आपका आरोप मनगढंत, असत्य था।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह तो आरोप लगाने के लिए बैठे हुए हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपने कहा कि जवाब चाहिए, जवाब तो आने दीजिए। आपने मंत्री जी से जवाब मांगा, जवाब तो आने दीजिए। यह गलत बात है।

श्री बृहस्पत सिंह :- विपक्ष अपने आपको भगेड़ू घोषित कर रहा है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरू रूद्र कुमार) :- सम्माननीय सभापति जी, ...।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी, आपके जवाब आने के पहले ही भाग खड़े हुए। सुनने की हिम्मत नहीं रही।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्मानीय सभापति जी, जैसा हमारे साथी लोग बोल रहे हैं, विपक्ष निश्चित तौर से मुद्दाविहीन हो चुका है। उनके पास किसी भी प्रकार का, किसी भी विभाग को लेकर कोई एथेंटिक मुद्दा या बात है ही नहीं।

श्री शैलेश पाण्डे :- मुद्दाविहीन नहीं, आत्माविहीन भी हो चुका है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जब भी किसी विभाग में बात होती है तो कुछ भी फर्जी इल्जाम लगाना। खैर, विभाग पर चर्चा हो रही है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय, मेरी एक छोटी सी मांग है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी का भाषण शुरू हो गया है, आप बाद में मिल लीजिएगा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं-नहीं बिल्कुल नहीं। आप समय पर बाहर हो जाते हो और मंत्री जी का भाषण सुन नहीं सकते तो आपको अधिकार ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप मांग कर रहे हैं, अभी विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बाद में मिल करके दे दीजिएगा। मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखें। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री महोदय, सुहेला ब्लाक में तिल्दाबांधा एक गांव है, वहां पर सुपेबेड़ा से ज्यादा स्थिति खराब है, आप अधिकारियों को निर्देशित कर देते कि वहां पानी की भयंकर बड़ी समस्या है। वहां बहुत ही विहान समस्या है। आपसे पहले भी निवेदन किया था, आप अधिकारी को नोट करा देते। हमारा पूरा समर्थन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप इस साईड आएंगे तो आपकी मांगे तुरंत पूरी होगी। इस साईड आएंगे तो तुरंत पूरा करा देंगे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं तो पूरा समर्थन कर रहा हूं ना।

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्मानीय सभापति जी, अगर विपक्ष सदन में कोई बात उठाता है, कोई मुद्दा उठाता है तो हमें भी लगता है कि हो सकता है हमारे विभाग में कुछ कमी हो। वह कुछ सच्चाई सामने लेकर आए। लेकिन इन लोगों पास सिर्फ फर्जी इल्जाम लगाने के अलावा आज भी कुछ नहीं किया। सबसे पहले सम्माननीय धरमलाल कौशिक जी बोले। उनकी पार्टी के लोग उनकी यह स्थिति कर दी है, वे विधान सभा अध्यक्ष रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी बने। उनकी पार्टी के लोगों को उन पर भरोसा नहीं रहा कि उनको सब चीज से हटा दिया। फिर भी वे इल्जाम लगाते हैं। मैं उसका भी जवाब दूंगा। श्री आशीष छाबड़ा जी, शिवरतन शर्मा जी, अजय चंद्राकर जी, रजनीश कुमार सिंह जी, भुनेश्वर शोभाराम बघेल जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, सौरभ सिंह जी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, नारायण चंदेल जी। बातें बहुत सारी आई। पहले इन लोगों ने नियम की बातें की। जिले से टेंडर क्यों हो रहा है। जे.जे.एम. का नार्म्स है, जे.जे.एम. के नियम हैं। जे.जे.एम. के नियम के हिसाब से समिति बनाई गयी है। एक जो जिला स्तर पर समिति बनाई गई है वह कलेक्टर के स्तर पर है। उस समिति को 5 करोड़ रूपये तक का टेण्डर निकालने का अधिकार है। उस समिति में सभी विभागों के ई. लेवल के अधिकारी रहते हैं। नियमानुसार पी.एच.ई. विभाग का अधिकारी टेण्डर तैयार करता है और फिर उस समिति में तय होता है। उसके बाद सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जैसे-जैसे टेण्डर (योजना) की रूपरेखा और अमाउंट बढ़ता है तो उसके हिसाब से वह अलग-अलग समितियों में तय होता है। यह पूरा जे.जे.एम. के नॉम्स के माध्यम से होता है। ये लोग एक तरफ जे.जे.एम. के नॉम्स की बात करते हैं और खुद उसका विरोध करते हैं या तो यह खुद उस चीज को तय करें कि यह सही बोलना चाहते हैं। लेकिन यह असत्य के अलावा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। साथ ही साथ इसी विधान सभा में प्रश्न लगा और मैंने उसका जवाब दिया, जितने 200 टेण्डर लगे थे, जिसमें से 120 टेण्डर निरस्त हुए। मैंने उसके पीछे स्पष्ट कारण बताया कि ठेकेदारों की कमी होने के कारण या तो सिंगल कॉल रहा या फिर जीरो कॉल रहा। किसी भी टेण्डर का यह नियम है कि यदि सिंगल कॉल या जीरो कॉल रहता है तो उस टेण्डर को निरस्त करके दोबारा सेकेण्ड बार टेण्डर लगाया ही जाता है। यह नियम में है लेकिन फिर भी उसका विरोध करते हैं। सारी बातें हो गईं, सारी चीजें हो गईं लेकिन इनको तो सिर्फ हल्ला करना है। कौशिक जी शालाओं में पेयजल की व्यवस्था की बात कर रहे थे। इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया बल्कि मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि हमने अपने इस 4 साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश की शालाओं में 96 प्रतिशत पेयजल की व्यवस्था की है। फिर इन्होंने आंगनबाड़ी

और उपस्वास्थ्य केन्द्र में पेयजल व्यवस्था की बात की, मुझे बताते हुए खुशी होती है मजह 4 साल में, जिसमें से 2 साल कोविड रहा, हमें आंगनबाड़ी में 91 प्रतिशत पेयजल देने के कार्य को कम्प्लीट किया है और उपस्वास्थ्य केन्द्र में 98 प्रतिशत पेयजल के कार्य को कम्प्लीट किया है। हर बार यह इल्जाम लगाते हैं कि हम प्रदेश में इस नंबर पर है, प्रदेश में हम उस नंबर पर है और हम इतने राज्यों से पीछे हैं। 15 साल तक इनका राज रहा लेकिन 15 साल में इन्होंने पूरे प्रदेश में मात्र 7 प्रतिशत पेयजल उपलब्ध कराया। जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बेहद दु:ख की बात है। यदि इन्होंने अपने कार्यकाल में पेयजल की व्यवस्था की होती तो हमें इतने नीचे स्तर से पेयजल की व्यवस्था की शुरूआत नहीं करनी पड़ती। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था को 34 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए 41 प्रतिशत से ज्यादा कम्प्लीट किया है। शिवरतन जी बात कर रहे थे कि विभाग में मंत्रियों की नहीं चलती है। क्या इनके पास इतनी भी सद्बुद्धि नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी मंत्रियों के मुखिया होते हैं। मुखिया होने के नाते बिल्कुल हम सबको मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त रहता है। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोलता हूं कि मेरे विभाग के साथ-साथ हम सब मंत्री अपने विभाग का फैसला खुद लेते हैं। अब ये लोग इल्जाम तो लगा दिये लेकिन इनको सुनना नहीं था, इसलिए ये लोग यहां से भाग भी गये क्योंकि ये लोग मोदी जी, मोदी जी कहकर चिल्ला रहे थे, केन्द्र का इतना पैसा है। यदि हमारे मुख्यमंत्री जी 50 प्रतिशत पैसे नहीं देते तो इस प्रदेश में एक भी योजना लागू नहीं होती। (मेजों की थपथपाहट) तो यह हमारी भी योजना है। यह छत्तीसगढ़ सरकार की भी योजना है। यह जो देरी होने की बात करते हैं। जो शुरू का पहला वर्ष रहा और यह बार-बार सुपेबेड़ा की बात करते हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मंत्री जी, अब आप हां-न की जीत करा दीजिए। कोनो नहीं हे।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- तुमन जो इल्जाम लगाये हो, ओखर तो जवाब ले लो। ओमन हल्ला करके पेपर में छपवाए बर चल दीन।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं, यहां पर कोई नहीं हैं। यदि हां-न के जीत हो जाए तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, तोला ओखरे बर छोड़ के गे हे का ? (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं अपन यहां के छोटे से मांग लेके आए रहे हव, ओला मंत्री जी कर दीस।

श्री भूपेश बघेल :- ते ओला बइठ के सुन।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- भैया, अभी इनके साथ खुलकर बात कर लेते हैं। अभी इनके साथ कोई नहीं है। अभी इनसे इनकी राय पूछ लेते हैं। आज यह अकेले हैं और ऑफर कर रहे हैं। (हंसी)

समय :
4:45 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथी सुपेबेड़ा की बात कर रहे थे, अक्सर करते हैं । हमारी सरकार की भी चिन्ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिन्ता है । जब जे.जे.एम. (जल जीवन मिशन) नहीं आया था, तब सिर्फ राज्य का मद हुआ करती थी, तब पूरा पैसा हमारा लगता था । किसी भी योजना को बनने में और मल्टीविलेज स्कीम यानि की समूह जल प्रदाय योजना को बनने में समय लगता है, फिर भी हमने एक साल में बनाकर सुपेबेड़ा स्कीम को तैयार किया। उस स्कीम को तैयार करने के बाद हमने टेण्डर भी किया । जब तक हमने टेण्डर लगाया, तब तक जे.जे.एम.लांच हो गया और जे.जे.एम. के नियम के अनुसार चाहे वह सिंगल विलेज स्कीम हो या फिर मल्टीविलेज की स्कीम हो, उन सबको हमें जे.जे.एम. में शिफ्ट करना पड़ा और जब जे.जे.एम. आया तो उसी साल जे.जे.एम. ने अपने साथ में कोरोना भी लेकर आया, जिसके कारण पूरे साल भर हम काम करना भी चाहें तो काम नहीं हो पाया । लेकिन फिर भी हमारे अधिकारी निरंतर काम करते रहे । दिल्ली सरकार के द्वारा जे.जे.एम. के नियम को तीन-चार बार बदला गया, जिसके कारण पहली बार हमने कैबिनेट में लाया, उसके पहले नियम के हिसाब से लाया । फिर बाद में जब दोबारा कैबिनेट में लेजाकर केंसिल करके नया नियम बनाया गया । जे.जे.एम. के नियम के अनुरूप ही पूरा नया नियम बने हैं । इस कारण ये लोग सुनने की स्थिति में नहीं हैं, इनको सिर्फ इल्ज़ाम बस लगाना है ।

अध्यक्ष महोदय :- वे सब आपका समर्थन करते हुए निकल गए हैं । आप भी जल्दी से समाप्त कर दीजिए ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों को पीएचई विभाग में कई योजनाओं के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज मांग के अनुरूप होती है । आज भी कुछ सम्माननीय विधायकगण अपना आवेदन देकर गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हैण्डपम्प के जरिए गांव के लिए 75 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है और शहरी बेल्ट में भी पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो पाये, इसके लिए 168 नगरीय निकाय क्षेत्र पड़ते हैं, इसके लिए 3 करोड़, 14 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विपक्ष के लोग अपने कार्यकाल के समय में सिर्फ सरकारी गाड़ी से हैण्डपम्प करवाते थे, जिसके कारण अक्सर गर्मियों में वाटर लेवल गिर जाने के कारण दिक्कत होती थी । इनके द्वारा जो सरकारी गाड़ी खरीदी गई थी, उसमें ज्यादा गहराई तक बोर नहीं की जा सकती थी । हमने टेण्डर निकालकर प्राईवेट गाड़ी से खनन करवाया । जैसे कवर्धा का एरिया हो गया, अगर वहां हमें बोर में पानी चाहिए तो हमें ज्यादा गहराई तक बोर करना पड़ता है । हमने प्राईवेट गाड़ियों से ओपन टेण्डर निकालकर बोर करवाना शुरू किया और लोगों को स्वच्छ पेयजल हमने उपलब्ध

कराया । इसके अलावा नल-जल प्रदाय योजना है । साथ ही साथ स्पॉट सोर्स योजना होती है, इसमें गांव के अंदर पानी टंकी का निर्माण करके जो नल-जल योजना होती है, उसमें पाईप लाईन का एक्सटेंड करके घर तक कनेक्शन दिया जाता है और स्पॉट सोर्स में वहीं पर बोर करके पाईप लाईन एक्सटेंड करते हुए घर-घर में कनेक्शन दिया जाता है । इनके समय में अगर किसी गांव में पानी पिलाना है तो इनकी शर्तें यह थी कि उस गांव की आबादी दो हजार से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मिनीमाता अमृत धारा योजना लागू की । क्योंकि इनकी नीति के हिसाब से जो पैसे वाले लोग हैं, उसमें जो भी निर्धारित शुल्क है, उसे पटाकर उस नल का कनेक्शन अपने घर तक ले जा सकते थे, लेकिन हमने बीपीएल परिवार का भी सोचा और मिनीमाता अमृत धारा योजना के अंतर्गत हमने प्रत्येक घर के अंदर तक गरीब से गरीब तबके के व्यक्ति को मुफ्त में शुद्ध पेयजल देने की शुरूआत हमने पहले की । वह तो बाद में जे.जे.एम. आया । हम भी बोल सकते हैं कि इनकी दिल्ली की सरकार ने हमारी मिनीमाता अमृत धारा योजना को कॉपी की और न जे.जे.एम. को उनके द्वारा लांच किया गया ।

अध्यक्ष महोदय, अगर प्रदेश का हिस्सा न हो तो योजना पूरी नहीं हो सकती। साथ ही साथ ऐसे कई जगह हैं, जैसे कोरबा का एरिया हो गया या इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया, जहां पर या तो पानी को स्त्रोत ही नहीं होता या फिर पानी नहीं होता । हम कितना भी बोर कर लें । ऐसे जगह के लिए मल्टीविलेज स्कीम तैयार की गई । मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 77 मल्टीविलेज स्कीम की प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है, जिसके टेण्डर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और पूरे प्रदेश में लोगों को बहुत जल्द स्वच्छ जल उपलब्ध होगा। अध्यक्ष जी, आपने जल्दी खत्म करने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विभाग ग्रामोद्योग विभाग है। जैसा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि गरीब से गरीब तबके तक विकास की योजना पहुंचनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ग्राम उद्योग विभाग के द्वारा पिछले 4 सालों में हर स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण भी दिया, रोजगार भी उपलब्ध कराया। ग्रामोद्योग के अन्तर्गत रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड एवं माटी कला बोर्ड ये सारे घटक आते हैं। हमने इसके माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया और रोजगार भी उपलब्ध कराया। जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहे थे कि कोरोना जैसे महामारी के समय हमने रोजगार उपलब्ध नहीं कराया। चाहे बुनकर समिति हो, महिला स्वसहायता समिति हो, माटीकला के कुम्हार लोग हों, उनको चॉक उपलब्ध कराकर घर बैठे-बैठे रोजगार उपलब्ध कराया। इन चार सालों में 4.15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। हमने सभी घटकों को मिलाकर 19,442 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों विभाग निरंतर लोगों के हित के लिए, विकास के लिए कार्य कर रहा है। हमारे जितने साथी लोगों ने मांग की है, सब नोट कर लिया गया है, निश्चित तौर पर आप लोगों की समस्याओं को दूर किया

जायेगा, वह मेरे ध्यान में ही है। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं। अंत में अपने विभागों की बातों को संक्षिप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मेरे दोनों विभागों की मांगों को पारित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20 एवं 56 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

मांग संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए- एक हजार चार सौ तैंतीस करोड़, छियासठ लाख, बत्तीस हजार रूपये, तथा

मांग संख्या 56 ग्रामोद्योग के लिए- एक सौ चवालीस करोड़, उनहत्तर लाख, उनतीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- धन्यवाद।

(3)	**मांग संख्या**	**47**	**कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग**
	मांग संख्या	**44**	**उच्च शिक्षा**
	मांग संख्या	**46**	**विज्ञान और टेक्नालॉजी**
	मांग संख्या	**43**	**खेल और युवक कल्याण**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए- पांच सौ सड़सठ करोड़, सत्ताईस लाख, सत्रह हजार रूपये,

मांग संख्या 44 उच्च शिक्षा के लिए- नौ सौ बावन करोड़, सोलह लाख, बीस हजार रूपये,

मांग संख्या 46 विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए- छब्बीस करोड़, उनहत्तर लाख रूपये, तथा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या 43 खेल और युवक कल्याण के लिए- एक सौ बारह करोड़, सतानबे लाख, इक्यासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या-47

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	5
2.	श्री अजय चन्द्राकर	2
3.	श्री धर्मजीत सिंह	15
4.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	3

मांग संख्या-44

उच्च शिक्षा

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	3
2.	श्री अजय चन्द्राकर	2
3.	श्री धरमलाल कौशिक	6
4.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	6
5.	श्रीमती इंदू बंजारे	5
6.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	2

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या- 46

विज्ञान और टेक्नॉलाजी

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री धरमलाल कौशिक	2

मांग संख्या-43

खेल और युवक कल्याण

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	10
2.	श्री अजय चन्द्राकर	3
3.	श्री धरमलाल कौशिक	5
4.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	2

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । श्री रजनीश कुमार सिंह जी प्रारंभ करेंगे ।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 47, 44, 46 और 43 इन सभी के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- जस्ट ए मिनट । इसके बाद अनिला भेंडिया जी, मोहम्मद अकबर जी, कवासी लखमा जी, तीन लोगों का और बचा हुआ है, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग समाप्त करें । 15 मिनट में आप सब कुछ कह सकते हैं । आपका समय 15 मिनट है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- जी, अध्यक्ष महोदय । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभी विभाग ऐसे विभाग हैं जो युवाओं के भविष्य और सपने को बनाने का और बुनने का विभाग है । चाहे उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे रोजगार हो, यह सब विषय हमारे युवाओ को सपना दिखाने का काम करते हैं और उनके भविष्य के लिये काम आने वाले होते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जरूर बात शुरू करते हुये आग्रह करूंगा कि सभी कामों को करने के लिये वे इच्छुक हैं, प्रयासरत् हैं, लेकिन इनका प्रयास फलीभूत होते हुये, परिणाममूलक नहीं दिख रहा है । ऐसे मंत्री हैं जो सभी चीजों को अच्छे से समझते हैं । सभी मंत्री 15 सालों का जिक्र कर रहे हैं, 4 सालों की अपनी

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपलब्धि नहीं बताते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जरूर उम्मीद करूंगा कि इन सवा चार साल के अपनी उपलब्धियों का इन क्षेत्रों में भी जरूर जिक्र करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको जो बजट राशि वर्ष 2018-2019 प्रावधानित की गई है, उसको देखें तो 898 करोड़ के विरूद्ध 505 करोड़ का व्यय हुआ है, वर्ष 2020-2021 में 1000 करोड़ के विरूद्ध 491 करोड़ का व्यय हुआ है, वर्ष 2021-2022 में 1000 करोड़ के विरूद्ध 755 करोड़ का व्यय हुआ है, वर्ष 2022-2023 में 1068 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध दिसम्बर तक 710 करोड़ खर्च हुआ है । अध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट होता है कि विगत 4 सालों में एक ऐसे विभाग जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिये इतना महत्वपूर्ण विभाग है, उसमें भी हम इन राशियों का व्यय नहीं कर पाये हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, कालेज की बात करें तो शासकीय प्रतिवेदन में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जो पद स्वीकृत हैं और जो कार्यरत हैं इनकी जानकारी जरूर दी गई है, लेकिन जो पद रिक्त हैं, उसकी जानकारी एकाध को छोड़कर नहीं दी गई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, रिक्त पद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 59 में 34 प्राचार्य के पद रिक्त हैं, स्नातक महाविद्यालय 2026, अभी प्रश्न के उत्तर में आया है, 226 स्नातक महाविद्यालय हैं, उसमें 4 पद में ही रेगुलर प्राचार्य हैं और 222 पद रिक्त हैं । प्राध्यापक 682 में 4 पद ही रेगुलर प्राचार्य हैं, 222 पद रिक्त हैं, प्राध्यापक 682 में से 682 पद रिक्त हैं, सहायक प्राध्यापक 1365 पद रिक्त हैं, क्रीड़ा अधिकारी 80 पद रिक्त हैं, ग्रंथपाल के 80 पद रिक्त हैं, तृतीय श्रेणी के पद 2347 में 1243 पद रिक्त हैं । (

समय :
5.00 बजे

चतुर्थ श्रेणी में 2739 पदों में से 1875 पद रिक्त है। यदि कॉलेज के स्टॉफ की यह स्थिति है तो हम समझ सकते हैं कि वहां पढ़ाई का क्या स्तर होगा और वहां छात्रों को क्या पढ़ाया जाता होगा। इन्होंने 2018 के जन घोषणा पत्र में छात्र-छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही थी। इनके 16 मार्च के उत्तर में है कि हम इसको नहीं करा पाये हैं। इसी प्रकार रोजगार आयोग के गठन की बात कही गयी है लेकिन आज हम जिस तारीख को बात कर रहे हैं, मार्च तक छात्र-छात्राओं के लाभ के लिये किसी प्रकार के रोजगार आयोग का गठन नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदनों में जो उपलब्धि बताई गई है कि हम नेक का मूल्यांकन करवा रहे हैं और नेक के मूल्यांकन के कारण जो सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) है। उसमें सन् नहीं दिया है लेकिन जो पहले 3.5 प्रतिशत था वह 19.5 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2020 तक जो 36 महाविद्यालयों का नेक का मूल्यांकन हुआ था। अभी जो वर्तमान में नेक का मूल्यांकन हुआ है, उसमें 211 शासकीय कॉलेजों में 175 का और 244 अशासकीय कॉलेजों में 27 का नेक मूल्यांकन हुआ है। लेकिन जो नेक का मूल्यांकन हुआ है, उसमें कौन-कौन से ग्रेड मिले है ? उसमें A मिला, A+ मिला, B मिला या C मिला ? नेक का मूल्यांकन सिर्फ इसलिये कराना जिससे रूसा का और यू.जी.सी. का पैसा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ग्रांट हो जाये। यदि हम इस दृष्टि से कॉलेजों के नेक का मूल्यांकन कराये हैं तो जहां पर प्राचार्य नहीं है, जहां पर प्राध्यापक नहीं है, निश्चित रूप से उसके कारण नेक की रिपोर्ट भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगा कि नेक ने कॉलेजों के बारे में जो अपनी रिपोर्ट दी है, जो सुधार की बात कही है, यह सुधार होना चाहिए। उसमें हम कहां तक सफल हुए हैं, यह निश्चित रूप से जरूर बताने का प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो नवीन शिक्षा नीति है, उसमें इन चीजों का बहुत व्यापक जिक्र है कि हमारे जो कॉलेज है, जो स्कूल है, उसमें किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी, प्राध्यापक किस प्रकार के हो। हम इन चीजों से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो नवीन शिक्षा नीति है, उसमें सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज जो प्राध्यापक है, वह बड़ी संख्या में है, जिनके स्थानांतरण होते हैं तो उनको ए.जी.पी. में 7-8 हजार रूपये मिलना था। मेरे प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि प्राध्यापकों को 10 हजार रूपया दिया गया है, लेकिन यह राशि उनको नहीं दी जा रही है। आप एक बार इसकी जरूर जांच करिये। वर्ष 2016 में जो डी.पी.सी. हुई थी, उसमें केवल 26 लोग ही क्रमोन्नत हुए थे और उसमें 400 लोग उसमें छूट गये थे, जिसकी डी.पी.सी. आज तक दोबारा नहीं हुई है। इसी प्रकार जो पदोन्नत सहायक प्राध्यापक है, वर्ष 2019 में पदोन्नति नियम के तहत 10 हजार का ए.जी.पी. देने का उल्लेख है। इस संबंध में उच्च न्यायालय का भी निर्देश है, लेकिन आज तक उनको यह राशि प्रदान नहीं की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 7वें वेतनमान में शिक्षकों की राशि का लाखों करोड़ों रूपये अकाउंट में जमा किया गया है लेकिन वह पैसा न शिक्षकों के भविष्य निधि में गया है, न ही उनके एकाउंट में गया है। उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि बहुत से सहायक प्राध्यापक जिस पद पर नियुक्त हुये हैं, उसी पद पर रिटायर भी हो रहे हैं। प्राध्यापक बड़ी संख्या मे समय पूर्व सेवानिवृत्त ले रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो कौशल उन्नयन का दूसरा विभाग है। उसमें कांग्रेस सरकार ने रोजगारमुखी कौशल आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने कहा था। सामान्य कॉलेज जो पहले से चल रहे हैं, सरकार उसी प्रकार के किसी एक बिल्डिंग को चयनित कर वहां कॉलेज के कोर्स को खोल रही है । न वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, न अलग से स्वयं की बिल्डिंग का निर्माण हुआ है न इन्होंने अलग से जगह का चयन किया है। यह सरकार अपने आपको छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सरकार बताती है, पर सिर्फ यहां इंग्लिश मीडियम के कॉलेज ही खोलने का प्रयास कर रही है। वह भी जो पहले से हिन्दी मीडियम के कॉलेज चल रहे हैं उन्हीं को अंग्रेजी मीडियम का कॉलेज घोषित कर रही है। इस प्रतिवेदन में नये कॉलेज, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके सेटअप कहीं पर कोई बात नहीं है। माननीय मंत्री जी आगे उसका जवाब देंगे कि अब इसमें क्या कर रहे हैं।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन माननीय शैलेश पाण्डे जी ने अपने प्रश्न में एक विषय का जिक्र किया था। बिलासपुर का जे.पी.वर्मा महाविद्यालय बहुत ही पुराना कॉलेज है और वह बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है और उसको न्यायालयीन प्रकरणों के कारण न्यायालय हाईकोर्ट में उनके पक्ष में फैसला हुआ है उस दिन भी मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाह रहा था और आज भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि या तो सरकार को डी.पी. बैंच में जाना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जाना चाहिए। वह बहुत ही ऐतिहासिक और ऐसे स्थल हैं जिसमें बिलासपुर के लाखों लोगों का भविष्य टिका है उसके कारण लोगों में बहुत नाराज़गी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास खेल मंत्रालय भी है। अभी इन 4 सालों में खिलाड़ियों के प्रति जो व्यवहार दिखा है। माननीय मंत्री जी, आपने 16 मार्च के उत्तर में बताया है कि जनवरी 2020 से फरवरी 2023 तक एक भी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं किया गया है जबकि इसके पहले सरकार ने यह नियम बनाया था कि यहां दर्जनों की संख्या में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया, उन्हें शासकीय नौकरी प्रदान की गई, आपने किसी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं किया। आप उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं कर सके, इसके कारण उनका शासकीय स्तर पर आजीविका निर्धारण हो सके, सरकार खिलाड़ियों के प्रति, युवाओं के प्रति कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषणा होती थी तो उन खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी दी जाती थी, अलंकरण दिया जाता था तो निश्चित रूप से इन तीन वर्षों में राज्य स्तरीय अंलकरण पुरस्कार समारोह का आयोजन नहीं किया गया। आपने 16 मार्च को विधान सभा में इसका जवाब दिया है। इन खिलाड़ियों को जो नकद राशि मिलनी थी, वह राशि भी नहीं मिली है। इस तरह से खेल का देखें तो राजनीतिकरण किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर का बहतराई स्टेडियम, न केवल बिलासपुर का बल्कि छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही बड़ी संपत्ति है। माननीय मंत्री जी, वहां कई बार गये हैं। वहां एस्ट्रोटर्फ बन गया है, 400 मीटर का एथलेटिक ट्रेक भी बन गया है, उसका इंडोर ग्राउण्ड बहुत अच्छा है, लेकिन वह इतना विशाल काय है कि खेल विभाग या अन्य विभाग उसको संचालित नहीं कर पा रहे हैं। वहां कोई भी बड़े से बड़े खेल का आयोजन, राष्ट्रीय स्तर की बड़ी-बड़ी प्रतियोगिताएं हो रही हैं । अभी कुछ दिन पहले जुडो का आयोजन हुआ था, वहां एस्ट्रोटर्फ में हॉकी चल रहा था तो वहां इतनी दिक्कतें होती हैं। वहां की साफ-सफाई में हजारो-लाखों रूपये लग जाता है उसके कारण जो खेल विभाग है या जो आयोजनकर्त्ता हैं, वह वहां खेल करवाना नहीं चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि वहां ए.सी.सी.एल और एन.टी.पी.सी भी है। यदि हम उनसे बात करें तो वह उसे कम से कम मैंनटेनेंस के लिए रख लेंगे। वहां पर अभी तिरंदाजी का सेन्टर खुला है तो वहां इतना बड़ा हॉस्टल

और ग्राउण्ड है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में खेल की दृष्टि से वह बहुत बड़ी उपलब्धि वाली जगह है। मैं माननीय मंत्री जी से जरूर निवेदन करूंगा कि हम केवल मैंनेजमेंट, रखरखाव की दृष्टि से उस स्थान को इन संस्थाओं को दे दें तो आने वाले समय में निश्चित रूप से खेल को बढ़ावा मिलेगा। अभी यहां छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का आयोजन हुआ। यह माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि उसमें लगभग 26 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। 26 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, वहां अव्यवस्था के कारण 3 खिलाड़ियों की मौत हुई। वहां पर जैसी आवास और खाने पीने की अव्यवस्था थी, सिर्फ वहां आने वाले अतिथि, उद्घाटन करने वाले अतिथि का ज्यादा स्वागत, सत्कार में लगे थे, लेकिन जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनके भोजन और आवास के लिए इतनी अव्यवस्था थी । हम सब लोग उसमें बहुत परेशान हुए और जो निर्णायक थे उनका तो पता ही नहीं था कि उसका कौन निर्णय कर रहा था । सचिव कर रहे थे, सरपंच कर रहे थे या जनपद के कार्यालय के बाबू कर रहे थे। कई बार शिकायत लेकर विजेता टीम के खिलाड़ी आये कि भैया खेल में हम लोग जीत गये थे लेकिन दूसरे को विजेता घोषित कर दिया। सी.ई.ओ. को फोन लगाकर पूछते थे कि यह कैसे हो गया? वह बोलते थे कि भैया वह निर्णायक है उसको मालूम ही नहीं है कि नियम क्या है। अब उसको क्या मालूम कि क्या हो रहा है। यह हंसी-मजाक का विषय लग सकता है, लेकिन ऐसी घटनायें हुई हैं कि जिसमें जीतने वाली टीम को हारा हुआ घोषित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन विषय हैं, 5 मिनट में बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 19 क्रीड़ा परिषद का संचालन किया जा रहा है, जो पिछड़ा वर्ग के द्वारा 19 क्रीड़ा परिषद का संचालन किया जा रहा है। जगदलपुर में एन.एम.डी.सी. के माध्यम से एक सेंथेटिक ट्रेक का निर्माण हुआ है। यदि इसी प्रकार से जो 19 खेल परिसर हैं, इनको यदि हम सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए, खिलाड़ियों को उसमें और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए यदि हम ऐसे कार्य इन 18 जगहों में करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कई जगह दिक्कत आ रही है कि उनको खोलने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। उनके पास 8-10 करोड़ रुपये पैसा रखा हुआ है, लेकिन ऐसे क्रीड़ा परिसर खोलने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका भी ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इन क्रीड़ा परिसरों का बहुत फायदा बहुत खिलाड़ियों को होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई। पहले रोजगार कार्यालय में जब पंजीयन होता था तो अनिवार्य था कि शासकीय सेवा में आने के लिए आपको रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। उस समय हर बेरोजगार व्यक्ति जितने दिन उसको नौकरी करनी रहती थी अपने पंजीयन को रिनुअल करा-करा कर जीवित रखता था कि मेरा रोजगार कार्यालय का जो पंजीयन है वह

डेड न हो जाये। लेकिन अभी यह व्यवस्था नहीं होने के कारण जो पंजीयन चल रहा है चल रहा है और नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। जिसके कारण हम बेरोजगारों का आंकड़ा भी नहीं बता पा रहे हैं। 18 लाख 78 हजार 321 का आंकड़ा बताये हैं। आप जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, जो अपने नियम बनाये हैं, इसमें अनुमानित है कि 80 हजार लोगों को ही हम बेरोजगारी भत्ता दे पायेंगे। जब से बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई है, प्रत्येक रोजगार कार्यालय में हजारों लोगों की लाईन लग गई है। नये रोजगार कार्यालय में पंजीयन करने की भीड़ लग गई है और वह 18 लाख का आंकड़ा पता नहीं कहां तक जायेगा। आप लोग जो बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। सभी लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल सके, इसकी बात करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय है। वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, एक लाइवलीहुड का बोल देता हूं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का बोल देता हूं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना थी, इन सवा 4 सालों में उसकी क्या दुर्गति हुई है। कौशल विकास योजनान्तर्गत कुल बजट प्रावधान 254 करोड़ रुपये था जिसमें 26 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। उसमें भी सिर्फ 22 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉ. रमन सिंह जी के समय में 5 लाख लोगों को कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार दिया गया था। अभी यह संख्या 5 हजार, 10 हजार भी नहीं है। कौशल विकास उन्नयन के जो केन्द्र थे वह सब बंद पड़े हैं। वहां किसी प्रकार का नया कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है। इसके कारण यह योजना बंद है।

समय :
5.14 बजे **(सभापति महोदय(श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, आई.टी.आई. के बारे में दो शब्द बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आई.टी.आई. एक ऐसा संस्थान है जिसमें न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के बहुत से लोगों को इससे रोजगार का अवसर पैदा होता है। जितने पुराने आई.टी.आई. हैं, यदि आप देखेंगे तो वह जर्जर हैं। बिलासपुर और कोरबा का तो खुद की जमीन नहीं होने के कारण वह जमीन को अतिक्रमण कर रहे हैं, बेचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी जो नई टेक्नॉलाजी, तकनीकी आये हैं, ऐसे ट्रेडों को भी हम आई.टी.आई. में नये ट्रेड के रूप में शामिल करें। निश्चित रूप से इससे हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, उनके नया ट्रेड सीखने में और रोजगार पाने में सहायता मिलेगी। सभापति महोदय, आखिरी विषय लेकर समाप्त करता हूं। राजीव मितान क्लब को लेकर समाप्त करता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हूं। जो राजीव मितान क्लब का गठन किया गया है। प्रश्न लगने तक मालूम नहीं था कि उसका पंजीयन हुआ है या नहीं हुआ है। प्रश्न लगने के बाद बताया गया है कि उसका एक सेंट्रल पंजीयन हुआ है, जिसके तहत जो 13,032 टीमें हैं, उनका गठन किया गया है और उनको बिना पंजीयन के, बिना ऑडिट के 132 करोड़ रूपये जारी किया गया है। ऑडिट का काम जारी है, पंजीयन करवा रहे हैं, लेकिन 132 करोड़ रूपये जारी हो चुका है। बेरोजगारों को देने के लिए, अन्य कामों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ओबलाईज करने के लिए 132 करोड़ दिया गया। यदि इसको देखें तो एक प्रकार से यह वित्तीय अनियमितता है। तो जो राजीव गांधी मितान क्लब है। माननीय मंत्री जी, निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं। इससे बहुत नाराजगी है। इसको मिल-बांट कर कुछ लोग खा जा रहे हैं। आपने बताया था कि अध्यक्ष और सचिव के दस्तखत से हो रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में इसको खर्च करने की बात की गई थी। कोई खर्च नहीं कर रहा है। न खेल में, न संस्कृति में, न सामाजिक गतिविधि में। सरपंचों से खर्च करवा रहे हैं। उसी का बिल लगा रहे हैं और पैसा को निकाल-निकाल कर खा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके कारण छत्तीसगढ़ में रोष है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो बातें मैंने उठाई है, उसका निश्चित रूप से उत्तर देंगे, समाधान करेंगे। आपने बालने का अवसर दिया, इसके लिए बहत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- चलिये, धन्यवाद। श्री शैलेश पांडे जी।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन मंत्री जी श्री उमेश पटेल जी के विभागीय मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप कमेंट करने के लिए बोले तो माननीय, मोहन मरकाम जी से कुछ प्रेरणा ले लीजिये। आपकी गति पहले कैसे थी, देख लीजिये। मरकाम जी रोज बोलते थे थे। उनकी क्या गति है, देख लिये। आप कुछ तो प्रेरणा लीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आज वह माननीय मुख्यमंत्री जी के चेंबर में गये थे और यह लगातार बोले जा रहे थे और मुख्यमंत्री जी हम लोगों की ओर देख रहे थे। उसके बाद भी सुबह से समर्थन, समर्थन, समर्थन। समझ में नहीं आता। आप उसकी जल्दी प्रशंसा करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चौबे जी, यह स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए कि आपके ओपनिंग बैट्समेन पहले मोहन मरकाम जी होते थे। अब वह क्यों बदले गये? क्या उन्होंने 7 करोड़ रूपये डी.एम.एफ. का घोटाला उठा दिया। उस दिन से उनका मुंह बंद करवा दिया गया है क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या उनकी फोटो नहीं लगी है, उसको उठा दिया, इसलिए उनका मुंह बंद हो गया?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या उनको सबक सिखाने के लिए अगर तुम सरकार की गड़बड़ियों को उठाओगे तो तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया जायेगा। तुमको बोलने को नहीं मिलेगा। आपको खड़े होकर बताना चाहिए और आप बोल रहे हैं कि वह आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने उनको बोलने से क्यों रोकवा दिया?

श्री शिवरतन शर्मा :- आज बहिर्गमन करके उठ कर चले गये।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- असत्य बयान नहीं कहना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, उसकी सार्थकता हो, उसकी कोई प्रमाणिकता हो, बात करें तो समझ में आये। मतलब कुछ भी मनगढंत आरोप किसी के ऊपर भी लगा देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अंग्रेजी में बोलेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगते हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, मैं 101 परसेंट सही बयान कर रहा हूं। आप भी ट्रायबल हैं, वह भी ट्रायबल हैं। ट्रायबलियों के साथ में इस राज्य में क्या हो रहा है? ट्रायबल के साथ में क्या हो रहा है? अगर वह बोलता है तो उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है। मेरे पास में पुष्ट जानकारी है, अपुष्ट जानकारी नहीं है। इसलिए मैं सदन में बोल रहा हूं कि वनवासी, आदिवासियों का मुंह क्यों बंद किया जा रहा है?

श्री शिवरतन शर्मा :- ट्रायबल नेता को धरने में बैठना पड़ता है, चक्काजाम करना पड़ता है और दूसरा लगातार अपमानित हो रहा है। यह सरकार ट्रायबल विरोधी सरकार है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, प्लीज बैठिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय विधायक जी, इधर कुछ नहीं हो रहा है। इधर ज्यादा शोषण कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- पांडे जी।

श्री अमरजीत भगत :- वैसे भी आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं। आग कैसे लगाना है, कहां पर बोत को बतंगड़ बनाना है। आदिवासी प्रदेश में आरक्षण के खिलाफ में रोड में धरने के लिए उतार दिये थे। कलेक्टर का घेराव, विधायक और मंत्रियों का घेराव और जिस दिन से यह सदन में पास हुआ है, पता नहीं कि उस दिन से आप लोग मुंह बंद कर लिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापित महोदय, माननीय मंत्री जी बतायें न कि मोहन मरकाम जी का मुंह क्यों बंद किया गया?

सभापति महोदय :- पांडे जी, अपनी बात कहें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका पूरा सम्मान है। वह जब बोलना चाहे, तब बोलेंगे।

सभापति महोदय :- आदरणीय बृजमोहन जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरा प्रदेश जानता है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का प्रस्ताव लेकर दिल्ली कौन गया था? सारे प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा है, लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला है। आप लोग एक ट्रायबल को परेशान करने में लगे हुए हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप भी मंत्री पद से हट रहे हो, यह भी छपा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमको इस बात की दिक्कत है कि मोहन मरकाम जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं । किसी सदस्य को बोलने से रोका जाना ।

श्री अजय चंद्राकर :- वे नाम पुकारे जाने से पहले खड़े हो जाते थे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, कृपया बैठिये । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वे हमेशा हर विभाग की ओपनिंग करते थे और उनका मुंह बंद करवा दिया गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- वे उनका नाम पुकारे जाने से पहले ही खड़े हो जाते थे ।

सभापति महोदय :- चलिये, चंद्राकर जी बैठिये । माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें । (व्यवधान)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- क्या आपको पांडे जी की ओपनिंग से परेशानी है ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वे आदिवासी हैं । आदिवासियों के साथ में यह सरकार कैसा व्यवहार कर रही है इससे हमको कष्ट है, हम इसके लिये बोल रहे हैं ।(व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- क्या आपको पांडे जी की ओपनिंग से परेशानी है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हमें इस बात का भी दुख है कि ये हमारे प्रिय मित्र हैं । हमारे प्रिय मित्र अमरजीत भगत को भी मंत्री पद से हटाने का षड़यंत्र हो रहा है ।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमें पांडे जी की ओपनिंग से परेशानी नहीं है । पांडे जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है । हम यह उम्मीद करते हैं कि जो मोहन मरकाम जी के साथ हो रहा है, वह पांडे जी के साथ न हो जाये ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- श्री शिवरतन भाई, थोड़ा सुन लीजिये न। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उनके नेता प्रतिपक्ष बीच में बदले गये हों ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये ।

श्री अमरजीत भगत :- यह आपकी ही पार्टी में होता है और आप लोग दूसरी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- पांडे जी अपनी बात कहें ।

अशासकीय प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारे यहां तो 4 साल और एक साल का सिस्टम चल गया । आप यह बताईये कि आपके ढ़ाई-ढ़ाई साल का क्या हुआ ?

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी चूंकि यह चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के कारण उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं । बहुत सारी सभाएं हैं, कार्यक्रम हैं, मीटिंग हैं इसलिये जरूरी नहीं है कि वे पूरे समय सदन में उपलब्ध रहें । जितना भी उपलब्ध रहते हैं उतना पर्याप्त है । मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पार्टी में विश्व आदिवासी दिवस के दिन अपने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया था । (शेम-शेम की आवाज) आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षा एक ऐसा...।

श्री उमेश पटेल :- पांडे जी, वह कौन सा दिवस था ?

श्री शैलेश पांडे :- विश्व आदिवासी दिवस ।

श्री उमेश पटेल :- हां, विश्व आदिवासी दिवस था । (हंसी)

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम किसी भी बच्चे का चरित्र निर्माण करते हैं । साथ-साथ कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी शिक्षा लेता है तो वह अपने जीवन-यापन के लिये भी पढ़ाई करता है । इसके लिये सभी सरकारों ने शिक्षा पर हमेशा विशेष ध्यान दिया है क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था और अगर हम देखें । यदि हम हमारे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय हमारा ग्रास एनरोलमेंट रेशो लगभग 3.5 प्रतिशत हुआ करता था । आज हमारे माननीय उचच शिक्षा मंत्री जो कि बहुत युवा हैं, टेक्निकली क्वालिफाईड हैं, वे इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार से हमको एजुकेशन का सिस्टम चलाना चाहिए ? मुझे हमारे शिक्षा मंत्री जी से इस बात की खुशी है कि वे जब से आये हैं, उन्होंने बहुत ही नियम का पालन किया है । आपने बहुत आदर्श मूल्यों पर आधारित मंत्रालय को चलाया है और आपने बहुत ही सरलता से और समझदारी से प्रदेश में जो एक व्यवसायीकरण फैला हुआ था उस व्यवसायीकरण को भी आपने बहुत हद तक रोका है । मुझे यह बात अच्छी लगी और यह सोच आपकी थी क्योंकि आप एक ऐसे राजनीतिक घराने से भी आये हैं, एक अत्यंत शिक्षित परिवार से आये हैं और स्वयं भी बहुत शिक्षित हैं ।

आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षा हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि रोजगार देने वाली हो । पहले के जमाने में शिक्षा लेने के लिये नौकरियां बहुत हुआ करतीं थीं। बच्चा पढ़ लेगा, वह अलग बात है लेकिन आज बच्चों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गयी हैं। आज माता-पिता की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गयी हैं । आज बच्चों को चाहिए कि वह जैसे ही पढ़ाई पूरी करता है उसको लगता है कि मेरी नौकरी लग जाये, मेरी जॉब लग जाये, मैं कमाने लगूं, मैं दो वक्त की रोटी कमाने लगूं । मैं अपने परिवार का भार उठाने लगूं । आज जरूरत है । आदरणीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 9

शासकीय विश्वविद्यालय हैं, 15 प्राईवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 285 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 12 ग्रांटेड कॉलेज हैं, 252 प्राईवेट कॉलेज हैं । छत्तीसगढ़ में लगभग 3 लाख 35,000 विद्यार्थी एनरोल्ड हैं और 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज जो कि हमारे यहां स्थापित हैं । यह बड़ी बात है। सभापति महोदय, एक बड़ी चीज है । मैं भी एक छात्र रहा हूं, मैं भी ग्यारहवीं, बारहवीं क्लास में जब पढ़ता था । सभी लोग अपने अपने समय में पढ़ते हैं तो एक चिंता तो होती है कि हम कौन से कॉलेज में पढ़ने जाएं ? पहली चिंता तो यह होती है कि बच्चा एक गोल सेट कर लेता है कि उसको क्या बनना है ? नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं चार साल ऐसे होते हैं जब वह यह तय करता है कि उसको क्या बनना है ? ग्यारहवीं, बारहवीं के पास आकर वह अपने कॉलेज के बारे में भी चिंता करने लगता है । आज आप देखिए बहुत सारे बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं । पढ़ाई करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो । आजकल तो बारहवीं के बाद बच्चे सीधे लॉ के क्षेत्र में भी पांच साल पढ़ाई कर रहे हैं । अब के दौर अलग हो चुके हैं । अब हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए विविध पाठ्यक्रम हैं। आदरणीय सभापति महोदय, अगर हम बात करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कि एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है । हमारा राज्य 44 प्रतिशत वनों से आच्छादित है। ऐसे राज्य में आज हम कहां खड़े हैं । आज छत्तीसगढ़ 22 साल का हो गया है, एक युवा है । आपने इस युवा छत्तीसगढ़ में 15 साल हुकूमत की या सेवा की या आपने जो भी किया । लेकिन इन 15 वर्षों में आपने कोई बहुत बड़ी तस्वीर नहीं बदल दी । आज भी अगर हम ग्रॉस इन्रोल्मेंट देखते हैं तो आज हमारा ग्रॉस इन्रोल्मेंट रेश्यो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 15 साल में एक ही उपलब्धि है कि आपके विश्वविद्यालय को मैंने नियमित कर दिया जो फर्जी था उसको ।

श्री शैलेश पांडे :- हमारा ग्रॉस इन्रोल्मेंट रेश्यो 20 परसेंट है । सभापति महोदय, मैं इस बारे में आपकी तारीफ करूंगा जो अपने बात कही है । आपने जो इच्छा रखी, वह आपने पूरा किया । आपने इसलिए भी किया क्योंकि आप इस बात को समझते भी थे कि हिंदुस्तान में क्या काम हो रहा है । इसलिए आपने ज़िद करके अपना काम किया । इसके लिए मैं आपको शाबाशी देता हूं । मतलब बधाई देता हूं, धन्यवाद् भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं । चूंकि बड़े भाई जैसे हैं, हमारे मित्र जैसे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चन्द्राकर जी, तारीफ कर रहे हैं, मुस्कुरा तो दीजिए।

श्री शैलेश पांडे :- छत्तीसगढ़ में हमारे रजनीश भइया गुणवत्ता को लेकर बात कर रहे थे । वास्तव में गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण विषय है । हमारे देश में गुणवत्ता का पैमाना देखते हैं तो नेक होता है । माननीय मंत्री जी ने अपने प्रदेश में 109 कॉलेजों में नेक के लिए फाइल भरवाई है । नेक एक गुणवत्ता का पैमाना होता है जो महाविद्यालय में हो या विश्वविद्यालय में हो वह चेक करता है कि आपके इन कॉलेजों में शिक्षा का स्तर क्या है, आपके यहां फैकल्टीज़ कौन सी है । आपके यहां टीचर्स कैसे हैं, आपके यहां सुविधाएं कैसी हैं, आपके यहां रिसर्च कैसे किया जाता है, आपके यहां curricular

activities क्या हो रही हैं, आपके यहां नवाचार में क्या किया जा रहा है ? ये सारी चीजें आज देखी जाती हैं । आज कोई भी बच्चा कॉलेज में एडमीशन लेने जाता है तो वह बच्चा उस कॉलेज का सिस्टम देखता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, उसकी फैकल्टीज़ से मिलता है, सबसे बड़ी चीज उसका प्लेसमेंट देखता है । आज इसलिए चिंता होती है क्योंकि पिछले 15 वर्षों में हमें 23 लाख बेरोजगार युवा विरासत में मिले । जब हमारी सरकार आई और भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री बने तब हमारे पास 23 लाख बेरोजगार विरासत में मिले । हमारे मंत्री जी की चिंता थी कि इस प्रकार से 23 लाख बेरोजगार युवाओं का हम क्या करेंगे ? आज 18 लाख हैं, उस समय 23 लाख थे । यह आंकड़ा आपने दिया है । मेरे पास आपके द्वारा विधान सभा में दिया गया जवाब आज भी रखा है । जब आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 23 लाख बेरोजगार हैं, आज 18 लाख हैं । 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है । यह बेरोजगारी कैसे कम हुई, हम 23 लाख से 18 लाख में कैसे आए ? हम इस प्रकार से आए कि हमने उस दिशा में काम किया । सबसे बड़ी बात यह होती है कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, वह मार्केट ओरियेंटेड होना चाहिए, इंडस्ट्री ओरियेंटेड होना चाहिए। यानी कि जो इंडस्ट्री होती है, वह मांग और आपूर्ति के नियम पर काम करती है। अगर वह वैसे अशिक्षित होकर जाएंगे तो इंडस्ट्री में मांग है तो हमारा रोजगार लग जाएगा। आज हमारी चिंता है। हमारे माननीय मंत्री जी इस बात की चिंता करते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार का नवाचार, किस प्रकार से यू.जी.सी. के करीकुलम में हम चेंजेस कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि...।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, समय का थोड़ा ख्याल रखेंगे।

श्री शैलेश पाण्डे :- बस 10 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। हमारे प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या आपके लिए भी रही और हमारे लिए भी रही।

सभापति महोदय :- दो मिनट में अपनी बात कीजिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, मैं पहला वक्ता हूं, तीन विभाग है। मंत्री जी के पास मांग संख्या भी बहुत ज्यादा है। अच्छे-अच्छे विभाग हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय शैलेश पाण्डे जी मेरे कॉलेज में सीनियर रहे हैं। मैं इन्हीं के साथ पढ़ा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उधर की दीर्घा में विधान सभा के अंदर मोबाईल खोलना और बातचीत करना दोनों होता है। आप इस बात की संज्ञान लीजिए। आप इस बात को संसदीय कार्य सचिव को बोलिए। जो चीज हम लोगों के लिए लागू नहीं है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम छत्तीसगढ़ का ग्रास इनरोलमेंट रेशियों देखते हैं, हमको पता है, लेकिन हम बाकी राज्यों का भी देखें। हम पंजाब का देखते हैं तो 20 प्रतिशत है, उड़ीसा का 21 प्रतिशत है, झारखंड का 19 प्रतिशत है, गुजरात का

21 प्रतिशत है, यू.पी. का 25 प्रतिशत है और मध्यप्रदेश का 24 प्रतिशत है। यानी कि जो हमारी जनसंख्या में या जिन राज्यों को हम लगातार सुनते रहते हैं, उन राज्यों का भी ग्रास इनरोलमेंट रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है। यह हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं, यह हमारे देश के लिए भी चुनौती है कि आज हम अपने बच्चे को कैसे फोर्सफुली या इच्छा से प़ढ़ा सकें। सभापति महोदय, मैं अपनी बात कह रहा था। आदरणीय मंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की है, उन्होंने 1384 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में 1167 लोगों को नियुक्त कर दिया गया है। 40 ग्रंथपाल और 39 क्रीडा अधिकारियों के पद भी भरे हैं। मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूं। हमारे पास 285 कॉलेज हैं, जिसमें से 207 कॉलेज स्वयं के भवन पर हैं और लगभग 22 कॉलेज जो हैं, उनके स्वयं के भवन बनाये जा रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा का स्तर, उच्च शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रारंभ किया। मैं बिलासपुर की बात बताता हूं। हमारे रजनीश भैया ने बहुत सारी चीजें देखी है। वास्तव में किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे, ब्लाक स्तर से, पंचायत स्तर से, शहर में खेलने आए। मैं कम से कम चार से पांच छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कार्यक्रमों में गया हूं। मैंने बच्चों को पुरस्कार बांटे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाण्डे जी एक मिनट। माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक विधान सभा में आयोजित कर लीजिए। गेड़ी चढ़ना, भौंरा चलाना, फुगड़ी खेलना, बिल्लस खेलना। आप अगली बार अपने विभाग से विधान सभा में करिए।

श्री उमेश पटेल :- बिल्कुल ठीक है, आपका सही सुझाव है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, वह बच्चों ने पूरे छत्तीसगढ़ में खेला और उसमें छत्तीसगढ़िया खेलों के प्रति एक बहुत अच्छा माहौल बना। आपने देखा है कि उसमें किस प्रकार से गिल्ली डंडा, पिट्टुल, कटली, लंगड़ी दौड, कबड्डी, खोखो, रस्साकसी खेला गया। इसने एक बहुत अच्छा माहौल बनाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने कोई सा भी खेल खिलाया लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में खेलों को लेकर एक अच्छा वातावरण बनाया। हमने उन खेलों को प्राथमिकताएं दी जिन खेलों में खेल नहीं खेले जाते थे। लेकिन इससे हमारे छत्तीसगढ़ में खेलों में विशेष रूप से माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, आपने राजीव युवा मितान की बहुत बार बात की। मैं राजीव युवा मितान के कार्यक्रम में गया था और मैंने जाकर देखा कि जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, उसके आरोप क्या सही है। मैंने वहां जाकर देखा तो मोहल्ले के छोटे-छोटे बच्चे वहां पर रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरे पास उनके आडियो, वीडियो, फोटोग्राफ भी है। आप चाहें तो मैं पटल में रख सकता हूं। माननीय मंत्री जी, आपने जो राजीव युवा मितान क्लब बनाया। उससे पूरी जनता जुड़ रही है , बच्चे जुड़ रहे हैं और पूरा प्रदेश जुड़ रहा है। आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप आगे बढ़कर और अच्छा काम

कीजिए। माननीय सभापति महोदय, आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बात हमारे रजनीश भाई ने बोली। मैं आपको जे.पी. वर्मा कॉलेज की बात बताना चाहता हूं। मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैंने जे.पी. वर्मा कॉलेज का अनुबंध पढ़ा है जो कि दबा दिया गया था उस अनुबंध में यह लिखा हुआ है कि जब तक हमारे पूर्वजों का नाम उस कॉलेज में रहेगा, तब तक यह जमीन आपकी रहेगी। मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि बिलासपुर में हमारे एक मंत्री जी थे। उन्होंने उस कॉलेज का नाम बदलवा कर एस.बी.आर. कॉलेज से। आदरणीय रजनीश भैया, मैं आपको उस कॉलेज के नाम की सच्चाई बता रहा हूं। उसका एग्रीमेंट है आप बाद में उसको पढ़ेंगे। आपने उस कॉलेज का नाम बदल कर एस.बी.आर. कॉलेज से जी.पी. वर्मा करा दिया। यह उस कॉलेज के लिए पहली गलती थी जिसके कारण कॉन्ट्रेक्ट हुआ।

सभापति महोदय :- चलिये, आप समाप्त करिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास अनुबंध की कॉपी है। इसके कारण से आज जे.पी. वर्मा कॉलेज के जो ट्रस्टी उसको बेचने में लगे हुए हैं। हमको इस चीज को रोकना है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दूसरे विषय की ओर आकर्षित करते हुए एक छोटी सी मांग करता हूं बेलतरा स्टेडियम बहुत अच्छा बना हुआ है। वहां पर बड़े-बड़े खेल होते हैं और वहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आते हैं लेकिन उसमें थोड़ी-बहुत पोताई वगैर: नहीं हो पाती है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको कुछ फण्ड अवश्य दिया जाए क्योंकि उसको सुंदर बनाना है। आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय :- धन्यवाद।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

सभापति महोदय :- आदरणीय अजय चंद्राकर जी।

वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, शायद आपने भी कभी उच्च शिक्षा विभाग की शोभा बढ़ाई है। जब छत्तीसगढ़ बना और हम मध्यप्रदेश में थे तो उस समय चक्रवर्ती साहब ए.सी.एस. थे। बागड़ी साहब थे, श्रीमती इंदिरा मिश्रा जी जैसे ए.सी.एस.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोग उच्च शिक्षा विभाग में होते थे। उच्च शिक्षा विभाग का अपना एक अलग महत्व होता था। धीरे-धीरे जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री, तब तक मेरे साथ ए.सी.एस. होते थे और यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने मुझे उच्च शिक्षा में काम करना है करके उस विभाग को मांगा था। स्थिति यह बनी कि आज उच्च शिक्षा विभाग में उन अधिकारियों को पोस्टेड किया जाता है जिनको फील्ड में या जिसको प्रशासनिक भाषा में दूसरा विभाग कहा जाता है, उन लोगों को छोड़कर उसमें पोस्टेड किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें मेरे ख्याल से दीर्घकालिक रूप से छत्तीसगढ़ बर्बाद होने वाला है। आज भी समय है कि जिस सदन में माननीय चौबे जी बैठे हैं वह उस बर्बादी को रोक सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, उस नवजवान भतीजे में भी बहुत ताकत है। वह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जब मैं उच्च शिक्षा विभाग में आया तो मैंने एक अधिकारी से पूछा कि छत्तीसगढ़ का जी.ई.आर. कितना है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मालूम नहीं था। दूसरी बात मैंने यह की कि मैंने एक एजुकेशन मैप बनवाया। जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहां-कहां और कैसे हैं, ये सब जानकारी थी। मैंने उसके लिए पैसे नहीं मांगे। मैं उस मैप को लेकर डॉ. रमन सिंह जी के पास गया और कहा कि देखिये, छत्तीसगढ़ में शिक्षा में कितना क्षेत्रीय असंतुलन है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा और आज जो 15 साल-50 साल बोलते हैं, मैं उस भाषा से थोड़ा बचता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ में 50 साल और मेरे 3 साल के कार्यकाल में बहस कर लीजिए। आप केवल मेरे 3 साल रिकॉर्ड निकलवा लीजिए और बहस कर लीजिए। यह बहादुरी नहीं है। आप दीर्घकालिक रूप से इस प्रदेश की सेवा कैसे करना चाहते हैं? आज की तारीख में नीति कैसे बनेगी? बेसिक रूप से पहले क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करके नीति बनेगी और फिर फैकल्टी आएगी। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय असंतुलन लगभग दूर हो गया तो हम जी.ई.आर. में 18-19 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। यदि आप निजी क्षेत्र को जोड़ देंगे तो 30-32 प्रतिशत तक पहुंच जाएंगे। आप ज्यादा आगे हो गये होंगे। मैं तो बिना देखे बोल रहा हूं। मेरी एक बात यह है और दूसरी बात यह है कि आपके लिए जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, आजकल में प्रतिवेदन में बहुत इधर-उधर देखता हूं। आपका प्रतिवेदन छपा है। मंत्री जी, आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, सच-सच बताओ । आपने नहीं पढ़ा है ना । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर आपके पास है ? इसमें छपा है, आप देख लीजिए । अब दूसरी बात इतने बड़े प्रतिवेदन में एशिया के सबसे विशिष्ट विद्यालय खैरागढ़ का कहीं उल्लेख नहीं है, जो छत्तीसगढ़ की आन-बान-शान है । वह एक मात्र विश्वविद्यालय है, जो संसद के लेजिस्लेशन से नहीं बनी है, पर उसका कैम्पस बंग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल ऐसी जगहों में है । ये छोटा-मोटा विषय नहीं है । अब आप सबसे पहले यह बात ध्यान रखिए कि आप फैकल्टी भरेंगे या नहीं भरेंगे ? आप प्रमोशन करेंगे या नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि पांच साल बाद आपके पास पी.एच.डी. करवाने वाले लोग नहीं रहेंगे । दूसरी बात, आपकी यूनिवर्सिटी का जो कैरीकुलम बन रहा है, उसमें

विद्या परिषद कितने दिन में बैठी, कितने नये कोर्स फ्रेम किय गए और वह वह कोर्स फ्रैम अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं के स्तर के हैं या नहीं हैं । बिल्कुल भी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं।

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चन्द्राकर जी, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए । मैं आपका थोड़ा ज्ञान वर्धन करना चाहता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब यहूं में टोकबे । मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता ।

श्री अमरजीत भगत :- एक बार सुन लीजिए, बहुत शांति से बोल रहा हूं । अनुरोध का भी कोई मतलब होता है । सभापति जी, माननीय चन्द्राकर साहब बोल रहे हैं कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शिक्षा का स्तर गिरा है, बहुत सारी वैकेन्सी खाली है । आप उस पद में 15 साल तक थे, आपने क्या कर लिया ? आपने कितनी भर्तियां की । ये जो पद खाली हुई हैं, वह चार साल में खाली हुई है? आज के समय में कुछ सबसे सस्ता है तो सलाह देना सबसे सस्ता है । किसी को भी आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बोलना अच्छा लगता है । आपने क्या किया है, वह बताओ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मैंने जो किया हे, उस संबंध में नियम 139 की चर्चा करवा लीजिए या मैंने 15 साल में जो कुछ किया है या सरकार ने किया या मेरे तीन साल के कार्यकाल में बहस करवा लीजिए, उसके लिए मैं तैयार हूं । मैं उच्च शिक्षा में इस तरह की बात नहीं करता हूं । यह आपको मुबारक हो।

श्री अमरजीत भगत :- आपने अधिकांश कॉलेज खोले थे, लेकिन कहीं प्रिंसिपल नहीं थे । हम लोग इसी सदन में चर्चा करते थे । चपरासी वहां का संचालन करता था, आप क्या बात करते हो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नौजवान मंत्री जी, विद्या परिषद में केरीकुलम ठीक से बने और अखिल भारतीय परीक्षाओं के लायक बनें । जो नई चीजें आई हैं, वह नई चीजें उसमें जुड़े । जो नवाचार हो रहा है, वह जुड़े । दूसरी बात, जो नियामक संस्थाएं हैं, वह कुछ दिनों में एक हो जाएंगी । आपकी यूनिवर्सिटी के चाहें यूटीडी हों या कॉलेज हों, उसमें आप कितने नये विषय ला रहे हैं, जो रोजगारमूलक हो । अभी भी हम बी.काम., बी.ए., एम.ए. के चार विषय ही खोल रहे हैं । दूसरी बात, प्राईवेट यूनिवर्सिटी की अवधारणा जी.ई.आर. बनाने के लिए, असंतुलन को दूर करने के लिए लाई गई । आज प्राईवेट यूनिवर्सिटी में रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में ही खुलेंगी, यह एक रूट बन गया है । जो पहले से समृद्ध था । इसकी धारणा यह थी कि बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जशपुर के लिए छूट दीजिए । वहां नये विषय आयें और उन्हीं यूनिवर्सिटी को लाएं, जो सब्जेक्ट में गैप फिलिंग करें । नये विषय लेकर आएं, उनको यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दीजिए । नम्बर बढ़ाने से सिर्फ बच्चे लूटे जाएंगे । दूसरी बात, वे जिन फैकल्टी की अनुमति लेते हैं, एक विभाग में, एक विषय में हमारी यूनिवर्सिटी में जो पद संरचना सेट-अप स्वीकृत है, प्राईवेट यूनिवर्सिटी के सेट-अप का भी अनुमोदन हो कि आप क्या-क्या रखते हैं और उसकी व्यवस्था हो। यह बात आप ध्यान रखिए ।

माननीय सभापति जी, अब उच्च शिक्षा में संस्थाएं । नैक मूल्यांकन के लिए आप राशि रखिए । प्राचार्यों को प्रशिक्षण दिलवाईए कि नैक मूल्यांकन कैसे होता है, कैसे तैयारी होती है, वह हमारे प्राचार्यों को वह नहीं आता । बस्तर के माकड़ी और बस्तर, दो कॉलेज ऐसे हैं, जिसमें एक भी फैकल्टी नहीं हैं । बस्तर में हमने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए कॉलेज खोला, बीजापुर से लेकर सुकमा तक हमने कॉलेज खोला तो कम से कम उन क्षेत्रों में जहां बच्चे हैं, पर पढ़ाने वाले नहीं हैं, आप उसकी व्यवस्था करिए । मैंने हिन्दी ग्रंथ अकादमी बनाई थी। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है, इस प्रदेश में एक मात्र अकादमी, हिन्दी ग्रंथ अकादमी बनी है। आपके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया का पलीता लग गया। मेरा एक आग्रह है कि हिन्दी ग्रंथ अकादमी और खैरागढ़ विश्वविद्यालय को संस्कृति विभाग में, सरकार में दे दीजिये।

सभापति महोदय, हमने रीजनल साईंस सेन्टर बनाया था। रीजनल साईंस सेन्टर को इसलिए बनाया था कि हम अहमदाबाद या कलकत्ता से बड़ा साईंस सेन्टर बनायेंगे। हमने उस समय रीजनल साईंस सेन्टर से शुरू किया था। आप उसके लिए लगिये, प्रोजेक्ट बनाकर भेजिये। पैसा मिलता या नहीं मिलता, बाद की बात है।

माननीय सभापति महोदय, नई शिक्षा नीति के आलोक में कहना चाहता हूं कि आप कस्तूरी रंगन जी का प्रोफाइल जानते हैं, इस देश को 30 साल में नई शिक्षा नीति मिली। पद्म विभूषण हैं, उनको मोदी सरकार ने पद्म विभूषण नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इसरो का संचालन कैसे किया, देश के कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, उनको देखिये। जो शिक्षा नीति बनी है, आप उसको एक बार पढ़िये। उसके आलोक में, आलोक नाम के एक शिक्षाविद् भी बैठे हैं, आप उनके आलोक में नई शिक्षा नीति, छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चों को, एस.सी बच्चों को यहां के गिरते स्तर को देखकर कैसे कर सकते हैं, उस पर करिये।

माननीय सभापति महोदय, जो स्कील डेवलपमेंट है, इस महान सदन से वह कानून हिन्दुस्तान में पहली बार पैदा हुआ कि स्कील हमारा अधिकार है। वह एजेंसी किसी को रोजगार देने का माध्यम बन गया। बेरोजगारों को तो रोजगार नहीं मिला। आपने, मुझको डी.एम.एफ. के उत्तर में एक लाईन कह दिया कि डी.एम.एफ. में नियोजन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब आप विभाग से जो काम कर रहे हैं, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, कहीं आलोचना नहीं कर रहा हूं। आपकी एजेंसियां कितने लोगों को कितने दिन के लिए नियोजित करती हैं, कितने प्रतिशत को कितने दिन के लिए नियोजित किया, यह एक अध्ययन का विषय है। आप उसका अध्ययन कर लीजिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- वाह भाई वाह, बहुत जोरदार। अगर कोई उपदेश देना हो, अगर किसी को शिक्षा देना हो तो अजय चन्द्राकर जी से सीखना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये बंद कर देता हूं, उपदेश को बंद कर देता हूं।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको 15 साल तक कोई उपदेश याद नहीं आया ? जब 15 साल तक इधर पावर में थे, तो आपको याद नहीं आया। जब उधर गये तब याद आया। उपदेश देने के लिए तो हर कोई उपदेश दे देता है। बहुत अच्छा उपदेश है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमितेश जी, जीवन में ऐसे हंस और डिम्भक की तरह सलाहकार रहेंगे, तब तक आपक विभाग नहीं सुधरेगा।

सभापति महोदय :- चलिये, भाषण जारी रखें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यदि उच्च शिक्षा में कुछ करना चाहते हो तो मैं गेप में बोलता हूं। मैंने 15 साल क्या किया, हमने क्या किया, आप उच्च शिक्षा में, पॉलीटेक्निक में एक अलग से चर्चा करवा लो।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी की अनुमित से करवा लो। एक तारीख रख लो और चर्चा कर लो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, उस दिन पॉलीटेक्निक में चर्चा हो चुकी है। लेकिन उसमें भी नये ट्रेड नहीं आ रहे हैं। उसमें आधे से ज्यादा पद खाली हैं। इसलिए मैं बोला कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा अंधकारमय है। यह छत्तीसगढ़ में दूरगामी परिणाम लाने वाला है। अब आप पैसे क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं। आप मोहन मरकाम जी का प्रश्न पढ़ लीजियेगा। 3-3 साल तक 5-5 हेड में पैसे खर्च नहीं हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं खेल में भी काफी प्रश्न लगा चुका हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बोल देता हूं। स्पोर्टस अथारिटी आफिस, बिल्डिंग, सेटअप कहां पर है, आप उसको देख लेना, आप क्षमतावान मंत्री हो। आप ही ने बताई थी, मैंने ही उसमें बहस किया था। हमने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खेल करवाने का आवेदन किया था। आप उस सोच को बनाये रखिये, आपको जिस दिन मेजबानी मिले। दूसरी बात, खेल के लिए जो इन्फ्रास्टक्चर तैयार हुए, यदि आपने प्राधिकरण बनाया है, तो छत्तीसगढ़ के खेल विभाग के पास विशेषज्ञता नहीं है। स्ट्रोटर्फ को कैसे मेन्टेन करके रखे, जॉगिंग ट्रेक को कैसे मेन्टेन करके रखे, तो उसके लिए कम से कम खेल प्राधिकरण के माध्यम से विशेषज्ञता जुटाईये। इतनी सारी परिसम्पत्तियां छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, वह यथावत रहें और उपयोग हो। अब उपयोग कैसे होगा ? आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियां से बहुत प्रेम है। मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 32 करोड़ मितान क्लब को, 21 अनुपूरक में, 25 करोड़ फिर इसमें, मैंने उनको भेजा, यह छत्तीसगढ़ियां ओलम्पिक के लिए है। आप यदि उसको उपलब्धि मानते हैं तो 69 साल की एक बाई फुगड़ी खेली उनको अनुम्पा नियुक्ति या पेंशन दे दीजिए, उसमें भी आपत्ति नहीं है । आप इसमें दो तरह का करिये, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करवाईये, उसकी मान्यता के लिये रखिये, ओपन भी करवाईये, स्कूल शिक्षा से भी करवाईये, जितने खेल हैं उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक संघ बना लीजिए, यदि आपको छत्तीसगढ़ी

खेलों से प्रेम है तो यह विधिवत आयोजन हमेंशा करिये । अब जिन खेलों में केरियर है, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है...।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय मैं कुछ बोलू ? आप बाकी विषय पर जो भी बोलते हैं, हम सुन रहे हैं । जैसे छत्तीसगढ़ की बात आती है, आपको इतना तकलीफ क्यों है ? छत्तीसगढ़िया कल्चर, छत्तीसगढ़ी खेलों का उपहास क्यों उड़ाते हैं ? छत्तीसगढ़ का उपहास उड़ाने से पहले लोगों में क्या असर जायेगा, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बाकी विषय में आप बोलते ? जब गोधन न्याय योजना आया तो उसका भी आपने उपहास उड़ाया ? छत्तीसगढ़ी खेल का जब आयोजन हो रहा है तो 70 वर्षीय महिला जो फुगड़ी में विजेता है, उसको अनुकम्पा नियुक्ति दे दो, आप उनको पेंशन दे दो, यह क्या है ? अपना दृष्टिकोण को थोड़ा सा ठीक करिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी, इनको क्या पसंद हैं, करीना कपूर ? सब मंत्री लोग मोबाईल में सेल्फी लेने के लिये करीना कपूर के पीछे दौड़ रहे थे ? चन्द्राकर साहब, दिखावा कर रहे हो दिखावा ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यह सिर्फ दिखावा है ।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, ओलंपिक में मान्यता प्राप्त हैं, ओलंपिक के बाहर भी बहुत सारे खेल हैं, ओलंपिक में शामिल नहीं है, ओपन में शामिल हैं । एम्मेच्चौर गेम्स होते हैं, वेटरंस में होते हैं, पेशेवर गेम होते हैं, मुक्केबाजी पेशेवर भी होती है और ओलंपिक में भी होती है । आप उनका एक अलग ओलंपिक करवा लीजिए, ताकि बच्चों को केरियर बनाने में सुविधा मिले और ओलंपिक संघ से बोलिये, छत्तीसगढ़ के जितने खेल चाहते हैं, उसका राजनीति इस्तेमाल करने के बजाय व्यवस्थित रूप से आयोजन करके ओलंपिक में मान्यता देने के लिये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक संघ करके समानान्तर ओलंपिक संघ बना लीजिए, उसको मान्यता दीजिए, नौकरी में मान्यता दीजिए । आप पढ़िये । सभापति महोदय, 1896 में ओलंपिक शुरू हुआ । उस समय कितने खेल और कितने खिलाड़ी थे ? अभी जो आखिरी ओलंपिक हुआ उसमें कितने खेल और कितने खिलाड़ी थे ? जब यह तय कर लेंगे तो शायद हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो खेल जिसके बारे में हंस और डिंभक बोल रहे थे, आपकी परिकल्पना पूरी हो जायेगी और छत्तीसगढ़ की सेवा होगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हंस कौन है और डिंभक कौन है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप समझ रहे हैं ना ?

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बस मुझे इतना ही बोलना था । 15 साल, 3 साल, 50 साल, कम से कम शिक्षा में ऐसा भाषण नहीं देना चाहता था । न स्कूल शिक्षा में, न हायर एजूकेशन में, न टेक्नीकल एजूकेशन में और न आई.आई.टी. में ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप इसी तरह से वहीं पर भाषण देते रहें ?

श्री अजय चन्द्राकर :- चीन में 4 हजार से ऊपर ट्रेड है । हिन्दुस्तान में मुश्किल से 80 ट्रेड होंगे । आपके यहां 10, 15, 20 होंगे, आप यहां के उद्योगों के अनुरूप अध्ययन कराके, मैंने अपने लिये आपको बताके बंद करा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में बायलर अटेंडेंट, मिल ड्रायवर जो है, वह भी पंजाब से आता है, यहां राईस मिल 2000 है । आई.आई.टी. रूड़की से खडगपुर से समझ रहे हैं ना ? बायलर अटेंडेंट का कोर्स, मिल ड्रायवर का कोर्स कुरूद में स्वीकृत किया, आज तक कुरूद आई.टी.आई. में शुरू नहीं हो सकता है । आपने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी का कैम्पस खोला है, वहां मैंने थियेटर और एनिमेशन का दो सब्जेक्ट खोले थे । आप अध्ययन कीजिए, थियेटर से छत्तीसगढ़ के कितने बच्चे बंबई पहुंच गये ? एनिमेशन इसलिये नहीं खुल सका कि वह दूर था ? आप ऑफ कैम्पस ला रहे हैं, बधाई देता हूँ, उस दिन भी दिया था । एनिमेशन के अतिरिक्त खैरागढ़ विश्वविद्यालय में यदि लोक कला अकादमी नहीं खोल पाते, छत्तीसगढ़ के जितने नृत्य संगीत है, फोक कला आर्ट को वहां मजबूत कीजिए, मजबूत करके सारे कलाओं को विधिवत मुझे सीखना है तो मैं सीख सकूं, लिपिबद्ध कीजिए । जैसे राजा चक्रधर की किताब मिल जाये ना तो छत्तीसगढ़ का रायगढ़ घराना मान्यता प्राप्त हो जायेगा। रायगढ़ में सारे कलाकार आये लेकिन रायगढ़ घराना मान्यता प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि संगीत पर किताब लिखने वाले कोई आदमी थे, उसको लिपिबद्ध करने वाले कोई आदमी थे तो छत्तीसगढ़ के राजा चक्रधर थे। आप उस खैरागढ़ यूनिवर्सिटी को एक स्थान दिलाने के लिये कार्य करें। ये अकादमी नहीं खोलते हैं यह राजनीतिक भाषण देते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी को लीजिये कहने से यह नहीं लेते। आपके अंडर में है। आप फोक, आर्ट डिपार्टमेंट को मजबूत करके छत्तीसगढ़ की सारी कलाओं को संरक्षण दीजिये, इस भाव के साथ मैं आपमें संभावनाएं देखता हूं। छत्तीसगढ़ के हित के लिये और उच्च शिक्षा के लिये बजट की लड़ाई लड़नी पड़े तो आप ऐसे सीनियर मिनिस्टरों का सहयोग लीजिये। हम अच्छी शिक्षा के लिये आपके साथ है। लेकिन मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के मामले में अभी जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ पाषाण युग में प्रवेश कर रहा है। यह परिणाम आज नहीं आपको 5 साल बाद भी कोई नया मंत्री आयेगा तो मेरा भाषण रिकॉर्डेड है। धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये। धन्यावद चन्द्राकर जी। माननीय सदस्य बैठिये।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, यह एक लाइन बोलकर मैं बैठूंगा बोलकर फिर लम्बा भाषण चालू कर दिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक है। जब आप उधर गये तो आपकी बुद्धि बढ़ गयी। यह पाषाण काल में चलने लगी।

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- ईश्वर करे कि आप हमेशा वही से भाषण देते रहे और आपकी कुर्सी वही तक सीमित रहे।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं चन्द्राकर जी के भाषण को इतनी मग्न होकर ध्यान से सुन रही थी कि मैंने अपनी स्पीच ही मिस कर दिया था। मैं उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग, उच्च शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, खेल और युवा कल्याण के समर्थन में खड़ी हुई हूं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक की बात चल रही थी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के बारे में शुरूआत इसी से कर देती हूं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ओलंपिक चला तो उसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक माहौल बना था। उसको यदि चन्द्राकर जी राजनीतिक तौर पर लेते हैं तो मैं इसको गलत मानती हूं, यह बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि यदि हम छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात करें यदि फुगड़ी, गिल्ली डंडा, संखली, इसको यदि हमारे छोटे बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक खेल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैंने आपको यह प्रतिवेदन में भी गलती बतायी थी। इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लिखा है। संसदीय कार्यमंत्री अब आप क्या कर रहे हो और विधान सभा को कहां ले जाना चाहते हो, आप जान लो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं तो इतना कहना चाहती हूं और मैं अपने पिछले बजट के भाषण में बोल चुकी हूं कि हमारी जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, वह सिर्फ राज्य को एक करने का काम नहीं किये हैं। हमारी सरकार ने समाज के साथ-साथ पूरे परिवार को एक करने का काम किया है। मैं पिछली बार ही इस बात को बोल चुकी हूं कि युवा मितान क्लब या ओलंपिक गेम, इसमें सभी घर परिवार के लोग खेलते हैं और यह पहली बार हुआ है। आज तक किसी राज्य में इसकी शुरूआत नहीं हुई है। मैं तो इतना भी कहना चाह रही हूं कि अभी हर राज्य जो गोधन न्याय योजना का अनुसरण करने को आ रहे हैं। मैं इतना भी चैलेंज के साथ कह सकती हूं कि इस साल गोधन न्याय योजना की शुरूआत दूसरे राज्यों में होगी लेकिन ओलंपिक गेम की शुरूआत हर राज्य में होगी। मैं चन्द्राकर जी को बता देना चाहती हूं कि ओलंपिक गेम की शुरूआत हर राज्य में होगी। यह मोदी जी की ही तरफ से ही शुरू होगा। क्योंकि वह हर राज्य में करना चाहेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- संगीता जी, फुगड़ी खेले हस कि नहीं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हां, फुगड़ी खेलेंगे, गिल्ली डंडा है, कबड्डी है। गांव में, एक क्षेत्र में...।

श्री रामकुमार यादव :- तै हा जुड़वा खेले हस का ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, जब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में ओलंपिक गेम हो रहा था, उस समय के माहौल को बताना चाहती हूं। पहले गांव स्तर पर हुआ, फिर संभाग स्तर में और फिर

राज्य स्तर में हुआ। जब उस समय हम वहां से गुजरते थे तो पूरा त्यौहार का माहौल लगता था। चन्द्राकर जी, शायद हम जब रायपुर आ रहे थे तो कुरूद का माहौल भी वैसा ही था, वहां भी हर जगह एक त्यौहार का माहौल था और हर आदमी फुल enjoy कर रहे थे। आज तक किसी ने ऐसी पहल नहीं की। इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि सब एक हो गये थे। वहां तो हमारे साथी लोग ओलंपिक गेम खेल रहे थे !

समय :
6.00 बजे

इनके साथी लोग भी उठकर हमारे में शामिल होकर, उस गेम खेलें, इसलिए इनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है। इस प्रदेश में ओलम्पिक गेम का आयोजन बहुत अच्छा हुआ। हम हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी और हमारे मुखिया को बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरे समाज को एक करने का काम किया। इस ओलम्पिक गेम के माध्यम से पूरा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य एक हुआ, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद् और बधाई देती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाह रही थी। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक होता है और उसके लिए यह भी कहना चाह रही थी कि अगर किसी के पास धन है तो हम लोग धन को सोने में कंवर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षा, नॉलेज है तो हम उसको कंवर्ट नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूं तो माननीय चन्द्राकर जी का नॉलेज अपने पास नहीं ला सकती और माननीय चन्द्राकर जी, मेरा नॉलेज को नहीं ले सकते या उच्च शिक्षा मंत्री जी का जो नॉलेज है, वह चन्द्राकर जी के पास नहीं हो सकता और माननीय चन्द्राकर जी का नॉलेज उच्च शिक्षा मंत्री जी के पास नहीं हो सकता। मतलब सबका नॉलेज अलग-अलग है।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, ओकर ला लेबे घलो झन। ओकर नॉलेज हा ज्यादा हो गे हे।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय चन्द्राकर जी, इसलिए प्रतिभावान हैं क्योंकि उनके घर में ही प्रतिभावान लोग हैं। मैं एक दिन उनकी जीवनी पढ़ रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- भईया, मैं रोज हंस और डिम्बक के सामने पराजित हूँ। मैं आपको हंस और डिम्बक की कहानी सुनाऊंगा। अभी नहीं सुनाऊंगा। वह जरासंघ के दोनों सेनापति थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जो युवा मितान क्लब है इस बार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सभी युवा वर्ग जागरूक हो चुके हैं। अब उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है। उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र और देश के लिए कुछ करना है। यह बात अब लोगों के मन में आ चुका है। प्रदेश में कुल 13 हजार 261 राजीव युवा मितान क्लब गठित हो चुका है। यह हमारा लक्ष्य था जिसमें 13 हजार 175 गठन किया जा चुका है। उनके लिए राशि का भी प्रावधान है अभी तक 33 करोड़ 32 लाख, 50 हजार रूपए जारी हो चुका है। इसके साथ में जो मेरी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्य मांग है मैं उसके लिए पहले बात कर लेती हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप हमें बैठा दें। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी कन्या महाविद्यालय दिया गया है मतलब पूरे संभाग, जो 5 संभाग हैं हमारे विपक्ष के साथी लोग हमेशा घोषणा पत्र की बात करते हैं तो हमारे घोषणा पत्र में था, पूरे संभाग में...।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। क्या उस क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलना चाहिए?आज की तारीख में आप हायर एजुकेशन में जेंडर डिफरेंश मानते हो, को-एजुकेशन नहीं होना चाहिए। अभी भी जेंडर डिफरेंश होना चाहिए। आप इसको नीतिगत बता दीजिए ? आप राजनीतिगत मत बताईये। इसको नीतिगत बता दीजिए।

सभापति महोदय :-वह अपने भाषण में बता देंगे। आप अपनी मांगों को रखिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जो माननीय चन्द्राकर जी ने बात की, मैं उसी को बताना चाह रही थी कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो बच्चियां थीं, मैं शहर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ग्रामीण तबके की बात कर रही हूँ। ग्रामीण तबके में जो गांव के क्षेत्र की बच्चियां थीं..।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुमन दोनों पति पत्नी विधायक बन सकथौ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उनके एजुकेशन की बात कह रही हूँ। मोर मइके दूसर हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुमन दोनों पति पत्नी विधायक बन सकथौ। बाकी लइका मन अलग-अलग पढ़े।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय,मैं वही बताना चाह रही थी कि 15 सालों में हमारी बच्चियां जो हैं ..।

सभापति महोदय :- आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, 15 सालों में हमारी बच्चियां कॉलेज में परीक्षा दिलाने के लिए रायपुर नहीं तो, उनको दुर्ग आना पड़ता था। आज की तारीख में जो हमारी बच्चियां हैं, वह वहां कॉलेज में पढ़ रही हैं और हमारे बलोद विधान सभा में जो कन्या महाविद्यालय मिला है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद् देती हूँ। आपने बासिन में भी कॉलेज खोला है, उसके लिए भी धन्यवाद् देती हूँ। साथ ही मैं मांग कर रही थी कि जो करहीभदर में नवीन महाविद्यालय है, उनकी मांग है कि वहां पर बहुत दूरी हो जाती है जिसमें बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते। साथ ही शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला में पोस्ट ग्रेजुएट की मांग है, आपसे निवेदन है कि आप उसे जरूर पूरा कर देंगे क्योंकि बच्चों को ग्रेजुएट होने के बाद इधर-उधर भटकना पड़ता है। खासकर मुझे क्षेत्र की मांगों के बारे में ही कहना था। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथी लोग बहुत बड़ी-बड़ी युवा मितान और छत्तीसगढ़िया की बात कर रहे थे। भाभी जी, हम लोगों को छत्तीसगढ़िया खेल से दिक्कत नहीं है। हम लोगों को छत्तीसगढ़िया कहने के दिखावा से दिक्तत है। जैसे कि आप लोग ज्यादा छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया बोलते हैं तो हम सब छत्तीसगढ़िया हैं। आप लोग ऐसा शो करते हैं जैसे कि आप ही लोग बस छत्तीसगढ़िया हैं, हम लोग तो दूसरे ग्रह से आये हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप महसूस काबर करथौ, आप महसूस न करौ न।

श्री रामकुमार यादव :- छततीसगढ़िया काला कहथे, तेला बतावा।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- तहूं भारी बड़े-बड़े बात करथे कि गरीब-गरीब हौं कहथे, बासी खाथस, चाउमीन ला खाथस, तोर बारे में तो जांच कराना चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़िया मन ना सब बासी खाथे। तुमन काजू-बादाम खाथव। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, कृपया आपस में बात न करें। माननीय आप अपनी बातें रखें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमला कोई दिक्कत नई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हमर युवा मंत्री ..।

श्री देवेन्द्र यादव :- ये चाऊमीन वाले का बात कहिस भैया।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अरे वो बासी खात हे, ओखर पोल खोलत रहवं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बासी खाये हो न।

सभापति महोदय :- चलिये, शर्मा जी अपनी बात कहें।

श्री रामकुमार यादव :- तोहर पेट हा कम करा, काजू बादाम खवई ला कम करा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यादव जी, बैठ, तोर बारे में मैहा जांच करा देहूं। तैं शादी काबर नई करत हस, ओकर जांच करा देहूं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- प्रमोद जी, अभी ओहर छक्कड़ साड़ हे और तय बैला हो गये हस। ओकर से मत भिड़ा।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी उनको अपनी बात रखने दें। आप अपनी बात रखें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ओखर जांच के विषय हे। ब्याह काबर नई करै।

श्री देवेन्द्र यादव :- जांच के विषय हे, कमेटी गठन करने के मांग करना हे का।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा मंत्री उमेश पटेल जी की छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत अच्छी दुरगामी सोच है। ये बात ला हम सब स्वीकार करथन। इहां के जितने मित्र मंडल हैं, चाहे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों, ये बात ला हमन सब मानथन। निश्चित रूप से उमेश पटेल जी की छत्तीसगढ़ के प्रति दूरगामी सोच है वह बहुत अच्छा हवै।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काबर के ये ऐसे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं जो अमेरिका में रहकर आये हैं, ओला नॉलेज हवै। वहां का हो सकत है, यहां का कर सकत है, ये बात ला तो सब सर्वसम्मति से स्वीकार करथन। लेकिन आप ओखर मन के चक्कर में आ जाथौ तेखर मात्र दिक्कत हवै। आप युवा क्लब मितान बनाये हो। आप बनाये हो तो अच्छा करे हो। लेकिन युवा क्लब मितान में जो आप मन नियम बनाये रहव। युवा मितान क्लब मा कौन ला लेना हे, विधायक मन से भी पूछना हे, गांव के ग्राम सभा से पास करना हे, कहां अइसने होईस हे। हमरो सदस्य मन के युवा मितान क्लब में जोड लेतौ। क्या युवा मितान क्लब में सिर्फ कांग्रेसी मन रहिही? माननीय मंत्री जी इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा में बी.जे.पी., कांग्रेस सब वर्ग के लोग हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हमर डहर तो नई हे न। आपके डहर का होवत हे, तेन ला हम नई जानन। हमर डहर तो नई हे। युवा मितान क्लब के गठन हो गये। पैसा खाता में कब आथे, का करत हे, दारू, चखना में उड़ावत हे। का चीज हे, कुछ येहा बतावय ता। युवा मितान क्लब के मतलब हे ओला दारू चखना में पैसा देना। मैं सीधा आरोप लगाथौं। काबर कि युवा क्लब मितान के जो गठन करे हे वह नियम से नई होय। युवा मितान क्लब के ग्राम सभा में पास होना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- पम्मू तैं अकेले में मिल लेबे ना, जो बोत बोलस हस, वो दूर हो जाही।

श्री शैलेश पांडे :- आज आपने दारू की बात की। आप बिना दारू के भी बोलिये न।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप लोग मेरी लाईन, लेन्थ बनी रहती है उसको अप लोग बिगाड़ देते हो।

श्री देवेन्द्र यादव :- भैया, ये मितान क्लब से चखना में कैसे पहुंच गये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री जी युवा मितान क्लब में बहुत गलत-गलत नियुक्तियां हुई हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बहुत सोच अच्छी है हम युवा मन के क्लब के गठन करन, सांस्कृतिक खेल ला बढ़ावा देवन। लेकिन ये सोच मा थोड़ा सा वेरीफाई करै के जरूरत हे। गलत आदमी मन आकर यहां गठन करत हे, तेन गलत हे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, सामाजिक जवाबदेहिता, सोच बहुत अच्छी है।

सभापति महोदय :- चलिये, अपनी बात रखें। कृपय व्यवधान न डालें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- लेकिन ओकर गठन तो बहुत गलत तरीके से होय हे ना। जैसे कि छत्तीसगढ़ मा बेरोजगारी भत्ता देय के बात होईस हे। एखर लिये 250 करोड़ के प्रावधान रखे हे। आप छत्तीसगढ़ मा देख लो कि कितना बेरोजगार हे। सरकारी आंकड़ा के हिसाब से 20 से 25 लाख बेरोजगार हैं, आप 2500 से भाग दे दीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा 8 लाख बेरोजगारी भत्ता नई देव सकव। माननीय 80 हजार कहत हे। मैं 8 लाख ज्यादा जोड़ डारे रहवं।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अभी तो चालू नई किये हौं। क्षेत्र के समस्या ला नोट करा लो।

सभापति महोदय :- हां, क्षेत्र की मांग रख लीजिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं सीधा क्षेत्र के समस्या ही रखहूं। आप अधिकारी को बोल देंगे, बाकी गलत बोलना ठीक भी नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी के पक्ष में हैं और सरकार के विरोध में।

सभापति महोदय :- चलिये, अपनी मांग रखिये न।

समय :
6.10 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री जी, तिलदा नेवरा में दाऊ चंद्राभान सिंह सिरमोर शासकीय आई.टी.आई. में बाउण्ड्रीवाल के भारी आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि आपके अधिकारी लिख लें। हमर तिल्दा नेवरा में आई.टी.आई. हावय तेमा बाउण्ड्रीवॉल कर देवा। ट्रेड विषय में व्यवसाय वेल्डर हेतु आई.टी.आई. में मशीन की आवश्यकता है। कोपा विषय में भी मशीन उपकरण के आवश्यकता हावय अउ हमर मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हमर मुख्यमंत्री जी जाकर घोषणा करे रहीसे कि महाविद्यालय में बी.ए. में भूगोल, एम.एस.सी. में केमेस्ट्री विषय के चालू करबो कइके उहू ला इ सत्र से चालू करा देवा।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय में बाउण्ड्रीवाल उपकरण निर्माण कराय बर आप मन नोट कर लेता। पालिटिकल साइंस, सोसियोलाजी, हिंदी, कामर्स, इकॉनामी, फिजिक्स के प्रोफेसर के बिल्कुल कमी नई हे। उहूं ला आपसे निवेदन हे कि ओला आप कर देवा। माननीय मंत्री महोदय, एक ठन अउ निवेदन हे कि बलौदाबाजार में इंडस्ट्रीज के हब हे। वहां 700 सीमेंट प्लांट हे अउ सिलतरा के जितना स्टील प्लांट हे। यहां प्लांट नई लगथे, ओहर पूरा तिल्दा-नेवरा एरिया में जाथे ता बलौदाबाजार के आई.टी.आई. अउ तिल्दा नेवरा के आई.टी.आई. में आप अइसे प्रावधान रखा ताकि लोकल वाले मन उहां ले जो आई.टी.आई. करके निकलय, ओला वहां प्राथमिकता से नौकरी मिलय ताकि हमर क्षेत्र के उद्धार हो सकय, हमर युवा बेरोजगार मन ला नौकरी मिल सकय। आपसे यही निवेदन करत हव। जो भी प्लांट आवत हावय, ओमा दोनों आई.टी.आई. में कैंपस लगाय अउ उहां के लइका मन ला पहली प्राथमिकता दे के नौकरी मा लगाय। एतका मैं आपसे निवेदन करता हव। मंत्री जी, थोड़ा ये डहर ध्यान देवा। ये सब छोटे-छोटे मांग ला पूरा कर देवा। बाकी कोई दिक्कत नइ हे।

आपके विभाग बहुत अच्छा हे। भविष्य में चाहत हन कि छत्तीसगढ़ के आप ऊंचाई में जाओ। आपसे मोर एतका निवेदन हे। उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा साहब।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के पास कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग है। माननीय मंत्री जी ने रोजगार के आंकड़े, जो प्रश्नों के उत्तर में दिये हैं। 33,333 लोगों को शासकीय कार्य में समायोजित करना, 50,000 लोगों को अशासकीय संस्थाओं में काम देना और 5 लाख लोगों के स्वरोजगार की व्यवस्था करना, यह माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है। अभी माननीय पांडे जी का भाषण हो रहा था। पांडे जी बोले कि रोजगार कार्यालय में वर्ष 2018 में 23 लाख का पंजीयन था और अभी घटकर वह 18 लाख हो गया है। 18 लाख 79 हजार के आसपास है। माननीय मंत्री जी, आप के और मुख्यमंत्री जी के उत्तरों में अंतर रहता है। आपने 33,333 लोगों को शासकीय सेवा में समायोजित करने की बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20,292 लोगों को शासकीय सेवा देने की बात की है। यह मेरे प्रश्न के उत्तर में है। दोनों मेरे प्रश्न के उत्तर में है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। वास्तव में आपने किसको, कहां रोजगार दिया है? उसको कहां समायोजित किया? आप यह बतायेंगे। आप कुछ तो आंकड़े देंगे। आप किन संस्थाओं में रोजगार दिये? आप बाद में दे दीजिये। 50,000 लोगों को आपने अशासकीय संस्थाओं में काम देने की बात की है। आप यह पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- यह प्रश्नकाल नहीं है। मेरे को लग रहा है कि आप थोड़ा भूल गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैं बोल रहा हूं न।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी। समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी बोलना शुरू किया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप अपनी मांग रखें।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं मांग करने के लिए कभी खड़ा नहीं होता। मेरे को मांग करना नहीं आता। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि प्रमोद शर्मा जी ने कहा कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में है। आज पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन करने वाला प्रदेश हमारा है। पर स्थिति क्या है कि आज सीमेंट प्लांट में माइनिंग करने की जो ब्लास्ट आते हैं, वह बिहार से आते हैं। माइनिंग में जो फोकलेन चलती है, उसके चालक पश्चिम बंगाल से आते हैं। राईस मिल में जितने बाईलर हैं, उसके मेकनिक हरियाणा और पंजाब से आते हैं। अगर हम यह ट्रेड आई.टी.आई. में शुरू कर दें तो छत्तीसगढ़ में 8-10 हजार लोगों को इन कामों में रोजगार दे सकते हैं। यह सारी सीटें खाली हैं। दूसरा, राजीव युवा मितान क्लब की बात है। राजीव युवा मितान क्लब, इसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। यह सिर्फ राजनीति और राजनीति करने के लिए ही बनाया गया है और

एक प्रकार से अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गोवों में 1 लाख रूपये दो, लड़के को इकट्ठा करो, वह कांग्रेस के लिए भविष्य में काम करें, इसकी तैयारी से कराया गया और इसके लिए प्रदेश का करोड़ों रूपये बर्बाद हो रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं इसमें यह कहना चाहूंगी कि जो युवा मितान क्लब के बच्चे हैं, युवा साथी हैं, उसमें कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि उसमें कांग्रेस, भा.ज.पा., सभी वर्ग के हैं। कहीं पर भी छांटबीन नहीं हो रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जितनी संस्थाएं बनी हैं । चाहे गौठान समिति बन गयी, चाहे राजीव युवा मितान क्लब बन गया । ये सब राजनीतिक दृष्टिकोण से ही बनायी गयी हैं और कहीं कोई नियमों का पालन नहीं हुआ है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- शिवरतन जी, आप युवाओं से इतनी घृणा क्यों करते हैं ? आपको युवाओं से इतनी नाराजगी क्यों है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो युवाओं का पक्षधर हूं। लेकिन यह जो राजीव युवा मितान क्लब बनाया गया है, इसका ध्येय या इसका उद्देश्य पवित्र नहीं है । इसका उद्देश्य ही राजनीति करना है इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्रीमती इंदू बंजारे जी ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा विभाग में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं । मैं सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी चूंकि मैंने 3-4 विभागों में बोलने के लिये अपना नाम दिया था लेकिन नाम नहीं आया और आपकी कृपा से इस बार नाम आया तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरूआत दो शब्दों के साथ रखना चाहूंगी कि जब हम सब्जी लेने के लिये मार्केट जाते हैं तो एक ठेले में सब्जी बेचने वाला इतना अमीर होता है कि वह धनिया-मिर्ची फ्री में दे देता है लेकिन जब हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो शोरूम का मालिक इतना गरीब होता है कि केरी बेग भी हमें पैसे से देता है । उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार की जो मंशा है वह सत्ता में आने से पहले कुछ और थी, अनेक वायदे किये, अनेक घोषणायें की लेकिन सत्ता में आने के बाद उस शोरूम के मॉलिक की तरह हो गयी है जो हर चीज में लेनदेन की बात करती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल अपने क्षेत्र से संबंधित बातों को रखना चाहूंगी । लेकिन मेरा विशेष निवेदन भी है क्योंकि उच्च शिक्षा वह विभाग है जिसमें हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। हमारे जो बच्चे होते हैं उनके भविष्य का दूसरा पड़ाव उच्च शिक्षा विभाग होता है और उच्च शिक्षा विभाग में हम जितनी सुदीर्ण व्यवस्था रखें, हम उच्च शिक्षा विभाग में जितनी अच्छी नीति

लागू करें तो हमारे बच्चों का भविष्य उतना ही उज्जवल होते जाता है तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष निवेदन है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो भी हमारे शासकीय महाविद्यालय हैं उनमें अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी टेक्नालॉजी हो, उनको आप ज्यादा से ज्यादा लायें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और वे पढ़ाई-लिखाई में आगे बढ़ें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय है । जहां पर सभागार की आवश्यकता है । माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह नेट मूल्यांकन में बी-ग्रेड में आया है और यहां पर हमारे गरीब तबके के बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आपसे मेरा विशेषकर निवेदन है क्योंकि ग्रामीण में नेट मूल्यांकन में बी-ग्रेड आना बहुत गौरव की बात होती है तो आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि सभागार हॉल डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय में देने की कृपा करें । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से लगातार 4 सालों से अपने क्षेत्र में 4 जगहों पर महाविद्यालय खोलने की मांग कर रही हूं लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने एक भी बजट में इन्हें पास नहीं किया है । चूंकि यह अंतिम बजट है और मेरे गृहग्राम का नाम भी इसमें शामिल है तो आपसे मेरा निवेदन है कि कम कम जिस नाम का मैं निवेदन कर रही हूं, उसको आप कर दीजियेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ससहा में महाविद्यालय खोलने की मांग माननीय मंत्री महोदय जी से करती हूं । इसके साथ ही सलखन ग्राम पंचायत पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है । जहां भारी संख्या में हमारी बेटियां अध्ययनरत हैं और चूंकि कॉलेज बहुत दूर में है तो हमारी बेटियों की पढ़ाई बारहवीं स्तर पर ही रूक जाती है और गरीब लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वे पैसे खर्च करके अपने बच्चों के लिये गाड़ी कर दें और उनको पढ़ाई के लिये दूरदराज भेज सकें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत सलखन में चूंकि यह पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है और केंद्र बिंदु भी है तो आपसे मेरा निवेदन है कि यहां शासकीय महाविद्यालय खोलने की महान कृपा करें । साथ ही मेरा गृह ग्राम भिलौनी है उसमें भी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वहां शासकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी से संबंधित मेरे दो प्रश्न हैं जो कि छत्तीसगढ़ की हर एक आम जनता का भी प्रश्न है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगी कि जो बेरोजगारी भत्ता है, हमने उसका क्राईटेरिया तो पढ़ा है लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यदि एक परिवार में 4 भाई हैं उसमें का बड़ा भाई नौकरी कर रहा है लेकिन 3 भाई बेरोजगार हैं तो आपने अपनी क्राईटेरिया में जो 1800 का क्राईटेरिया दिया है । उसमें वह आता है तो क्या यह बेरोजगारी की श्रेणी में आता है या यदि एक घर में 4 भाई हैं तो क्या चारों को आप बेरोजगारी भत्ता देंगे ? माननीय मंत्री महोदय जी, यह आप अपने

वक्तव्य में स्पष्ट करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये केशव चंद्रा जी । आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल क्षेत्र की मांग रखूंगा । मैंने व्यक्तिगत् रूप से माननीय मंत्री जी से निवेदन भी किया है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4 महाविद्यालय है । शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद में विद्यार्थियों की संख्या 2023 और वहां बिल्डिंग की कमी है, कृपया इसमें बिल्डिंग दे देंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने अभी नये कोर्स की बात की । वन मंत्री जी की मांगों पर चर्चा शुरू होने वाली है । हाथी-मानव द्वंद और हाथी प्रबंधन इसमें कोर्स फ्रेम करवाओ और किसी विश्वविद्यालय में शुरू करो ।

श्री केशव प्रसद चंद्रा :- जैजैपुर में 1446 विद्यार्थी हैं वहां हाता, बिल्डिंग, ऑडीटोरियम दे देंगे । मालखरौदा में भी 1339 है, ग्रामीण अंचल है, यहां भी हाता, बिल्डिंग की आवश्यकता है । बिर्रा में नया कॉलेज खुला है 664 विद्यार्थी हैं, 4 सत्र हो गया । इनके कार्यकाल में खुला था लेकिन बिल्डिंग नहीं बन पाई थी । साथ ही साथ जितने भी आईटीआई हैं वहां बहुत ही कम 3-4 ट्रेड हैं । वहां ट्रेड बढ़ जाए तो अच्छी बात है । मैं लिखित में दे दूंगा । जहां-जहां भी कोपा है, वहां कम्प्यूटर सिस्टम की कमी है । 2 या 3 कम्प्यूटर से बच्चे वहां अध्ययन कर रहे हैं । वहां जितने आईटीआई करने वाले हैं प्रत्येक स्टूडेंट के पीछे एक कम्प्यूटर हो जाए । और संभव तो नहीं है लेकिन पुन: आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा के छपोरा, भोथिया, विकासखंड और तहसील मुख्यालय बम्हनीडीह, नरियरा, कुरदा और कचंदा में महाविद्यालय खुलवाने का कष्ट करेंगे, धन्यवाद् ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट बोलना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं । आपको दूसरा अवसर देंगे ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हर विभाग में आखिरी में नेता प्रतिपक्ष क्यों बोलेंगे भई। हम लोग प्रतिक्षा करा रहे हैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी के विनियोग विधेयक में बोलेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- मैं उसको स्पर्श कर रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- बहुत आावश्यक हो तो एकाध लाईन बोल दो । तीन विभाग पर चर्चा करना है, आप हमसे ज्यादा समझदार हो ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं । उन्होंने एक साल पहले पी.जी.कॉलेज जांजगीर के लिए, वहां पर एल-एल. एम. की कक्षाएं भी चलती हैं और जिले का अग्रणी महाविद्यालय है । वहां के कॉलेज का भवन बहुत जर्जर हो गया है और उन्होंने

कहा था कि मैंने पांच करोड़ रूपया रिलीज कर दिया है । एक साल हो गए अभी तक वह पैसा रायपुर से जांजगीर नहीं पहुंच पाया है । तो पता लगा लें कि कहां पर है, सिमगा में है, भाटापारा में रूक गया है या नांदघाट में है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय नेता जी, बीच के स्टेशन ला चेक करबो ना, कोई जगह उतरवा दिस होही ।

श्री नारायण चंदेल :- तो उसका पता लगवा लीजिए और वह पैसा भेज दीजिए। ताकि उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो, ये मेरा आपसे आग्रह है । उपाध्यक्ष महोदय, आपने खिलाड़ी कोटे से नौकरी देना बंद कर दिया है । मेरा आग्रह है जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उदीयमान खिलाड़ी हैं । जो छत्तीसगढ़ के गौरव हैं जो पूरा परिश्रम करके वहां तक पहुंचते हैं, उनको कम से कम रोजगार मिल जाए । यह आप व्यवस्था करवा दीजिए, पहले यह होता था । हर ब्लॉक मुख्यालय में कोई मिनी स्टेडियम हो, गांव में खेलकूद के लिए जगह नहीं है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि खेल मैदान में बड़ी संख्या में बेजा कब्जा हो रहा है । खेल का मैदान गांव में नहीं है, ब्लॉक मुख्यालय में नहीं है, जिला मुख्यालय तक सीमित है । गांव में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं । उस पर आप ध्यान दीजिए । आप एकाध बार जांजगीर आएंगे तो बताऊंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता जी आपसे अनुरोध कर लेता हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- मैं भी आपसे अनुरोध ही कर रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- खेल के बारे में चर्चा हो रही है, आप छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को प्रमोट करते हैं या नहीं करते हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- आप बैठिये, मैं आपको बताऊंगा । राजनांदगांव, जशपुर में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ है । एकाध बार आप जांजगीर आएंगे तो दिखाऊंगा 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे हॉकी खेले रहे हैं, हॉकी की अच्छी नर्सरी है । करीब डेढ़ सौ खिलाड़ी हैं वहां संभव हो तो एस्ट्रोटर्फ दे देंगे तो अच्छा होगा । गरीब बच्चे हैं वो हॉकी खेलते हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- एस्ट्रोटर्फ के लिए पानी की व्यवस्था है कि नहीं, वह भी ख्याल करिएगा । एस्ट्रोटर्फ बनाने के पहले पानी की व्यवस्था देखना पड़ता है ।

श्री नारायण चंदेल :- वह जल जीवन मिशन से हो जाएगा। (हंसी) मेरा आपसे आग्रह है कि जो सी.एस.आर मद है, आपके यहां भी बहुत उद्योग है। वहां पर खेल मैदान के लिए उनसे पैसा रिलीज करवाईए और जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो नेशनल लेवल पर जाते हैं, स्टेट लेवल पर जाते हैं, उनको भी वह सहायता करें। सी.एस.आर. मद का पैसा कहां जाता है यह पता नहीं चलता। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अनिता श्रीवास यह चांपा की है, बहुत गरीब बिटिया है। यह अभी दक्षिण आफ्रीका की एवरेस्ट 14 दिन में चढ़ी थी। अब यह माऊंट एवरेस्ट में चढ़ने की तैयारी में है। लेकिन आर्थिक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अभाव है, उसको हम लोगों ने जिले से कुछ सहयोग राशि दिलाई थी। वह बहुत गरीब है, जब वह वहां पर से आई तो मैं उनके घर भी गया था। उनको कोई सहयोग मिल जाता, अभी वह उसकी तैयारी में है। यह सारी चीजों की तरफ आपका ध्याना आकर्षित करना था। इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा था। धन्यवाद।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी के भाषण के बाद भी बोल रहे हैं, मतलब इन लोग अभी तक मानते ही नहीं हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं एक उदाहरण बताता हूं। राजेश चौहान जो क्रिकेटर है, मैंने गांव में 10 दिन लेकर आया था। जब कैटरीना लोग आ सकते हैं, उसमें खर्च कर सकते हैं तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी गांव में ले जाकर प्रशिक्षण दिलवाईए। मैंने 10 दिन तक लेकर आया था। जब कैटरीना लोग आ सकते हैं तो आप ऐसा भी ला सकते हो।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांधी जी स्वीकार कर लिए कि यह लोग कैटरीना वगैरह: को लेकर आते थे। यह स्वीकार किए हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं रजनीश जी, श्री शैलेश पाण्डे जी, श्री अजय चंद्राकर जी, श्रीमती संगीता सिन्हा, शिवरतन भैया, इंदू बंजारे जी, प्रमोद शर्मा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को सबको धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने बजट की चर्चा पर भाग लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरू करने से पहले मैं एक बात रख दूं कि अजय चंद्राकर जी ने प्रतिवेदन पर एक आपत्ति की थी कि इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय का उल्लेख नहीं है। प्रतिवेदन के पेज नंबर 2, 3 और 18 में इसका उल्लेख है। उन्होंने और आपत्ति की थी कि यहां कृषि विश्वविद्यालय का उल्लेख क्यों है। एन.एस.एस. हमारे अंडर आता है और एन.एस.एस. के अंडर में हमने कृषि महाविद्यालय का उल्लेख किया है।

समय :
6:28 बजे

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, रजनीश जी ने बात शुरू की। वह निवेदन करते हैं कि 15 साल की बात ना करें या 15 साल की तुलना अपने पांच साल में करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अजय चंद्राकर जी 15 साल में डीमेट करने के लिए तैयार है।

श्री उमेश पटेल :- हां इसीलिए शायद मेरे भाषण का स्वरूप कुछ और होता लेकिन अब स्वरूप कुछ और होगा। क्योंकि आप लोगों का भाषण ऐसे ही आया है। रजनीश भाई ने, अजय चंद्राकर जी ने, शैलेश भाई ने, हमारे साथियों ने NAAC के बारे में बात की है। हमने NAAC में मूल्यांकन करवाया। जब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस विभाग को दिया, उन्होंने कहा था कि हमको क्वालिटी को फोकस करना है। NAAC का फूल फार्म होता है, (**National Assessment and Accreditation Council**) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद होता है। यह यू.जी.सी. के अंडर होता है और यह संचालित होता है।

समय :
6:29 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी, आप इसको मानते हैं ना। आप इस संस्था को मानते हैं ना। फिर कोई प्राइवेट संस्था है करके तो नहीं बोल देंगे। ठीक है। यह संस्था अभी जब सत्र 7 तरीख को सत्र चल रहा था, 7 तारीख को इस संस्था ने अपने ऑफिसियल ट्वीटर से एक ट्वीट किया है जिसने पिछले 6 महीने में NAAC मूल्यांकन में किस-किस प्रदेश ने कितने-कितने कॉलेजों को NAAC मूल्यांकित किया। इसके बारे में उन्होंने दिया है। अध्यक्ष महोदय, खुशी की बात यह है कि उसमें सर्वाधिक कॉलेज। छत्तीसगढ़ के हैं। उस ट्वीट में छत्तीसगढ़ नंबर-1 पर है। यह उस ट्वीट की फोटो कॉपी है। इसमें दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर दिल्ली है और छत्तीसगढ़ 98 नंबर पर है। उत्तरप्रदेश जो कि दूसरे नंबर पर है वह सीधे 33 नंबर पर है। 98 से 33 नंबर पर है। आप पहले और दूसरे नंबर का अंतर देखिये। जहां नैक मूल्यांकन की बात हुई और अभी रजनीश जी कह रहे थे कि हमने जो 15 साल में किया, उसको आप अपने 5 साल के साथ तुलना करिये। मैं तुलना करता हूं। इन्होंने 15 साल में केवल 36 कॉलेजों को नैक से मूल्यांकित किया। आज के दिन में हमने पिछले 4 साल में 190 कॉलेजों को नैक से मूल्यांकित किया है और यह 15 साल में केवल 36 कॉलेजों को नैक से मूल्यांकित कर पाये। कितना गुना हुआ ? हमने इनके 15 साल की तुलना में 5 साल में 5 गुना अधिक कॉलेजों को नैक से मूल्यांकित करके दिखाया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने 190 कॉलेजों को नैक से मूल्यांकित करवाया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो। लेकिन आप यह बताइये कि छत्तीसगढ़ में नैक मूल्यांकन किसने शुरू करवाया ?

श्री उमेश पटेल :- मैंने कहा, लेकिन आप मेरी पूरी बात को सुनते नहीं हैं। मैंने तो इस बात को स्वीकारा है कि आपने 5 साल में 36 कॉलेजों को नैक से मूल्यांकित करवाया था। 15 साल में 36 और 5 साल में 190। हमने उसको 5 गुना बढ़ाया है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने आपको उसके लिए बधाई दी है।

श्री उमेश पटेल :- जी। माननीय सभापति महोदय, हमारे ऐसे कॉलेज जो नैक के क्राइटेरिया में आते हैं उन कॉलेजों की टोटल संख्या 11 है। हम लोग सिर्फ 19 कॉलेज दूर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा कार्यकाल समाप्त होने से पहले हम अपने संपूर्ण कॉलेजों नैक से मूल्यांकित कर लेंगे। (मेजों

थपथपाहट) हमने इसको मिशन मोड में लिया और हम इसमें सफल हो रहे हैं। यह नैक मूल्यांकन कोई बड़ी चीज नहीं है। छोटी-छोटी जरूरतें रहती थीं। कहीं पर टीचर की कमी, कहीं पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी तो कमी पर और भी छोटी-छोटी कमियां रहती थीं। हमने सभी कॉलेजों के लिए मापदण्ड बनाया और सभी कॉलेजों में उस मापदण्ड को रिलीज किया ताकि जब यह मूल्यांकन कराने जाए तो इनको अच्छे ग्रेड मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, यह खुशी की बात है आज हमारे A++ स्थान में भी आते हैं। यह अंतर है। चंद्राकर जी ने जी.ई.आर. की बात बहुत जोर-शोर से उठाई कि जी.ई.आर. यह होता है, जी.ई.आर. वह होता है। इसका मतलब Gross Enrolment Ratio होता है कि आपके यहां जितने बच्चे बारहवीं कक्षा से पास हो कर निकल रहे हैं उनमें से कितने बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं। यह एक Ratio होता है और इसको जी.ई.आर. कहते हैं। अजय जी, ठीक है मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ? इस साल को जोड़कर पिछले 5 साल में हमने 33 नये कॉलेज खोले, 23 कॉलेजों की अभी स्वीकृति मिली है और हमने 76 नये अशासकीय कॉलेजों को स्वीकृति दी है। यदि 76, 33 और 23 कॉलेजों को जोड़ेंगे और यदि हम 1 कॉलेज के पीछे 250 सीटों की संख्या लेते हैं तो ये 40,000 सीट होते हैं। जो कॉलेज चल रहे थे, उनमें हमने पिछले 5 सालों में कितनी सीटें बढ़ाई ? हमने उनमें 25,000 सीटें बढ़ाई। हमने नये संकाय खोले और उससे हमारी 20,000 सीटें बढ़ी। कुल मिलाकर यह 1 लाख से अधिक सीटें होती हैं। इसका फायदा कहां मिला ? मैं आपको इसके फायदे बताता हूं। वर्ष 2022-2023 में एडमिशन की संख्या 3 लाख 35 हजार 139 थी, वर्ष 2018-2019 में जब इन्होंने उसको छोड़ा, तब वह 2 लाख 25 हजार 139 था। वहां से हमने 1 लाख सीटें बढ़ाई हैं। हमने 1 लाख लोगों को नया एडमिशन दिया है। आपको यह 1 लाख ज्यादा नहीं लग रहा होगा। इनके समय से यानी पिछले 5 साल में हमने इनसे 44 प्रतिशत अधिक सीटें बढ़ाई हैं। आप जी.ई.आर. की बात कर रहे हैं। वह कैसे बढ़ेगा ? आप विद्यार्थियों को रेग्युलर कॉलेज में एडमिशन नहीं दोगे तो जी.ई.आर. कैसे बढ़ेगा । इसका फायदा यहां मिला है । 1 लाख नये विद्यार्थी आज कॉलेजों में रेग्युलर पढ़ाई कर रहे हैं । इससे पहले उनको मजबूर होना पड़ता था कि वे प्राईवेट परीक्षा दिलाएं । अभी हम जी.ई.आर. में 20 प्रतिशत तक पहुंचे हैं । चन्द्राकर जी, आपने जी.ई.आर. 18 प्रतिशत में छोड़ा था, हम जी.ई.आर. में 20 प्रतिशत तक पहुंचे हैं । मुझे यह कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है कि हम कहीं न कहीं देश के जी.ई.आर. लेवल से कम हैं, हमें जी.ई.आर. और बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन हमने पिछले 5 साल में कोशिश की और यह हमारी कोशिश का नजीता है कि जी.ई.आर. 2 प्रतिशत बढ़ा है । 1 लाख नये विद्यार्थी बढ़े हैं और 1 लाख नये विद्यार्थी कम नहीं होते, जहां जनसंख्या 2 करोड़, 75 लाख है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि आपने कितनी भर्तियां की, हमने कितना किया ? अजय चन्द्राकर जी, आप बिल्कुल डिबेट करेंगे, मैं तो आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं । प्रदेश में

2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन में थी । यह सबके लिए हैं, सुनिएगा । इन्होंने 15 सालों में सहायक प्राध्यापकों की 1218 पदों में नियुक्तियां की और हमने 5 साल में 1200 पदों पर नियुक्तियां कीं । आपने जो भर्तियां 15 साल में की, हमने 5 साल में करके दिखाया। ये लोग भर्तियां कहां कर रहे थे ? आप कह रहे हैं कि पाषाण काल में जा रहे हैं । आपने उच्च शिक्षा को कहां छोड़कर रखा था ? आपने उच्च शिक्षा की हालत यहां पहुंचा दी थी कि इसको मुझे फिर से रिवाईव करने की जरूरत पड़ रही है । मुझे यह बात कहने में बिल्कुल हर्ज नहीं है कि जब से छत्तीसगढ़ बना है, तब से उच्च शिक्षा सबसे इग्नोर विभाग है ।

श्री शैलेश पांडे :- अजय जी, नियम 139 की चर्चा नहीं लेनी है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने ग्रंथपाल के 28 पदों में नियुक्तियां की, हमने 40 पदों में नियुक्ति की । इन्होंने पिछले 15 सालों में क्रीडा अधिकारी के पद पर जीरों नियुक्ति की, हमने 40 पदों पर नियुक्तियां की । हम इनसे हर मामले में अधिक हैं । जब शुरूआत में यह विभाग मेरे पास आया तो हमने डिबेट किया, ब्रेन स्ट्रामिंग किया कि इसमें क्रॉनिकल प्राब्लम क्या क्या है ? क्रॉनिकल प्रॉब्लम मतलब स्थायी प्रॉब्लम मतलब पुराना प्रॉब्लम । इसमें पुराना प्रॉब्लम यही तीन-चार थे, जिसमें मुख्य रूप से बच्चों का एडमिशन, शिक्षकों की कमी और क्वालिटी एजुकेशन । हम क्वालिटी के लिए नैक से मूल्यांकित करा रहे हैं । शिक्षकों की भर्ती के बारे में मैंने आपको अभी बताई और हमने 1 लाख नये विद्यार्थियों की भर्ती की, हमने इनसे ज्यादा भर्ती की । यह हमारे उच्च शिक्षा का पिछले पॉच साल का काम रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में अभी 23 नये कॉलेजों की घोषणा की है । अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि आप नवाचार में क्या कर रहे हो, आप दूरस्थ एरिया के लिए क्या कर रहे हो ? हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं । इसको हमने नाम दिया है-पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में महाविद्यालय स्थापित किये जाने पर नीति का निर्धारण पी.पी.पी. मॉडल पर होगा। जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं, जो हमारे सामान्य प्रशासन विभाग ने अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.पी.पी. के लिए इस विधान सभा से कानून पास है । आप उसको अपने तरीके से बढ़िया नियम बनाकर इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा । अच्छा होगा, उसमें जी.ई.आर. बढ़ेगा । उसमें कानून पास है, वह भी पहला कानून था, यहीं से पास है ।

श्री उमेश पटेल :- मैं उसको जान रहा हूं, उसको बता रहा हूं । हमने बात भी की थी, आपको बताया भी था । पी.पी.पी. मॉडल से हम निजी क्षेत्रों के साझेदारी को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं । अगर निजी क्षेत्रों की भागीदारी अति पिछड़ा क्षेत्र में और पिछड़ा क्षेत्र में बढ़ेगी तो हमारा जी.ई.आर. बढ़ेगा । पांडे जी, आप समझ रहे होंगे । इससे हमारा जी.ई.आर. बढ़ेगा। हम जिस क्रॉनिकल

समस्या की बात कर रहे थे, हमने जो brain storming किया, हम जिस समस्या को समझा रहे थे, जिस बात को अजय चन्द्राकर जी बोल रहे थे, हम इसी माडल से खत्म करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल यह बात कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा में किसी भी काम का रिजल्ट तुरन्त नहीं आता है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है। हमने पहले साल से जो काम किया है, अब उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। ये हमारे उच्च शिक्षा का विषय रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रजनीश जी आ गए हैं। रजनीश जी बार-बार बोल रहे थे कि हमारे जो खिलाड़ीगण हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। चन्द्राकर जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी इसके बारे में कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल में खिलाड़ियों के लिए इन्फ्रास्टक्चर बनाना अलग विषय है। आप इन्फ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए अकादमी तैयार करना अलग विषय है। इन्होंने 15 साल में कितनी अकादमी बनाई ? चन्द्राकर जी, आपने कितनी अकादमी बनाई ? नहीं पता। मैं बता देता हूं। शायद, इनको आयडिया नहीं है। गैर आवासीय, जो डे बोर्डिंग है, आप वहां नहीं रह सकते, हाकी और तीरंदाजी के लिए रायपुर में शुरू की थी। हाकी का तो ठीक चल रहा था, तीरंदाजी अकादमी की गई गुजरी हो गई थी, अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति थी। आज हमारी क्या स्थिति है ? आप तुलना कर रहे थे। रजनीश जी, तुलना सुनिये। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनते जाईयेगा। हमने आवासीय हाकी, तीरंदाजी, एथलेटिक अकादमी बहतराई बिलासपुर में चालू कर दिया है। ये आवासीय अकादमी हैं। आवासीय अकादमी बालिका कबड्डी बहतराई बिलासपुर, आवासीय तीरंदाजी आकदमी रायपुर में एन.एम.डी.सी. के मदद से चालू कर दिया है। ये सब आवासीय हैं। हमने आवासीय इन्दिरा प्रियदर्शनी खेल अकादमी कोरबा में चालू किया है, जहां बॉलीबाल, बास्केट बॉल और तैराकी, फुटबाल इसकी अकादमी चालू की है, ये हम चालू कर चुके हैं, ये चल रहा है। इसके अलावा जो गैर आवासीय अकादमी है, तीरंदाजी उपकेन्द्र बहतराई बिलासपुर, बालिका फुटबाल अकादमी रायपुर, एथलेटिक बालक-बालिका अकादमी रायपुर, हाकी एवं तीरंदाजी अकादमी रायपुर, इसके अलावा इस बजट में 4 नये अकादमी की घोषणा हुई है। इसमें मल्लखम्ब अकादमी नारायणपुर, शहीद गुण्डाधुर तीरंदाजी अकादमी जगदलपुर, कॉकिंग एण्ड केनविंग अकादमी जगदलपुर, तीरंदाजी अकादमी जशपुर, ये चार आवासीय नये अकादमी का बजट में प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो अकादमी रहते हैं, उसको केन्द्र सरकार लघु केन्द्रों में परिवर्तित करता है या उनको मान्यता देता है। खेलो इण्डिया से हमारे जो 7 अकादमी हैं, जिसको लघु केन्द्रों के रूप में स्वीकृति मिली है, वह नारायण्पुर, बीजापुर, बहतराई बिलासपुर, गरियाबंद, सरगुजा, जशपुर और राजनांदगांव हैं। इन सातों अकादमी को खेलो इण्डिया ने मान्यता दी है। यह स्वीकृति प्रथम चरण में मिला है। दूसरे चरण में बालोद, बलौदा बाजार, पाटन, कांकेर, रायपुर, रायगढ़ और सुकमा को मिला है। अभी-अभी जब सत्र शुरू हुआ, हमको उसी बीच में तीसरे चरण में बस्तर, धमतरी, जांजगीर-

चाम्पा, कोरबा, बलरामपुर, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, महासमुन्द, मुंगेली और सूरजपुर इनको मिला है। ये सब मिलाकर कितने होते हैं ? आप समझ रहे हैं ? चन्द्राकर जी, आप समझ रहे हैं ? ये सब मिलाकर कितने अकादमी हो रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं गिन पाया।

श्री उमेश पटेल :- आप गिन नहीं पायेंगे। क्योंकि आप तो दो अकादमी खोलकर खुश हो गये थे। इन्होंने 2 अकादमी खोला था और खुश हो गये थे। आपने पाषाण युग में ऐसे ही नहीं भेजा था। आपने पाषाण युग में भेजने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग आ गये और अब हम उसको निकाल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो बोला, नवजवान हो, संभावनायें वाले हो, आपको खेलो इंडिया से भी समर्थन मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्रश्न वहीं पर जीवन्त है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैसे से छत्तीसगढ़िया खेल है, उसकी भी अकादमी आप खोलो । उसके बगैर छत्तीसगढ़िया खेलों का कल्याण नहीं है, पिट्टूल की अकादमी, भौंरा की अकादमी, गिल्ली की अकादमी, गेड़ी की, फुगड़ी की, इसकी एक-एक अकादमी कहीं न कहीं खुलनी चाहिये, ताकि उसमें प्रशिक्षित बच्चे मान्यता प्राप्त करके अपना केरियर बना सके ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, हमने अकादमी में जो वृद्धि की है, हम दो से 27 पहुंचे हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे फायदा क्या हुआ है ? हमको फायदा यह हुआ है कि हमको एथलेटिक आवासीय अकादमी में अमित कुमार जो ट्रेनिंग ले रहा था, वह दसवें नेशनल ओपन रेस वाकिंग चैम्पियनशिप में वर्ष 2023 में रांची झारखंड में पांचवा स्थान प्रापत किया है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा का है ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, एथ्लेटिक अकादमी में हमारा ईसरानी सिन्हा, तारनिका स्टेटा, मीत ध्रुव, सानिया सिन्हा, राहुल समीर सतनामी, छत्तीसगढ़ एथलेटिक टीम में चयनित हो चुके हैं । हाकी अकादमी, बरतराई बिलासपुर से जान्हवी, अनीता खुसरो, मातेश्वरी, रूकमणी, गीता और मधु, पांचवे ए साईड टूर्नामेंट में जनवरी 2023 कोलकाता विजेता रहे हैं । आदित्य कुमार नेताम ने एशिया कप सिलेक्शन ट्रायल फरवरी 2023 में सोनीपत हरियाणा में भाग लिया । अभिजीत श्रीवास, जितेन्द्र तांडी, करण साहू, आदित्य नेताम, प्रकाश पटेल, मोहम्मद शोएब, हर्ष साहू, पूर्णचंद यादव, जीतू, हेमलाल छत्तीसगढ़ स्टेट के नेशनल हाकी टीम में चयनित हो चुके हैं । यह हमको एकेडमी बनाने का फायदा मिला । माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 और एकेडमी की घोषणा की है, जो हमारे दूरस्थ एरिया में जशपुर में, बीजापुर में, यह एकेडमी खुलेंगे, ताकि हमारे वहां के बच्चे तीरंदाजी में, एथलेटिक्स में आगे बढ़ सकें । माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बहुत बात हुई, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने भी इसकी बात की, रजनीश भाई ने भी इसकी बात की है, अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ कहां हुआ है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बताऊं, गड़बड़ यह हुआ कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 26 लाख से ऊपर लोग भाग लिये हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 10 प्रतिशत होता है, इसलिये इनके पेट में दर्द हो रहा है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ , जिसमें किसी राज्य का 10 प्रतिशत जनसंख्या ने भाग लिया हो । पहली बार ऐसा हुआ है । (मेजों की थपथपाहट)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- बढ़िया आंकड़ा है, एकेडमी तो बनना ही चाहिये ।

श्री रामकुमार यादव :- सास और बहू एक साथ खेले है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, जिस दिन चर्चा हो रही थी, उस दिन भी मैंने कहा था । यह संख्या आपको अधिकारियों के द्वारा गलत बताई गई है । हम लोग भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हम भी गांव में घूमते हैं । कितने लोगों ने भाग लिया है, हम लोग भी जानते हैं ? राज्य का 10 परशेंट छोटी-मोटी संख्या नहीं होती है । 10 परशेंट लोग भाग नहीं लिये हैं, आपके पास गलत जानकारी आई है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपके एरिया में नहीं आयाहोगा, हमारे एरिया में आये थे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- खेल में जाने का प्रयास कभी किये हो ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं 4 दिन तक इस खेल में प्रतिभागी रहा ।

श्री रामकुमार यादव :- सास और बहू एक साथ भाग ले हे, तुमन काय बात करथव ।

श्रीशिवरतन शर्मा :- सारी फर्जी रिर्पोटिंग आ गई । फर्जी खर्चे निकल गये । डेढ़ परशेंट की उपस्थिति नहीं है, आप 10 परशेंट की बात करते हो ।

श्री सौरभ सिंह :- उमेंश जी, उनके चक्कर में मत रहो ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- एक बार जांच करवा लो, सही में फर्जी आंकड़ा होगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा के प्रश्न में भी इस बात का उल्लेख किया है, आज भी इसका उल्लेख कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि 26 लाख से ऊपर लोगो ने इसमें हिस्सा लिया है । (मेजों की थपथपाहट) अन्य प्रदेशों के इतिहास के बारे में मुझे ज्ञाननहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी खेल में 10 प्रतिशत लोगों की हिस्सेदारी बनाते हुये कोई आयोजन करा ही नहीं पाया है । यह पहली सरकार है जो 10 प्रतिशत लोगों के साथ हिस्सेदारी लेते हुये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी बोलते हैं आज तक की सरकारों ने कभी-भी 10 प्रतिशत लोगों की हिस्सेदारी बनाते हुए कोई आयोजन नहीं करा पाया। यह पहली सरकार है जिसने 10 प्रतिशत लोगों के साथ हिस्सेदारी लेते हुए छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन किया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- जबर्दस्त।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी बोलते हैं कि आप हमको छत्तीसगढ़ियां ओलंपिक का विरोधी बोलते हो। आपको विरोधी क्यों बोलते हैं, आपको पता है। आपने जिस लहजे से बुजुर्ग महिला को नौकरी देने की बात कही, आप अपने आप को सुन लीजियेगा। आपने जिस उपहास के लहजे से बात कही, बुरा लगता है। एक 69 साल की महिला जिसको माननीय चन्द्राकर जी हंसी स्वरूप बोल रहे हैं कि इसको नौकरी दोगे क्या आप, इसको नौकरी दोगे क्या आप ? इसीलिये हम कहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ियां ओलंपिक के विरोधी हो। (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अच्छा मैंने तो कहा कि विधान सभा में आयोजित कर लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- मैं तो आपके सुझाव से सहमत हूं ना। मैंने तो आपको बोला कि यह अच्छा सुझाव है। बिल्कुल रखेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बहुत कल्याण कर रहे हो।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, हमने छत्तीसगढ़ ओलंपिक का सिर्फ आयोजन नहीं किया बल्कि हमने अपने पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिये यह काम किया। चूंकि हम यहां से किसी खेल को मान्यता नहीं दे सकते। केंद्र सरकार इसको मान्यता दे सकती है। हमने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा कि हमारे जो पारंपरिक खेल हैं, उनको भी कहीं न कहीं मान्यता प्रदान करें, उसको किसी न किसी स्वरूप में ले ताकि हमारा पारंपरिक खेल भी आगे बढ़ सके। चंद्राकर जी, हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम लोग यहीं पर नहीं छोड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, युवा मितान क्लब के बारे में कई तरह की बातें आ रही है। आपने और रजनीश जी ने कहा कि पंजीयन है, कौशिक जी ने कहा कि पंजीयन नहीं है, चंदेल जी ने भी इस बात को उठाया। जब कोई बहुत बड़ी संस्था, जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं तो क्या हर ब्रांच का पंजीयन होगा ? नहीं। यदि एक संस्था है उसके 1.5 लाख ब्रांच है तो क्या 1.5 लाख ब्रांचों का पंजीयन होगा ? नहीं। पंजीयन मेन संस्था का होता है और उसके ब्रांचों का पंजीयन नहीं होता है। राजीव गांधी युवा मितान इसी चीज को लेकर चल रहा है। मेन संस्था का पंजीयन है, हर ब्रांच का पंजीयन नहीं है। इनका यह बात कहना कि पंजीयन नहीं है, यह गलत है। पृथक से हर ब्रांच का पंजीयन नहीं है। पंजीयन की व्यवस्था है, राजीव युवा मितान में किश्ती की व्यवस्था है, हम पैसे दे रहे हैं। हम इसमें सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये, हमारे नौजवान लोगों को सांस्कृतिक चीजों से जोड़ने के लिये, उनको बुरी आदतों से दूर रखने के लिये, हम अपनी युवा पीढ़ी को मजबूत करने के लिये, उनको सामाजिक, सांस्कृतिक चीजों से जोड़ने के लिये यह काम कर रहे हैं। यदि आपकी यह समस्या है ना कि कहीं अनियमितता हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जब हमने इतने सारे ब्रांचेस खोली है तो कहीं भी अनियमितता हो सकती है।

हमने इसके लिये ऑडिट की भी व्यवस्था की है और यदि कहीं अनियमितता होगी तो कार्रवाई की भी व्यवस्था है और इसके लिये नियमावली बनायी जा चुकी है और कहीं पर भी ऐसी शिकायत हुई तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि कहीं अनियमितता होगी तो उसको छोड़ा नहीं जायेगा। मैं आपको यह बता रहा हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, मोर एक ठा मांग हे, निवेदन है कि लास्ट में ना कि दोनों वर्सेस कबड्डी करा दे रथो। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, नहीं उन्होंने रोका था। आप चाहे तो मैं बंद कर देता हूं कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब बस 5 मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री उमेश पटेल :- जैसा आप कहेंगे। बृज भैया बोल दिये तो कर दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- खत्म करने से पहले एक बात बता दो कि आप क्रिकेट तो खेलते हो। मैं आपको अच्छा बैट्समैन बोल रहा था, अब अच्छा बॉलर बोल देता हूं। रन नहीं देते हो, मैडन ही रहते हो। आपका मैडन ओव्हर ही रहता है। 5 साल में किसी का एक-आत काम कर दोगे कि पूरा मेडेन रहेगा, यह बता दो। क्या एक आत काम कर दोगे ? यदि आत्मविश्वास है तो हां बोलना तब मैं बोलूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन तोला वाइट मत फेंके ता।

श्री उमेश पटेल :- चन्द्राकर जी, आप अपने आस-पास, दाएं-बाएं, आगे-पीछे तो देखिए। सबका काम हो रहा है। आपका ही काम नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ होगी। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप हां बोलोगे तो मैं बोलूंगा नहीं तो नहीं बोलूंगा। मैं अपने क्षेत्र की बात ही नहीं करता हूं। आज तक कभी नहीं किया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ते के बारे में भी बहुत बातें हुई है और मेरे ख्याल से सदन को भी इसके बारे में थोड़ी गलत फहमी हो गयी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बजट भाषण में बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है । सरकार कटिबद्ध है हमने जो क्राईटएरिया बनाया है, उस क्राईटएरिया में जो फिट होता है हम उसे बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके लिए किसी भी सदस्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह है कि हमने क्या क्राईटएरिया बनाया है ? हमने यह क्राईटएरिया बनाया है कि ढाई लाख रूपये से ज्यादा आमदनी वाले लोगों को हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। क्या यह गलत है ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या यह गलत है ? जिसकी आमदनी ढाई लाख रूपये से ऊपर होगी, क्या उसे बेरोजगारी भत्ते की जरूरत पड़ेगी, नहीं। हमने कहा है कि कोई सरकारी अधिकारी जो चौथे वर्ग का न हो, कोई प्रथम, द्वितिय वर्ग का अधिकारी है क्या हम उसके बच्चे को बेरोजगारी भत्ता देंगे ? हमें बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ? यह बार-बार पूछते हैं कि इसमें 2 साल का जीवित पंजीयन क्यों चाहिए ? अगर हम वह नहीं करेंगे तो दूसरे दिन यही लोग आरोप लगायेंगे कि सरकार ने

किसी ए.बी. सी.डी. को बेरोजगारी भत्ता दे दिया। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने उस रिकॉर्ड को रखने के लिए, यहां दो साल का जीवित पंजीयन को रखा है। (मेजों की थपथपाहट) हमने इसीलिए इसमें दो साल का जीवित पंजीयन को रखा है ताकि कल को यह परेशानी मत आये कि ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने इसमें जो पात्रता निर्धारित की है, उसमें एक विरोधाभाष है एक तरफ आपने लिख दिया कि साल में ढाई लाख रूपये ज्यादा इंकम नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ आपने लिख दिया कि अगर 10 हजार रूपये का पेंशनधारी है, अगर पेंशन मिलता है तो भी उस परिवार का पात्र नहीं होगा। अगर उन्हें 10 हजार पेंशन मिलता है तो 1 लाख, 20 हजार रूपये ही तो होगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पेंशन अलग सीमा में आएगा। आमदनी अलग होती है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणापत्र में यह नहीं कहा गया था कि हमने इतनी सीमा करके निर्धारित करेंगे और ढाई लाख रूपये वाले को देंगे। यह बात थी।

श्री उमेश पटेल :-बबा, आप समझ नहीं रहे हो। मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। आप यह बताईए कि कोई इंकम टैक्स पेयी बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं ? आप यह चाहते हैं या नहीं, आप यह बताईये ? कोई कोई इंकम टैक्स पेय कर रहा है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने यह कहा था या नहीं कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ते देंगे..। कोई इंकम टैक्स की बात नहीं हुई थी।

श्री उमेश पटेल :- आपसे केवल एक ही प्रश्न है कि कोई इंकम टैक्स पेय कर रहा है तो उसको उसे बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, केवल हां या नहीं में बस बता दीजिए ? मैं आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ कि कोई इंकम टैक्स पेय कर रहा है तो उसको उसे बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, केवल हां या नहीं में बस बता दीजिए ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी, नो कमेन्ट्स आप आगे चलिए।

श्री उमेश पटेल :- चलिए, माननीय सौरभ जी, आप बताईए कि ...।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैं तो अभी आपसे बोला कि नो कमेन्ट्स आप आगे चलिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मेरा एक कंफ्यूजन है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बबा कुछ नइ बोलत हे, वहू ला पता हे कि क्राईटएरिया सही बने हे। हर एक व्यक्ति को यह जितने सदस्य बैठे हैं इनको भी पता है कि यह क्राईटएरिया सही है। मैं समझ रहा हूँ आप मुझे जल्दी खत्म करने के लिए बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जब तक बोलेंगे, तब तक यह टोकेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश सर्वोपरि है। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- क्योंकि यह सुन, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समझ रहे हैं जो वह परसेप्शन बनाये हैं, वह उससे टूट रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- वह टूट रहा है।

श्री उमेश पटेल :- यह लोग चारों तरफ एक भ्रम का जाल फैलाए हैं कि सरकार बेरोजगारी भत्ते पर असत्य बोल रही है, सरकार धोखा देने वाली है आपने यह जो भ्रम फैलाया है ...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। आप माननीय बृजमोहन जी का कहना मान लीजिए और 5 मिनट में खत्म कर दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। सरकार बेरोजगारी भत्ते पर कटिबद्ध है। अपने गिवन क्राईटएरिया पर हर एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देगी। मैं टैक्निकल एजुकेशन में थोड़ा आ जाता हूँ। अभी हमने आई.टी.आई. में टाटा के साथ एम.ओ.यू. किया। माननीय सौरभ जी, आपने ध्यानाकर्षण के जरिए यह प्रश्न उठाया था और माननीय चन्द्राकर जी ने भी कहा था कि आप नये विषयों को कैसे जोड़ रहे हो। हमने टाटा के साथ एम.ओ.यू. साईन किया और हम लोग 36 नेशनल लेवल के जो हमारे उत्कृष्ट आई.टी.आई. हैं, हम उस लेबल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह बात मुझे कहने में हर्ज नहीं है कि हम लोग उस समय पर है जहां टैक्निकल एजुकेशन में लो डाऊन पिरयड चल रहा है, अभी बहुत नीचे चल रहा है, लेकिन हमने इसको बढ़ाने के लिए टाटा के साथ एम.ओ.यू. साईन किया। इससे हम 36 आई.टी.आई. को बढ़ा रहे हैं और अभी बताना बहुत जल्दी हो जाएगा कि हम पॉलिटेक्निक और अन्य चीजों में भी यही लाईन पर आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारा टैक्निकल एजुकेशन भी आगे बढ़ सके। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जितना भी बजट के लिए प्रावधान किया गया है ...।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी, उस दिन बेरोजगारी पर चर्चा हो रही थी आपने यह कहा कि N.S.S.O. का डाटा नहीं आता। उधर से जानकारी गलत आई थी, N.S.S.O. का डाटा रिलीज हो गया है। मैं आपको दे दूंगा।

श्री उमेश पटेल :- आप बैठिये, मैं बता रहा हूं। सरकारी रूप से जो डाटा प्रस्तुत होता था, सौरभ सिंह जी, वह सरकारी रूप से 9 साल से बंद है।

श्री सौरभ सिंह :- मैं सरकारी डाटा की बात कर रहा हूं। N.S.S.O.   सेटीस्फिकल आर्गेनाईजेशन की सरकार की एजेंसी है।

श्री उमेश पटेल :- आप कौन सा बता रहे हैं, वह मेरे को देखना पड़ेगा। N.S.S.O. इसको पिछले 9 साल से बंद करके रखी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पास करें। धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47, 44, 46, 43 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब, मैं मागों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिये- पांच सौ सड़सठ करोड़, सत्ताईस लाख, सत्रह हजार रूपये,
मांग संख्या	44	उच्च शिक्षा के लिये- नौ सौ बावन करोड़, सोलह लाख, बीस हजार रूपये,
मांग संख्या	46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिये- छब्बीस करोड़, उनहत्तर लाख रूपये, तथा
मांग संख्या	43	खेल और युवक कल्याण के लिये- एक सौ बारह करोड़, सतानबे लाख, इक्यासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) **मांग संख्या 56 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय**

मांग संख्या 35 समाज कल्याण

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	56	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिये- एक हजार तीन सौ सत्तावन करोड़, सत्रह लाख, पंचानबे हजार रुपये तथा
मांग संख्या	35	समाज कल्याण के लिये- एक सौ ग्यारह करोड़, उनसठ लाख, तेरह हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हए माने जायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या- 55

महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

1.	श्री नारायण चंदेल	2
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री धरमलाल कौशिक	4
4.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा	1
5.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	3

मांग संख्या- 34

समाज कल्याण

1.	श्री नारायण चंदेल	3
2.	श्री पुन्नूलाल मोहले	2
3.	श्री अजय चन्द्राकर	1
4.	श्री धरमलाल कौशिक	5
5.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	2
6.	श्रीमती इंदु बंजारे	5
7.	श्री रजनीश कुमार सिंह	5

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्य सूची में पद क्रम 6 तक कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, रंजना डीपेन्द्र साहू जी। बेटा, थोड़ा शार्ट में करना, टाईम बहुत हो गया है। तीन विभाग बाकी हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद। मैं महिला बाल विकास विभाग मंत्री जी की मांग संख्या 55, 34 के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लिंगानुपात की जो रिपोर्ट आई, मैं आपके सामने बताना चाहती हूं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा वर्ष 2018 के आंकड़े हैं जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 हजार पुरूषों की तुलना में 958 महिलायें हैं । वही स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में है। लिंगानुपात सर्वाधिक 1 हजार पुरूषों के पीछे 976 महिलाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 1 हजार पुरूषों के पीछे 900 महिलाएं हैं। इसी प्रकार बाल लिंगानुपात में 1 हजार लड़कों के पीछे 975 लड़कियां हैं और इसका कारण यह भी है कि प्रदेश में नियम से तो लोग नहीं डरे, पर लोग कानून से डरे हैं। भ्रूण हत्या का जो कानून लागू लाया गया, निश्चित रूप से लोग उससे डरे हैं और हमारी बच्चियों को जो यहां पर स्थान मिला है, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब यह बजट महिला बाल विकास के लिए लाया गया और यह सरकार का पांचवा बजट था। इस प्रदेश की महिलाओं को इस सरकार से काफी उम्मीद थी, क्योंकि प्रदेश से आधे से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व महिलायें करती हैं और जो लिंगानुपात में आया है कि लगभग पुरूषों की बराबरी करती हुई प्रदेश की महिलायें हैं, लेकिन इस सरकार ने जगह-जगह पोस्टर लगवाये कि भरोसे का बजट, भरोसे का बजट, भरोसे का बजट। मेरे इस वक्वत्य के बाद, मेरे इस भाषण के बाद इस प्रदेश की महिलाएं खुद जाकर उस भरोसे के बजट को निकाल कर फेंक देंगी, क्योंकि इस बजट में हमारी बहनों के लिए कुछ नहीं है। इस सरकान ने जो बजट लाया। मेरे ही प्रश्न के उत्तर में मैंने पूछा था कि लगातार बजट की क्या स्थिति रही? मैं संख्या के आधार पर प्रतिशत बताना चाहती हूं कि इन्होंने वर्ष 2019-20 में संपूर्ण बजट का केवल 2.33 प्रतिशत रखा और लगातार महिला बाल विकास, समाज कल्याण के लिए बजट का स्तर गिरता गया। इन्होंने वर्ष 2020-21 में 2.32 प्रतिशत रखा। उसके बाद में 2021-20 में 2.19 प्रतिशत रखा और 2022 से अभी सारे बजट में हम यह कह कर खुश होते हैं कि हम पुरूषों की बराबरी में केवल संख्या बल से कुछ नहीं होना है। सरकार ने वर्ष 2022-23 में केवल 2.05 प्रतिशत का बजट महिला बाल विकास और इस समाज कल्याण विभाग के लिए रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महिलाएं अपने हक और अधिकार के लिए आज भी इस प्रदेश में लड़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी रायपुर में लगातार कहीं न कहीं हमारी बहनें अपने हक और अधिकार को लेकर लड़ती रहीं, आवाज उठाती रहीं, लेकिन कहीं

पर भी इनकी जायज मांग को इस सरकार ने पूरा नहीं किया और इस विभाग ने जो पर्याप्त बजट महिला बाल विकास विभाग को देना था, वह नहीं दे पाये। इस विषय के साथ मैं कहना चाहूंगी कि

"जब बिजली चमकती है तो पूरा आकाश बदल देती है, बिजली जब चमकती है तो पूरा आकाश बदल देती है, आंधी जब उठती है तो दिन और रात बदल देती है और जब छत्तीसगढ़ की महिला जब गरजती है तो इस 71 के अहंकारी सरकार का इतिहास बदल देती है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, केवल अपनी संख्या बल पर हमको गुरूर करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपने जन-घोषणापत्र में बहुत स्पष्ट किया था। महतारियों के सम्मान में, माताओं के सम्मान में पांच सौ रूपये प्रतिमाह सभी माताओं को दिया जायेगा। लेकिन इस बजट में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह सरासर माताओं का अपमान है। महिलाओं का अपमान है। इस सरकार ने हमारी सभी विधवा बहनों को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन देने की बात कही थी। आप देख रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी में जो शिक्षाकर्मी हैं, उनकी विधवा बहनें अपने अधिकार को लेकर अनुकंपा नियुक्ति के साथ-साथ अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर लगातार 6 महीने से वह बहनें हड़ताल पर बैठी हैं। लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। उनको न कुछ सुनाई देता है, न दिखाई देता है। हमारी यही मांग रही कि सभी विधवा बहनों को 1000 रूपये का पेंशन दिया जाए। आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4000 से बढ़ा कर 6000 रूपये जरूर किया, लेकिन उन बहनों की मांग थी कि उन्हें नियमित कर्मचारी के रूप में रखा जाय ताकि उनका भी सम्मान बढ़े। हमारी बहनें लगातार 7 से 8 घंटे काम करती हैं। हमारे नये भविष्य को गढ़ने का काम करती हैं। छोटे बच्चों को दिन भर का। हमारे यहां एक बच्चों को संभाल पाना माताओं के लिए बहुत कठिन हैं। वह तो 10-15 बच्चों को एक साथ संभालती हैं। 7-8 घंटे का समय देती हैं। तो उनकी मांग थी कि उन्हें नियमित कर्मचारी के रूप में रखा जाए और नर्सरी शिक्षक के रूप में उनका उन्नयन कर दिया जाए और कलेक्टर दर पर उनको भुगतान की जाए। यह हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और हमारी बहनों का अपमान किया है। इन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्येक जिला मुख्याल में महिला छात्रावास भवन की बात कही थी, लेकिन बजट में कहीं पर उसके लिए प्रावधान नहीं है, क्योंकि महिलाएं बहुत दूर-दूर से जिला मुख्यालय में आती हैं। कहीं पर काम करते-करते शाम होती है, रात होती है, लेकिन उनके लिए रूकने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत दूर गांव से आती हैं, वनांचल क्षेत्रों से आती हैं, लेकिन उनके लिए आवश्यक था एक उनको जिला मुख्यालय में छात्रावास भवन उन महिलाओं के लिये दिया जाये लेकिन इस सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है । हर गांव में महिला सामुदायिक भवन की बात इस सरकार ने कही थी लेकिन कहीं पर भी हमारी बहनों के लिये महिला सामुदायिक भवन की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है । बिहान की जो बहनें हैं, हम जब भी जाते हैं । चूंकि जनप्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा होता है । वे हमसे बार-बार मांग करती हैं कि कम से कम एक भवन

हमको दिलवाईये ताकि अपने समूह का संचालन हम बेहतर ढंग से कर सकें और इसलिये वे बार-बार मांग करती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में 85,000 महिला समूह हैं । अब इन्होंने महिला समूह का काम छीनकर अपने चहेते ठेकेदारों को दे दिया । बीज निगम अब रेडी टू ईट का निर्माण करने लगी है, पूरक पोषण आहार बनाती भी वही है और बांटती भी वही है । कई समूहों के साथ जिलों में अनुबंध हुआ था लेकिन आज भी हमारी महिला समूह की बहनों को कहीं पर भी उस अनुबंध के आधार पर रेडी टू ईट को बांटने का काम नहीं दिया जा रहा है । सीधे-सीधे इन्होंने महिलाओं के साथ छल किया है । इस सरकार ने इन समूहों का कर्जा माफ करने की बात कही थी लेकिन 85,000 समूहों में केवल 5000 समूह हैं और 11 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है और लगभग 4-5 करोड़ का विज्ञापन इन्होंने पूरे प्रदेश में प्रचारित कर दिया कि हमने कर्जा माफ किया । अब बहनों को यह लगता है कि इस सरकार ने पूरा कर्जा माफ किया है । जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो बहनें हमसे पूछती हैं कि क्या हमारा कर्जा भी माफ हो गया है तो हम शायद उस समय जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते क्योंकि इसका कारण सरकार है और यह सरकार हमारी बहनों का पूरा कर्जा माफ नहीं कर पायी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वसहायता समूह की जो बहनें हैं । जिस प्रकार उनके निर्मित उत्पाद को चूंकि हम महिला समूह को बार-बार प्रेशर बनाते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं कि आप कुछ उत्पाद का निर्माण करिये ताकि आपकी कोई समूह मजबूती प्रदान हो तो महिला समूह जो उत्पाद बनाती है उसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी सरकार की है । एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार उसमें मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए । जो एक मेला लगता है । उस मेले में महिला समूह अपने सामान को बेच सके, अपने उत्पाद को बेच सके यह व्यवस्था सरकार को बनानी थी लेकिन इन 4 सालों में एक बार भी इनके लिये समूह मेले का आयोजन इस सरकार के माध्यम से नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपके महत्वपूर्ण बिंदु आ गये हैं । प्लीज ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिये बहुत सारे विषय हैं । मैं यहां पर बहुत गंभीर विषय रखना चाहती हूं । मैं तो पहली वक्ता हूं, आपके संरक्षण की आवश्यकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां छत्तीसगढ़ में...।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ठीक है न । मैं तो यह बोल रहा हूं कि सभी बिंदु आ गये हैं । मैंने बोला कि महत्वपूर्ण बिंदु आ गये हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां छत्तीसगढ़ प्रदेश में वित्तीय साक्षरता जिसमें जी.एफ.एल.ई. की रिपोर्ट आयी जिसे ग्लोबल फायनेंसिंग लिटरेसी एक्सीलेंट कहा जाता है, उस सेंटर की रिपोर्ट आयी । जिसमें वित्तीय साक्षरता में छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनें केवल 4 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो वित्तीय साक्षरता में टोटल वह काम नहीं कर रही हैं । इसमें महाराष्ट्र में 17

प्रतिशत, दिल्ली में 32 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 21 प्रतिशत ऐसी महिलायें हैं, जो सीधे-सीधे वित्तीय साक्षरता से जुड़ी हैं और घर की मुखिया के रूप में वे काम कर रही हैं । इसी प्रकार बिहार, राजस्थान, झारखंड, यूपी की स्थिति चूंकि थोड़ी गरीबी है इसलिये साक्षरता का दर कम होने के कारण यहां पर इनहोंने बहुत अच्छे से कार्य करने का प्रयास किया है लेकिन गोवा जैसे प्रदेश में महिलाओं की 50 प्रतिशत स्थिति है, जो उच्च वित्तीय साक्षरता दर इनकी है और इसलिये ये महिलायें काम कर रही हैं । लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति सबसे बद्तर है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कारण भी यह है कि सरकार किसी प्रकार का प्रशिक्षण या जागरूकता महिलाओं को नहीं दे रही है । केंद्र की मोदी जी की सरकार ने 50 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले । कभी जब विपरीत परिस्थिति होती है । अभी आपने देखा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आयी । परिवार का संचालन मुख्यत: पुरूष ही करते हैं और यदि जब पुरूष कहीं पर विपरीत परिस्थिति में गया या बहुत ज्यादा बीमार पड़ा या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कोई बड़ी विपत्ति आयी तो उस समय महिलाओं के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती थी कि वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय संचालन कैसे किया जाये ? चूंकि आजकल क्रेडिट कॉर्ड और डेबिट कॉर्ड का चलन है । सीधे-सीधे एक महिलाओं का जो समूह है, वह बैंक से लेनदेन करने से कतराती रही और आज भी स्थिति यह है कि वह बैंक से लेन-देन करने के लिये घर के पिता, पुरूष या पुत्र पर निर्भर करती है । सरकार को आज भी आवश्यकता है कि महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को मजबूत किया जाये लेकिन इन्होंने इन महिलाओं के लिये कोई विशेष बजट नहीं रखा । एटीएम का भी जब हमारी बहनें उपयोग करने का प्रयास करती हैं, कहीं न कहीं लेन-देन में हमारी बहनें आज भी पीछे रही हैं इसलिये सरकार को आज इस बात की आवश्यकता है कि वह क्रेडिट कॉर्ड, डेबिट कॉर्ड का चलन अब तो केशलेश का जमाना है तो इसमें भी हमारी बहनों को काम करना है तो इसलिये वित्तीय साक्षरता हमारी बहनों को काम करना है इसलिए हमारी बहनों की वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाए । इस सरकार ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शराबबंदी के बारे में बोलना चाहती हूं । हालांकि इनका विभाग नहीं है लेकिन महिला होने के नाते मुझे दुख और पीड़ा होती है ।

अध्यक्ष महोदय :- शराब बंदी पर सब लोग बोल चुके हैं । आप मत बोलो, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, जब हम स्कूल में जाते हैं । एक छोटा सा बच्चा । अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत आवश्यक है क्योंकि इस विभाग से संबंधित है । आज प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं मुझे कहने में दुख होता है और मुझे कहने में शर्म भी महसूस होती है कि मानवता को तार-तार कर देने वाली घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं तो वास्तव में छत्तीसगढ़ प्रदेश दुष्कर्म के मामले में छठवें स्थान पर रहा है । जिसमें पिछले चार साल की नहीं, अभी हाल ही की घटना से अवगत

कराना चाहती हूं । 3 साल मासूम बच्ची के साथ कांकेर में दुष्कर्म किया गया । कहां था कानून, कहां था महिला विभाग ? 8 साल की मासूम के साथ रायपुर में दुष्कर्म हुआ ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपके कार्यकाल में भी तो झलियामारी कांड हुआ था।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसका सिर बोर से फोड़कर उसको मार दिया गया । दस साल की बच्ची के साथ बेमेतरा में दुष्कर्म हुआ और दस साल की बच्ची की लाश को फांसी पर लटका दिया गया । अध्यक्ष महोदय, हद तो तब हो गई अभी की घटना है 14 साल की नाबालिग बच्ची को गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति उसके बाल को पकड़कर डेढ़ घंटे तक सरेराह घुमाता रहा, बच्ची खून से लथपथ रही और लोग वीडियो बनाते रहे । मानवता शर्मसार हो गई है । लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस विभाग कहां हैं ? अध्यक्ष जी ये घटनाएं साधारण घटनाएं नहीं हैं, नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं । यह कैसा प्रदेश है । हद तो तब हो गई मैं एस.ओ.एस. बाल आश्रम माना की घटना का उल्लेख सदन में करना चाहती हूं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- रंजना तैं महिला बाल विकास में बोलत हस या आबकारी में या गृह में, का में बोलत हस ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- इतना तो सोचिए भई आप एक महिला हैं, आपको कुछ लगता है कि नहीं लगता । मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूं । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आवाज नीची करो । बोलने का तरीका सीखो । ये विधान सभा है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष जी, हद तो तब हो गई । जून माह की यह घटना है और नवम्बर में पांच महीने बाद रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है । एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है उस बच्ची की डिलवरी करा दी गई ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी भी घटनाएं हुई हैं सभी निंदाजनक हैं । लेकिन जिस तरह से माननीय सदस्य उनका वर्णन कर रही हैं, वह उससे भी ज्यादा विभत्स है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- बाल आश्रम में उस बच्ची की डिलवरी करा दी गई । माननीय मंत्री जी का बयान आता है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है । क्या रहे हैं अधिकारी, अधिकारियों ने दबाने का प्रयास किया है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, धमतरी जिले से तो डॉ. लक्ष्मी ध्रुव भी आती हैं । लेकिन इतना नहीं भड़कतीं, जितना दो लोग भड़कते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों पड़ोसी हैं ना ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ट्रेनिंग मिली है, ट्रेनिंग ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये अजय चंद्राकर के जिले की हैं और दोनों की एक ही तासीर है । कइसे अजय भाई, अइसने सिखोए हस ।

डॉ. विनय जायसवाल :- जो भी विषय माननीय सदस्य उठा रही हैं, उनका इतना विभत्स वर्णन, यह सदन में अच्छी बात नहीं है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- कैसा वर्णन करूं ?

डॉ. विनय जायसवाल :- झलियामारी में जो कांड हुआ है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आश्रम में जो घटना हुई, दुख इस बात का है कि मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं थी । उनके अधिकारियों ने इस बात को दबाकर रखा और जब मीडिया में यह विषय आया तब उनको जानकारी हुई । हालांकि उन्होंने खेद व्यक्त किया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी । लेकिन महिलाओं के साथ इतना भद्दा मजाक किया जा रहा है । हमारी बेटियों के साथ इस प्रदेश में भद्दा मजाक किया जा रहा है । इस सरकार ने जो कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है । महिलाओं के संरक्षण के लिए कानूनों का सख्ती से पालन किया जाएगा । महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा । सरकार ने कहा कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कंट्रोल हो जाएगा तो सब जगह कंट्रोल हो जाएगा ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सार्वजनिक स्थानों में भी यातायात साधनों में महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में तो कहा लेकिन हमारी जो बहनें, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं वे भी ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं । लेकिन इस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं । विभाग में जिस तरह से काम चल रहा है । माननीय मंत्री जी आप एक महिला मंत्री हैं । आपको विभाग जानकारी क्यों नहीं देता ?

अध्यक्ष महोदय :- देता है, देता है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप विभाग पर कार्रवाई करिए। आपके अधिकारी आप तक क्यों जानकारी नहीं पहुंचाते।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप कौन सी विभाग की बात कर रहे हो, मेरे विभाग में बोलते तो जानकारी होती। (हंसी) संवेदना से बोलोगी तब करूंगी क्या। (हंसी)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मंत्री जी, बाल आश्रम में घटना हुई है। आपको जानकारी नहीं है।

श्री शैलेश पाण्डे :- वह आई.जी. साहब की पत्नी है, वह ऐसे मामूली आदमी की पत्नी नहीं है। आप उनको क्या कानून सिखा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, हो गया चलिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नशीले पदार्थ लगातार हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। चेकपोस्ट थाने हैं, क्यों प्रदेश में जो नशीले पदार्थ हैं, हमारे बच्चों तक

पहुंचते हैं, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, वह नशा करके जाते हैं, शिक्षक उनको डांटने और मारने से डरते हैं क्योंकि वह नशा करके जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह होम डिपार्टमेंट का काम है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें कोई कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। जितने मेडिकल स्टोर हैं, पूरे मेडिकल स्टोर में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाने की आवश्यकता है। जो स्कूल के पास दुकानें हैं, चाहे वह शराब की दुकानें हो, चाहे वह पान की दुकानें हो, वह दुकानें स्कूल से एक निश्चित दूरी पर रहें। इसको महिला बाल विकास को करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी विषय रखना चाहती हूं। वह हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ इस सरकार ने एक भद्दा मजाक किया है। उनका मजाक बनाकर रखा है। इस सरकार ने...।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सदस्या पूरे भाषण में भद्दा शब्द कम से कम 20 बार बोल चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए प्लीज।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में इस सरकार ने कहा कि यदि निर्वाचित पार्षद नहीं होंगे तो हम मनोनीत पार्षद के रूप में उन्हें जरूर स्थान देंगे। लेकिन कहीं पर भी मनोनीत पार्षद के रूप में हमारे दिव्यांग भाई बहनों को इसमें स्थान नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी पूरी बात आ गयी है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह असत्य बोल रही हैं, हमारे नगर निगमों में दो दिव्यांगों को मौका मिला है।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. बैठिए ना।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार लगातार दिव्यांगों के साथ मजाक करती रही। इस सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन की बात कही थी। कम से कम एक हजार रूपये प्रति दिव्यांगों को पेंशन की बात इस सरकार ने कही थी लेकिन अभी तक हमारे दिव्यांग भाई बहनों को पेंशन नहीं मिला है। मैं इस सरकार के बजट का विरोध करती हूं कि महिला बाल विकास समाज कल्याण को कुछ भी बजट में ना दें।

अध्यक्ष महोदय :- विरोध करिए और बैठ जाईए। सावित्री मनोज मंडावी। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। बेहतर सोच, अच्छी सुविधाएं और जरूरी पोषण से आगे बढ़ते आदिवासी मॉ और बच्चों को मिलने लगी जिंदगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में कुपोषण एक भयंकर समस्या के तौर पर

आदिवासियों को अपनी चपेट में ले चुका था। बच्चों और महिलाओं में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सुपोषण अभियान से बस्तर के सुदूर गांवों के बच्चों और महिलाओं की मुस्कुराहट लौट रही है।

सरगुजा संभाग के जिले, राजनांदगांव, पेंड्रा से लेकर बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर जैसे जिलों में आदिवासियों के बच्चों को जरूरी पोषण की चिंता नहीं होती। अब बच्चे वहां सेहतमंद होने लगे हैं।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना शुरू होने के समय 4 लाख 33 हजार 541 बच्चे कुपोषित थे। लगभग 2.65 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से मुक्त हो गये हैं तथा लगभग 1.50 लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो गई हैं। (मेजों की थपथपाहट)

बेहतर पोषण से बढ़ता वजन दूर हो रहा बच्चों में कुपोषण। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से कुपोषित बच्चे सेहतमंद होने लगे हैं। अब आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को तुदंरूस्त बनाने के लिए मिलेट चिक्की खिलाई जा रही है। इससे उनकी सेहत में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए भी मिलेट चक्की फायदेमंद साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरक पोषण आहार के कार्यक्रम के तहत् करीब 6,33,139 बच्चों को गरमा-गरम पौष्टिक भोजन के साथ बच्चों को अंडे भी परोसे जा रहे हैं। इसका नतीजा यह देखने को मिल रहा है कि पौष्टिक भोजन से बच्चों का वजन प्रतिमाह 200 से 250 ग्राम तक बढ़ोत्तरी हो रही है। आंगनबाड़ी में पहुंचने वाले बच्चे अब सुस्त नहीं हैं बल्कि अब वह खूब खेल-कूद रहे हैं। इससे माताएं व बच्चे दोनों स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह सबसे तेजी से कुपोषण दूर करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। इसी प्रकार महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा की बात है तो महिलाओं के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार एनीमिया मुक्ति का अभियान चला रही है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के जरिए महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। उनकी जांच कर उन्हें एक वक्त का भोजन आंगनबाड़ी में ही उपलब्ध करवाया जाता है। जरूरत पड़ने पर उन महिलाओं को दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती है। इस अभियान के जरिए प्रदेश भर में अब तक एक लाख महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराया जा चुका है और हमारी छत्तीसगढ़ महतारी को सम्मान देने के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की यह भावना भी रही है कि महिलाओं को पर्याप्त अधिकार और स्वावलंबन के साधन उपलब्ध कराए जाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में लागू की गई योजनाओं से महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। न्याय योजना के जरिए महिलाओं, शिशुओं और युवाओं को सीधा लाभ मिला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान पूरे देश में सबसे तेजी से कुपोषण दूर करने वाला अभियान साबित हो रहा है। राज्य में जिस तरह से कुपोषण के आंकड़े घटे हैं, उससे साफ है कि हम जल्द ही कुपोषण मुक्त राज्य कहलाएंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ

योजना, वजन त्योहार, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन, पूरक पोषण आहार, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, सखी वन स्टाफ सेन्टर, शक्ति सदन योजना, सखी निवास योजना, नवा बिहान योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना, सक्षम योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन वात्सल्य उजियार योजना, छत्तीसगढ़ बालकोष, सक्षम इत्यादि से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है और नौनिहालों की बुनियाद मजबूत की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना एक कल्याणकारी एवं विकसित राज्य के रूप में की गई है तथा धरातल पर सरकार ने इस बात को प्रमाणित भी किया है। प्रदेश के विवशता पूर्ण जीवन यापन करने वाले समूहों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश की जनसंख्या का 2.45 प्रतिशत व्यक्ति नि:शक्ता से ग्रस्त हैं। जिनके पुनर्वास का दायित्व शासन का है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों की गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से दिव्यांग व्यक्तियों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से हमारे राज्य शासन द्वारा सामर्थ्य विकास योजना संचालित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 राज्य में प्रभावशाली है। दिव्यांग व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान पत्र भी प्रदान किये जा रहे हैं। दिव्यांगजनों को शासकीय सेवा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 7 प्रतिशत आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप और कितने मिनट लेंगे? पहली बार है। मैं समझ गया कि पहली बार भाषण दे रही हैं। पहली बार ओपनिंग कर रही हैं। चलिये, बोलिये।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण एजेन्सियों द्वारा अधोसंरचना के विकास में दिव्यांग व्यक्तियों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु व्यवस्था की गई है। जिससे शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा व्हील चेयर उपयोग करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर बाधारहित आवागमन में सुविधा हो रही है। विभाग द्वारा प्रदेश में सभी सार्वजनिक भवनों में बाधारहित आवागमन सुविधा के विकास के लिये प्रावधान किया गया है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति अपने उपकरणों के साथ अधिकारियों तक पहुंच कर अपनी समस्या का समाधान करा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है।

दिव्यांग मन ल, मिलगे अवसर।

सरकार करीस हे, खोज खबर।।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री महोदया, बोलने के पहले एक जानकारी दे दीजिए, मैं नहीं टोक रहा हूं । आपके विभाग के 45 करोड़ रूपए के टेण्डर को उच्च न्यायालय ने क्यों निरस्त कर दिया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- जिसने कोर्ट में केस लगाया है, आप उनसे पूछिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप शुरू करिए ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बोलना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं । माननीय मंत्री जी, आप अपना भाषण 15 मिनट में खतम करें ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग की चर्चा में बहन रंजना बहुत उत्तेजित होकर बोल रही थीं, पता नहीं कहां, कते-कते डहार चल देथे । (हंसी) तै अउ सावित्री मण्डावी, दोनों बहिनों ने विभाग के बारे में बहुत सुन्दर चर्चा की ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी जितनी बुराई करनी थी, वह रंजना ने कर दी और जितनी पक्ष की बात करनी थी, वह सावित्री ने कर दी । अब किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप जवाब दीजिए। आपके पास 15 मिनट है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं रंजना से कहना चाहती हूं कि वे मेरे विभाग में थोड़ा और बोलती तो मैं ज्यादा अच्छा जवाब दे पाती । वे तो कभी गृह में बोलती थी, कभी शिक्षा विभाग में बोलती थीं, कभी आबकारी में बोल दी, कभी नगरीय निकाय में बोल दी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, आप तो कहते हैं कि यहां पर सामूहिक जिम्मेदारी है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सामूहिक जिम्मेदारी प्रश्न के लिए है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समय मत खराब करिए । आप सीधे अपनी बात पर आईए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं दोनों बहिनों को धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने अपनी बात सदन में रखीं । रंजना ने एक प्रश्न पूछा कि इस साल के वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में हमेशा कटौती करते जा रहे हैं, पर मैं बताना चाहती हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस साल मेरे विभाग के बजट में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। (मेजों की थपथपाहट) उसके बाद

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपने पूछा कि यहां कामकाजी महिलाओं के लिए विभाग के माध्यम से कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसमें हमारी महिला बहिनें रहकर वहां अपना काम कर सकें या वहां पर रहकर पढ़ाई कर सकें या अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से काम करना है या कोई ट्रेनिंग करनी है, वह कर सकें । मैं आपको बता दूं कि संस्थाओं के माध्यम से 6 सखी निवास का संचालन हो रहा है और 2023-24 में इसके लिए 1.37 करोड़ का बजट प्रावधान नवीन मद में किया गया है । इसके लिए हम लोगों ने रायपुर महिला हेल्प लाईन नम्बर 181 संचालित की जा रही है । यह भी टोल फ्री नम्बर है । इस 181 नम्बर पर आप नि:शुल्क सेवा ले सकती हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह महिला स्व सहायता कोष की बात की गई है । आप लोगों ने महिला स्व सहायता समूहों के लिए महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से कोई बजट नहीं रखा था, पर मैं आपको बता दूं कि इसमें नये वित्तीय वर्ष में 25.20 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसमें हम महिला समूह को लोन दे सकते हैं । आप लोगों के समय में आप लोग 50 हजार रूपये लोन देते थे, उस 50 हजार में हमारी महिला बहिनें क्या कर सकती हैं ? दूसरे कार्यकाल में आपने उसको 1 लाख रूपये किया । जब हमारी सरकार ने उनकी वस्तुस्थिति देखी कि हमारी महिला बहिनें लोन चुकाने लायक नहीं हैं, उनकी स्थिति खराब है तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि बहिनों और बेटियों के प्रति बहुत सोचते हैं । इसलिए महिला समूहों द्वारा महिला एवं बाल विकास के माध्यम से 11.3 करोड़ रूपए का जो ऋण लिया गया था, उस ऋण को हमने माफ कर दिया । अभी अगर वे 2 लाख रूपए लोन ले रही हैं तो दूसरे समय में उनको हमारे विभाग के द्वारा 4 लाख रूपए लोन देने का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) मैं आपसे कहना चाहूंगी कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोग उनको 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उन्हें लोन मुहैया करा रहे हैं । इसमें हमारी बहिनें अपनी आर्थिक स्थिति और अपने कौशल को दिखाने का काम कर रही हैं । आपको यह पता नहीं होगा कि इसी महीने महिला दिवस में महिला मढ़ई का आयोजन किया जा रहा था और हमारे विभाग द्वारा हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप रंजना को ले गई थीं या नहीं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- रंजना को भी बुलाती हूं, पर कहां आती है। ये लोग, विपक्ष के साथी तो बस अपने अकड़ में रहते हैं। (हंसी) हमारे और विधायक साथी लोग गये थे। मैं सांसद महोदया को भी बुलाई थी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह केवल यही हो सकता है, किए होंगे। लेकिन प्रत्येक जिले में महिला मड़ई होना चाहिए। आप जो आयोजन कर रही हैं तो उसमें जो महिला उत्पाद बनाती हैं, वहां उस मेले में उत्पाद बिकेगा तो महिला समूह का सम्मान बढ़ेगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, अक्सर हर जिले में होता है। हम लोग विभाग के माध्यम से महिला मड़ई करते भी हैं। इस महिला मड़ई में महिला बहनें अपने उत्पाद का विक्रय भी करती हैं और सबको बताती भी हैं कि हम इसको किस तरह से काम किये, हम लोन लेकर इसमें कैसे आगे बढ़े हैं। उन लोग मड़ई से लाखों रूपया कमाकर महिला जाती हैं। तो यह हमारे प्रदेश की महिलाओं की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक बात और कही कि ready to eat महिलाओं के द्वारा बंद कर दिया गया है। परन्तु आप देखिये, आज छत्तीसगढ़ में लाखों महिला बहनें काम कर रही हैं। चाहे गौठानों के माध्यम से हो, चाहे गरम भोजन देने की बात हो, चाहे हमारी महिला बहनें वन विभाग में जो संचालित हो रहा है, वन उत्पादित वस्तु खरीदने की बात हो, इन सब में हमारी महिला बहनें काम की हैं और कर रही हैं। आप बैंकों की बात कर रहे हैं। हमारी महिला बहनें पैसे का हिसाब करने में बहुत होशियार हैं। वह खुद बैंक में लेनदेन करने जाती हैं। वह किसी का सहारा नहीं लेती हैं। आप बैंक जाते हो या नहीं ? यहां हमारे जितने भी विधायक साथी हैं, सभी महिलाएं जाती हैं। इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं कहीं कमजोर नहीं हैं। वह हर जगह अपना खुद काम करती हैं। चाहे वह आर्थिक काम हो, चाहे बैंकिंग का काम हो, चाहे पारिवारिक काम हो, हर परिस्थिति में वह अपना काम करती है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रंजना दीदी के बारे में ..।

अध्यक्ष महोदय :- यह सिर्फ महिलाओं की बात है। आप बैठिये। महिलाओं पर चर्चा हो रही है, आप नहीं हो रही है।

श्री अरूण वोरा :- मैं वही बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरूण जी, आपको महिलाओं में क्या रूचि है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अरूण जी का स्वभाव किसी महिला से कम नहीं है।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- पहले ready to eat को कोटना में फेंका जाता था।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, अरूण जी की महिलाओं में क्या रूचि है, पहले यह बताओ ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रस्ताव करिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो देना पड़ेगा। लिंगानुपात की बात है। आज हमारी "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना" पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसीलिए इसमें इतना फर्क पड़ा और नारी स्वतन्त्र होकर काम कर रही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाषण दे के जाबे मत, सब के खतम होत ले बैठबे। जेखर-जेखर भाषण होत हे तेन खसक देत हे। पूरा आखिरी तक बैठबे।

अध्यक्ष महोदय :- सब बैठही।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आप लोग भागते हैं। आप लोग भागे थे। जवाब सुना करो फिर बोला मत करो।

श्री अजय चन्द्राकर :- गुरू जी, पानी के उपयोग हम तोर बर सुरक्षित कर दे हन। समझ गेस ना। तै पानी पिलाव। अपन ला कुछ नहीं बोलना हे।

अध्यक्ष महोदय :- मैडम, आप प्रस्ताव करिये। सबको धन्यवाद दीजिये, जिन्होंने आपका समर्थन किया है, सब आपके साथ है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, वैसे ही हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग में 500 रूपया मानदेय किया है। आप लोग पूर्व में उसमें मात्र 50 रूपया बढ़ाया था। 15 साल में 50 रूपया बढ़ाया था। हम लोगों ने 4 साल में 150 रूपया बढ़ाया है। (मेंजों की थपथपाहट) यह हमारी उपलब्धि है। हम लोगों कम से कम सोचा तो। आज उभयलिंगी लोगों को समाज में जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वह हमारी सरकार कर रही हैं। आज उनको पुलिस में नौकरी दे रहे हैं। आज उन लोग बस्तर फाइटर में भर्ती हो रहे हैं। उभयलिंगी को समाज में जोड़ने का काम हमारा विभाग कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- जनघोषणा-पत्र में एक हजार रूपया करे बात करे रहेस। अपन बात ले कोन हटे हे, तेला बता।

अध्यक्ष महोदय :- जनघोषणा-पत्र को कितने दिन याद करोगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- जरा अपना भी जनघोषणा-पत्र खोलकर देख लिया करो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप देखते जाईये, आगे-आगे होता है क्या।(हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- वाह।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विभाग की अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 55 एवं 34 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 56 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिये- एक हजार तीन सौ सत्तावन करोड़, सत्रह लाख, पंचानबे हजार रुपये तथा

मांग संख्या 35 समाज कल्याण के लिये- एक सौ ग्यारह करोड़, उनसठ लाख, तेरह हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनिल भेंडिया :- धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको बधाई।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत-बहुत बधाई हो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सबको धन्यवाद।

(5)	**मांग संख्या**	**29**	**न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन**
	मांग संख्या	**36**	**परिवहन**
	मांग संख्या	**21**	**आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या	**10**	**वन**

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्तावकरता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय कये निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये- सात सौ सात करोड़ अठारह लाख, चौसठ हजार रूपये,

मांग संख्या 36 परिवहन के लिये- एक सौ चौबीस करोड़, पचहत्तर लाख, पांच हजार रूपये,

मांग संख्या 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- नौ सौ पचपन करोड़, चौबीस लाख, तिहत्तर हजार रूपये तथा

मांग संख्या 10 वन के लिये- दो हजार छः सौ चौरानबे करोड़, बासठ लाख, छः हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किय जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रसताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

मांग संख्या - 29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	2
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री धरमलाल कौशिक	2
4.	श्री शिवरतन शर्मा	6

मांग संख्या - 36

परिवहन

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	3
2.	श्री पुन्नूलाल मोहले	1
3.	श्री अजय चन्द्राकर	1
4.	श्री धरमलाल कौशिक	6
5.	श्री शिवरतन शर्मा	8

मांग संख्या- 21

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	3
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री धरमलाल कौशिक	3

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

4. श्री शिवरतन शर्मा 10

मांग संख्या 10

वन

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल 4
2. श्री पुन्नूलाल मोहले 4
3. श्री अजय चन्द्राकर 1
4. श्री धरमलाल कौशिक 4
5. श्री शिवरतन शर्मा 12
6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू 1

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों औरकटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । इनमें एक -एक सदस्य भाग लेंगे । श्री सौरभ सिंह जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसमें आप दो-दो लोगों को बुलवा दीजिए । दारू मंत्री का कल करवा दीजिएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं दारू मंत्री का आज ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के सबसे सक्षम मंत्री का यह विभाग है और कहां से चालू हो रहा है ? मैं वर्ष 2019 में एक प्रश्न लगाया कि मजदूरी भुगतान चांपा वन मंडल के बलौदा वन परिक्षेत्र में नहीं हुआ । आपने इन्क्वारी करवाई, इंक्वारी सही पाई गई, इंक्वारी सही पाने के बाद आपने अधिकारियों का पैसा वसूला, परन्तु आज तक मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है । विभाग कैसे चलेगा ? साढ़े चार साल में यदि मजदूरों को भुगतान नहीं मिला, 15 तारीख को मेरा प्रश्न लगा था, आप नहीं थे, मैं जिस भी कारण से डहरिया जी से प्रश्न पूछना नहीं चाह रहा था । माननीय अध्यक्ष महोदय, सक्षम मंत्री ने फारेस्ट विभाग में साढ़े चार साल में कोई नया जू बनाया ? कोई नया सफारी पार्क बनाया ? कोई नई वाईल्ड लाईफ सेंचुरी बनी ? कोई नया नेशनल पार्क बना ? कोई वन विभाग से रिलेटेड रिसर्च सेंटर बना ? कोई नया ग्रीन आक्सीजोन बना ? पता नहीं वहीं के वहीं चल रही है । कल मंत्री जी का जवाब आया, अखबारों में था । टाईगर के ऊपर बोल रहे थे, अच्छा है, चर्चा हो रही है । भारत में चीता इन्ट्रोड्यूस हो गया । माधव नेशनल पार्क मध्यप्रदेश में टाईगर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इन्ट्रोड्यूस हो गया, छत्तीसगढ़ में साढ़े चार साल में कुछ नहीं हुआ ? आप संख्या की बात कर रहे हैं कि हमारे समय में कितना टाईगर था, कितना टाईगर मर गया, आपके तीन टाईगर रिजर्व हैं । इंद्रावती जहां नक्सलवाद के कारण सेंशेस नहीं होती है । सीता नदी उदयन्ती वहां भी शायद सेंशेस नहीं होती है। सेंशेस कहां होती है, सिर्फ अचानकमार में । मैं इस पर जवाब जानना चाहूंगा, वह बोल रहे हैं कि 19 टाईगर है, जितनी संख्या यहां दी जा रही है, यह वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो माइकाल रेंज का केलकुलेशन लगाती है, उसके आधार पर आप बता रहे हैं । अगर यह 19 टाईगर हैं, कौन कौन से पार्क में है, किसी वाईल्ड लाईफ सेंचुरी में भी हो सकता है । टाईगर को नहीं पता है, मैं इसी टाईगर रिजर्व में रहूंगा। अभी रामानुजगंज में टाईगर घूम रहा था, धीरे-धीरे आगे खिसक गया, रोड के बगल में बैठा था । टाईगर को नहीं पता...।

अध्यक्ष महोदय :- चैतुरगढ़ में भी आया है ।

श्री सौरभ सिंह :- चैतुरगढ़ में भी आया था। टाईगर को नहीं पता है कि कहां जाना है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने पिछले साढ़े 4 साल में टाईगर सेंसस किया और टाईगर सेंसस कराने का क्या पैमाना था ? क्या आपने कैमरा ट्रैप मैथड से किया या आपने फुट प्रिंट मैथड से किया ? यदि 19 टाईगर है तो किस जगह पर है, उसमें कितने मेल है और कितने फीमेल है ? कितने सब एडल्ट है ? उनकी क्या उम्र है ?

समय :
7.45 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, जब हम टाईगर की बात कर रहे हैं तो जो टाईगर वाइल्ड लाइफ का पिरामिड होता है, उसके अपेक्स में होता है। हम यह मानते हैं कि टाईगर की संख्या अच्छी है तो जंगल भी अच्छा होगा, उसमें प्रे-बेस भी अच्छा होगा और सारी चीजें अच्छी होंगी। वाइल्ड लाइफ के जितने पार्क्स है, वह उसी पद्धति में चलते हैं परंतु यह दुर्भाग्य है। हमने पिछले साढ़े 4 साल में लेपर्ड के बारे में चर्चा नहीं की। रोज पेपर में छपता है कि इतने तेंदुए मारे गये, कितने तेंदुआ कहां गये। इसके साथ-साथ जो छत्तीसगढ़ के ग्रास लैण्ड है। उत्तर के भाग में गुरू घासीदास नेशनल पार्क में चीता ग्रीन प्रोडक्शन होने के बाद जो ग्रास लैण्ड कन्जर्वेसन की बात हो रही है, जिसमें वाइल्ड डॉग्स थे, जिसमें हाईना थे, जिसमें अन्य और डॉग प्रजाति के जानवर थे, उसमें कोई काम नहीं किया गया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, बारनवापारा में हमारे सभापति जी भी गये थे। हम लोग रात में दो-दो तेंदुआ देखे थे। पूछ लीजिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हाथी की बात हो रही थी। छत्तीसगढ़ में हाथी मानव द्वंद्व इतना प्रचलित हो गया है। एक लेमरू हाथी परियोजना बनाने से हाथी-मानव द्वंद्व बंद

नहीं होगा। 56 हाथी मर गये। अभी भारत को एलीफेंट विस्पर्स में ऑस्कर मिला है। माननीय मंत्री जी आपने या आपके अधिकारियों ने वह फिल्म देखी है ? वह कितनी मार्मिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। एलीफेंट विस्पर्स। वह तमिलनाडु के एक एलीफेंट कैम्प की कहानी है। उसमें एक हाथी के छोटे बच्चे को कैसे रिहैबिलिटेट करते हैं। क्या यह छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता ?

श्री अजय चन्द्राकर :- डहरिया जी समझे, तै ऐसन बात बोलबे।

श्री सौरभ सिंह :- एलीफेंट विस्पर्स की कहानी यही से चालू हुई थी। माइक पाण्डे ने 1990 में एक कहानी बनाई थी लास्ट माइग्रेशन। जिसको ग्रीन ऑस्कर मिला था। वह हाथी का लास्ट माइग्रेशन नहीं था, वह फर्स्ट माइग्रेशन था।

श्री अजय चन्द्राकर :- उस फिल्म को सहायता दो। वह बहुत तकलीफ में बनी है। यहां से मदद दो जैसे उत्तरप्रदेश के लोगों को मदद देते हो वैसे ही।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि आपने साढ़े 4 साल में हाथी के कितने कॉरिडोर चिन्हांकित किये हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, यह हाथी-हाथी की बहुत बात कर रहे हैं। ये खुद हाथी को छोड़कर भाग गये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपने साढ़े 4 साल में हाथी के कितने कॉरिडोर चिन्हांकित किये ? क्या आपके पास तय हुआ है कि हाथी के कितने ग्रुप्स है ? वह कहां-कहां पर है ? किस तरह से उनका मूवमेंट होता है ? मेरे क्षेत्र में, हमारे जिले में भी हाथी आ गया था। हाथी घूम के गया, वह होशियार है। वह रात में सोता था और दिन में चलता था। आपके विभाग के जितने लोग हैं, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। हम गाड़ी में घूम रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था, कोई कार्ययोना नहीं थी। वह कहां जायेगा, किधर मूवमेंट करेगा। वह अपने हिसाब से घूम रहा था, कभी यहां से वहां कभी वहां से वहां। वह 6 दल था। हाथी इतना स्मार्ट एनिमल होता है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा वह सब इतनी बड़ी गली के अंदर से पार हो गये।

श्री रविन्द्र चौबे :- वह बता के कहां जायेगा।

श्री सौरभ सिंह :- वह बता के कहां जायेगा। उसको कुछ नहीं पता। लेकिन वह हमारे से ज्यादा होशियार है, वह अपना रास्ता निकाल लिया। वह फोरेस्ट विभाग के भरोसे नहीं था। उसको पता था कि फॉरेस्ट विभाग के भरोसे तो मेरा अंत हो जायेगा। वह अपना रास्ता निकाल लिया।

श्री अमरजीत भगत :- सौरभ भाई, तै हाथी के चक्कर में मत पड़बे । ऐसी तुहर पार्टी के विधायक ऐसे ही मना करे के बाद भी गये रिहीस। इतना दौड़ाए रिहीस कि बड़ा मुश्किल से ओकर जान बचिस। जो अभी सदन में नइ हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी उन्होंने जो ऑस्कर फिल्म का उल्लेख किया ना वह संस्कृति विभाग का विषय है। वह पिक्चर कैसे बनी, किसने फाईनेंस किया, कितने दिन में बनी। भारत का गौरव है, सबने बधाई दी। आप संस्कृति विभाग से उस पिक्चर निमात्री को और डायरेक्टर को दोनों को कोई पैसे वैसे दे दो।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, भैया।

श्री सौरभ सिंह :- ले ना बोले दे ना। टाईम कटथे गा।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, हमर तो खैर बुद्धि नहीं हे, पढ़े लिखे नइ हन ता। लेकिन सुने हा के हाथी के बहुत बुद्धि होथे, ऐसे लागथे चन्द्राकर भैया से ज्यादा हाथी के बुद्धि होथे।

श्री सौरभ सिंह :- तहु अपन राजनीतिक के शुरूआत ओही हाथी से करे रेहे। आराम से बैठ। मोहो लड़े रिहीस चुनाव।

सभापति महोदय, हाथी का जो Man animal conflict है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यदि राजनीतिक शुरूआत की बात करोगे तो कई लोगों की राजनीतिक शुरूआत इधर-उधर हो जायेगी। सिर्फ सौरभ सिंह जी की नहीं। उनको पूछ लो कि राम राज्य परिषद से कौन शुरू किया था। अरूण वोरा जी से पूछ लीजिये, इनके परिवार ने कौन-सी पार्टी से शुरूआत की थी। इसलिये वैसी चीजों को मत बोला करिये। यह अपनी टांग उठाने वाले मामले होते हैं। (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इन साढ़े 4 सालों में प्रदेश हित में हाथी के लिए कोई योजना नहीं बनी और योजना बनी तो डी.एम.एफ. से महंगी टार्च, लाईट, गाड़ी । जब हमारे यहां हाथी आया तो लेमरू हाथी परियोजना की एक गाड़ी आ गई। मैं वह गाड़ी वाले को खोज रहा था कि वह कहां है तो वह दारू भट्ठी में मिला था। मैंने उसे कहा कि आप हाथी के पास पीकर मत जाईए। हाथी एक बस्ती में सूंघ लिया था कि कहां महुआ है तो हमने रात को उस महुंए को नहर के पानी में फेंकवाया। मैंने उसको कहा कि आप पीकर मत जाईए, नहीं तो हाथी आपको सूंघकर, आपके नजदीक आ जाएगा। इस तरह से हाथी मानव द्वंद चल रहा है। उसके लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। हमने हाथी की बात की, हमने टाईगर की बात की। छत्तीसगढ़ की हिल मैना का क्या हो रहा है, उसके लिए इन साढ़े 4 सालों में कोई बात हुई। वाईल्ड बेफेलो जो हमारा राज्य का पशु है, उसके लिए क्या योजना बनाई गई ? एक अच्छी विडियो क्लिपिंग आई। आपके फॉरेस्ट विभाग का कोई नहीं था, कहीं से एक विडियो क्लिपिंग आई कि इंदिरावती में एक हर्ड देखा गया है, पर यहां का सीतानदी और उदन्ती का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। अगर इंदिरावती में वह हर्ड है आप पता कर लीजिए तो आप बता दीजिएगा, यह खुशी की बात है, पर आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। माननीय जयराम रमेश जी, आजकल रोज टी.वी. में दिखते हैं और बहुत सारी बातें बोलते हैं। उन्होंने एक शब्द दिया था नो गो

एरिया। माननीय अकबर भाई जब इधर बैठते थे तो वह नो गो एरिया की बहुत बात करते थे कि हसदेव आरण्य क्षेत्र में एक भी कोयले की खदान नहीं खुलेगी, कोई फॉरेस्ट की परमिशन नहीं होगी। वह नो गो एरिया है, वह प्रिसताईन साल का फॉरेस्ट है। वह रि-जनरेट नहीं हो सकता। वह फारेस्ट है..।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है, माननीय अकबर जी, इधर से उधर गये तो वह अनवर और एजाज हो गये। मतलब अजय चन्द्राकर जी बता देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिए। वह मेरे मुरशिद हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं सुन सकता। जो आपने कहा वह गलत बात है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं खिलाफ में कहा बोल रहा हूँ मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप सुन नहीं सकते, लेकिन आप बोलते जरूर हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अनवर मतलब सक्षम और एजाज मतलब चमत्कार। तो वह चमत्कार करने में सक्षम हैं। इधर से जाते ही वह..।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, नो गो एरिया की कोल ब्लॉक की परमिशन हुई। वहां पेड़ काटने के लिए अनुमति दी गई। यह क्या नीति थी ? इसमें प्रदेश का क्या भला हुआ ? आपके बड़े नेता मना कर रहे हैं, बाकी सारे लोग मना कर रहे हैं वह कौन उद्योगपति था अगर नो गो एरिया है तो नो गो एरिया में स्ट्रीक्ट करना था। कैम्पा, यह 1500 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट था, आपने बताया। कैम्पा का प्रतिवेदन आया, आपने 1500 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट एप्रूव्ह किया है। इसमें 6 करोड़ रूपये रखा ...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, नो गो एरिया में कौन माइनिंग लीज एलॉट किया, यह किसके समय में हुआ, आप यह बता दीजिए ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, देखिए। आप उसके बारे में पृथक से चर्चा कर लीजिएगा। अभी समय कम है नो गो एरिया की माईनिंग लीज एलॉट हुई। मैं आपको बोल रहा हूँ और माननीय अकबर भाई समझ रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हैं उसका जो कंसेन्ट ऑफ वर्क था और वहीं से पेड़ काटने की परमिशन हुई।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि नो गो एरिया में पहला माइनिंग लीज किसने एलॉट किया, यह किसके समय में हुआ, आप यह बता दीजिए कि उस समय किसकी सरकार थी?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, 16 गांवों के लिए परमिशन यहीं से हुई तो आप मुझे छेड़ो मत। मैं जिस चीज पर बोलना नहीं चाह रहा था। यहीं से कंसेंट ऑफ वर्क हुआ है और परमिशन यहीं से हुई है। मैं आपको बोल रहा हूँ यहां पर 10 कोल ब्लॉक हैं 10 कोल ब्लॉक में से 2 की

परमिशन हुई है और 8 कोल ब्लॉक की परमिशन रूकी हुई है एक ही कोल ब्लॉक की परमिशन कर दी ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सौरभ भाई, आपमें यह नैतिक साहस बताने के लिए नहीं है कि उस समय तात्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी थे, उनकी सरकार में लीज आवंटित हुआ था..।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप उसको भी रोक देते। जब 8 कोल ब्लॉक की परमिशन रूकी हुई तो उसमें से वर्ष 2020 से रूका हुआ है। जब अन्य कोल ब्लॉकों की परमिशन दी तो उस कोल ब्लॉक के लिए परमिशन क्या दी ? आपने क्यों उसकी परमिशन दे दी ?आपने इनको रोका है, उसको भी रोक देते।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनके लिए एक चिट्ठी आई थी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, कैम्पा से 6 करोड़ रूपये की पब्लिसिटी हुई। जब पेड़ लगाने का काम, जो पेड़ कटे उसका कंपलसरी फॉरेस्टेशन। उसमें पब्लिसिटी का क्या रोल हो गया ? और यह जो कैम्पा है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। एन.एच.आई. से एक सड़क बन रही है भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे वह मेरे विधान सभा क्षेत्र से जा रही है। एन.एच.आई. ने फारेस्टेशन करने के लिए 11 करोड़ रूपए जमा कराया। वह फॉरेस्टेशन जांजगीर-चांपा जिला, जहां सबसे कम वन है वहां फॉरेस्टेशन न होकर, मरवाही में फॉरेस्टेशन हो रहा है। वहां पर आप क्यों फॉरेस्टेशन करवा रहे हैं जहां पेड़ कटा है आप वहीं फॉरेस्टेशन करवा दीजिए। मरवाही के लिए लगभग 7 करोड़ रूपए की योजना स्वीकृत हो गई और जो यहां की योजना स्वीकृत हुई, पेड़ कट गये किसी को नहीं पता कि पेड़ कहां पर हैं, कितने पेड़ हैं कहां पर रखे हैं वह कितने में नीलाम होंगे, पेड़ का कोई पता नहीं, जो पेड़ का कंपंसेशन होता था, वह यहां नहीं है। लनताना उन्मूलन के लिए कैम्पा का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। उस पैसे से प्लानटेशन करिए और कैम्पा के पैसे जो नरवा के स्ट्रक्चर बनाये गए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 75 से 78 प्रतिशत वह स्ट्रक्चर है ही नहीं। वह पूरे उड़ गये। कोई आपके विभाग का इंजीनियर है, कोई ऐसा आदमी है जो यह जानता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, पानी का हाइड्रोलाजिकल फ्लो क्या है, उसकी कितनी velocity होगी, वेलासिटी के against उसकी कितनी strength होगी? डायफ्राम वॉल कैसे बनेगी, रिटेनिंग वॉल की strength क्या होगी, क्या फॉरेस्ट के पास कोई आदमी है ? आपने करोड़ो रुपये नरवा में कैंपा का पैसा खर्च कर दिया। हाईटेक नर्सरी एक नई चीज निकली है। हाईटेक नर्सरी के ऊपर करोडों, अरबों रुपये खर्च कर दिये।

श्री बृहस्पत सिंह :-माननीय सभापति महोदय, आपके संज्ञान में ला दूं कि जो हमारे फॉरेस्ट आफिसर हैं उनको मालूम रहता है टोपोसीट के आधार पर कैचमेंट एरिया को नाले का निकालते हैं, इसके बाद वह करते हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह हाईटेक नर्सरी को आपने ग्रीन बहुत बना दिया। आपने एक बॉक्स बना दिया जो उसको अपर प्लांटेशन के लिए करते हैं, वह आपने हाईटेक नर्सरी बना दी। आप हाईटेक नर्सरी में कौन सा, किस तरह का पेड़ लगायेंगे। जो पेड़ का germination हाईटेक नर्सरी में कंट्रोल कंडीशन में होगा, क्या वह पेड़ जाकर जंगल में खुले वातावरण में survive कर पायेगा ? किस चीज की हाईटेक नर्सरी लग रही है, पूरा का पूरा हाईटेक नर्सरी फर्जी और फेल है। हम क्या कर रहे हैं, साल के जंगल काट रहे हैं। साल का नेचुरल रि-जनेरशन नहीं होता, नेचुरल जनरेशन होता है, उसका प्लांटेशन नहीं होता। ट्राई किया है, कभी-कभी कुछ हो जाता है। साल का पेड़ काटकर मिक्स्ड फॉरेस्ट डेवलप करे, मिक्स्ड फॉरेस्ट को हटाकर प्लांटेशन के मोनोक्रापिंक की तरफ जा रहे हैं । मोनोक्रापिंग की तरफ जाकर वह एक अलग काम रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अवैध जंगल की कटाई के बारे में रोज पेपर में आ रहा है। कोई जे.सी.बी. लेकर आ रहा है, कोई आरा मशीन लेकर आ रहा है, कहीं पर भी कोई अवैध रूप से जंगल को काट दे रहे हैं, खेत बना दे रहे हैं, उसमें कब्जा कर दे रहे हैं। आपका वन अमला क्या कर रहा है ? यह कौन बाहर के लोग आकर यहां बस रहे हैं। कहां-कहां के लोग आ रहे हैं जो बस रहे हैं। अलग तरह की रोज नई-नई कहानी आ रही है कि यहां का आदमी आया, इस जंगल में बस गया। वहां का आदमी आया, इस जंगल में बस गया। लकड़ियां बाजार में बिक रही हैं। अनेक पेपरों में छप रहा है। आपके विभाग में स्टॉफ की कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से उनके जवाब में जानना चाहूंगा कि जिस टायगर रिजर्व, जिस वाईल्डलाईफ संचुरी की वह बात कर रहे हैं, जिस एलीफेंट रिजर्व की बात रहे थे, उन एलीफेंट रिजर्व में कितने पद रिक्त है ? वहां पर कितने लोग पदस्थ हैं। आपके आधे से ज्यादा वनपाल, बीटगार्ड, डिप्टी रेंजर के पद रिक्त हैं। वहां कोई जाने के लिए राजी नहीं है। जब वह वहां रहेगे नहीं तो आप कैसे जंगल को बचायेंगे। स्टॉफ की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। आपको एक उदाहरण देता हूं। जांजगीर-चांपा जिला जहां कोई जंगल नहीं है, वहां पर 5 साल में 5 डी.एफ.ओ. आ गये हैं। जब तक नया डी.एफ.ओ. आता है, वह समझता है कि जंगल कहा है, बीट कहा है, कौन सा रेंज कहां पर है, कौन सा पी.एफ. नंबर कहां है, कौन सा वन कक्ष कहां है, तब तक उसका ट्रांसफर हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, आने वाले समय में एक सबसे बडी समस्या फॉरेस्ट फायर की है। आपने जंगल की आग को बचाने के लिए क्या व्यवस्था की है ? जंगल में रोज आग लग रही है और जंगल की आग को बचाने के लिए आपने क्या व्यवस्था दी, 31 करोड रुपये दिया है। 31 करोड़ रुपये खर्च किस चीज के लिए हो रहा है, कितनी फायर लाईन बनी, कितनी ट्रेंच लाईन बनी जिसमें से आप फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। जंगल की आग को इस तरफ से उस तरफ जाने से रोक सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, तेंदूपत्ता यहां का सबसे बड़ा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2018 में कितनी खरीदी थी, आपने 2019 में 2500 से बढ़ाकर 4

हजार कर दिया, पर खरीदी कम हो गई। 2019 से 2022 में और 2023 की इस साल खरीदी होगी, 2023 में सिर्फ 5 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है। यह पत्ता कहां जा रहा है। या तो पत्ता को आप नक्सलियों को उपकृत करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। आधे से ज्यादा जो सेन्सेटिव एरिया का है उसमें पत्ता टूट नहीं रहा है। या फिर जिन व्यापारियों को ऑक्सन के तहत पत्ता दिया जा रहा है वह व्यापारी एक समय पर जो अच्छा पत्ता है, उसको उठाकर लेकर जा रहे हैं। संग्राहक जो पत्ता इकट्ठा करके ला रहे हैं वह पत्ता को वहीं पर छोड़ दिया जा रहा है। आपकी जो एवरेज खरीदी है, इस बार का भी टेंडर आपके प्रतिवेदन में आया है वह 7300 मानक बोरा है। 7300 मानक बोरा में अगर आपका टेंडर उठ रहा है तो 4 हजार का और बढ़ा दीजिए न। जब एवरेज रेट इतना चढ़ गया है और बढा दीजिए। किसान को कुछ पैसा मिलेगा तो क्या दिक्कत है। वनोपज समिति अगर प्राफिट में जा रही है तो उनकी प्राफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन प्रापर होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, समय की सीमा है, वन में और बहुत कुछ बोला जा सकता था। मैं और बोलना नहीं चाहता। आवास पर्यावरण में कहना चाहता हूं कि नया रायपुर के लिए 125 करोड़ रुपये दिये गये हैं। अभी तक मंत्री के बंगले में आप लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं । 6 महीने बाकी है। आप लोग मंत्री के बंगलों में शिफ्ट हो जायेंगे? सी.एम. हाऊस के बंगले में शिफ्ट हो जायेंगे? न तो नई विधानसभा बनी है, वहां पर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। जो हमारा प्रोजेक्ट था, जिसको आप गाली देते थे, उसी को आप सारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को अभी अधिवेशन में घुमा रहे थे और जब आप सेंट्रल विस्टा का विरोध कर रहे थे तब आप बोले कि हम नहीं बनायेंगे। हम उस बंगले में नहीं जायेंगे। हम वहां पर नहीं जायेंगे। उस बंगले का आप क्यों प्रयोग कर रहे हैं? एन.आर.डी.ए. ने एक ऑडिटोरियम जरूर बनाया। 7000 हजार रूपये प्रति square feet का मंत्रालय में एक ऑडिटोरियम जरूर बना और एन.आर.डी.ए. का जिस ढंग से काम चल रहा है, वह बड़ा देखनीय है। पब्लिक हीयरिंग। आवास पर्यावरण के बहुत बड़ा बात है। उद्योगों की पब्लिक हीयरिंग।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षेप में कहें।

श्री सौरभ सिंह :- जी। मैं संक्षेप में कह रहा हूं। इसीलिए मैं काटते जा रहा हूं। उद्योगों के लिए जो पब्लिक हीयरिंग होती है, उसमें फर्जी पब्लिक हीयरिंग हो रही है और फर्जी कैसे हो रही है। दस्तावेजों को छुपाया जा रहा है। जो कंसल्टेंट हैं, वह दस्तावेजों को छुपा रहे हैं और आपका जो विभाग का अमला है, वह या तो उसके साथ मिला हुआ है या असक्षम हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। माननीय बांधी जी के क्षेत्र में मेरे विधानसभा के बगल में एक कोल वासरी की जनसुनवाई हुई। उस कोल वासी की जनसुनवाई में उन्होंने क्रोकोडाईल पार्क का कहीं उल्लेख ही नहीं किया। जनसुनवाई हो गई। कुछ पर्यावरण प्रेमी हाईकोई में चले गये। हाईकोर्ट से बात आ गई। आदरणीय शिवरतन जी के क्षेत्र में सिमगा में जितनी जनसुनवाई हो रही है। यह पिछली बार प्रश्न उठा था। उस जनसुनवाई में इनवायरमेंट की जो

केयरिंग केपिसिटी है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि दो किलोमीटर, चार किलोमीटर , 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में कितने उद्योग हैं, उसकी जानकारी को छुपा लिया जाता है तो मेरा आग्रह है। आगे 6 महीने में कुद होना-जाना नहीं है। अगर इसको सुधारा जा सकता है और भविष्य में कोई जनसुनवाइयां हो रही हैं तो उसमें गलत जानकारी न दी जाए। पर्यावरण विभाग है तो पॉल्यूशन। कितने उद्योग में कितने ग्रीन बेल्ट लगे? साढ़े चार साल में कितने ग्रीन बेल्ट की मॉनिटरिंग की गई? पर्यावरण स्वीकृति में यह स्पष्ट है कि इतने एकड़ में इस लोकल प्रजाति के इतने पेड़ लगने थे। साढ़े चार साल में आज तक इसकी कहीं पर मॉनिटरिंग नहीं हुई है। जब मॉनिटरिंग एवं मेकनिस्म में कुर्ला को, सिलतरा को सबसे पॉल्यूटेड एरिया माना जाता है। वहां पर एक भी बोर्ड नहीं लगा है, जिसमें यह पता चले कि अभी के डेट में एयर में कितना सल्फर कंटेंट है, कितना नाइट्रोजन कंटेंट है, कितना कार्बन कंटेंट है और कितना पार्टीकुलर मेटल का कंटेंट है। पूरे प्रदेश में कहीं पर बोर्ड नहीं दिखता है। हम पारदर्शी रहें। माननीय मंत्री जी से अपेक्षा है कि पारदर्शी रहे और मेरा तो आग्रह है कि विधान सभा का क्षेत्र उस क्षेत्र से बहुत नजदीक है। पहले आप विधानसभा के सामने लगाईये कि पॉल्यूशन के क्या मापदण्ड हैं और हम यहां पर किस तरह की एयर को ब्रीफ कर रहे हैं? इसको देखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री सौरभ सिंह माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात रख देता हूं। एफ.जी.डी. (फ्यूल गैस डी-सल्फरराईजेशन)। छत्तीसगढ़ के जितने थर्मल पावर प्लांट लगते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई कोयले में एस कंटेंट ज्यादा है और सल्फर कंटेंट ज्यादा है, उस सल्फर कंटेंट को रोकने के लिए एफ.जी.डी. की केन्द्र सरकार से बार-बार अनुशंसा, गाईलाईन और दिशा-निर्देश आ रहे हैं। कितने थर्मल पावर प्लांटों में एफ.जी.डी. लगे हैं? एफ.जी.डी. के लिए अगर आपको पर्यावरण को बचाना है, आप छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छा आबो हवा देना है तो थर्मल प्लांटों में एफ.जी.डी. क्यों नहीं लगा रहे हैं? पॉल्यूशन मानक को चेकर करने के लिए चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे नोइस पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, मानक चेक करने के लिए आपकी कितनी लेबोरेटरी चल रही है? पिछले साढ़े चार साल में आपने उस लेबोरटरी में कितने लोगों का अपाइंटमेंट किया? कितने टेक्निकल हैंड्स हैं, वह बता सकेंगे? साढ़े चार साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप सक्षम मंत्री। आपसे अपेक्षा थी कि आप यह सब चीज करेंगे। रायगढ़ जिला, कोरबा जिला, बिलासपुर जिला, जांजगीर-चांपा जिला, जहां थर्मल पावर प्लांट हैं, वहां अभी एस. डंपिंग का सबसे बड़ा खेल चल रहा है। अवैध एस. डंपिंग हो रही है। कोरबा जिलों में पूरी की पूरी हसदेव नदी के बगल में एस. डंपिंग हो गई। एन.जी.टी. ने भी स्ट्रक्चर पास किया। एन.जी.टी. ने बोला, लेकिन वह इतने बड़े लोग हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ट्रकें चल रही हैं, परिवहन विभाग भी आपके पास है, ओवरलोड ट्रकें चल रही हैं, राखड़ भरा हुआ है, राखड़ उड़ रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है ।

सभापति महोदय :- सौरभ जी, आपकी सारी बातें आ गयीं हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस दो मिनट और बोलूंगा । आपके आर.ओ. को इसी मामले में इंकमटैक्स डिपार्टमेंट और ई.डी. बुला रही है । आपके जो रीजनल ऑफिसर्स हैं, चाहे वह कोरबा के हैं, चाहे रायगढ़ के हैं, चाहे बिलासपुर के हैं । इसी मामले में यह ऐश डम्पिंग और ऐश डम्पिंग का खेल और इसमें पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है । माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास परिवहन विभाग है । वे यह जानते हैं कि परिवहन विभाग में जो टैक्स की ग्रोथ है वह 1200 करोड़ के आसपास है । करीब-करीब अब उतना नहीं, 2-3 परसेंट, 4 परसेंट प्लस हो रहे हैं । यहां जो लग्जरी गाड़ियां घूम रही हैं, आप उनसे एक्स्ट्रा टैक्स क्यों नहीं लेते हैं ? 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख की गाड़ियां हैं । आप 10 लाख रूपये के नीचे अलग स्लेब कर दीजिये, 20 लाख के ऊपर अलग स्लेब और 40 लाख के ऊपर अलग स्लेब कर दीजिये । राजस्व आयेगा ।

माननीय सभापति महोदय, ई.वी. पॉलिसी । इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी । आज के पेपर में आया है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कहीं स्टेंड नहीं करते । कोई सेल नहीं है । हमारा नंबर कितने नंबर पर होगा उसके लिये कोई पॉलिसी नहीं है। आपने थोड़ा बहुत अनुदान की व्यवस्था की है लेकिन इस पर कुछ नहीं हो रहा है । आपने परिवहन विभाग से एक्सीडेंट के लिये कितने ब्लेक स्पॉट्स चिन्हित किये ? उन ब्लेक स्पॉटों के लिये क्या योजना है ? कितनी जगह कैमरा लग गया ? कितनी जगह क्या व्यवस्था हो गयी ? ट्रकों की जो ओवरलोडिंग हो रही है, उन ट्रकों की लोडिंग का क्या हो रहा है ? माननीय मंत्री जी के पास एक अंतिम विभाग है । विधि विधायी कार्य, चूंकि समय की पाबंदी है । आपसे एक ही आग्रह है कि हाईकोर्ट में जो आरक्षण का केस चला उसमें आप कोई बड़े वकील लाते न और दूसरी चीज इसी विभाग से 46 करोड़ रूपये मतदाता सूची के लिये दिया गया है तो मतदाता सूची कितनी बढ़िया बन सकती है, कितनी पारदर्शी मतदाता सूची बन सकती है ? विकलांगों का कम्पोनेंट कितना होगा ? 80 साल से ऊपर के लोगों का कम्पोनेंट कितना होगा ? और जो प्रदेश के बाहर के लोग रहते हैं उनका कम्पोनेंट क्या होगा क्योंकि चुनाव आ गया है और सभी लोगों की यह चिंता है । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- चलिये, धन्यवाद । माननीय दलेश्वर साहू जी ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या - 29, 36, 21 एवं 10 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं । मैं आदरणीय विपक्ष के साथियों को यह कहना चाहूंगा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित जो लोग हैं वह तार्किक विश्लेषण और सकारात्मक सोच कैसे बना सकता है ? अभी हमारे जितने भी साथियों ने यहां पर बोला, उनको केवल निगेटिव दिखाई दिया, उन्होंने कभी अच्छा देखने का प्रयास भी नहीं किया और वे अच्छा बोल भी नहीं सकते । यह उनकी मजबूरी है ।

मानननीय सभापति महोदय, मैं वन विभाग से केंद्रित करते हुए अपनी बात बोलना प्रारंभ करूंगा कि हमारे वनांचलों में वन प्रबंधन समितियों का जो रोल है । हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उनका जीविकोपार्जन कैसे सुधरेगा, यह उनके ऊपर केंद्रित करते हुए सारी चीज यदि उनके, आपमें और हमारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अलग से दिखाई देगा । आदरणीय भूपेश बघेल जी की सोच चूंकि हमेशा एक जीवनस्तर उठाने के लिये किसी भी विभाग में बजट का समावेश हुआ है । वन प्रबंधन समितियों में आप जहां-जहां वन भूमि है वहां एक समिति गठित होती है । बकायदा उन साथियों की एक कमेटी बनती है जिसे हम वन प्रबंधन समिति कहते हैं और उसका एकाउंट रहता है, उसका अध्यक्ष रहता है । उनके कुछ वन विभाग के अधिकारी उनके सहयोगी के रूप में, सचिव के रूप में वे अपना काम करते हैं । सारे लोगों की एक फंडिंग व्यवस्था रहती है कि बांस कटाई में इतने परसेंट वह पैसा उनकी समिति में जमा हो जायेगा और अन्य वृक्ष कटाई में उनका इतना परसेंट पैसा खर्च हो जायेगा । आप अगर देखेंगे तो पिछले 4 साल के पहले की तुलना में वह पैसा कभी किसी वहां की समितियों को पता नहीं रहता था, उनका एकाउंट नंबर भी पता नहीं रहता था । हम यह पूछते थे कि भैया आपकी समिति में करोड़ों रूपये हैं, लाखों रूपये हैं । क्या आपको आपका एकाउंट नंबर पता है ? अध्यक्ष को पता नहीं रहता था । भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रशासन के लोग इस ढंग से पैसा खर्चा करते थे कि लोग बोलते थे कि हमको तो पता ही नहीं है कि इतना रूपया है । जैसे ही हमारा शासनकाल आया, हमारे वन मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से समीक्षा की, जिस समिति का पैसा है उसी गांव के विकास और जीवन यापन में होना चाहिए । बहुत अच्छे ढंग से शुभारंभ करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि वन प्रबंधन से कराए जाने वाले पूरे छत्तीसगढ़ में महासमुंद के मुढीपार में डेयरी विकास, मशरूम, जैविक खाद उत्पादन के लिए बाध्य किया, मंत्री जी ने । धमतरी में दुगली और जबर्रा में माहुल पत्ता और वनौषधि प्रसंस्करण का, सब्जी उत्पादन, औषधीय खेती की भी शुरूआत की । यह पहले नहीं होता था, आप अपने प्रतिवेदन से तुलना कर लीजिएगा । कोरिया जिले के उदयपुर में बांस प्रसंस्करण का कार्य और जैविक चावल बनाने के कार्य को भी समिति ने कारगर साबित किया । कटघोरा के कर्रा में समिति ने जैविक चावल बनाना प्रारंभ किया । मरवाही में दानीकुंड़ी गांव की समिति ने लाख की चूड़ियां निर्माण, धूप सुगंधित अगरबत्ती बनाने, दोना-पत्तल बनाना, टमाटर प्रसंस्करण की इकाई स्थापित किया, सीताफल की आईसक्रीम बनाने की यूनिट बनाई, मशरूम उत्पादन किया। आप अपनी कार्य प्रणाली देखो, केवल बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता । हमारे मुख्यमंत्री लोगों के जीविकोपार्जन पर ध्यान देते हैं । कैसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है ? आप लोगों ने कभी इस विषय पर बात की है । बस्तर में नर्सरी, तैलीय बीज के प्रसंस्करण की यूनिट स्थापित की गई है, बीजापुर में, भैरमगढ़ में, मशरूम का भी उत्पादन किया । कोंडागांव में एक समिति ने टेराकोटा का, हस्तशिल्प का, बाजार में बिकने वाली अन्य सामग्रियों का निर्माण किया । सूरजपुर में सरोदा समूह

है, महेशपुर में कोसापालन का, मुर्गीपालन का । आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में चले जाओ । उनके जीवन यापन के लिए माननीय भूपेश बघेल जी सबकी व्यवस्था की है, लोगों का जीवन स्तर उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है ।

सभापति महोदय, मिलेट मिशन । सभी लोग जानते हैं कि मिलेट मिशन क्या है ? यह भी जीविकोपार्जन का साधन है । छत्तीसगढ़ में 20 जिलों में 85 विकासखंड में मिलेट का उत्पादन होता है । यह नया काम नहीं है ? आप केवल पुराने काम को गिना गिनाकर, भ्रमित करने की कोशिश न करें । हमारी जनता जानती है कि यह है क्या चीज । कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, जशपुर, बीजापुर, गौरेला, मरवाही में संचालित कोदो कुटकी को समर्थन मूल्य पर लिया । इसके लिए उचित भाव देकर मिलेट्स की योजना बनाई । इस योजना से वनांचल वासियों का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा । ऐसी एक फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण, हर्बल ब्रांड, महुआ फूल प्रसंस्करण वैज्ञानिक पद्धति से कराया जाता है । 500 क्वटिल फूड ग्रेड महुआ प्रसंस्करण करके इनको 116 रूपए प्रति किलोग्राम की दर प्राप्त हुई है । ऐसे जीविकोपार्जन के लिए हमारे वन मंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की । इससे निश्चित रूप से वनवासियों के जीवन में, उनके रहन-सहन में, उनके बच्चों के भविष्य निर्माण में कारगर साबित हुआ । एक बहुत अच्छा काम व्यक्तिगत और वन अधिकार पट्टे का किया जा रहा है। यह वन अधिकार पट्टा, यदि कोई आदमी 20 साल से 25 साल से जिस जगह में रह रहा हो तो क्या उसको उस जगह के पट्टे का अधिकार नहीं है । उनको एक प्रमाण पत्र का अधिकार नहीं है । आपने क्या किया । आपने कभी वन अधिकार, व्यक्तिगत और संयुक्त वन अधिकार देने की योजना बनाई । आप बता दीजिएगा कि आपने क्या किया ? हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे वन मंत्री जी ने इस पर कितना पहल किया। यह बहुत क्रिटिकल है। जब हमको समझ में आया कि हमारे डोंगरगांव में दो मोहल्ला वन से घिरा हुआ है। हमने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में भी वन अधिकार पट्टा दिया जा सकता है, हम लोगों ने उसका गाईडलाईन लिया और गाईडलाईन लेने के बाद उस पर पहल किया, पहल करने के बाद पता चला कि संयुक्त वन अधिकार का पट्टा देना, व्यक्तिगत वन अधिकार का पट्टा देना, कितना क्रिटिकल होता है और कितनी नियमावली से गुजरना पड़ता है। एक पट्टा में डी.एफ.ओ. का भी दस्तखत होता है, कलेक्टर का भी दस्तखत होता है और आदिवासी आयुक्त का भी दस्तखत होता है। यह बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है, इस क्रिटिकल प्रोसेस को हमारे वन मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार तरीके से व्यक्तिगत रूप से हमारे वनवासियों को किस ढंग से लाभ मिले, उनको कैसे अधिकार मिले, उस पर पहल करते हुए 4,55,586 पट्टा दिया है। आप बता दीजिए, आपने क्या किया है। यह हमारे सरकार की उपलब्धि है। दूसरा, लाख उत्पादन में कृषकों को अल्पकालीन ऋण वितरण करने की भी योजना हमारे सरकार ने की है। आपने क्या किया ? लघु वनोपज के दरों में बढ़ोत्तरी। आप यह भी देख लीजिए कि आपकी सरकार ने क्या किया और हमारी सरकार ने क्या किया। यह सब जीविकोपार्जन को बढ़ावा देने

के लिए योजना है। महुआ फूल की संग्रहण को 17 रूपये से बढ़ाकर 33 रूपये किलो कर दिया। यह हमारी सरकार ने किया है। ईमली 25 रूपये प्रति किलोग्राम था, हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 36 रूपये कर दिया। चिरौंजी 53 रूपये देते थे, उसको 126 रूपये कर दिया। रंगीन लाख, 13 रूपये से बढ़ाकर 220 रूपये कर दिया। कुसमीलाल की जो दर है, वह 200 से बढ़ाकर 300 रूपये कर दिया। आपने क्या किया ? यह हमारी सरकार ने किया है। यह जो सारी सोच है, वह सिर्फ हमारे वनवासियों का जीवनयापन कैसे सुधरे, इस दिशा पर पहल करते हुए कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने शहद की दर 195 रूपये था उसको बढ़ाकर 225 रूपये किया है। शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्रहण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए है। 57 करोड़ 52 लाख 20 हजार रूपये अनुदान उपलब्ध कराया। यह आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता, आप लोग पढ़ना क्यों नहीं चाहते। अगर आपकी सोच सकारात्मक हो तो निश्चित रूप से यहां पर और राशि बढ़ाने की बात करते, यहां पर और कुछ दिशा निर्देश की बात करते। आपने उस तरफ ध्यान देने की बात ही नहीं की है। वन्य प्राणी कारीडोर का विकास, हाईटेक बेरियर का निर्माण, देववन एवं देवसरगना का संरक्षण यह बहुत अच्छी योजना है। हम लोग भी चाहते थे कि कभी-कभी वनवासियों को घोड़ी बनाने में, देवालय बनाने में मदद करें। वनवासियों की जो आस्था है, वह अपने देवी देवताओं के प्रति रहता है। हम कभी भी अपने वनवासियों के पास जाते हैं तो वे सीधे माता दीवाला की बात करते हैं, देवगुड़ी की बात करेंगे, अपने देवी देवताओं की संरक्षण की बात करते हैं। आपने उस योजना में कितना खर्च किया, हमारी सरकार ने मन की भावनाओं को पढ़ते हुए उनकी देवी देवताओं के लिए काम किया है। एक योजना देववन एवं देव सरगना संरक्षण है, उन्होंने अच्छा पैसा देकर उनके धर्म के प्रति, उनकी आस्था के प्रति, योजना बनाने का प्रयास किया है। दक्षता निर्माण, वन मितान जागृति कार्य, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एफ.ई.ओ. के माध्यम से कार्य कराना, बांस वनों की पूर्ण स्थापना, आर.डी.पी.एफ. के माध्यम से बांसों का पुनरूद्धार करना। प्रदेश के महत्वपूर्ण नदियों का संरक्षण करना।

सभापति महोदय :- माननीय साहू जी, संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री दलेश्वर साहू :- बिल्कुल-बिल्कुल। सर, जो अच्छा काम है उसको तो बताना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- बताईए लेकिन संक्षिप्त में कर लें।

श्री दलेश्वर साहू :- मुख्यमंत्री वृक्षारोपण की बात आई। आपने कभी उस योजना के बारे में पढ़ने और बताने का प्रयास किया कि आप लोग कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना ईमारती और गैर ईमारती से संबंधित है। अगर आप लगातार धान बो रहे होंगे, अगर आपका धान बोने का विचार नहीं है तो आप इस योजना के माध्यम से गैर ईमारती वृक्षारोपण कर सकते हैं। यह क्यों आवश्यक है, हमारे लिए जलवायु परिवर्तन भी जरूरी है। अगर आपके पास नीजि भूमि है, ग्राम पंचायत के पास भूमि है। हम आपको तीन वर्षों तक 10 हजार रूपये प्रोत्साहन के रूप में देंगे। यह कितनी बढ़िया योजना है।

इस योजना को भी कहीं न कहीं फसल परिवर्तन के दृष्टिकोण को देखते हुए और जीविकोपार्जन को सोच बनाकर बनायी गई है। ताकि कैसे भी करके हमारे यहां के किसान भाइयों और वनवासियों का जीवन सुधरे। प्रति एकड़ 10,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि देने की योजना को इस मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के माध्यम से देने की कृपा करें।

सभापति महोदय :- कृपया आप समाप्त करें।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल आखिरी बात बोलूंगा। छत्तीसगढ़ में 99 लाख से अधिक रोपण तथा 2 करोड़ 27 लाख से अधिक पौधों का वितरण हमारे वन विभाग के माध्यम से हुआ है। बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांसों का सुधार, पर्यावरण वानिकी।

समय :
8.20 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, दलेश्वर जी, बहुत हो गया। बैठिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी 4 लाइनें बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं। नदी, तट, वृक्षारोपण का प्रावधान, पथ वृक्षारोपण, वन मार्ग।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आप सच-मुच में एक मिनट बोलेंगे तो मैं आपको बोलने दूंगा। मैंने दो मिनट बोल दिया है, आप बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- आप सुन लीजिए। यदि आपको अच्छा लगेगा तो रोक दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं आपका हृद्य से आभार मानता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी ने हमारे वनवासियों का जीवन कैसे सुधरे, इस पर सारे बजट को केन्द्रित करते हुए उनको आधार बनाया है। हमारे विपक्ष के साथियों ने जिस ढंग से बड़ी-बड़ी बातें करके खदर-मसर करने का प्रयास किया, वह न उनकी समझ में आने वाला है और न ही गांव वालों की समझ में आने वाला है। आप बड़ी-बड़ी बातें करते रहें। हमारे इस विभाग के मंत्री जी निचले स्तर पर और धरातल पर जाकर कैसे लोगों का जीवन सुधरे, उस पर बात करते हुए इस योजना का लाभ देते हुए अपने विभाग को चला रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिये, चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही काबिल, बहुत ही आलिम, इस सरकार के वलिहद और मेरे मुर्शिद के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आप मुझे दो मिनट में लिमिट कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आपको उनके पक्ष में बोलना है तो 3 मिनट बोलिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- मैं 2-3 मिनट ही बोलूंगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरी रूचि का एक विषय है। मेरी रूचि का विषय यह है कि मैंने सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पर बोला है।

श्री शैलेश पाण्डे :- ऐसे किताब देखकर नहीं बोलना है। आप हमको टोंकते हैं यह गलत बात है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपने सिरपुर में लैण्ड का क्या प्रोग्राम बनाया है ? 156 टीले हैं। आप नालंदा को देखकर आइये और नालंदा का अध्ययन कीजिए कि रिहेब्लिटेशन के लिए कितनी मेहनत लगी ? आज वह विश्व विरासत स्थल है। आप मुझे एक लाइन में बता दीजिए कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- सिरपुर में।

श्री अजय चंद्राकर :- सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा।

श्री अजय चंद्राकर :- दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास।

अध्यक्ष महोदय :- आपने सिरपुर के बारे में क्या पूछा है? मैं आपको एक मिनट ज्यादा दे दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने यह कहा कि इन्होंने वहां के लिए योजना, लैण्ड यूज तय की है। मैंने कहा कि उसमें रिहेब्लिटेशन करना पड़ेगा तो उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है ? उसके लिए आप अध्यन कर लीजिए क्योंकि नालंदा को रिहेब्लिटेट करने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़े। आज वह विश्व विरासत स्थल है और वहां पर दुनिया भर के लोग आते हैं। हमारा सिरपुर भी पूरी खोदाई होने के बाद विश्व विरासत स्थल बन सकता है। जब आपके अंडर में सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है तो आप मुझे इस बात से अवगत करा दीजिए कि उसके लिए क्या योजना बनाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- सिरपुर के बारे में एक और बात प्रसिद्ध है कि वह हाथियों का प्रजनन क्षेत्र रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, बिल्कुल रहा है। सही है।

अध्यक्ष महोदय :- इसी बहाने अब हाथी इधर आते हैं। हाथी भी आपका प्राइवेट विषय है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरपुर के बारे में एक-सेक बातें हैं। कभी आपसे फुर्सत में उसको डिसकश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- अवदान शतक के मुताबिक भगवान बुद्ध वहां आये थे। नागार्जुन वहीं पैदा हुए थे, जो महायान के प्रवर्तक हैं। वह ऐसी जगह है और उसको मंत्री जी सामने लाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलेंगे। सिरपुर के रास्ते में शायद कुछ लोगों की जमीन भी है।

श्री अजय चंद्राकर :- हां। उसमें मैं नहीं हूं। (हंसी) मैंने कहा कि आपका जो अनधिकृत विकास कॉलोनी का नियम है उसको आप थोड़ा सरल कीजिए। आप बना तो दिये। ठीक है कि उसका अच्छा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपयोग होता है। लेकिन लोग उससे त्रस्त हैं। लोग उससे त्रसत न हों। जो सक्षम और चमत्कारिक लोग हैं वह उसका बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके पास अमला है लेकिन आपने जो कन्सलटेंट की सेवाएं ली हैं तो आपके पास कितने कन्सलटेंट हैं? मेरे मुर्शिद, सुनियेगा, आपके पास कितने कन्सलटेंट हैं और उसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या-क्या हैं? क्योंकि आप कन्सलटेंट भी रख रहे हैं और आपका विभाग भी है लेकिन रायपुर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में अनियोजित और विकृत शहरीकरण बढ़ रहा है। यह इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपकी वैध कालोनियां नहीं बन रही हैं और अवैध कालोनियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। आप उससे सीधे नहीं जुड़े हैं इसलिए मैं तो आपके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता हूं , वह मैंने आपको बताया । उसके बाद सिटी बस सेवा का उल्लेख है । उस दिन मैं आपसे मिला था तो बताया था । रायपुर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सिटी बस सेवा माने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि सबसे महंगा कहीं होगा तो छत्तीसगढ़ में होगा । आप रेल्वे स्टेशन से एयरपोर्ट जाएंगे और आएंगे, तब तक वंदे भारत ट्रेन से नागपुर पहुंच जाएंगे । दुर्ग से टैक्सी से एयरपोर्ट आएंगे और जाएंगे, उतने समय में आप वंदे भारत ट्रेन से मुम्बई पहुंच जाएंगे । यह गरीब प्रदेश है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा कर दीजिए, यह छोटा सा निवेदन है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में एक-दो छोटी छोटी बात बोल देता हूं । विधायक माननीय हैं, सबका 6 महीने कार्यकाल बाकी है । गृह निर्माण मण्डल आपके पास ही है । जुनेजा जी आज सदन में नहीं हैं, सारे अधिकारी सुन रहे हैं । आप तो तिथि की घोषणा कर दीजिए, आपकी ओर से नये विधायक ज्यादा है । इस तारीख तक उसका सुपुर्दगीकरण हो जाएगा, यह घोषणा आप जरूर कर दीजिए । अब माननीय महोदय, आपके प्रतिवेदन में पेज नम्बर-2 में लिखा है कि प्रदेश का 44 प्रतिशत भू भाग वनाच्छादित है और उसी प्रतिवेदन में पेज नम्बर-38 में लिखा है कि 46 प्रतिशत भू भाग वनाच्छादित है । अब मैं किसको सही मानूं, यह मैं नहीं जानता। मैंने तो कह दिया है कि मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा । आपने इसमें कैम्पा को बहुत स्थान दिया है और कैम्पा का जो फोटो है, उसमें बचपन में हम लोग स्कूल से भागकर मछली पकड़ने के लिए डबरा में जाते थे । आपके प्रतिवेदन में जो फोटो छपा है, वह आपका डैम वैसे ही डबरा जैसा ही दिख रहा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा भैया । क्या है, आप देख लो, बड़ी धनराशि है । जल है तो जीवन है, मैं इस नारे से सहमत हूं । दूसरी बात यह है कि इसमें नरवा विकास कार्यक्रम में आप तरिया भी बना रहे हैं, ये बड़ी तकलीफदेय है । अब इसके बाद मैं इसमें सिर्फ एक लाईन बोलूंगा । आप लीडार तकनीकी से सर्वेक्षण कराएंगे । आप छत्तीसगढ़ का भू भाग 44 प्रतिशत कह रहे हैं । किसी समय मेरा विधान सभा क्षेत्र आधा जंगल से घिरा हुआ था । आपने सिरपुर इलाका देखा होगा । धमतरी वन मण्डल सबसे अच्छा वन मण्डल माना जाता था। अभी मैं जाता हूं तो जंगल लगातार कम दिखता है । आप 10-15 साल बाद देखिएगा कि छत्तीसगढ़ सबसे अमीर राज्य होगा, जंगल हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति होगी । मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं । अमेजान के

जंगल को पूरी दुनिया का फेफड़ा माना जाता है । उसमें आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए पूरा देश जुट गया । यह हिन्दुस्तान का फेंफड़ा है, जो लगातार असुरक्षित है । लगातार असुरक्षित है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, चोरी से लेकर सबकुछ हो रहा है । आप किस तरह से उसको रोकते हैं और इसको किस तरह से सक्षम करते हैं, अच्छा करते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन में एक लाईन बोल देता हूं । परिवहन विभाग भी शासन का फेफड़ा है, जैसे मैंने अमेजान को पर्यावरण का फेफड़ा बताया, वैसे ही है । जलवायु परिवर्तन में मैं बोल रहा हूं । जब मैंने प्रश्न लगाया था तो उसमें उत्तर आया कि इसमें 1 लाख रूपए का बजट था । 1 लाख रूपये में अध्ययन भी नहीं हो सकता । हम छत्तीसगढ़ 9वें बड़े राज्य हैं । जलवायु की दृष्टि से कार्बन उत्सर्जन में हम सबमें श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए क्या नीति बन सकती है, कौन सी श्रेष्ठ संस्थाएं हैं ? दूसरा, जो आप प्रदूषण नापते हैं, आपका जलवायु परिवर्तन वहीं तक सीमित हैं । आप मेन रोड़ में मुम्बई, दिल्ली की तरह कीजिए । बड़े-बड़े मैरिज हाल बन गए हैं, सड़क में डी.जे. और बारात को रात 10 बजे के बाद स्थायी तौर पर प्रतिबंधित कीजिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास नदी संरक्षण है । जलवायु परिवर्तन में शिवनाथ की दिशा बदल रही है, अरपा नदी मर गई, खारून नदी मरने वाली है और महानदी रेत के कारण खतम होने वाली है । पर्यावरण की दृष्टि से जो हमारी प्रापर्टी है, वह सबके सब खतरे में है और हम संकट में हैं, जबकि हमारे पास पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे ज्यादा संसाधन हैं । आप क्रांतिकारी निर्णय क्यों नहीं लेते कि मैं छत्तीसगढ़ में ए.सी. को 22, 24 या 27 प्वाइंट में फिक्स कर देता हूं, उससे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाली नहीं चलेगी। जो कारखाने हैं, मैं उन कारखानों से कार्बन उत्सर्जन को रोकूंगा ही, यह आप कमिटमेंट कर दीजिये, आप सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन में सिटी बस के विषय में कहा। परन्तु आप अधिक से अधिक अन्तर्राजीय परिवहन सेवाएं बढ़ाईये। क्योंकि हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी ..।

अध्यक्ष महोदय :- धन्वाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- बस, एक मिनट में समाप्त करता हूं। अब आखिरी बात यह है। आपके विधि विधायी विभाग में एक-दो लाईन बोल देता हूं। छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार दम तोड़ रहा है। सूचना का अधिकार का आवेदन लगाओ तो हर विभाग में कोई न कोई त्रुटि निकालकर लंबित कर देते हैं। यह भी सही है कि उसका दुरूपयोग भी होता है। लेकिन अधिकारी को सही लगता है तो सूचना का अधिकार मजबूत हो। दूसरा, खास तौर पर बन्दियों के बारे में है, आपने जो सूची दी है, जिनको विधिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं। आप मानेंगे नहीं, वे गरीब लोग हैं। जमानतदार के अभाव में कितने बन्दी बंद हैं, उस वाले लोक अदालत को मजबूत बनाईये। जिन गरीब लोगों की सूची जारी की है, ईमानदारी से उनको वकील की विधिक सहायता मिल जाये, जो मिलती नहीं है। इस भाव के साथ आप अच्छा काम

कर रहे हैं, आप अच्छा काम करेंगे। इसमें जो गड़बड़ है, उसको ठीक करेंगे, मैं इस आशय के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप विद्वान हैं। 15 मिनट में समाप्त करें।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय मंत्री जी के भाषण के पहले अपने क्षेत्र की एक मांग रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नही। मंत्री जी, आप 15 मिनट में अपना भाषण खत्म करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- खाली एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- घड़ी देखकर 1 मिनट में बात खत्म करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी, रामानुजगंज में जिला एवं सत्र न्यायालय है और लंबे समय से चल रहा है। वहां सभी कोर्ट है। आपको सहयोग करने के लिए धन्यवाद। शासन ने वहां 8 एकड़ जमीन आवंटित कर दिया है। अगर कोर्ट के लिए भवन की व्यवस्था हो जाता तो बहुत कृपा होती और न्यायधीशों के रहने के लिए भवन हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांगों में माननीय सौरभ सिंह जी, दलेश्वर साहू जी, अजय चन्द्राकर जी...।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इन सबकी तरफ से बोला।

श्री मोहम्मद अकबर :- तीन ही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, मैं सबकी तरफ से बोला।

श्री मोहम्मद अकबर :- तीन ही हैं, सबने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातें रखी हैं। सौरभ सिंह जी ने भुगतान के सम्बन्ध में एक प्रश्न भी लगाया, उसका जवाब भी आया, लेकिन वह संतुष्ट नजर नहीं आते। तो हम लोग वह भी सुनिश्चित करायेंगे कि वह भुगतान हो जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उस दिन और बोला था कि हमको असंतुष्ट रहने का जनादेश है। हमको उसी के लिए मेन्डेट है।

श्री सौरभ सिंह :- मेरा आग्रह है कि आपके पास पैसा है, आप मजदूरों को दिलवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चांपा का है न ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सौरभ सिंह जी ने एलीफेंट के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हैं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। आप नये प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। कमोद पिंगला, बादलखोल, सेमरसोत, ये तीन एलीफेंट रिजर्व पहले थे। चौथा एलीफेंट रिजर्व, जिसके बारे में आप लोग no go area कह रहे हैं, ऐसा जलवायु वाला क्षेत्र जो हाथियों के लिए अनुकूल हो, वह क्षेत्र जिसका नाम है लेमरू, सन् 2008 में भारत सरकार की तरफ से सैद्धांतिक सहमति आ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चुकी थी। चूंकि वहां पर खदानों की संख्या है, वहां 29 कोल ब्लाक हैं, 452 वर्ग किलोमीटर एरिया है। लेकिन आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं कराया। क्योंकि आपकी प्राथमिकता भाषण देने के लिए हाथी है, लेकिन थी कोल ब्लाक। वह 452 वर्ग किलोमीटर में कोल ब्लाक होने के कारण उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने उस 452 वर्ग किलोमीटर को बढ़ाकर लेमरू का क्षेत्र 1995 वर्ग किलोमीटर किया। (मेजों की थपथपाहट) यह 1995 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, इसमें जो कोल ब्लाक आते हैं, उसके लिए भारत सरकार को पत्र भी भेजा है कि इन कोल ब्लाकों का ऑक्शन नहीं किया जाये। क्योंकि भारत सरकार की तरफ आवंटन किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हसदेव क्षेत्र के बारे में परसा कोल ब्लाक के बारे में कहा कि कटाई की अनुमति दी गई है क्या ? तो वहां परसा कोल ब्लाक है और उसमें कटाई की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी बात टाईगर रिजर्व के बारे में है। टाईगर रिजर्व के बारे में अभी 2 दिन पहले आपने समाचार-पत्रों में देखा होगा कि माननीय अजय चन्द्राकर जी ने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात समाचार-पत्रों में दिये थे। 183 करोड़ खर्च करके टाईगर की संख्या कैसे कम हो गई ? उनको ऐसा लगा कि बाघों के संरक्षण में 183 करोड़ खर्च हो गया। आपने अपने बयान में यह भी कहा कि क्या ये सारे इन्हीं के ऊपर खर्च हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके समय में 4 वर्षों में 229 करोड़ रूपये बाघों के संरक्षण के लिए खर्च किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 229 करोड़ खर्च करने के बाद हर चार साल में इसकी गणना होती है । वर्ष 2014 से 2018 तक आपको मालूम है कि किनकी सरकार थी ? बागो की संख्या 46 थी और हो गया कितना 19 ? अध्यक्ष महोदय, 27 टाईगर कहां गये ? 229 करोड़ खर्च करने के बाद भी यह हुआ, इस बारे में आपको बोल देना था क्योंकि सरकार तो आपकी थी ? जहां तक वर्तमान सरकार की बात है तो गणना तो हुई नहीं है । आप मुझसे जवाब मांग रहे थे कि गणना किस प्रकार से हो रही है ? कैमरा से ट्रेक किया जा रहा है या क्या आपकी पद्धति है ? वह गणना अभी हुई नहीं है और आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकेगा । आपने वाईल्ड लाईफ बफेलो के बारे में बात उठाई, अभी 4 आसाम से लेकर आये, दो पहले लेकर आये थे । इनको बढ़ाने के लिये इनकी पूरी कार्यवाही चल रही है। आपने वन विभाग के बारे में नरवा को लेकर कहा है, वन क्षेत्रों में 44.2 प्रतिशत है, आंकड़ा यदि गलत प्रकाशित हो गया है तो ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक कार्यक्रम में विधि विभाग में योग दिवस 5 जून लिखा है । योग दिवस 21 जून को मनाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- विधि विभाग कहां से आ गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- विधि विभाग में हैं ना कार्यक्रम बनाते हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल वन क्षेत्रों में 12 हजार नरवा है । 12 हजारनरवा में उनके जीर्णोद्धार का काम 6395 है, इसको जीर्णोद्धार करने के बाद 23 लाख हेक्टेअर जो

है, वह जमीन उससे उपचारित हुआ है । 23 लाख हेक्टेअर में जो वाटर लेवल है, साइंटिफिक तरीके से उसका मेजरमेंट समय-समय पर किया जाता है, दूसरी बात यह है कि इसमें आपने यह कहा कि तकनीकी तौर पर इसको कौन देखता है तो तकनीकी तौर पर इसे देखने के लिये हर डिवीजन में टेक्नीकल आफिसर नियुक्त किये गये हैं, सिविल इंजिनियर हैं, सभी स्ट्रक्चर का टेक्नीकल डिजाईन के बाद ही उसको बनाया जाता है । इस प्रकार से नरवा विकास के जो कार्य है, बहुत ही अचछे ढंग से संचालित हो रहा है । 6350 जीर्णोद्धार हो चुका है, कुल 12 हजार है । बाकी में विकास का कार्य अभी चल रहा है । आपने तेंदूपत्ता के बारे में बात कही कि इसको बढ़ा दिया जाये । हमने तो बढ़ा दिया है । पहले 15 साल में ढ़ाई हजार रूपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदूपत्ता का संग्रहण दिया जाता था । इस समय हमारे साढ़े तेरह लाख संग्राहक हैं । ढ़ाई हजार से बढ़ाकर चार हजार कर दिये और लगातार 4 हजार के हिसाब से खरीदी हो रही है । दूसरी बात यह है कि एक सामाजिक सुरक्षा की बात आती है । जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सामाजिक सुरक्षा के लिये जीवन बीमा निगम के माध्यम से योजना थी, जिसमें 50 प्रतिशत का कांट्रिब्यूशन भारत सरकार का था और 50 प्रतिशत राज्य सरकार का था । वह बीमा योजना जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, उसको बंद कर दिया गया । अब लगातार पत्र व्यवहार हुआ, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया । उन्होंने इंकार कर दिया कि हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं । तब इस सरकार ने शहीद महेन्द्र कर्मा जी के नाम से नई योजना बनाई जिसमें 50 प्रतिशत लघु वनोपज संघ और 50 प्रतिशत राज्य सरकार के कांट्रीब्यूशन में सामाजिक सुरक्षा को निर्धारित किया गया और पहले बहुत विलंब भी होता था । तीन-तीन, चार-चार, छैः-छैः महीना लग जाता था, अब तो एक महीने के भीतर भुगतान कर दिया जाता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में इस समय 33 वन मंडल 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टाईगर रिजर्व, 4 एलीफेंट रिजर्व और 12 हजार नरवा, जिसमें 6395 का जीर्णोद्धार हो गया है । ईमारती लकड़ी के व्यापार में वृद्धि के लिये हम लोगों ने 165 करोड़ का लक्ष्य रखा है, अब इसमें यदि कोई भी कटाई का कार्य होता है तो वार्षिक कार्ययोजना बनती है । छत्तीसगढ़ सरकार अपने लेवल पर कहीं पर भी जाकर कुछ भी कटाई का काम कर दे, यह संभव नहीं है। यह वार्षिक कार्ययोजना होती है जो भारत सरकार से मंजूर होने के बाद इसको किया जाता है। आपने इसके तीन-चार दिनों पहले या पिछले सप्ताह बांस को लेकर एक ध्यानाकर्षण लगाया था कि जो कंडरा है, वह बसोड़ो को बांस देने के लिये कि उनको 1500 बांस दिया जाना है लेकिन उनको निर्धारित मात्रा में नहीं दिया जा सका है। हमारा यह कहना है कि इसमें उपलब्धता के आधार पर उसका नियम है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि ऐसे तीन-चार स्थान ही बच गये हैं, जहां से हम बांस उत्पादन करके उनको लाकर दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसका प्रयास करने के लिये इसमें भी प्रावधान रखा है कि बांस के उत्पादन में वृद्धि हो पाये। आपने अभी इस प्रकार की बात की थी कि हम नया क्या कर रहे हैं। इस बजट में कवर्धा में भी जंगल सफारी बनाना प्रस्तावित किया

गया है। नदी तट वृक्षारोपण के लिये भी प्रावधान किये गये हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि समय का अभाव है। उसके अलाव ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, आप यह तो बता दीजिये कि आप महानदी बेसीन में वृक्षारोपण कर रहे हैं। उसमें 47 हजार की कुछ संख्या भी लिखी है। वह किधर हो रहा है? धमतरी जिले उस पार महासमुन्द जिले में हो रहा है या रायगढ़ जिले में हो रहा है। उसके बाद तो वह उड़ीसा में चल देगी। वह कहां पर हो रहा है ? मैं उसको अपने जिले में नहीं देख पा रहा हूं।

श्री मोहम्मद अकबर :- वह वृक्षारोपण कहां पर हो रहा है, मैं आपको उसकी अलग से जानकारी दे दूंगा। अभी जो मुख्य बातें हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- इनको स्पेशल जंगल विभाग की गाड़ी से ले जाकर घुमवा दीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आज टाईम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, नदी तट वृक्षारोपण का। उसको कैसे मिक्स्ड करके करना, उसको कैसे तीन लेवल में करना। आपसे आग्रह है कि उसको पढ़कर उसका क्रियान्वयन करियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- किसमें आया है ?

श्री सौरभ सिंह :- टाईम्स ऑफ इंडिया में आया है। कैसे नदी तट पर वृक्षारोपण हो रहा है। उसको कैसे थ्री लेयर में किया जा रहा है और थ्री लेयर में कौन-कौन से पौधे लगाये जा रहे हैं जिससे रिवर फ्रंट का बैटर मैनेजमेंट हो सके। आप उसको पढ़ लीजियेगा या तो मैं दे दूंगा, उसका क्रियान्यवन कीजियेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह केवल पेपरों में पढ़ी हुई बात करते हैं। यह प्रैक्टिकल तो कुछ देखे हैं नहीं। जंगल तो देखे नहीं है कि जंगल कैसा है।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी, आप उसका फोटोकॉपी कराकर मुझे भी दे दीजियेगा और मंत्री जी को भी दे दीजियेगा। उनको एक कॉपी एक्स्ट्रा और दे दीजियेगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सौरभ जी ने जो बात कही, उसको हम लोग सुझाव के रूप में लेंगे। मैं उसको दिखवा लूंगा। छत्तीसगढ़ प्रतिकात्मक वन रोपण निधि के लिये 01 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लघु वनोपज के संबंध में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुआ है। छत्तीसगढ़ की सरकार कुल 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी करती है। अब कोदो, कुटकी, रागी को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। यह हमारे आंकड़े नहीं है, यह ट्राईफेड के आंकड़े हैं, जो भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित है। पूरे देश में जो लघु वनोपज की खरीदी होती है, अकेले छत्तीसगढ़ उसका 74 प्रतिशत लगातार तीन सालों से क्रय कर रहा है। (मेजों की थपथपाहट) उसके लिये भारत सरकार की तरफ से स्वयं केंद्रीय मंत्री ने आकर मुख्यमंत्री के निवास में

09 पुरूस्कार प्रदान किये हैं। ये लघु वनोपज के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुआ है। आज एक नये महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत हुई है। ''मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'', इसके लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें जो अपनी पड़त भूमि में 05 एकड़ तक वृक्षारोपण करेंगे, तो उसको शत् प्रतिशत अनुदान है और 05 एकड़ से अधिक में 50 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 05 लाख 15 हजार से अधिक वन अधिकार पत्र दिया जा चुका है। वन मुख्यालय वन वृत्तों की स्थापना, प्रशासन से सुदृढ़ीकरण, वन वृत्त क्षेत्रीय वन मंडल, वन संरक्षक कार्यालय की स्थापना के लिये 558 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मानानीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने वन क्षेत्र के बारे में कहा कि कितना वन क्षेत्र हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 44.2 प्रतिशत वन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1 लाख 35 हजार वर्ग किलोमीटर है। यदि वर्ग किलोमीटर में देखें तो छत्तीसगढ़ में 59 हजार 772 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें 63.57 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया है। अब आपने अवैध कटाई के बारे में जो बात कही है। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रतिपक्ष की भूमिका के तहत आपके लिये यह कहना जरूरी है, लेकिन कुल मिलाकर पूरे वन सुरक्षित है, उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। समय का बहुत अधिक अभाव है, ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात रखता हूं। आपने परिवहन के बारे में कुछ बातें कहीं हैं तो एनफोसमेंट के लिए 26 करोड़ रूपए का प्रावधान है। बाकी के जो अलग-अलग प्रावधान हैं, वह सब आपके पास हैं, लेकिन प्रमुख रूप जो परिवहन विभाग की तरफ से काम हुआ है इसमें आपके समय में जो अंतर्राज्जीय सीमा में जो बैरियर स्थापित थे, जब आपने बंद किया, उस समय उसकी आय 13 करोड़ रूपये वार्षिक थी। जब राज्य सरकार ने यह बैरियर स्थापना करने के लिए निर्णय लिया तो आप लोगों ने अनेक प्रकार के आरोप लगाए और वर्तमान में यदि आप इसकी स्थिति देखेंगे तो जो 13 करोड़ रूपए की वार्षिक आय है, ये बैरियर के स्थापित होने से इस साल 194 करोड़ रूपए का वार्षिक आय हुई है। (मेजों की थपथपाहट) दूसरा, तुंहर सरकार, तुंहर द्वार के संबंध में बताना चाहूंगा कि इसमें ऑनलाईन सिस्टम में रजिस्ट्रेशन और लाईसेंस यह दोनों आपको प्रदान किया जाता है। आपको जाने की जरूरत नहीं है आपके निवास पर यह बाई पोस्ट पहुंचता है। अब तक यह 18 लाख लोगों को प्रदाय किया जा चुका है। इसी प्रकार से बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है और बहुत सुगम तरीके से, सरलता से आपका परिवहन विभाग से संबंधित कार्य हो जाए, तो वहां पर प्रस्तावित 394 सुविधा केन्द्र परिवहन के प्रारंभ किये गये हैं जिसमें बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिला है और उनका कार्य बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। वहां पर वह सरलता से लाईसेंस बनाने और अन्य कार्य करा सकते हैं। 15 करोड़ रूपए की लागत से हाईटेक बैरियर, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक महीने के भीतर यह पूरा हो जाएगा। इसमें जो अभी दो पाटेकोहरा और खम्हारपाली प्रमुख हैं, यह बैरियर में हाईटेक तरीके से जैसे महाराष्ट्र बॉर्डर में है इसमें जैसे भी ओव्हर लोड की गाड़ी आएगी तो

उस ओव्हर लोड के आधार पर उसमें जितना भी एक्सेस लोड पाया जाएगा। तो चालान जनरेट ऑटोमेटिक कर देगा। जैसे ही वह उसकी परिधी में आएगा तो उसके साथ आते ही उसमें कौन-कौन से दस्तावेज हैं, कौन-कौन से नहीं है, इस बात की भी जानकारी हो जाएगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक महीने के भीतर इसको प्रांरभ करवा दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय प्रशासन के संबंध में अलग से कोई ऐसी योजना नहीं होती कि पूरे हाईकोर्ट से संचालित होता है तो इसमें 7 करोड़ 18 लाख 64 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। आवास पर्यावरण के बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है, लेकिन एक बात जो आवास एवं पर्यावरण से संबंधित है जो आपकी सरकार के समय हुआ। आपने दूधाधारी मंदिर का नाम सुना है। श्री रामसुन्दर दास जी उसके अध्यक्ष हैं। आप लोगों ने उनसे बस स्टैण्ड बनाने के लिए लगभग 30 एकड़ जमीन ली और उसमें यह लिखा हुआ था कि आपको नवा रायपुर में जमीन के बदले जमीन दी जाएगी। जब आप एग्रीमेंट को पढेंगे तो उस एग्रीमेंट में लिखा है कि आप मंदिर की 30 एकड़ जमीन लेंगे और उन्हें यथासंभव नवा रायपुर में जमीन देंगे। यह यथासंभव का मतलब क्या होता है ? यथासंभव का मतलब है कि आप मर्जी आएगी तो जमीन देंगे नहीं तो हम नहीं देंगे। इस प्रकार से आवास पर्यावरण विभाग में काम हुए हैं बाकी रूटिन का है लगातार जिस प्रकार का होता है, वह है। पर्यावरण के बारे में एयर क्वालिटी इंडैक्स मॉनिटरिंग सिस्टम लगातार है, उसके बारे में हम समय-समय पर देखते हैं। माननीय सौरभ सिंह जी ने एक बात जनसुनवाई के बारे में कही। तो हम लोग जनसुनवाई का निर्णय नहीं लेते। जनसुनवाई के लिए भारत सरकर के निर्देश पर यहां से जनसुनवाई के लिए पर्यावरण विभाग के जो आर.ओ. होते हैं, वह उपस्थित होते हैं जिस कंपनी की जनसुनवाई हो रही है उनके जो प्रतिनिधि हैं, वह भी उपस्थित होते हैं और जनसुनवाई से प्रभावित लोग भी उपस्थित होते हैं। तो वह सारे लोग अपनी बात रखते हैं। हमारे जो पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं वह केवल रिकॉर्डिंग करते हैं और वह पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद जैसा है, उसी प्रकार से उद्योग विभाग के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से जो जवाब दिया जायेगा और बातें रखी जायेगी। वह दोनों ही रिकॉर्ड करके, भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है और उसके आधार पर वहां से अनुमति प्राप्त होती है। अब बहुत ज्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके अनुदान की मांगों को स्वीकृत करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। यदि शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाना है। मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र में मान लीजिए कुरूद है, भखारा है, पाटन है या आपका कवर्धा क्षेत्र है यदि शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाना है तो उसके लिए आपके पास कोई योजना है ? और यदि योजना नहीं है तो यदि हमें वृक्षारोपण करवाना है तो आप उसके लिए क्या मदद कर सकते हैं ? शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए जो हमारी घर पहुंचा कर पौधा देने वाली योजना है। यदि किसी को भी वृक्षारोपण करना है, दूरभाष के जरिये यदि आप सूचित करेंगे तो आपके घर पहुंचा कर पौधा देने की योजना हमारे पास है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पर्सनल अपने घर में लगा लूंगा। मुझे कुरूद में मान लीजिए 10 एकड़ में ऑक्सीजोन बनाना है या कहीं पर और 10 एकड में ऑक्सीजोन बनाना है, शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ या 5 एकड़ में मुझे लगवाना है तो उसके लिए क्या कोई योजना है या आप कोई राशि उपबल्ध कराते हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- उसके लिए योजना है, उस योजना का नाम कृष्णकुंज है। उसके आधार पर ऑक्सीजोन का रूप है और वृक्षारोपण किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29, 36, 21 एवं 10 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये- सात सौ सात करोड़, अठारह लाख, चौंसठ हजार रुपये,
मांग संख्या	36	परिवहन के लिये- एक सौ चौबीस करोड़, पचहत्तर लाख, पांच हजार रुपये,
मांग संख्या	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- नौ सौ पचपन करोड़, चौबीस लाख, तिहत्तर हजार रुपये तथा
मांग संख्या	10	वन के लिये- दो हजार छः सौ चौरानबे करोड़, बांसठ लाख, छः हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(6) **मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय**

अध्यक्ष महोदय :- श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुरोध पर उनके विभाग की अनुदान मांग के प्रारंभिक कथन को प्रस्तुत करने के लिए श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री को अनुमति प्रदान की है। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिये- पांच सौ चौरानबे करोड़, तिहत्तर लाख, उनचास हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी मजबूरी को समझते हुए आपकी व्यवस्था से हम सहमत हैं। परंतु इसक साथ में आप यह जोड़ दीजिए कि इसको पूर्व उदाहरण नहीं माना जायेगा। सामान्यत: यह संसदीय परंपरा और बाकी इसके विरूद्ध है। अगर मंत्री उपस्थित हैं तो उसकी जगह कोई दूसरा प्रस्तुत करे। आपने कहा, हम उसमें सहमत हैं, परंतु यह पूर्व उदाहरण नहीं माना जायेगा। आपको इसको विशेष रूप से जोड़ना चाहिए कि विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप उसमें ऐसा नहीं जोडेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जी, विशेष परिस्थिति में ही माना जायेगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- जवाब माननीय मंत्री जी देंगे, उसको सुनना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यदि आप ऐसा नहीं जोड़ेंगे तो भविष्य में यह पूर्व उदाहरण माना जायेगा और कोई भी मंत्री इस प्रकार से आपसे अनुरोध कर सकता है। इसलिए विशेष परिस्थितियों के कारण अनुमति दी है और यह पूर्व उदाहरण नहीं माना जायेगा। आप ऐसा जोड़ दें तो ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा।

<u>व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- यह पूर्व उदाहरण नहीं माना जायेगा। वैसे मैंने इसके पहले भी कह दिया है। आज विशेष परिस्थिति में, विशेष अनुरोध पर माननीय वन मंत्री जी को अनुमति प्रदान किया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हए माने जायेंगे।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या- 11

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	5
2.	श्री पुन्नूलाल मोहले	1
3.	श्री अजय चन्द्राकर	2
4.	श्री धरमलाल कौशिक	4
5.	श्री शिवरतन शर्मा	15

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। अब मैं चर्चा प्रारंभ करना चाहता हूं। श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का विरोध करते हुए अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। अपनी बात प्रारंभकर्ता में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का दिनांक 30.03.2017 में इस सदन में उस भाषण के कुछ लाईनों के साथ में भाषण हुआ था। जब शराब नीति में परिवर्तन हो रहा था और ठेका प्रथा को बंद करके गवर्नमेंट की ओर से शराब की दुकान चलाने की बात हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ था। राजनीतिक रूप से आप किसी को प्रताड़ित करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। एक ही आदमी हैं, वह यहां भी हैं और वहां भी रहेगा। जो 9-9 साल से रिटायर हो गया है, उसको बैठाकर रखेंगे। आपकी नीयत नहीं है कि शराबबंदी हो। आप शराबबंदी की ओर बढ़े। आपकी नीयत केवल राजनीति करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसका लाभ लेते हुए आपको पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करनी थी। उसका लाभ न लेते हुए जो दुकान चलाने काम ..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, इस पर तो चर्चा हो चुकी है। वाणिज्यिक कर विभाग में तो माननीय मंत्री जी चर्चा कर चुके हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, आज तो हम लोग उद्योग विभाग में चर्चा कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आज उद्योग पर चर्चा होनी है। आप उद्योग पर चर्चा करिये न।

श्री बृहस्पत सिंह :- हम लोग मांग संख्या 11 पर चर्चा कर रहे हैं। यह तो टी.एस. बाबा साहब के विभाग में चर्चा हो चुका है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भाई, यह उद्योग का है, आबकारी का नहीं है। उस पर टी.एस. बाबा चर्चा कर चुके हैं। उसके अनुदान मांग को पारित करवा चुके हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 11 की अनुमति दिया है, उस पर चर्चा हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी हैं न तो जब मंत्री जी के विभाग पर चर्चा होगी तो आबकारी पर चर्चा क्यों नहीं होगी?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- मैंने आपको पढ़कर सुनाया, उसमें आपने शायद ध्यान नहीं दिया। जो अनुदान की मांग संख्या 11, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय है। इसमें आबकारी नहीं है। वह जी.एस.टी. के अंतर्गत आता है। जो मांग है, हम चाहेंगे कि उसी बारे में अपनी बात रखें।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैं उसमें भी रखूंगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको हर जगह, हर विभाग में आबकारी दिखाई दे रहा है। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आबकारी मंत्री जी के विभाग में चर्चा हो रही है तो मैं दोनों विषय रखूंगा और मैं माननीय मंत्री जी के भाषण को पढ़ कर सुना रहा हूं। मैंने अपने मन की बात नहीं कही है। माननीय भूपेश बघेल जी जी का इधर रहते हुए भाषण हुआ है, उस भाषण का मैं उल्लेख कर रहा हूं। आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन करना चाहेंगे कि आपने जो संशोधन लाया है, उसे वापस लें और पूर्ण शराबबंदी का प्रस्ताव लाये, जिसका पूरा सदन समर्थन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप इधर थे तो आपकी सोच कुछ थी और आप उधर गये हैं तो आपकी सोच कुछ और हो गई। उससे दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि जब आपने जन-घोषणापत्र जारी किया तो पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था और आज आपका आखिरी बजट है और आखिरी बजट में आप अपने वादे से पीछे हट गये हैं। लोगों को दिखाने के लिए समिति बना दी। अब समिति बनी है तो इस समिति का समयावधि क्या होगी, कितने दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे, क्या-क्या बिंदु होंगे? खाली समिति घूमते रहेगी और पांच साल निकल जायेगा। आपने शराबबंदी के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ धोखा दिया है। मैं उद्योग विभाग की चर्चा कर लेता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का नये उद्योग लगाने के सबंध में सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ था और उन्होंने कहा था कि ग्राम में उद्योग तभी लगेंगे जब वहां की ग्राम सभा अनुमति देगी। अभी माननीय सौरभ जी ने जनसुनवाई का विषय उठाया और माननीय मंत्री जी अकबर साहब ने जवाब दिया कि हम तिथि तय नहीं करते, उसका निर्धारण दिल्ली से होता है। मैं तो खाली यह निवेदन करता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी का यह कथन है कि ग्राम सभा की अनुमति के बाद उद्योग लगेगा तो हम जनसुनवाई का प्रस्ताव भेजते ही क्यों है? जब ग्राम सभा अनुमति दे दे तब आप जनसुनवाई के लिए दिल्ली प्रस्ताव भेजिये। जनसुनवाई हो गयी ।

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- एक मिनट । यह भारत सरकार का नियम है, जनसुनवाई के लिये निर्देश वहां से आता है, हम लोग तो प्रक्रिया पूरी कराते हैं । यह ग्राम सभा से नहीं होगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप मेरी बात को समझें नहीं, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लें । जनसुनवाई के लिये तो भारत सरकार के नियम बने हैं लेकिन किस उद्योग की जनसुनवाई होनी है, कौन सा उद्योग कहां लगना है, यह प्रस्ताव तो छत्तीसगढ़ सरकार भेजती है न । छत्तीसगढ़ सरकार उस प्रस्ताव को तभी भेजे जब ग्राम सभा उद्योग लगाने की अनुमति देता है । ग्राम सभा सहमत हो तो आप उसको पर्यावरण की स्वीकृति के लिये भेजिये और यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो आप उसको क्यों भेजते हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिये, ऐसा है कि जनसुनवाई के समय न केवल ग्राम सभा बल्कि उससे प्रभावित होने वाले आसपास के सभी गांव के सारे लोगों को यह अधिकार है कि वे अपनी बात रख सकते हैं । सारे लोगों को अधिकार है ।

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल अधिकार है लेकिन एक मिनट । आपके अधिकार का तो आप कोई इस्तेमाल कीजिये । उधर कौन-कौन लोग हैं ? कौन से विभाग के लोग हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं । लोगों का इतना मनोबल कैसे बढ़ गया है ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़े हो गये हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पूरे छत्तीसगढ़ में यह स्थिति हो गयी है कि जनसुनवाई के लिये अधिकारी आ जाते हैं । प्रदेश सरकार के अधिकारी हाजिर रहते हैं, ग्राम सभा से कहीं कुछ लेना-देना नहीं । पूरा गांव विरोध में रहता है और उसके बाद यहां से जो रिपोर्ट जाती है वह उद्योग लगाने के पक्ष में जाती है । मैं आपको उसका एक उदाहरण बता देता हूं । भाटापारा विधानसभा के केसदा में एक प्लांट लगना है, उसकी जनसुनवाई थी । माननीय प्रमोद शर्मा जी उसका विरोध करने गये, वहां शत-प्रतिशत लोग विरोध में थे । मैं स्वयं गया । हम दोनों की विधानसभा का बॉर्डर है । एक भी व्यक्ति उस प्लांट के पक्ष में नहीं था । उसमें विरोध करने के चलते प्रमोद शर्मा जी के खिलाफ तो नॉन रिलेवल अफेंस भी कायम हो गया ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय शिवरतन जी, पहले आप प्रक्रिया को समझिए । आपने कहा कि रिकमंड करके भेज देते हैं । ऐसा नहीं है । जनसुनवाई के समय जो उद्योग के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं और आम जनता में से जो गांव प्रभावित होते हैं, अपनी जो भी बात करेंगे । दोनों का रिकॉर्ड होता है और उसमें एक लाईन नहीं जोड़ सकते । एज इट इज उसको भारत सरकार को भेजना होता है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- वही तो बता रहे हैं । महोदय, पूरा बदल दिया जाता है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुमति प्रदान की जाती है तो वह भारत सरकार से दी जाती है, यहां से नहीं दी जाती है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अकबर साहब, आप सुनिए न । देखिये, अनुमति ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उसको रिकमंड हम लोग नहीं करते । वह रिकमंड नहीं होता, आप प्रक्रिया को समझ लीजिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अनुमति भारत सरकार देती है लेकिन यहां जनसुनवाई कौन करवाता है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसुनवाई भारत सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ का पर्यावरण विभाग कराता है । उनका आर.ओ. वहां उपस्थित होता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बस वही महत्वपूर्ण है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- कलेक्टर तिथि निर्धारित करता है । सारे गांव के लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं । प्रतिनिधि उनकी बातों का जवाब देता है । एज इट इज रिकॉर्ड करके भारत सरकार को भेज दिया जाता है, कोई रिकमंड नहीं । (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यह सब कागज में है लेकिन वास्तविक में नहीं है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारा आरोप यही है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि एज इट इज रिकमंड करने की बजाय जिस उद्योगपति को सहायता करनी होती है उसके अनुसार आप कार्यवाही करते हैं । हमारा आरोप यही है, ये विधायक जी बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- उसमें मैं भी था ।(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- ऐसा रिकमंड नहीं करते । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके अधिकारी उद्योगपतियों के अनुसार करते हैं, गांव के लोगों के अनुसार नहीं करते । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- एक भी प्रकरण में रिकमंड नहीं किया गया, कृपया करके प्रक्रिया को समझ लें । (व्यवधान) रिकमंड नहीं करते । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लगभग सभी प्रकरण में । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं-नहीं, एक प्रकरण में भी रिकमंड नहीं किया गया है । रिकमंड करने का अधिकार ही नहीं है । एज इट इज भेजना है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय, आप बहुत काबिल इंसान माने जाते हैं । आप यह बताईये कि जनसुनवाई में एकाध प्रकरण जो उद्योगपति के खिलाफ अनुशंसा गयी हो ? अभी कभी घटी है तो आप बता दीजिये ।

श्री रामकुमार यादव :- ऐकर लिये तो गौतम अडानी जी ला पूछे बर लागही । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिये, ऐसा है कि भारत सरकार का जवाब तो मैं यहां दे नहीं सकता हूं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- भारत सरकार को छोड़िए । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- आप सुनिये न, यहां से अधिकार नहीं है । (व्यवधान) आप सुन लीजिये, मेरा यह कहना है कि यहां से रिकमंड करने का प्रावधान ही नहीं है । आप एक केस बता दीजिये जिसको रिकमंड किया गया है । एक भी केस नहीं है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- रिकमंडेशन का पावर आपके पास नहीं है परंतु यह डिग्री तय है कि कितने मेगावाट का क्लीयरेंस यहां से होगा और कितने मेगावाट से ऊपर का क्लीयरेंस और कितने इन्वेस्टमेंट का क्लीयरेंस वहां से होगा, इसको भी स्पष्ट कर दीजिए कि कितना राज्य सरकार का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लीयर करेगा और कितना केन्द्र का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा ?

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, कोई भी जन सुनवाई होती है । हमारे क्षेत्र में भी बहुत उद्योग हैं । राज्य सरकार के अधिकारी एक हफ्ते पहले से जाकर वहां माहौल बनाते हैं, सरपंच से बात करते हैं, गांव वालों से बात करते हैं और जो भी उसका विरोध करेगा उसको प्रताड़ित करते हैं । जब एक माननीय विधायक के ऊपर जुर्म दर्ज हो गया तो पंच, सरपंच और बाकी लोगों को क्या बख्शा जाएगा ? यह सारा उपक्रम तो राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी करते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, बार-बार बात आ रही है कि केन्द्र सरकार करती है । केन्द्र सरकार के निर्देश पर आप जनसुनवाई आयोजित करते हो। लेकिन जनसुनवाई करने के लिए आपके छत्तीसगढ़ सरकार के स्थानीय अधिकारी ही तो जाते हैं । छत्तीसगढ़ सरकार के जो अधिकारी जाते हैं, जनसुनवाई में जो वास्तविकता होती है वह रिपोर्ट नहीं भेजते । वह रिपोर्ट अगर भेजते तो केसदा का उद्योग चालू नहीं हो सकता था । क्योंकि हम दो-दो विधायक पूरे समय वहां हाजिर रहे और शत-प्रतिशत लोगों ने उसका विरोध किया था ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार कह रहा हूं कि वीडियोग्राफी होती है कि किसने क्या कहा । यहां से एज़ इट इज़ जाता है । पूरा बनाकर भेज देते हैं, कोई रिकमंडेशन नहीं होता । रिकमंडेशन वाला एक भी उद्योग नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- अब जन सुनवाई को छोड़ दीजिए, उद्योग विभाग पर आ जाइए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह बहुत महत्वपूर्ण है । आपके प्रदेश के अधिकारी ही तो वीडियोग्राफी करवाते हैं क्या वीडियोग्राफी चेंज नहीं हो सकती ?

श्री मोहम्मद अकबर :- होती है तो क्या सीन चेंज कर लोगे क्या । जो बोलेंगे वही तो आएगा ।

श्री मोहित राम (पाली-तानाखार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान शर्मा जी जो बोल रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं उद्योग पर ही बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट उनकी बात भी सुन लो भाई ।

श्री मोहित राम :- अध्यक्ष महोदय, इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि हमारे विपक्ष के नेता हर बात के लिए एक से उन्नीस तक गिनती करते हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र पाली-तानाखार में मोरगा के पास चार खदान का आवंटन हुआ था । जो कि जन सुनवाई के लिए दबाव डालने की बहुत कोशिश की गई । लेकिन हमारे राज्य सरकार के अधिकारियों ने साथ नहीं दिया और जनता ने यह कह दिया कि जब तक हमारे यहां की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हो, वह व्यवस्था नहीं बनी । एक प्रोजेक्ट और है पाली के पास में अंबिका प्रोजेक्ट, वहां जनसुनवाई के लिए बहुत परेशान किया गया । हमारे अधिकारियों ने हमसे पूछा कि ऐसी-ऐसी बात है विधायक जी । बोले कि कोई जरूरत नहीं है, हमारी जनता को इधर से उधर कोई नहीं करेगा न ही गांव को उजाड़ेगा । इसमें दोषी कौन है, दोषी तो आप ही लोग है माननीय महोदय । लेकिन आप लोग सच्चाई नहीं दिखाना चाहते हैं । सच्चाई न दिखाने का परिणाम आपके पास है जो आप 15 के 15 रह गए हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- काय बोले ता समझ मा नइ आइस ?

श्री रामकुमार यादव :- ये कहत है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी । दिल्ली मा काबर भेजथौ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप जनता के पक्ष में बोल रहे हो या अधिकारियों के पक्ष में, यह तो समझाओ । समझ में ही नहीं आया ।

श्री कवासी लखमा :- जनसुनवाई पर्यावरण विभाग करता है और माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे चुके हैं । आप हमारे उद्योग विभाग पर बात कीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, उद्योग के मामले में इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट करने के लिए मैंने इस विषय को आपके सामने रखा । आपका जो प्रतिवेदन है, इसमें स्थानीय रोजगार और नवीन उद्योग के संबंध में चर्चा करते हुए एक बात लिखी है कि प्रदेश की औद्योगिक नीति में उद्योग में अकुशल श्रमिक 100 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के रहेंगे, कुशल श्रमिक 70 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के रहेंगे, प्रशासकीय तथा प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार मूलक निवासियों को देने का प्रावधान है । जितने उद्योग स्थापित हैं, आप उद्योगों में पता कर लो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की क्या स्थिति है ? मेरा अपना जिला बलौदाबाजार जिला सीमेंट उत्पादन में पूरे देश में नम्बर वन पर है । ज्यादातर सीमेंट प्लांट माननीय प्रमोद कुमार शर्मा जी के विधान सभा क्षेत्र में हैं । ये100 प्रतिशत अकुशल श्रमिक की बात कर रहे हैं । ये अकुशल श्रमिक में भी 60 प्रतिशत से ऊपर का रेश्यो नहीं है । 40 परसेंट बिहार के और झारखंड के श्रमिक काम कर रहे हैं । कुशल श्रमिक में 70 प्रतिशत का रेश्यो होना चाहिए किंतु कुशल श्रमिकों में भी छत्तीसगढ़ के श्रमिकों का 35-40 प्रतिशत से ऊपर का रेश्यो नहीं है । प्रशासकीय तथा प्रबंधकीय पदों पर 40 प्रतिशत बिहार के और झारखंड के

मजदूर काम कर रहे हैं। कुशल श्रमिक में 70 प्रतिशत का रेशियो होना चाहिए, पर कुशल श्रमिकों में भी छत्तीसगढ़ के श्रमिकों का 35 से 40 प्रतिशत से उपर का रेशियो नहीं है। प्रशासकीय तथा प्रबंधकीय पदों पर 40 प्रतिशत है। यह रेशियो तो 20 प्रतिशत भी नहीं है। आप अगर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा चेक करवाएं। कितने सीमेंट के प्लांट लगे हैं, कितने स्पंज आयरन के प्लांट हैं ? उसमें बाहर के कितने लोग काम कर रहे हैं। आप दूर मत जाईए, सिलतरा अपने विधान सभा से लगा हुआ है, कितने बाहर के लोग आकर बसे हैं ? सिलतरा में जाकर देख लें तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी 25 साल में अल्पसंख्यक हो गए हैं, इतने लोग प्रदेश के बाहर से आकर बस गये।

श्री कवासी लखमा :- महाराज, उस समय आपकी विधान सभा में लगा है, अभी नहीं लगा है, आपके समय में लगा है। अब हम लोगों ने अलग से नियम बनाया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी या तो चुपचाप बैठे या फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। यह आप तय करवा लीजिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- दीही ना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम आपकी व्यवस्था से सहमत हैं या तो वे चुपचाप बैठें या उनको जवाब देना पड़ेगा। आप दोनों में से एक बात तय कर लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- जवाब दीही ना।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- या तो यहां मत रहे या तो अनुपस्थित रहे।

श्री अजय चंद्राकर :- पहले उसमें व्यवस्था मान लीजिए सही है। मदद भी करें और हम कांय-कांय भी सुने। (हंसी) दोनों चीज नहीं होती।

श्री भूपेश बघेल :- जवाब देंगे भाई।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय शिवरतन जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जिस दिन बालको की चिमनी गिरी थी ना 39 लोग मरे थे, 38 झारखंड के थे। आप लोगों के समय नहीं होता था। आप आरोप लगाने के पहले आपके समय क्या हुआ, उसको भी जरा सोचना चाहिए।

श्री सौरभ सिंह :- छत्तीसगढ़ का आदमी चिमनी में चढ़ने का रिस्क नहीं लेता।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप यह कहना चाहते हैं कि 38 मरे थे तो आप 58 मारेंगे क्या ? अगर 38 मरे थे तो आप गौरवान्वित हो रहे हैं कि 58 मारेंगे। आप 58 मारकर गौरवान्वित नहीं हो सकते।

श्री मोहम्मद अकबर :- गौरवान्वित वाली बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय झारखंड के लोग इतनी बड़ी संख्या में काम करते थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- 38 मरे थे, इस सदन में सब कोई थे। लेकिन आप 58 मारकर गौरवान्वित नहीं हो सकते।

श्री मोहम्मद अकबर :- हमने मारने वाली बात नहीं थी। मैंने एक उदाहरण दिया कि आपने यह कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है तो आप लोग क्या करते थे ? यह एक सबूत है।

श्री सौरभ सिंह :- हमर छत्तीसगढ़ के आदमी रिस्क नई ले भाई, ओतेक बढ चिमनी में 175 मीटर कोन चढ़ही करके।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी कुछ साल पहले अल्टाट्रेक सीमेंट में भी दुर्घटना हुई थी। अभी एकाध साल पहले श्री सीमेंट में दुर्घटना हुई थी। मरने वाले लोग कहां के थे, आप पता कर लीजिए। देखिए, हम तो यह कामना करते हैं कि भगवान सबको दीर्घायु दे, इस दुर्घटना से किसी की मृत्यु ना हो। पर सवाल रोजगार का है। आपने औद्योगिक नीति में तय किया कि 70 प्रतिशत कुशल श्रमिक होगें, अकुशल में 100 प्रतिशत होंगे और प्रबंध में 40 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के लोग रहेंगे तो पालन कराने की जवाबदारी किसकी है ? पालन कराने की जवाबदारी तो शासन की है ना। शासन इसमें क्या कर रहा है ? आप सारे प्लांटों को चेक करा लीजिए, कहीं भी इसका पालन नहीं हो रहा है। ज्यादातर जगह बाहर के लोग ही काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक नीति। आपने एम.ओ.यू. का उल्लेख किया है, 314 एम.ओ.यू. हुए हैं, 86 चालू हो पाया है। टार्गेट 3,03,483 करोड़ पूंजी का इनवेस्टमेंट होगा और इनवेस्टमेंट 83,710 करोड़ हुआ है। इसको क्या माने ? आप एम.ओ.यू. कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- टेक्सास नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सरकार ने एम.ओ.यू. किया है, उसकी सूची मेरे पास है। यह एम.ओ.यू. हुआ है। आपकी सरकार ने किया है। इसकी क्या स्थिति है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- ता एक काम करना, [XX][5] के धरे रहा ओला। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- सुनना, [XX] के तोला भेंट कर देंव का। (हंसी) [XX]। बात अइसे करत हस तो। जिस भाषा की बात कर रहे हैं, जवाब उसी भाषा में मिलेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- [XX]।

श्री बृहस्पत सिंह :- भाई आप विद्वान हैं, बढ़िया से बात करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- जैसा बोलोगे वैसा जवाब पाओगे।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों बातें विलोपित किया जाए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं और बढ़ा देता हूं, [XX]।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां।

अध्यक्ष महोदय :- ये सब बातें विलोपित की जाए।

---

5 [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, मैं आपके निर्देशों का बिल्कुल पालन कर रहा हूं और मैं बैठूंगा। लेकिन नियंत्रण की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के एम.ओ.यू. हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही मुझे इस विधान सभा में जवाब मिला है। इसमें सिमगा ब्लॉक के बहुत से एम.ओ.यू. का उललेख है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एम.ओ.यू. करने की तारीख और कार्य प्रारंभ की तिथि और समय भी निर्धारित है। सारे ए.एम.यू. लगभग वर्ष 2020 में हुए हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- एम.ओ.यू. में घोटाला भी हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- 2 वर्ष के अंदर इसका कार्य प्रारंभ होना था। आपने दामाखेड़ा में घोषणा की है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, परंतु उसके बाद भी सिमगा ब्लॉक में जितने एम.ओ.यू. हुए हैं, जो उस रेंज से बाहर हैं। एक भी उद्योग का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। आप कार्य प्रारंभ को किस श्रेणी में मानते हैं ? क्या आप जन सुनवाई होती है उसको कार्य प्रारंभ मानते हैं या ग्राम सभा हो गई उसको कार्य प्रारंभ मानते हैं या वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो गया उसको कार्य प्रारंभ मानते हैं ? आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। आपने कहा है और फूडपार्क की बहुत चर्चा हुई है। इसमें आपने विशेष रूप से फूडपार्क का उल्लेख किया है। साढ़े 4 साल पहले 200 नवीन फूडपार्क की स्थापना की घोषणा हुई थी। अब आपने क्या कहा है कि केवल जमीन खोजी गई। 53 स्थानों में जमीन का हस्तनांतरण हो रहा है। क्या आप एक भी फूडपार्क चालू कर पाये ? राहुल गांधी जी।

श्री भूपेश बघेल :- फूडपार्क क्या होता है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अब आप ही समझा दीजिए। मैं तो आपके जन घोषणा पत्र को ही समझ रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- चलिये, पहले आप बोल लीजिए और फिर मैं आपको फूडपार्क का मतलब समझा दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, आपने प्रत्येक विकासखण्ड में फूडपार्क चालू किया था। राइस मिल तो है। राइस मिल फूड पार्क में है और यह आपकी घोषणा के पहले चालू हो चुकी है। आपकी घोषणा के बाद तो 10-20 ही चालू हुई होंगी।

श्री भूपेश बघेल :- 300।

श्री रविन्द्र चौबे :- 300।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या वही तो फूडपार्क है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- यदि आप उसी को फूडपार्क मान रहे हैं तो अलग बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 नवीन फूडपार्क की स्थापना हुई और माननीय नेता जी का भाषण हुआ कि छत्तीसगढ़ के सब ब्लॉक में फूड पार्क स्थापित हो गये हैं। टमाटर पैदा करो और जाकर बेचो। टमाटर कैचअप

निकलेगा। पैसे लेकर आ जाओ। आपके फूडपार्क का क्या हुआ ? माननीय मंत्री जी, आपसे भी संबंधित मामला है कि आपने औद्योगिक नीति में मण्डी शुल्क में।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी, आप धीमी गति के समाचार को थोड़ी द्रुत गति से प्रसारित करिये। (हंसी)

समय :
9.19 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मण्डी शुल्क में क्षतिपूर्ति देना था। आपने उसके लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है लेकिन 5 साल से एक भी उद्योग को मण्डी शुल्क में छूट नहीं मिली है। लोग मण्डी समिति में आवेदन देकर थक चुके हैं। यह क्यों रूकी हुई है ? जरा आप यह बताने की कृपा करेंगे। आपके बजट में औद्योगिक नीति में है। आपको मण्डी बोर्ड को पैसे देने हैं परंतु क्या आप उसको कर पाये ? क्या है कि बाजू वाले को भी असर हो जाता है। आपने बहुत से पार्क स्थापना की बात की है। स्थापित विशिष्ट आद्योगिक पार्क।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, एक सेकण्ड।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- रात्रिकालीन भोजन की व्यवस्था उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय श्री उमेश पटेल जी की ओर से की गई है। माननीय सदस्य सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकते हैं।

वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- लखमा जी, यह क्या है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, रात्रिकालीन भोजन की व्यवस्था तो लखमा जी की तरफ से होनी चाहिए थी, तब विधायक खुश होते। (हंसी)

सभापति महोदय :- आप लखमा जी से अलग से बात कर लीजिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यदि आप चाहेंगे तो आपकी व्यवस्था हो जाएगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बहुत से विशिष्ट आद्योगिक पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, प्लास्टिक पार्क स्थापित किये हैं।

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय शिवरतन भैया, आप इसको भी बता दीजिए कि नगरनार स्टील प्लांट किसको बेच रहे हैं ?

श्री राजमन वेंजाम :- सभापति जी, नगरनार स्टील प्लांट किसको बेच रहे हैं, उसको भी बता दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, विशिष्ट औद्योगिक पार्क, जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क, प्लास्टिक पार्क । आपने इन सारे पार्कों के स्थापना की बात की है, आपने स्थापित भी कर दिया । आप यह बताएं कि कितने पार्क में काम शुरू हो पाया। खाली एक पार्क है, जिसमें 9 लोगों को जमीन आवंटित हुई है । बाकी सिर्फ आपके प्रतिवेदन की शोभा बढ़ा रहे हैं । आप उसमें काम करने में सफल नहीं हुए हैं। आपने 25 सार्वजनिक उपक्रमों की बात की है । उसमें से कितने लोगों का वार्षिक प्रतिवेदन आया है, कितने सार्वजनिक उपक्रम किस स्थिति में चल रहे हैं ? जरा ये बता देंगे । आपने अपने प्रतिवेदन में बहुत सी बातों का उल्लेख किया है कि कोई उद्योग आवेदन लगाएगा तो हम 7 दिनों के अंदर बिजली का कनेक्शन देंगे । भाटापारा में बिजली कनेक्शन 100 आवेदन पेंडिंग थे, विधान सभा में ध्यानाकर्षण लगाने के बाद अभी आधे लोगों को कनेक्शन मिला है और वह 6 महीने से पेंडिंग है। सारे उद्योग खाद्य से संबंधित ही थे, कृषि उद्योग भी थे । आप उद्योग निधि में कुछ लिखते हो और बिजली बिल में छूट की बात है । जैसे मंडी का मामला अटका हुआ है, वैसे ही उद्योग का मामला भी अटका हुआ है । कुल मिलाकर उद्योग में खाली उद्योगपतियों की सेवा ली जा रही है । बहुत ज्यादा उद्योग लगे भी नहीं हैं और जो उद्योग लगे हैं, उस उद्योग का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल रहा है ।

माननीय सभापति जी, जब मैंने आबकारी में बोलने की शुरूआत की थी तो मैं मुख्यमंत्री जी के भाषण का जिक्र कर रहा था तो मुझे रोका गया । मैं फिर से आबकारी में कहना चाहता हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रतिवेदन में मंत्री जी की फोटो छपी है । जो टैक्स है, वह वाणिज्य में जाता है, पर आबकारी विभाग जो है, (प्रतिवेदन की किताब दिखाते हुए) यह इसी में आता है । यह विभाग मंत्री जी के पास है । उनके विभाग की मांगों पर चर्चा है । यह प्रतिवेदन क्या है ? यह विधान सभा का अपमान है या क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किसी के ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे, आपने तो विधान सभा की गरिमा को खतम करने का जिम्मा ले रखा है । आपके कार्यकाल में विधान सभा की जो स्थिति बन जाये, वह कम है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि विभाग के बजट भाषण पर चर्चा चल रही है । अभी भी समय है, मुख्यमंत्री जी आप शराब बंदी का प्रस्ताव ले आईए । आपने गंगा जल उठाकर शपथ ली थी। जब मैंने विधान सभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया तो जब अशासकीय संकल्प में मतदान हुआ तो आप लोगों ने शराब बंदी के विरोध में

मतदान किया । ये बातें आपकी कथनी और करनी के अंतर को प्रकट करती है और आप गंगाजल की बात कर रहे हैं । आपने गंगा जल लेकर अपने जन घोषणा-पत्र को पूरा करने का संकल्प लिया था तो उस जन घोषणा-पत्र में शराबबंदी था या नहीं था ? यह भी आप मुझे बता दीजिए ।

माननीय सभापति जी, अगर आप छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दुर्घटना बढ़ रही है तो इसके जड़ में सिर्फ और सिर्फ शराब है । बलौदाबाजार विधान सभा में मैं, प्रमोद जी और शकुन्तला साहू जी गए थे । शराब के चलते एक्सीडेंट हुआ था तो एक साथ 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी । हम बता नहीं सकते कि उस दिन गांव में क्या स्थिति थी ? सभापति जी, रायपुर में हाईस्कूल के बच्चे के नशे के चलते कैंची से मारकर हत्या हुई । (पेपर कटिंग दिखाते हुए) ये सिर्फ 15 दिन की पेपर कटिंग है ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, पेपर कटिंग का प्रदर्शन मत करिए, अपनी बात कहें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मैं अपनी बात ही कर रहा हूं । मकान में मिला हरियाणा ब्रांड शराब का भंडार । शराब पकड़ने गई टीम पर महिलाओं ने बरसाए ईंट, पत्थर । टाटीबंध, भनपुरी क्षेत्र के ढाबों में बेखौफ परोसी जा रही है शराब। अवैध शराब बिक्री पर महिलाओं का फूटा गुस्सा । कुल मिलाकर सिर्फ शराब की जिक्र है । और तो और आपकी पार्टी के माननीय विधायक कमरो जी ने एक प्रश्न लगाया और अवैध शराब को लेकर दोनों विधायकों का काम्पीटिशन हुआ । एक ने कहा कि एक ढाबे में शराब बिक रही है, बाहर लोगों को एक महिला की क्लिपिंग बताई जा रही थी कि इस महिला ने अपने सार्वजनिक स्टेटमेंट में कहा कि अगर कोरिया नगर में सभी ढाबों में शराब बिकना बंद हो जाएगी तो मैं भी शराब बेचना बंद कर दूंगी । आप कहेंगे तो वह क्लिपिंग मैं सदन में पटल पर रख देता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- शासन को धर्मसंकट में मत डालो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, सरकारी संरक्षण में शराब बिक रही है। जो एजेंसियां सरकारी दुकान में काम कर रही हैं, उसका क्या उदाहरण है, मैं आपको बताता हूं। भाटापारा में शराब दुकान का जहां कैश रखा जाता था, उसकी चोरी हो गई। 15 लाख की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई कि 15 लाख रूपये चोरी हो गया। जब उसमें जांच हुई तो 27 लाख पकड़ा गया। असल में चोरी 50 लाख के ऊपर की थी। सब दो नम्बर का पैसा था, यहां आ नहीं पाया था, वहां से चोरी चला गया। कुल मिलाकर सरकार के संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं।

माननीय सभापति जी, आपने बहुत से केस बनाये हैं। आपने बहुत से कोचियों को पकड़ा है। परन्तु मैं सिर्फ एक प्रश्न करता हूं। कोई एक पेटी शराब लेकर जा रहा है, उस पर केस बन गया। छन्नी साहू जी का विधानसथा में एक प्रश्न था कि 3 आदमी मोटर सायकल में जा रहे थे, उस मोटर सायकल में तीन आदमी 8 पेटी शराब लेकर जा रहे थे। पुलिस ने ऐसे लोगों के ऊपर केस बना दिया। परन्तु आज

तक ऐसे कोचिये लोगों को जो सप्लाई करता है, उनके खिलाफ केस क्यों नहीं बना ? अगर कोई पकड़ा गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरी तरफ से यह पूछ लो कि अवैध शराब पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है या आबकारी विभाग की है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अवैध शराब पकड़ी जाती है। कोचिया से एक-दो पेटी शराब पकड़ी जाती है। लेकिन जिसने कोचिया को शराब दिया, वहां तक पुलिस क्यों नही पहुंच रही है ? वहां तक प्रशासन पहुंचने में असफल क्यों है ? क्या ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण है ? हम मूल सप्लायर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। माननीय सभापति जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, कहां से शराब आ रही है ? माननीय संसदीय कार्यमंत्री को 3 बार बोला कि उस पत्र को पटल में रखने की अनुमति दीजिये। पूर प्रदेश की जनता देखे कि उसमें नामजद है, एरिया बताया गया है कि शराब कहां से आती है। आप अभी अनुमति दे दीजिय, कल सुबह पटल पर रख दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अनुमति दे दें, पत्र पटल पर रख देते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों के सरकार के समय में एम्ब्युलेंस में शराब बांटी गई थी, पता है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, यह शराब, दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे कारणों से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई है।

सभापति महोदय :- कृपया समय का ख्याल रखिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- उस पर चर्चा करने की बात हो रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अनुमति दें, तो हम वह पत्र पटल पर रख देते हैं, जिसमें कहां से शराब आ रही है, का उल्लेख है। मैं वह वीडियो क्लीपिंग प्रस्तुत कर देता हूं कि जिसमें एक महिला ढाबा की संचालिका बोल रही है कि पूरे क्षेत्र में शराब बिक रही है, सब बंद करेंगे तो मैं बंद करने के लिए तैयार हूं। मैं उसकी क्लिपिंग पटल पर रख देता हूं। माननीय सभापति जी, ये सारे काम सरकारी संरक्षण में हो रहे हैं।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, 30 मिनट से ज्यादा समय हो गया है। कृपया खत्म करिये। समय का ध्यान रखिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, शराब पर अतिरिक्त कर लगाया गया है। गौठान के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खाली 9 महीने में गौठान के लिए 330 करोड़ 40 लाख रूपये कलेक्ट हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 210 करोड़ 55 लाख रूपये कलेक्ट हुआ है। अधोसरंचना के लिए 342 करोड़ 53 लाख कलेक्ट हुआ है। माननीय सभापति जी, यह 9 महीने का रिकार्ड है। यह सरकार कितने महीने से सेस लगा रखी है ? दो साल से। जिन उदेद्श्यों को लेकर सेस लगाया गया है, उन

विभागों को राशि गई क्या ? जिस उद्देश्य से सेस लगाया गया है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार ने खर्च किया है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेरे पी.आई.एल. में सेस के पैसे का हिसाब, जो कोरोना के लिए लगाया था, एक साल से हाईकोर्ट में जमा नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, खत्म करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति जी, इन दोनों के बीच में काम्पटिशन है कि कौन अधिक बोलता है, इस बात का काम्पीटिशन है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, आपकी अध्यक्षता में शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई गई है। मैं आपके माध्यम से आपसे पूछ लूं या माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी जवाब दे दें। यह समिति जो बनाई गई है, किन-किन बिन्दुओं पर विचार कर रही है, कौन-कौन सदस्य हैं, इस समिति की समय-सीमा क्या है कितने दिनों के अंदर रिपोर्ट दे देगी, पूरा कार्यकाल निकल जायेगा क्या ? यह समिति राजनीति करने के लिए बनी है या वास्तव में शराब बंदी करने के लिए बनी है ? माननीय सभापति जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश सरकार ने शराबबंदी नहीं की है। इसके विज्ञापन में 1 करोड़ 70 लाख रूपया रूपया खर्च किया गया है । 1 करोड़ 70 लाख रूपया कौन से विज्ञापन में खर्च हुआ, यह बता दें । सारी बातें आपके प्रतिवेदन में है । शराब खरीदने की प्रक्रिया क्या होगी? आपने विक्रय की बात कर दी है । प्लेसमेंट एजेंसी दुकान चलायेगी, इस बात को कर दी है, फिर शराब खरीदने की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें कहीं किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है ।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, प्रदेश के शराब दुकान में सी.सी.टीवी कैमरे लगाये गये थे, उसमें क्या स्थिति है ? आपके विभाग की स्थिति यह है कि 1466 स्वीकृत पद हैं और 514 रिक्त पद हैं, आबकारी आरक्षक के 494 ..।

सभापति महोदय :- बृहस्पत सिंह जी । शर्मा जी माफ करें । समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बस खतम कर रहा हूँ । इस सरकार ने अपने जन घोषणापत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था । अपने वादे से यह सरकार पीछे हट रही है । आज पूरा छत्तीसगढ़ शराब के गिरफ्त में है । हम पंजाब के बारे में उड़ता पंजाब बोलते थे । आज पूरे छत्तीसगढ़ की स्थित उड़ता छत्तीसगढ़ हो गई है ।

सभापति महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसके लिये कोई जिम्मेदार है तो भूपेश बघेल की सरकार जिम्मेदार है । एक कवि ने भूपेश बघेल जी के लिये लिखा है, उसे पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ ।

भूपेश बघेल के राज हे निराला,

डेरी हाथ में चाकू और जौनी हाथ में प्याला

मैं अनुदान मांगों का विरोध करता हूँ, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, बस हो गया । माननीय बृहस्पत सिंह जी।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- सभापति महोदय, हमारे सदन के बहुत ही विद्वान मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के मांग संख्या 11 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, पूर्व मंत्री हमारे बहुत ही विद्वान साथी है, उन्हें 15 साल सरकार चलाने का अनुभव है, लेकिन इनको यह जानकारी नहीं है, यह वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के उद्योग नीति की बात कर रहे हैं या वर्ष 2019 से 2024 के उद्योग नीति की बात कर रहे हैं । सभापति महोदय, जब हमारी वर्ष 2014 से वर्ष 2019 की उद्योग नीति थी, उसकी चर्चा लगातार कर रहे थे, हमारे छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी है, माननीय लखमा जी की सरकार बनी है, तब से वर्ष 2019 से वर्ष 2024 उद्योग नीति लागू है । यह उद्योग नीति लागू होने के साथ ही हमने छत्तीसगढ़ को अ, ब, स, द, चार भागों में बांटा है, जो सबसे औद्योगिक क्षेत्र है, जहां उद्योग स्थापित है, उसको हमने ए श्रेणी में रखा है, जहां कम उद्योग लगे हैं, उसको बी श्रेणी में रखा है, जहां और कम है, उसे सी श्रेणी में रखा है, जहां हमारे उद्योग की गतिविधि बहुत कम है, सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर, जशपुर ऐसे जिले हैं, जिसको डी श्रेणी में रखा है, इन चारों के लिये हमारी सरकार ने नीति निर्धारित की है । सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इनके समय में उद्योगपति बड़े लोग आते थे, आप उद्योग नीति की बात कर रहे थे, चन्द्राकर साहब इस बारे में बात कर रहे थे, इनका विधान सभा कुरूद में है, यहां पर एक उद्योग पार्क बना हुआ है, इंदौर की कंपनी एक बहुत बड़ा कारखाना डाला है, जिसमें मैदा भी बनता है, सूजी भी बनता है, आटा भी बनता है और भी बनता है । मैं इनके क्षेत्र में देखने के लिये गया था, मेडिसीन दवाईयां भी बनती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको आपने बनाया है क्या ? अब सुनो वहां जो लोग हैं ना उसको दूसरी जगह भेजा जा रहा है । समझ रहे हो । कहां भेजा जा रहा है, उसका नाम नहीं लूंगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- पहले सुन लो । उद्योग नीति की विरोध करते हैं । आप जरा महासमुंद जाकर देख लीजिए । आपके जो लेबल लगे रहते हैं ना, बाम्बे का नही है, हमारे छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बनता है, जो बाम्बे की पुट्टी आप कहते हैं ना, बाम्बे की कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वह हमारे यहां बनती है, प्रोडक्ट हमारे यहां है और जाकर देखिये, जो दीवाल पुट्टी का काम होता है । आपको बता देता हूँ, मैंने वहीं देखकर आया है, जो नागरमोथा है, उसका सेंट बनता है आपको और बता देता हूं कि जो नागर मोथा होते हैं, उसके एक से एक महंगे से महंगे सेंट बनते हैं। हमारे यहां उसका पूरा प्रोडक्ट होता है और उसकी सारी चीजें बनती है। आपको बता दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नीति

बनाई है, उसके तहत सरकार ने निर्धारण किया कि हमने राज्य के सभी जिलों में उद्योग नीति के तहत फुड पार्क बनाने का काम किया। जहां-जहां जिन ब्लॉकों में जगह है, उन सब जगहों पर बनाने का काम किया। इस प्रतिवेदन में सारी डिटेल्स है। हमारी सरकार ने उद्योग नीति इतना सरल बनाया। इनके समय में सिर्फ बड़े उद्योगपति ही उद्योग लगाते थे। आज गरीब से गरीब, आदिवासी से आदिवासी, महिला भी उद्योगपति और उद्यमी बन सकेगी। यह छत्तीसगढ़ की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री कवासी लखमा की सरकार ने तय किया। आपको बता दू कि सरकार बहुत न्यूनतम दामों में जमीन दे ही रही है और उद्यमी जो उद्योग स्थापित करेगा, उसका 20 प्रतिशत डाऊन पेमेंट भी सरकार दे रही है। अब उद्यमी को उद्योग लगाने के लिये 75 प्रतिशत राशि बैंक फाईनेंस करेगी और 5 प्रतिशत राशि उस आदिवासी या महिला उद्यमी को देना होगा। उद्योग लगने के बाद जब उद्योग चालू होने का सर्टिफिकेट आयेगा तो हमारी सरकार ने आदिवासियों को 40 प्रतिशत और महिलाओं को 45 प्रतिशत सब्सिडी भी देने का प्रावधान किया है। जब उद्योग लग जायेगा और उद्योग लगने के बाद जो बैंक का ब्याज आयेगा, उसकी 75 प्रतिशत राशि उद्योग विभाग भुगतान करेगा और 25 प्रतिशत राशि उद्यमी भुगतान करेगा, आप सब सुन लो, यह हमारी सरकार की नीति है। यह हमारी उद्योग की नीति वर्ष 2019 से 2024 में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने बनायी। मैं माननीय लखमा जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आप बहुत अच्छी नीति लेकर आये हैं। आज मजदूर भी उद्यमी बन सकता है जो कल तक इनकी फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करता था, वह भी आज उद्यमी बन सकता है। सभापति महोदय, मैं इतना ही नहीं बताऊंगा, जो बिजली बिल आयेगा उसमें भी छूट का प्रावधान है। जमीन रजिस्ट्री के समय भी सरकार के द्वारा स्टाम्प शुल्क देने का प्रावधान किया गया है और 7 साल तक उस उद्यमी को जी.एस.टी. नहीं पटाना पड़ेगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। हमारा छत्तीसगढ़, हिन्दुस्तान का ऐसा पहला राज्य है जिसने उद्योग नीति में इतना सरलीकरण किया है। इतना ही नहीं हमने पहले गुजरात की एकल खिड़की के बारे में सुना था। हमने छत्तीसगढ़ में भी एकल खिड़की की है। हमने पहले आओ, पहले पाओ की योजना भी लागू की है। जब सरकार जमीन आरक्षित करती है और जो पहले ऑनलाईन आवेदन करता है, उसको पहले प्राथमिकता देते हैं और उससे शर्त रखते हैं कि आपको इतने सालों के अंदर उद्योग स्थापित करना ही होगा, यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी जमीन को दूसरे को भी देने का प्रावधान किया गया है। यह हमारी उद्योग नीति बहुत सफलतापूर्वक है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्रों ने बहुत लम्बे समय तक भाषण दिया। वे 2014 से 2019 की उद्योग नीति में भाषण देते रहग गये, पूरा समय बिता दिये लेकिन ये अभी तक प्रतिवेदन का पन्ना पलट कर इस किताब को पढ़कर नहीं देख पाये कि भूपेश बघेल साहब ने 2019 से 2024 की उद्योग नीति लागू कर दी है।

सभापति महोदय, यह चाहते नहीं है कि सरगुजा का, बस्तर का, बीजापुर का, नारायणपुर का, सुकमा का, दंतेवाड़ा का, कोरिया का, बलरामपुर का, विकास हो..।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, सरकार। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो धरना में मत बैठा करो, एस.पी. को दंगाई मत बोला करो, मुख्यमंत्री जी के सामने धर्म संकट पैदा मत किया करो।

श्री बृहस्पत सिंह :- चलिये आप बैठ जाईये। आप बहुत विद्वान है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आदेश मत किया करिये कि जुलूस निकालो और हथकड़ी पहनाओ। सरकार अच्छी चल रही है ना ?

श्री बृहस्पत सिंह :- भाई सुनिये तो। मैंने देख लिया कि आप बहुत बड़े विद्वान है। एक घण्टा तक आपने भाषण दिया लेकिन आपने पन्ना पलटकर यह नहीं देख सके ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आगे ऐसा मत करना। वह बाजू वाले तो थाने..।

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय जी, बृहस्पत सिंह जी एक मिनट। इस सरकार में आपकी जान को खतरा, इस सरकार में आपको धरने में बैठना पड़ा, फिर सरकार कैसे अच्छी चल रही है यह बताईये ?

श्री बृहस्पत सिंह :- यह आपके षडयंत्र का हिस्सा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप ही बोल चुके हैं कि आपकी जान को खतरा है। आप सार्वजनिक रूप से बोल चुके हो कि आपकी जान को खतरा है। आप सार्वजनिक रूप से एस.पी. को दंगाई कहकर (व्यवधान) तो यह सरकार कैसे अच्छी चल रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये समय कम है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप विषय से विषयांतर न करें। इन्हें विषय से विषयांतर करने में महारत हासिल है

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप समाप्त करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा, और बाकी बातें बता चुका हूं कि मैं मांग संख्या 11 का समर्थन करता हूं । लागत पूंजी अनुदान मद में वित्तीय वर्ष2023 - 24के लिए राशि रूपए 128 करोड़ का प्रावधान किया गया है ,इस मद में वित्तीय वर्ष2022 - 23में राशि रूपए 82 करोड़ रूपए प्रावधानित था ,उद्योगों की स्थापना और प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान राशि दी जावेगी। इसके विरूद्ध बजट में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें पहले से लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुनिए कि बलरामपुर में एकाध उद्योग लगे हैं तो आप बताईए। आप वर्ष 2019 से वर्ष 2024 की जो नीति बता रहे हो, आप हर बात में तो खड़े होते हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ। इन्हें प्रताड़ित करिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- बलरामपुर में एकाध उद्योग लगे हैं तो आप बता दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपसे ही बार-बार खड़ा होना सीखा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 11 के ब्याज अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राशि रूपए 44 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रूपए 43 करोड़ प्रावधानित था, लघु मध्यम और वृहद उद्योगों की स्थापना तथा उद्योगों में विस्तार हेतु सावधि ऋण टर्म लोन पर चुकाए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्रों ने फुड पार्क की बहुत बात की..।

अध्यक्ष महोदय :- आप समाप्त करिए, आप बहुत लम्बा खिंच रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर जिले में ...।

श्री उमेश पटेल :- ए बबा, अब बइठ ना गा खत्म कर न दें।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी स्थापना हेतु राज्य में विभिन्न जिलों में फुड पार्कों में अधोसंरचना विकास कार्य हेतु राशि रू. 50 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है इसमें राज्य के समन्वित औद्योगिक विकास कार्य किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण मद में राशि रू. 13 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है इस मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रू. 14 करोड़ रूपए प्रावधानित था। उद्योगों के संवर्धन हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। माननीय सभापति महोदय, मित्रों ने बलरामपुर की बड़ी चिंता की है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको चश्मा लगता है क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- रामानुजगंज बलरामपुर रोड में ..;।

अध्यक्ष महोदय :- आपको चश्मा लगता है क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं। सर, मुझे चश्मा लगता है, लेकिन बहुत कम लगता है।

अध्यक्ष महोदय :- अब सभापति अध्यक्ष बन चुके हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, इनका हल्ला-गुल्ला सुनकर हमें बिना चश्में के ही काम चल जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी सभापति अध्यक्ष बन चुके हैं। आप अध्यक्ष जी बोलिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- सॉरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा। यह एकाध बार दौरे में चले जाएं। अभी चुनाव में दौरे में जाएंगे..

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी तो अभी तक के दारू बंद नहीं कर पाये हैं और न दारू खोल पाये हैं। आप ही कम से कम बोल दीजिए कि आप इन 4 सालों में दारू खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं। केवल पिकनिक मनाने के लिए बिहार मणीपुर, मिजोरम जा रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रामानुजगंज से रायपुर रोड बलरामपुर एन.एच. 343 है उसके रोड किनारे उद्योग विभाग को 50 एकड़ जमीन, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश में

सुरक्षित किया गया है। इसमें 20-25 एकड़ फुड पार्क और बाकी स्थापितों का किया गया है। इसके लिए लगातार हमारे उद्योग विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण करके, फाईनल कर लिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उद्योग विभाग में 50 एकड़ जमीन में जांच में टिक लगेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी डी.पी.आर. जमा होते ही उसका भी विकास होगा। वहां जिनके पास उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन नहीं हैं, हम लोग उनको भी बलरामपुर जिले में जमीन देंगे। वहां उद्योग स्थापित होगा। वहां के लोग जो बाहर काम करने जाते थे, उनको वही रोजगार मिल सकेगा। वहीं पर आपको बताना चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय...

अध्यक्ष महोदय :- फिर आपने मुझे सभापति कहा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सॉरी। जो उद्योग नीति आई है उस उद्योग नीति से प्रभावित होकर, हमारे क्षेत्र के बलरामपुर जिले में कई कोल्ड स्टोरेज स्थापित हो रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप अध्यक्ष जी को बार-बार सभापति कह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप एस.पी. को भी हवलदार, सिपाही बोल देंगे, जब आप झगड़ा करते होगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां राईस मिल स्थापित हो रहे हैं हम लोगों ने लगातार उद्योग स्थापित करने का काम किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिए तो उद्योग नीति से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस पार्टी में शामिल तो नहीं हो गए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने लगातार उद्योग स्थापित किया है। जो फैक्ट्रियों में श्रमिक थे, उनको हम लोगों ने उद्यमी बनाने का प्रयास किया है। मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि हमने छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा है, ए.बी.सी.डी.। यहां "द" मतलब जो क्षेत्र जहां हमारी कोई उद्योग नीति नहीं संचालित है। जीरो है, वहां उनको बढ़ावा देने के लिए हम उसको 75 प्रतिशत तक बैंक फाईनेंस दे रहे हैं। उद्योग विभाग 20 प्रतिशत राशि डाऊन पेमेंट दे रही है और मात्र 5 प्रतिशत उद्यमी महिला उद्यमी हो या आदिवासी उद्यमी हो। वह ऐसा करके उद्यमी बन सकेगा और उद्योग स्थापित कर सकेगा। मैं फिर से ब्याज की रकम में कह देता हूँ कि उद्योग विभाग 75 प्रतिशत ब्याज की राशि पटायेगा। उद्यमी को 25 प्रतिशत राशि पटाना होगा। हमने ऐसा उद्योग स्थापित करने का काम किया है। जो अंतिम छोर में बसे हुए लोग हैं जो समाज के अंतिम छोर में हैं जहां हमारे किसी उद्योग की गतिविधि नहीं है। हमने उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है, उससे इनके पेट में जलन हो रही है कि एक जो मजदूर, आदिवासी, महिला है अगर वह उद्यमी बन जाएंगे तो बाकी उद्योगपतियों की फैक्ट्री में कौन काम करने आएगा। इसलिए हमारे साथी लोग बड़े चिंतित हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सर्वसम्मति से उद्योग विभाग का बजट सर्वसम्मति से पास किया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाईन बताना चाहता हूं माननीय लखमा जी देश के पहले उद्योग मंत्री हैं जो निसेनी (सीढी) में चढ़कर उधर कूदे और बताये कि मैं उद्योग मंत्री हूं तब उनको लोग पहचानें।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि माननीय चन्द्राकर जी, शिवरतन शर्मा जी बहुत विद्वान हैं। ईश्वर करे कि उसी जगह पर उनको बार-बार कुर्सी मिले और हम लोग इधर रहे और सरकार अच्छे से चला सकें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती इंदु बंजारे (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार विभागों की चर्चा हो रही है, नाम देने के बावजूद भी हमारा नाम नहीं पुकारा गया। छत्तीसगढ़ सरकार नारी सशक्तिकरण की बात कहती है। लेकिन एक महिला सदस्य होने के बावजूद भी हमें अवसर नहीं दिया जा रहा है। मैं इस विभाग का विरोध करते करते हुए बहिर्गमन करती हूं।

समय :
9.46 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>अनुदान मांगों पर चर्चा का अवसर न दिये जाने के विरोध में।</u>

(श्रीमती इंदु बंजारे, सदस्य द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का अवसर न दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

<u>वर्ष 2023-2024 की अनुदान मागों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

अध्यक्ष महोदय :- आप सभी विषयों में बोल चुकी हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं या अकबर जी जवाब देंगे? अनुदान मांगों को पास करने का प्रस्ताव माननीय अकबर जी पढेंगे या मंत्री जी पढेंगे। आपने निर्णय दे दिया है, उस निर्णय के बाद आबकारी मंत्री जी क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या फिर आखिरी में वह पढ़ेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रामकुमार यादव :- सदन के अंदर में ट्रांसलेशन करै के प्रावधान रहिथे। सदन के अंदर में इंग्लिश से हिन्दी करै के प्रावधान रहथे, वइसने यहां पर प्रावधान है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय परंपरायें हैं, आप निर्णय देते हैं, आपके निर्णय पर हम आपत्ति नहीं लेते हैं। उसके बाद ये स्थिति पैदा होती है तो ये उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपका आशय समझ नही पा रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अकबर जी जवाब दे दें या वह दें, दोनों मे से एक जवाब दें।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब तो आने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी व्यवस्था नियम विरूद्ध होने के बाद भी हमने स्वीकार किया है। क्योंकि मंत्री जी की कुछ मजबूरी है। देखिये, संसदीय कार्य मंत्री जी सब परंपराओं को मत तोड़िये, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी बाद में आये और उनके साथ ही ये तकलीफ है। जब आपने प्रस्तुत करने के लिए कहा तो प्रस्तुत अकबर जी करेंगे और जवाब मंत्री जी देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा नहीं कहा है। आप निकाल लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- ऐसा ही कहा है। आसंदी से यही आया है, आप दिखवा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने लिखित पढ़ने के लिए अनुमति दी थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पढ़ने के लिए अनुमति दी न।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, लिखित पढ़ने के लिए अनुमति दी थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या आखिरी में बजट पारित करने के लिए जवाब मंत्री जी देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा है तो फिर पूरा निर्णय ही जो आसंदी के द्वार पढ़ा गया है, ये संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने लिखित अनुमति दी थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो मंत्री किसी चीज में शामिल हो, यह औचित्यपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है। यह संसदीय परंपराओं के विरूद्ध है। अगर आपने किसी एक मंत्री को पढ़ने का अधिकार दिया है तो उसी मंत्री को इसका जवाब भी देना चाहिए। यह औचित्यपूर्ण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। आपको ज्यादा आपत्ति है तो मैं अकबर जी से निवेदन करूंगा कि वह जवाब दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपत्ति नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम यह आपत्ति नहीं कर रहे हैं। यह संसदीय परंपराओं का पालन करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि आपके निर्देश पर हमने इस बात को स्वीकार किया जबकि वह स्वीकार करने

योग्य नहीं था। फिर भी आपने आग्रह किया, हम माननीय आबकारी मंत्री जी का सम्मान करते हुए, उनकी मजबूरी है, वह पढ़ नहीं सकते तो हमने स्वीकार किया। हमने उनके सम्मान में स्वीकार किया।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी का फैसला आ गया, अब तो माननीय मंत्री जी का बयान सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनका बिल्कुल सम्मान करते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु संसदीय परंपराओं को कम से निभाना पड़ेगा, इस बात का आपसे आग्रह है। माननीय मंत्री जी क्या आप दारू बंदी की घोषणा कर रहे हैं?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल देता हूं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्या बहिर्गमन करके चली गईं। विभाग की चर्चा हो रही है, महिला बाल विकास विभाग की चर्चा हुई। बहुजन समाज पार्टी की एक सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा हूं कि उनको जाने दीजिए। आप समय भी देखिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि उनको कम से कम दो मिनट का समय दे देते।

श्री भूपेश बघेल :- वह बहिर्गमन करके चली गईं। आप बैठ जाईये न।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का समय वेस्ट न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जवाब देने के पहले इस बात की घोषणा करें कि आप दारू बंद कर रहे हैं या नहीं बंद कर रहे हैं? आपके घोषणा पत्र में था। आप शराब बंद करने की घोषणा करिये। (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- क्या आपके अनुसार चलेंगे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- यह जवाब नहीं सुनना है तो जाओ। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप शराबबंदी की घोषणा करिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- आप शराबबंदी की घोषणा कीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप शराबबंदी की घोषणा करिये। यह वाणिज्य उद्योग विभाग का बजट प्रोविजन है। सरकार ने कहा था कि हम शराब बंदी करेंगे। सत्तापक्ष ने कहा था कि हम शराबंदी करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने जन-घोषणापत्र को आत्मसात किया है। महामहिम के भाषण में आया है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपके जन-घोषणापत्र में जर्सी गाय था। आपने आदिवासियों को जर्सी गाय दिया?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप शराबबंदी की घोषणा करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- आप शराबबंदी की घोषणा करिये।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप पहले सुन तो लीजिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए (व्यवधान) कुल 199 (व्यवधान) हुई है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शराबंदी के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

समय :
9.51 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए सदन से बहिगर्मन किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा। प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 11 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा। प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

मांग संख्या 11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए - पांच सौ चौरानबे करोड़, तिहत्तर लाख, उनचास हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बुधवार दिनांक 22 मार्च ..।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 का दिन अनुदानों की मांगों पर चर्चा हेतु अंतिम दिन निर्धारित था। चूंकि आज मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण हो रही है। अत: मैंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक को अनुदानों की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् आज ही पुन:स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की है। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मानीयय अध्यक्ष जी, हम आपको बधाई देते हैं। हम पूरे सदन को बधाई देते हैं कि ..।

समय :
9.53 बजे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023) का पुर:स्थापन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम आपको और पूरे सदन को बधाई देते हैं कि वित्तीय मांगों पर पूर्ण चर्चा होने के बाद और एक दिन पहले यह चर्चा पूर्ण हुई है। इससे सदन की गरिमा बढ़ी है। हम सब लोगों ने भाग लेकर चर्चा पूरी की है। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सदन के सभी सदस्यों को और आपको विशेष रूप से और सचिवालय के लिए इसको बधाई देते हैं कि आपने पूरी चर्चा करवाकर एक दिन पहले पूरी चर्चा करवा ली। इसके लिए आपको और सभी सदस्यों को हम बधाई देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, बृजमोहन जी ने कहा। मैं प्रतिपक्ष के साथियों को भी बधाई देता हूं। हम सभी साथियों को बधाई देता हूं और आप सबको भी बधाई देता हूं कि हम लोगों ने सारे मांगों पर चर्चा की और सारे लोगों ने भाग लिया। भले ही माननीय अजय जी कहते थे कि हम 10 मिनट में बोलेंगे। हम लोगों ने सबका 1-1 घंटा तक का भाषण सुना है और कभी-कभी उत्तर सुनने के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बजाय भाग जाने की परंपरा थोड़ी ठीक नहीं थी। बाकी तो सदन बहुत अच्छा चला। मैं आपको हृदय से ..।

श्री अजय चंद्राकर :- चौबे जी, अब आप राजनीतिक भाषण देते हैं तो एक बात और सुन लीजिये। हमने आपके ऊपर भरोसा किया था कि विनियोग विधेयक कल प्रस्तुत होगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- सुनिये तो।

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिए आप राजनीतिक भाषण देंगे तो आप भरोसा खो देते हैं। आपसे चर्चा करेंगे तो फिर उसका हल दूसरा हो जायेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीन अलग-अलग होते हैं न तो अलग-अलग निर्णय होता है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था, आप बस यह बताईये?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मैं आप सबको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी को धन्यवाद । पूरे सदन को धन्यवाद, पूरे सदन को बधाई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी विनियोग प्रस्तुत करने वाले हैं इसीलिये हम आये ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्थक चर्चा हो । अच्छी चर्चा हो । सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत बधाई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि राज्य के विकास के लिये पैसा खर्च होना है इसीलिये हम यहां पर आये हैं । हम विनियोग के लिये ही आये हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके प्रस्तुतिकरण के लिये आये, आप जल्दी-जल्दी कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको धन्यवाद ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम विनियोग को प्रस्तुत करवाने ही आये थे, आप जल्दी कर रहे थे ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप कहेंगे तो आज चर्चा भी करवा देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको धन्यवाद । आप सबको धन्यवाद । आप सबने जो सहयोग दिया उसके लिये बहुत-बहुत आभार ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(रात्रि 9 बजकर 56 मिनट पर विधान सभा बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 (चैत्र-1, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई ।)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छ.ग.) **सचिव**

दिनांक 21 मार्च, 2023 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं